श माला, खंड 33, अंक 27

FOR REFERNCE ONLY.

गुरुवार, 24 अप्रैल, 2003

4 वैशाख, 1925 (शक)

# लोक सभा वाद - विवाद

## ( हिन्दी संस्करण )

बारहवां सत्र

( तेरहवीं लोक सभा )

PARLIAMENT LIBRARY
No. D......55......
Date......29/11/03......

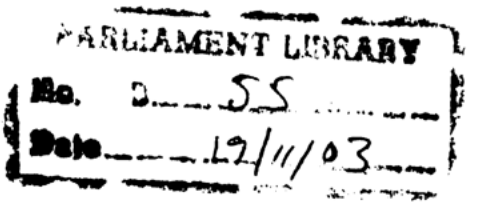

( खण्ड 33 में अंक 21 से 30 तक हैं )

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

## सम्पादक मण्डल

**गुरदीप चन्द मलहोत्रा**
महासचिव
लोक सभा

**डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु**
संयुक्त सचिव

**शारदा प्रसाद**
प्रधान मुख्य सम्पादक

**विद्या सागर शर्मा**
मुख्य सम्पादक

**वन्दना त्रिवेदी**
वरिष्ठ सम्पादक

**पीयूष चन्द्र दत्त**
सम्पादक

**परमजीत कौर**
सहायक सम्पादक

---

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

# विषय सूची

त्रयोदश माला, खंड 33, बारहवां सत्र, 2003/1925 (शक)

**अंक 27, गुरुवार, 24 अप्रैल, 2003/4 वैशाख, 1925 (शक)**

**विषय** कॉलम

**सदस्यों द्वारा निवेदन**

**देश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, विशेष रूप से हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन के विनिवेश के बारे में** . . . . . 1-7, 376-404

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर**

***तारांकित प्रश्न संख्या 482 से 486** . . . . . 7-48

**प्रश्नों के लिखित उत्तर**

तारांकित प्रश्न संख्या **487 से 501** . . . . . 48-86

अतारांकित प्रश्न संख्या **4813 से 5012** . . . . . 86-359

**सभा पटल पर रखे गए पत्र** . . . . . 359-363

**राज्य सभा से संदेश** . . . . . 363-364

**अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी**

विशेषाधिकार का प्रश्न . . . . . 364-368

**अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना**

एमएमटीसी द्वारा एमआईसीए डिवीजन के 350 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी किए जाने के निर्णय से उत्पन्न स्थिति . . . . 369-375

श्री बसुदेव आचार्य . . . . . 369

श्री अरूण जेटली . . . . . 369-374

**कार्यमंत्रणा समिति के उनचासवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव** . . . . . 375

**जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक–पुरःस्थापित** 404

**नियम 377 के अधीन मामले** . . . . . 404-412

(एक) राजस्थान में अलवर और भिवाड़ी के बीच रेल सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता

डा. जसवन्तसिंह यादव . . . . . 405

(दो) महाराष्ट्र के जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा मोबाइल सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री वाई. जी. महाजन . . . . . 405

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

(तीन) राजस्थान में जयपुर में प्रदर्शनी मैदान के निर्माण के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव. . . . . 405-406

(चार) कुक्कुट उद्योग के हितों की रक्षा के लिए चारा सामग्री पर उत्पाद–शुल्क और मूल्य वर्धित कर हटाए जाने की आवश्यकता

श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी . . . . . 406

(पांच) झारखंड के बोकारो इस्पात संयंत्र में मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर रोजगार दिए जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय . . . . . 406-407

(छह) हरियाणा के अम्बाला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की भारी समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता

श्री रतन लाल कटारिया . . . . . 407

(सात) राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किए जाने और इसके विकास के लिए पर्याप्त अनुदान स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

श्री रमेश चेन्नितला. . . . . 408

(आठ) कर्नाटक में हासन में विशेष आर्थिक जोन स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा . . . . . 408-409

(नौ) देश में विशेषकर उत्तरांचल में, वन भूमि में रह रहे लोगों को स्वामित्व अधिकार दिए जाने के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता

डा. महेन्द्र सिंह पाल . . 409

(दस) गुजरात में साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर में आकाशवाणी स्टेशन को शीघ्र शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री मधुसूदन मिस्त्री 409-410

(ग्यारह) बिहार के भागलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किऊल और साहिबगंज के बीच रेल पटरी का उचित रखरखाव किए जाने की आवश्यकता

श्री सुबोध राय . . . . . 410

(बारह) आन्ध्र प्रदेश में हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार के प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री के. येरननायडू . . . . . 410-411

विषय कॉलम

(तेरह) देश में उत्पादित पॉम ऑयल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा किए जाने की आवश्यकता

श्री वाई. वी. राव 411

(चौदह) बिहार में मधुबनी जिले में बलिराजगढ़ का पर्यटन स्थल के रूप में विकास किए जाने की आवश्यकता

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव ..... 411-412

(पन्द्रह) पंजाब में, विशेषकर भटिंडा और मनसा जिलों में, सूखे की भीषण स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री भान सिंह भौरा ..... 412

## लोक सभा

गुरुवार, 24 अप्रैल, 2003/4 वैशाख, 1924 (शक)

*लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।*

**(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)**

*[हिन्दी]*

### सदस्यों द्वारा निवेदन

### देश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, विशेष रूप से हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन के विनिवेश के बारे में

*(व्यवधान)*

**श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद)** : अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा कि विनिवेश के मामले में...*(व्यवधान)* क्या बात करते हैं आप लोग?...*(व्यवधान)*

**श्री श्रीचन्द कृपलानी (चित्तौड़गढ़)** : अध्यक्ष महोदय, क्या क्वैश्चन ऑवर नहीं चलेगा? ये रोज–रोज क्या करते हैं?... *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आपकी बात सही है लेकिन मैं समझना चाहता हूं कि वह क्या कहना चाहते हैं।

*(व्यवधान)*

**श्री रामजीलाल सुमन** : मैं आपके माध्यम से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि विनिवेश के सवाल पर एक बार नहीं, अनेकों बार सदन में चर्चा हुई है लेकिन उससे कोई सार्थक परिणाम नहीं निकले हैं। इसमें असल और बुनियादी सवाल यह है कि मुनाफे में चलने वाले जो सरकारी उपक्रम हैं, उनको बेचने का काम यह सरकार कर रही है।...*(व्यवधान)* प्रधान मंत्री जी ने एक बार कहा था कि कब तक सरकारी उपक्रमों को बेचने के माध्यम से देश के धन को लूटने की इजाजत दी जा सकती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अब तक जो सरकारी उपक्रम बेचे गए हैं, चाहे बाल्को हो या सीएमसी हो, वे सब मुनाफे में चलने वाले उपक्रम थे।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : देखिए, मैंने इस विषय में एडजर्नमेंट मोशन की इजाजत नहीं दी है और न ही मैं क्वैश्चन ऑवर सस्पेंड करना चाहता हूं।

*(व्यवधान)*

**श्री रामजीलाल सुमन** : मेरा निवेदन है कि कम से कम जो मुनाफे में चलने वाले सरकारी उपक्रम हैं, उनको तो न बेचा जाए।...*(व्यवधान)* मुनाफे में चलने वाले सरकरी उपक्रमों को भी यह सरकार बेचने का काम कर रही है।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है। जीरो ऑवर में आप बोलिए।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज)** : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए प्रश्न काल को स्थगित करने हेतु नोटिस दिया है। अब इस सत्र में केवल कुछ ही दिन बचे हैं। कल हम वित्त विधेयक पर चर्चा आरंभ करेंगे और 30 अप्रैल तक हमें इसे पारित कर देना है। हम सरकार के साथ सहयोग करना चाहते हैं। सभा में प्रत्येक कार्य पर हमने सरकार का सहयोग किया है। हमें सूचना मिली है कि 9 मई के बाद सरकार नवरत्न कहे जाने वाले सरकारी उपक्रमों में से एचपीसीएल, बीपीसीएल तथा नाल्को जैसे उपक्रमों की बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा को बेचने के लिए बेचैन है। महोदय, जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया था, तो यह पाकिस्तान द्वारा भारत की सुरक्षा की धमकी के मद्देनजर किया गया था। आज भी राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए हम नहीं चाहते कि इस पर केवल मंत्रिमंडल ही निर्णय ले और जवाबदेह बने। हमने देखा है कि किस तरह से बहुत सारे राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया है। यदि कोई इससे इनकार करता है, तो करता रहे। इस गठबंधन के सहयोगी दल शिवसेना ने, बाहर से समर्थन दे रही तेलगुदेशम पार्टी ने, जनता दल (संयुक्त), समता पार्टी इन सभी ने विनिवेश का विरोध किया है। लेकिन श्री अरूण शौरी और प्रधान मंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल इन सभी दलों की इच्छाओं की, संपूर्ण सभा के रुख की और उसके सामूहिक विवेक की अनदेखी कर रहा है। इसलिए जब तक माननीय प्रधानमंत्री सभा में नहीं आ जाते,

और यह आश्वासन नहीं दे देते कि लाभ अर्जित करने वाली किसी भी इकाई को बेचा नहीं जाएगा, हम सहयोग नहीं करेंगे ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री रामजीलाल सुमन** : असल सवाल यह है कि मुनाफे में चलने वाले सरकारी उपक्रमों को नहीं बेचा जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)* यह सरकार मुनाफे के सरकारी उपक्रमों को भी बेचने का काम करी है।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल के बाद आप यह मुद्दा उठा सकते हैं।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने तीन माननीय सदस्यों से प्रश्न काल को स्थगित किए जाने की सूचनाएं प्राप्त की हैं। मैंने श्री रामजीलाल सुमन और श्री प्रियरंजन दासमुंशी को बोलने की अनुमति दे दी है। तीसरे सदस्य श्री अजय चक्रवर्ती हैं जिन्होंने प्रश्न काल को स्थगित किए जाने की सूचना दी है।

*(व्यवधान)*

**श्री रूपचन्द पाल (हुगली)** : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

**अध्यक्ष महोदय** : स्थगन प्रस्ताव से संबंधित सूचनाओं को मैंने पहले ही अस्वीकार कर दिया है। मैं केवल उन्हीं सूचनाओं को ले रहा हूं जो प्रश्न काल को स्थगित किए जाने से संबंधित हैं।

श्री अजय चक्रवर्ती आप क्या कहना चाहते हैं?

**श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट)** : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही दुःखद बात है कि भारत सरकार ने हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड जैसी लाभ अर्जित करने वाली इकाइयों के विनिवेश का फैसला किया है। यह दोनों कंपनियां संसद द्वारा एक अधिनियम नामतः भारत में एस्सो (भारत में उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम, 1974 पारित कर बनाई गई थीं। इस कानून के पारित होने के बाद इन इकाइयों को सरकार द्वारा अधिग्रहीत कर लिया गया था।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपसे जानना चाहता हूं कि प्रश्न काल को स्थगित क्यों किया जाना चाहिए?

*[हिन्दी]*

**श्री रामजीलाल सुमन** : भारत सरकार वादा करे कि मुनाफे वाले सरकारी उपक्रम नहीं बेचे जाएंगे।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें अपने तर्क प्रस्तुत करने दीजिए।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं प्रश्न काल समाप्त होने के बाद इस मुद्दे पर आपको बोलने की अनुमति दे सकता हूं। मैं आपको शून्य काल के दौरान बोलने की अनुमति दूं उस समय आप अपनी बात स्पष्ट रूप से रख सकते हैं। लेकिन अभी आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

प्रश्न सं. 482 श्री सुरेश रामराव जाधव।

*(व्यवधान)*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : अध्यक्ष महोदय, सरकार सभा के आश्वस्त करे कि इस तरह से विनिवेश नहीं होगा।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं प्रश्न काल समाप्त होने के बाद आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को स्वीकार नहीं किया है। कृपया आपने स्थान पर बैठ जाएं।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं जानता हूं कि एचपीसीएल और बीपीसीएल का विनिवेश एक महत्पूर्ण मुद्दा है। कार्यमंत्रणा समिति में भी इस विषय पर चर्चा के बाद यह सहमति बनी थी कि इस मुद्दे पर सभा में विस्तार से चर्चा होगी। इस बारे में एक ही समस्या थी की इस विषय पर किसी नियम के तहत चर्चा कराई जानी चाहिए। यही एकमात्र समस्या थी, शायद श्री प्रियरंजन दासमुंशी को याद आया हो। उस समय मैंने कहा था कि मुझे इस विषय पर चर्चा करने में कोई आपत्ति नहीं है और कार्यमंत्रणा समिति में बनी सहमति के आधार पर इस पर चर्चा हो सकती है। अभी संसदीय कार्य मंत्री आती होंगी

और वे अपने बयान में बताएंगी कि इस मुद्दे पर किस नियम के अंतर्गत चर्चा कराई जा सकती है। ऐसे में मुझे प्रश्न काल स्थगित करने का कोई तर्क नजर नहीं आता। इसलिए मुझे प्रश्न काल पूरा करने दीजिए। मैं आप सभी से सहयोग का अनुरोध करता हूं। शून्य काल के दौरान हम इस मुद्दे को लेंगे और मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। अभी कृपया सहयोग करें।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली)** : देश की सम्पत्ति विदेशियों के हाथ बेची जा रही है...*(व्यवधान)*

**श्री रामदास आठवले (पंढरपुर)** : यह बहुत बड़ा घोटाला है...*(व्यवधान)*

**श्री रामजीलाल सुमन** : यह बहुत गम्भीर मामला है।

**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री जी आएंगे, वह भी निवेदन करेंगे। मैं जानता हूं कि यह विशय महत्वपूर्ण है, लेकिन इस विषय पर चर्चा हो सकती है। सरकार अपना व्यू रखेगी और आप अपना व्यू रख सकते हैं, लेकिन चर्चा होने के पहले यहां कुछ कहना ठीक नहीं होगा, इसलिए आप बैठिए।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपको 'शून्य काल' में बोलने की अनुमति दूंगा। अभी कृपया अपनी सीट पर बैठें।

*(व्यवधान)*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : महोदय, इस विषय पर चर्चाओं के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन सरकार सभा के विचारों को सुनने के लिए तैयार नहीं है...*(व्यवधान)* सरकार ने इस विषय पर सभी दलों की राय की अनदेखी कर दी है...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल समाप्त होने पर मैं सरकार से पूछूंगा कि वह इस विषय पर क्या कहना चाहती है। संसदीय कार्य मंत्री इस विषय पर कुछ कह सकती हैं।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री राम नाईक कुछ कहना चाहते हैं। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं।

*(व्यवधान)*

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक)** : महोदय, आप पहले ही कह चुके हैं कि इस विषय पर 'प्रश्न काल' के बाद 'शून्य काल' के दौरान चर्चा की जा सकती है। हम समझते हैं कि पहले प्रश्न काल पूरा हो जाने दीजिए उसके बाद सभा इस विषय पर चर्चा कर सकती है...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री सुरेश जाधव कृपया अपना प्रश्न पूछें।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपको 'शून्य काल' में बोलने की अनुमति दूंगा। कृपया अभी बैठ जाइए।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : 'शून्य काल' में मैं आप सबको बोलने की अनुमति दूंगा। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और आप 'शून्य काल' में इस पर बोल सकते हैं। अब 'प्रश्न काल' को पूरा होने दीजिए।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : मेरी रिक्वेस्ट है कि शून्य काल में आप इस प्रश्न को उठाएं, मैं आपको अनुमति दूंगा।

**श्री रामदास आठवले** : देश की सम्पत्ति बिक रही है। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल में भी महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए जाने वाले हैं। उन प्रश्नों को पूरा होने दीजिए।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : इसीलिए मैंने आपको अनुमति देने की बात कही है।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल में इस तरह से सवाल नहीं पूछे जाते। मैं शून्य काल में सबको अनुमति दूंगा।

**श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र)** : हमें भी इस

विषय पर अपनी बात कहने का मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि शिव सेना ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था।

**अध्यक्ष महोदय** : आपको भी बोलने की इजाजत दी जाएगी।

**श्री रामदास आठवले** : प्रश्न काल को सस्पेंड किया जाए।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : अब मुझे प्रश्न काल पूरा करने दीजिए। प्रश्न काल के बाद आप सभी लोगों को इस विषय पर अपने-अपने प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा। अब श्री सुरेश रामराव जाधव, प्रश्न सं. 482

**पूर्वाह्न 11.13 बजे**

*[अनुवाद]*

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### सीमावर्ती क्षेत्रों में संप्रेषण सुविधाएं

+

***482. श्री सुरेश रामराव जाधव :**
**श्री श्रीचन्द कृपलानी :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेडियो और टी वी सिग्नल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए देश की पश्चिमी सीमा से लगे क्षेत्रों में उच्च और कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त क्षेत्रों में स्थानवार अभी तक कितने उच्च और कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाए गए हैं;

(ग) जिस कार्य को वर्ष 2001-02 और 2002-03 में पूरा किया जाना था उसके पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में आज तक कितनी प्रगति हुई; और

(ङ) उक्त प्रस्ताव संबंधी कार्य को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)** : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

### विवरण

(क) जी, हां।

(ख) इस समय पश्चिमी सीमा में बाईस उच्च शक्ति और 163 अल्प/अति अल्प शक्ति टीवी ट्रांसमीटर तथा 7 उच्च शक्ति और 4 अल्प शक्ति रेडियो ट्रांसमीटर कार्य कर रहे हैं। इन ट्रांसमीटरों का स्थल-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ग) से (ङ) फाजिल्का, अजमेर, सूरत में स्थाई सेट-अप तथा भुज में 20 किलोवाट मीडियम वेव आकाशवाणी ट्रांसमीटर (मौजूदा 20 किलोवाट मीडियम के ट्रांसमीटर का प्रतिस्थापन) को छोड़कर वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों में स्थापित की जाने वाली सभी लक्षित ट्रांसमीटर परियोजनाएं पूरी हो गई हैं।

फाजिल्का और अजमेर में टावरों का निर्माण कार्य निर्धारित ऊंचाई तक पूरा हो गया तथा ऐन्टिना पैनल और फीडर केबल टावरों के ऊपर लगाए जाने हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान फाजिल्का और अजमेर में स्थाई सेट-अप चालू किए जाने का लक्ष्य है। सूरत में टावर का फाउंडेशन पूरा कर लिया गया है तथा मै. त्रिवेणी स्ट्रक्चल लि. (टीएसएल) द्वारा निर्माण कार्य किया जाना है। मैं. टीएसएल द्वारा टावरों के निर्माण में विलम्ब के कारण उपर्युक्त परियोजनओं के पूरा होने में देरी हुई।

भुज में आकाशवाणी ट्रांसमीटर, जिसे वर्ष 2002-03 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, में विलम्ब इराक में चल रहे युद्ध के कारण उपस्करों के न भेजे जाने की वजह से हुआ। अब परियोजना को 2003-04 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

उपर्युक्त परियोजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए प्रसार भारती द्वारा सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

### अनुबन्ध

**(क) गुजरात, पंजाब और राजस्थान में कार्यरत टीवी ट्रांसमीटर**

**गुजरात**

उ.श.ट्रां. अहमदाबाद

उ.श.ट्रां. अहमदाबाद (डीडी-2)

उ.श.ट्रां. सूरत (अंतरिम)

उ.श.ट्रां. सूरत (डीडी–2) (अंतरिम)

उ.श.ट्रां. द्वारका

उ.श.ट्रां. भुज

उ.श.ट्रां. राजकोट

उ.श.ट्रां. राजकोट (डीडी–2)

अ.श.ट्रा. धांधुका

अ.श.ट्रा. अमरेली

अ.श.ट्रा. धारी

अ.श.ट्रा. राजुला

अ.श.ट्रा. खाम्बत

अ.श.ट्रा. अम्बाजी

अ.श.ट्रा. भब्बर

अ.श.ट्रा. दीसा

अ.श.ट्रा. पालनपुर

अ.श.ट्रा. राधनपुर

अ.श.ट्रा. थारद

अ.श.ट्रा. अमोद

अ.श.ट्रा. भरूच

अ.श.ट्रा. झगडिया

अ.श.ट्रा. भावनगर

अ.श.ट्रा. भावनगर (डीडी–2)

अ.श.ट्रा. बोताड

अ.श.ट्रा. महुवा

अ.श.ट्रा. पालिताना

अ.श.ट्रा. देवगढ़–बरिया

अ.श.ट्रा. दोहद

अ.श.ट्रा. संजेली

अ.श.ट्रा. गांधीनगर (डीडी–2)

अ.श.ट्रा. जमजोधपुर

अ.श.ट्रा. जामनगर

अ.श.ट्रा. जामनगर (डीडी–2)

अ.श.ट्रा. खम्भालिया

अ.श.ट्रा. जूनागढ़

अ.श.ट्रा. मंगरोल (जूनागढ़)

अ.श.ट्रा. उना

अ.श.ट्रा. वेरावल

अ.श.ट्रा. पूनांधरो (सचल)

अ.श.ट्रा. रापर

अ.श.ट्रा. मेहसाना

अ.श.ट्रा. देदियापारा

अ.श.ट्रा. केवडिया कालोनी

अ.श.ट्रा. राजपीपला

अ.श.ट्रा. गोधरा

अ.श.ट्रा. लूनावाड़ा

अ.श.ट्रा. पाटन

अ.श.ट्रा. बांतवा

अ.श.ट्रा. पोरबन्दर

अ.श.ट्रा. धोराजी

अ.श.ट्रा. मोरवी

अ.श.ट्रा. इदेर

अ.श.ट्रा. मोदासा

अ.श.ट्रा. शमलाजी

अ.श.ट्रा. कोसाम्बा

अ.श.ट्रा. मंगरोल (सूरत)

अ.श.ट्रा. सांगढ़

अ.श.ट्रा. व्यारा

अ.श.ट्रा. धारंगधारा

अ.श.ट्रा. लिम्बडी

अ.श.ट्रा. सुरेन्द्रनगर

अ.श.ट्रा. अहवा

अ.श.ट्रा. छोटा उदयपुर

अ.श.ट्रा. वड़ोदरा

अ.श.ट्रा. वड़ोदरा (डीडी–2)

अ.श.ट्रा. डांडी

अ.श.ट्रा. धर्मपुर

अ.श.ट्रा. उमरगांव

अ.श.ट्रा. वलसाड

अ.अ.श.ट्रा. नेतरंग

अ.अ.श.ट्रा. संगवारा

अ.अ.श.ट्रा. काकारापार

**राजस्थान**

उ.श.ट्रा. अममेर (अंतरिम)

उ.श.ट्रा. बाड़मेर (अंतरिम)

उ.श.ट्रा. बूंदी

उ.श.ट्रा. जयपुर

उ.श.ट्रा. जयपुर (डीडी–2)

उ.श.ट्रा. जैसलमेर

उ.श.ट्रा. जोधपुर

उ.श.ट्रा. जोधपुर (डीडी–2)

अ.श.ट्रा. अजमेर (डीडी–2)

अ.श.ट्रा. बेवाड़

अ.श.ट्रा. विजयनगर

अ.श.ट्रा. अलवर

अ.श.ट्रा. किशनगढ़ वास

अ.श.ट्रा. बांसवाड़ा

अ.श.ट्रा. कुशलीगढ़

अ.श.ट्रा. बारन

अ.श.ट्रा. बाड़मेर

अ.श.ट्रा. भरतपुर

अ.श.ट्रा. दीग

अ.श.ट्रा. नागर

अ.श.ट्रा. भीलवाड़ा

अ.श.ट्रा. शाहपुरा

अ.श.ट्रा. बीकानेर

अ.श.ट्रा. बीकानेर (डीडी–2)

अ.श.ट्रा. नोखा

अ.श.ट्रा. बांसी (डीडी–2)

अ.श.ट्रा. बारी सादरी

अ.श.ट्रा. चित्तौड़गढ़

अ.श.ट्रा. प्रतापगढ़

अ.श.ट्रा. चुरू

अ.श.ट्रा. राजगढ़

अ.श.ट्रा. रतनगढ़

अ.श.ट्रा. सरदारशहर

अ.श.ट्रा. श्रीडूंगरगढ़

अ.श.ट्रा. सुजानगढ़

अ.श.ट्रा. तारानगर

अ.श.ट्रा. बासवा

अ.श.ट्रा. डूंगरपुर

अ.श.ट्रा. सगवारा

अ.श.ट्रा. अनुपगढ़

अ.श.ट्रा. गंगानगर

अ.श.ट्रा. कारनपुर

अ.श.ट्रा. रायसिंहनगर

अ.श.ट्रा. सूरतगढ़

अ.श.ट्रा. भादरा

अ.श.ट्रा. हनुमानगढ़

अ.श.ट्रा. नोहर

अ.श.ट्रा. रावत्सर

अ.श.ट्रा. कोटपुतली

अ.श.ट्रा. जैसलमेर

अ.श.ट्रा. भीनमाल

अ.श.ट्रा. जालोर

अ.श.ट्रा. झालावार

अ.श.ट्रा. चिरावा

अ.श.ट्रा. झुनझुनुं

अ.श.ट्रा. खेतड़ी

अ.श.ट्रा. नवलगढ़

अ.श.ट्रा. पिलानी

अ.श.ट्रा. फलौदी

अ.श.ट्रा. हिन्दौन

अ.श.ट्रा. करौली

अ.श.ट्रा. कोटा (डीडी–2)

अ.श.ट्रा. मकराणा

अ.श.ट्रा. नागौर

अ.श.ट्रा. बाली

अ.श.ट्रा. नीमच

अ.श.ट्रा. पाली

अ.श.ट्रा. सोजत

अ.श.ट्रा. नाथद्वार

अ.श.ट्रा. गंगापुर

अ.श.ट्रा. सवाई माधोपुर

अ.श.ट्रा. सीकर

अ.श.ट्रा. माउण्ट आबू

अ.श.ट्रा. सिरोही

अ.श.ट्रा. टांक

अ.श.ट्रा. केशरियाजी

अ.श.ट्रा. सालम्बीर

अ.श.ट्रा. उदयपुर

अ.श.ट्रा. उदयपुर (डीडी–2)

अ.श.ट्रा. वल्लभनगर

अ.अ.श.ट्रा. कोटरा

अ.अ.श.ट्रा. फतेहपुर

अ.अ.श.ट्रा. लक्ष्मणगढ़

अ.अ.श.ट्रा. नीम का थाना

अ.अ.श.ट्रा. अमेट

अ.अ.श.ट्रा. भीम

अ.अ.श.ट्रा. देवगढ़

अ.अ.श.ट्रा. कुम्बलगढ़

अ.अ.श.ट्रा. चौमाला

अ.अ.श.ट्रा. आंधी

अ.अ.श.ट्रा. विराटनगर

अ.अ.श.ट्रा. तिबि

अ.अ.श.ट्रा. सिकराई

अ.अ.श.ट्रा. रावतभाटा

अ.अ.श.ट्रा. गंगापुर

अ.अ.श.ट्रा. मंडलगढ़

अ.अ.श.ट्रा. राजगढ़

अ.अ.श.ट्रा. जावरमाइन

ट्रांसपोजर जमुआ रामगढ़

ट्रांसपोजर लालसोत

**पंजाब**

उ.श.ट्रा. अमृतसर

उ.श.ट्रा. अमृतसर (डीडी–2)

उ.श.ट्रा. भटिंडा

उ.श.ट्रा. फाजिल्का (अंतरिम)

उ.श.ट्रा. जालंधर

उ.श.ट्रा. जालंधर (डीडी–2)

अ.श.ट्रा. अबोहर

अ.श.ट्रा. फिरोजपुर

अ.श.ट्रा. गुरदासपुर

अ.श.ट्रा. पठानकोट

अ.श.ट्रा. पटियाला

ट्रांसपोजर तलवारा

**(ख) आकाशवाणी**

| | पंजाब | उ.श.ट्रा. | अ.श.ट्रा. |
|---|---|---|---|
| 1. | जालंधर | 300 कि.वा.मी.वे.ट्रा. | – |
| | | 200 कि.वा.मी.वे.ट्रा. | – |

| | राजस्थान | उ.श.ट्रा. | अ.श.ट्रा. |
|---|---|---|---|
| 2. | बीकानेर | – | 20 कि.वा.मी.वे.ट्रा. |
| 3. | जोधपुर | 300 कि.वा.मी.वे.ट्रा. | – |
| 4. | सूरतगढ़ | 300 कि.वा.मी.वे.ट्रा. | – |
| 5. | बाड़मेर | – | 20 कि.वा.मी.वे.ट्रा. |
| 6. | जैसलमेर | | 10 कि.वा.मी.वे.ट्रा. |

| | गुजरात | उ.श.ट्रा. | अ.श.ट्रा. |
|---|---|---|---|
| 7. | भुज | – | 20 कि.वा.मी.वे.ट्रा. |
| 8. | राजकोट | 300 कि.वा.मी.वे.ट्रा. | – |
| | | 1000 कि.वा.मी.वे.ट्रा. | – |
| 9. | अहमदाबाद | 200 कि.वा.मी.वे.ट्रा. | – |

*[हिन्दी]*

**श्री सुरेश रामराव जाधव** : अध्यक्ष महोदय, भारत और पकिस्तान का जो बोर्डर का इलाका है, जो पश्चिमी इलाका है, उत्तर पूर्व का इलाका है और जो नार्थ–ईस्ट के राज्य हैं, वहां पर आकाशवाणी और दूरदर्शन का प्रसारण ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। मंत्री जी मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन उन्होंने जो मेरे प्रश्न का लिखित उत्तर दिया है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। इनके विभाग के अधिकारी जो उत्तर मंत्री जी को देते हैं, वही उत्तर मंत्री जी हमें दे देते हैं। यह प्रेक्टिकल उत्तर नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत और पाकिस्तान का जो सीमा इलाका है वहां रेडियो ठीक से काम नहीं करता और टी.वी. का प्रसारण भी सही ढंग से नहीं होता है।...*(व्यवधान)*

**श्री रामदास आठवले** : प्रश्न काल को सस्पेंड किया जाए।

**अध्यक्ष महोदय** : रामदास जी, आप बैठिए और दूसरों को प्रश्न पूछने दीजिए।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : जो कुछ श्री रामदास आठवले कह रहे हैं वह कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**श्री सुरेश रामराव जाधव** : मैंने खुद उस क्षेत्र का दौरा किया है और देखा है कि वहां आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रसारण सही ढंग से प्रसारित नहीं होते।

**अध्यक्ष महोदय** : आप सीधे प्रश्न पूछें, वरना मैं अगले प्रश्न पर आ जाऊंगा।

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री सुरेश रामराव जाधव** : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो भारत और पाकिस्तान का बोर्डर एरिया है, वहां आबादी और क्षेत्र के हिसाब से हमारे दूरदर्शन और आकाशवाणी ने कितना एरिया कवर किया है और कितना एरिया बचा है? अगर कुछ एरिया बचा है तो उसको भी दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा कवर करने के लिए, कोने–कोने तक पहुंचाने के लिए आपकी क्या रणनीति है?

**श्री रवि शंकर प्रसाद** : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है और चिंता प्रकट की है, उनकी चिंता बहुत सही है। इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। जहां तक दूरदर्शन का सवाल है, हमारा जो पश्चिमी क्षेत्र है उसकी पॉपुलेशन को हम 94.2 प्रतिशत कवर करते हैं और जहां तक नार्थ–ईस्ट का सवाल है उसकी जनसंख्या को हम 82.4 प्रतिशत कवर करते हैं। माननीय सदस्य ने चिंता प्रकट करते हुए टीवी रिसैप्शन के बारे में शिकायत की। उनकी शिकायत सही है। मैं बताना चाहता हूं कि अभी हमारे 22 एचपीटी पश्चिमी बार्डर पर काम कर रहे हैं, तथा 163 लो और वैरी–लो ट्रांसमीटर काम कर रहे हैं। इनकी गुणवत्ता बढ़े, इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से जो नार्थ–ईस्ट का क्षेत्र है, उसमें हमारे टोटल 132 टॉवर्स काम कर रहे हैं जिसमें एचपीटी 18, एलपीटी 43 और वीएलपीटी 71 हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि बार्डर–एरिया में जो टॉवर्स लगे हुए हैं उनकी पहुंच इस्लामाबाद, लाहौर और रावलपिंडी तक है। उनकी गुणवत्ता और बढ़े, इसके लिए हम प्रयास करते हैं, मॉनिटिरिंग करते हैं। जहां तक कश्मीर चैनल की बात है जो कश्मीर में है उसकी व्यूवरशिप भी काफी बड़ी है और 54 प्रतिशत लोग उसे देखते हैं उसके प्रोग्राम्स की गुणवत्ता बढ़ी है।

**श्री सुरेश रामराव जाधव** : पॉपुलेशन का क्षेत्र कितना कवर होता है हमारा यह सवाल है?

**श्री रवि शंकर प्रसाद** : पश्चिमी बार्डर और जे एंड के में कवरेज 94.2 प्रतिशत है, यह मैंने पहले ही आपको बता दिया है।

**श्री सुरेश रामराव जाधव** : जो क्षेत्र बचा है, उसके लिए क्या कर रहे हैं?

**श्री रवि शंकर प्रसाद** : बाकी के लिए नया बजट आ रहा है, नए 15 टावर्स जो प्रस्तावित हैं, उनमें 12 बन चुके हैं और तीन साल के अंत तक बन जाएंगे।

**श्री सुरेश रामराव जाधव** : अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि नार्थ–ईस्ट के राज्य अंदरूनी और सीमापार, दोनों प्रकार के आतंकवाद से जूझ रहे हैं। वहां रेडियो और दूरदर्शन की अहम भूमिका है। अभी 15 दिन पहले कश्मीर में हमारे एक डिप्टी इंजीनियर दूरदर्शन–ट्रांसमीटर ठीक करने के लिए गए थे। उनकी हत्या कैसे और कहां हुई, कौन उनको उठाकर ले गया, हमारे दूरदर्शन के डिपार्टमेंट को कुछ भी पता नहीं चला। उनका अता–पता किसी को भी 15 दिन तक नहीं था। 15 दिन बाद हमारे डिप्टी–इंजीनयिर का शव मिला, और 15 दिन बाद डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी कमेटी बैठाई। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब हमारे दूरदर्शन और रेडियो कर्मचारियों की ऐसी हालत सीमावर्ती इलाकों में है, दूसरे वहां टीवी, रेडियो ठीक से दिखाई और सुनाई नहीं देता है, ऐसे हालात में जब वहां इंजीनियर की हत्या होती है तब कौन सा कर्मचारी उस सीमावर्ती इलाके में दूरर्शन और रेडियो का काम करना चाहेगा। उनकी सुरक्षा के लिए आपके डिपार्टमेंट ने क्या पुख्ता इंतजाम किए हैं, यह मैं जानना चाहता हूं।

**श्री रवि शंकर प्रसाद** : आदरणीय सदस्य ने हमारे इंजीनियरों की सुरक्षा पर चिंता जताई, इसके लिए में उनको साधुवाद देता हूं। उनका कहना सही है कि हमारे असिस्टेंट इंजीनियर आर. एस. बाली की वहां हत्या हुई और उनका शव पंद्रह दिन बाद पाया गया। घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद दूरदर्शन के निदेशक स्वयं वहां गए थे। पहले यह विवाद का विषय था कि उनकी हत्या हुई है या नहीं हुई। पता लगने पर तुरंत उनके बेटे को इंजीनियर के रूप में नौकरी दे दी गई है। मैंने उनको साढ़े सात लाख रुपए भुगतान का आग्रह किया था, वह भुगतान भी उनको हो चुका है। जहां तक सुरक्षा का प्रश्न है, यह सही है कि दूरदराज के इलाकों में हमारे रोडियो–दूरदर्शन के कर्मचारी बहुत खतरा उठाकर, देश की सम्प्रभुता के लिए कार्य कर रहे हैं। मैंने स्वयं इस दिशा में माननीय गृह मंत्री जी से बात करने का निर्णय किया है और उनको हर उचित सुरक्षा दी जाए, इसका हम प्रयास करेंगे।

**श्री रघुनाथ झा** : आप भूल से भी वहां मत जाइएगा।

**श्री रवि शंकर प्रसाद** : मैं एक महीने में वहा जाने वाला हूं।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि पश्चिमी राजस्थान का काफी इलाका पाकिस्तानी बार्डर से लगता है। आपका कहना है कि हमारे जो टीवी ट्रांसमीटर लगे हुए हैं

वे रावलपिंडी तक जाते हैं और बहुत अच्छी क्षमता के ट्रांसमीटर हैं। लेकिन मेरी जानकारी है कि राजस्थान के बोर्डर पर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और श्रीगंगानगर, जहां भी आपके ट्रांसमीटर लगे हुए हैं, वहां दूरदर्शन स्पष्ट नजर नहीं आता है। क्या मंत्री जी को इसकी जानकारी है? पाकिस्तान टेलीविजन द्वारा लगातार पिछले कुछ वर्षों से भारत के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। इसकी जानकारी होने के बाद भी क्या आपने इसे रोकने के लिए प्रयास किए हैं? पाकिस्तान में जो ट्रांसमीटर लगे हैं, उनकी क्षमता क्या है, वे कितने लगे हैं, और उसके मुकाबले में भारत के सीमा क्षेत्र में लगे ट्रांसमीटर, चाहे दूरदर्शन के लगे हों या रेडियो के लगे हों, क्या आप उनकी संख्या पर्याप्त मानते हैं? इसके अलावा क्या आप सिगनल्स में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं?

**श्री रवि शंकर प्रसाद** : अध्यक्ष महोदय, चूंकि माननीय सदस्य राजस्थान से आते हैं, इसलिए मैं उनको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में कुल मिला कर 100 ट्रांसमीटर टावर्स हैं जिन में से 8 एचपीटी, 72 एलपीटी और 20 वैरी लो ट्रांसमिशन्स हैं।

**श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी** : आपने राजस्थान का बताया, लेकिन दूसरी जगहों का भी बताइए।

**श्री रवि शंकर प्रसाद** : मैं इस बारे में पहले ही प्रश्न के उत्तर में पूरा विवरण बता चुका हूं, इसलिए इन्हें केवल राजस्थान का बता रहा हूं। मैं इस बारे में बताना चाहूंगा कि हमारे टावर्स 78.2 परसैंट पापुलेशन को कवर करते हैं। हमारे लगभग 9 नए प्रोजैक्ट्स हैं जो राजस्थान के लिए आने वाले हैं। मैं उनके बारे में माननीय सदस्य को बाद में विस्तार से बता दूंगा। पाकिस्तान के कैम्पेन को रोकने की दिशा में हम क्या प्रयास कर रहे हैं, मैं इस बारे में बताना चाहूंगा कि हमने इस दिशा में फास्ट ट्रैक कमेटी की अनुशंसा के आधार पर एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया है जिस में दूरदर्शन में एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम चलता है "पी टीवी कितना सच, कितना झूठ" जो बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम हुआ है। इसके अलावा हम लोगों ने कई प्राइवेट टेलीविजन के लोगों को कमीशन करके आजकल "डैड लाइन कश्मीर", "कश्मीर नाओ", "कश्मीरनामा", "सरहद के दो रुख" कार्यक्रम चलाए हैं। इन कार्यक्रमों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बहुत बढ़ी है। इसीलिए आज कश्मीर चैनल की वियूवरशिप 54 प्रतिशत से आगे बढ़ी है। हमने यह भी घोषणा कि है कि अब कश्मीर चैनल 24 घंटे का चैनल हो जाएगा जिसकी प्रधान मंत्री जी ने स्वयं वहां जाकर घोषणा की है। हम पाकिस्तान टीवी की गलत बातों को लोगों के समाने बेनकाब करने के लिए हर तरह से प्रयासरत हैं। अगर किसी स्पैसिफिक ट्रांसमीटर की गुणवत्ता कमजोर है तो माननीय सदस्य मुझे बताएं, मैं उस दिशा में काम करूंगा।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : अध्यक्ष महोदय, वहां ट्रांसमीटर्स की संख्या पर्याप्त नहीं है इसलिए उनकी संख्या बढ़ाई जाए। ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, मैं सप्लीमैंटरी क्वैश्चन पूछना चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : आप सप्लीमैंटरी क्वैश्चन नहीं पूछ सकते हैं।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** : अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी चाहता था। जैसे आपने चैम्बर में जाम्मर लगार कर मोबाइल फोन बंद कर दियए हैं, क्या बोर्डर पर भी ऐसी कोई व्यवस्था कर सकते हैं जिससे पाकिस्तान टेलीविजन नजर ना आए।

**श्री रवि शंकर प्रसाद** : अध्यक्ष महोदय, कारगिल युद्ध के समय हमने कुछ टाइम के लिए पाकिस्तान टीवी को बैन किया था लेकिन इसका गुणात्मक अन्तर समझने की आवश्यकता है। हमारी लोकतांत्रिक ओपन सोसायटी है जबकि पाकिस्तान में मिलिट्री क्लोज सोसायटी है। आज पाकिस्तान जबरदस्ती करके हमारे अच्छे कार्यक्रमों को रोकने की कोशिश करता है लेकिन बहुत संतोष का विषय यह है कि अभी भी पाकिस्तान टीवी की गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर प्रश्न चिह्न लगते हैं। हमारे यहां क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है। अभी हमारे पास एक सर्वे रिपोर्ट आई है जिस के अनुसार कश्मीर में लोग उतनी बड़ी संख्या में पी टीवी नहीं देखते हैं जैसा हम अनुमान करते थे। हम पाकिस्तान टीवी के झूठ को बेनकाब करने में अधिक लगे हैं और उसमें हमें सफलता मिल रही है। हमें अपने यहां की ओपन सोसायटी और लोकतांत्रिक परम्पराओं पर गर्व है और हम लोकतांत्रिक परम्पराओं का सम्मान भी करते हैं।

**कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पश्चिमी सीमा के साथ पाकिस्तान सीमा लगती है। वहां कई हाई पावर ट्रांसमीटर और लो पावर ट्रांसमीटर लगे हैं। उनमें से दो मेरे संसदीय क्षेत्र और बाड़मेर में लगे जो 1993 में बन कर पूरे हुए थे लेकिन दोनों की रेंज करीब ढाई–तीन सौ किलोमीटर थी। इन पर करीब 45–50 करोड़ रुपए खर्च हुए। मैं पिछले छः साल से लगातार कह रहा हूं कि इनकी रेंज बढाई जाए। अभी मंत्री जी गुणवत्ता की बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि इसकी रेंज रावलपिंडी और

लाहौर तक पहुंचती है। मेरे नजदीक कराची लगता है जो वहां से ढाई सौ किलोमीटर है। कराची की बात छोडिए, लेकिन दोनों ट्रांसमीटर्स की रेंज 35 किलोमीटर ही है जो पाकिस्तान बोर्डर तक भी नहीं पहुंचती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान टीवी जो प्रोपेगैंडा कर रहा है, उसकी रेंज जोधपुर तक है। वहां ट्रांसमीटर लगाने के पीछे मुख्य उद्देश्य यही था कि पाकिस्तान जो प्रोपेगैंडा कर रहा है, उसे बंद किया जा सके। जोधपुर में लगे ट्रांसमीटर पर वार–फुटिंग पर काम हुआ था। मैंने इस बारे में कई सवाल उठाए। मैंने 10 अप्रैल को तारांकित प्रश्न 4229 उठाया था, उसका भी जवाब गोलमोल दिया गया। माननीय मंत्री जी इस बीच में एक बार जैसलमेर गए थे। मेरा कहना है कि पश्चिमी राजस्थान के बाडमेर–जैसलमेर बोर्डर की तरफ से पाकिस्तान कई तरह का प्रोपेगैंडा कर रहा है लेकिन हमारी ओर से उस प्रोपेगैंडा को काउंटर करने के लिए वहां जो लगे हुए हैं वे किसी काम के नहीं हैं, वे काम नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रश्न का पहला भाग यह है कि क्या सरकार इसकी कैपेसिटी, रेंज बढ़ाएगी ताकि वह पाकिस्तान के कराची शहर तक जा सके और हम अपना मैसेज दे सकें?

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इस बात का दावा कर रहे हैं कि हमारे ट्रांसमीटर्स की क्वालिटी अच्छी है लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मेरा प्रश्न है कि वहां जो स्टॉफ लगा है, वह नहीं कर रहा है। कई बार आपका स्टॉफ वहां जाता ही नहीं। अगर कोई जाता भी है तो वापस आ जाता है उन में से कई इस्तीफा देकर आ गए। यह आपकी प्राब्लम है। आप वहां कोई डैडिकेटेड स्टॉफ लगाइए। क्या उसके लिए कोई इंतजाम करेंगे ताकि बाडमेर बोर्डर की तरफ से पाकिस्तान जो सब तरह से जो प्रोपेगैंडा कर रहा है, उसे काउंटर करने के लिए हम कुछ कर सकें? लोकल लोग कहते हैं कि वहां कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता।

**अध्यक्ष महोदय** : आपका प्रश्न हो गया, अब उत्तर सुनिए।

**श्री रवि शंकर प्रसाद** : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बार–बार बाड़मेर के बारे में प्रश्न उठाया है। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि जैसलमेर में एक एचपीटी लगा है, बाड़मेर में भी एक एचपीटी इंटैरिम है। टैन्थ प्लान में हमारा उसे परमानेंटली सैट–अप करने का प्रस्ताव है। हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं।

**कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी** : हम मानते हैं कि पिछले दिनों वहां काम नहीं हो पा रहा है।

**अध्यक्ष महोदय** : सोना राम जी, अभी आप उत्तर सुनिए।

**श्री रवि शंकर प्रसाद** : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने वहां कर्मचारियों और इंजीनियरों की अनुपलब्धता के संबंध में जो स्पैसिफिक प्रश्न उठाया है, मैं उस दिशा में खुद इंक्वायरी करूंगा। मैं उन्हें इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं कि वह बोर्डर इलाका है, इसलिए वहां कर्मचारियों की कमी नहीं होने दी जाएगी।

**कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी** : लेकिन जो मेन मुद्दा है...

**श्री रवि शंकर प्रसाद** : वह प्रस्तावित है।

**कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी** : टैंथ प्लान में पांच साल बाकी पड़े हैं।

**श्री रवि शंकर प्रसाद** : यह काम श्योर्ली होगा। मैं अवश्य करूंगा।

*[अनुवाद]*

**श्री के. ए. सांगतम** : अध्यक्ष महोदय, चीन और म्यांमार से लगने वाली भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अब भी 500 किलोमीटर से अधिक का क्षेत्र दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा समुचित रूप से कवर नहीं हो पाया है। मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूं क्योंकि मैं देश के उसी भाग का रहने वाला हूं। जब भी मैं वहां दौरे पर जाता हूं मैं अपना सेट साथ ले जाता हूं और यह जानने की कोशिश करता हूं कि यहां पर इसका रिसेप्शन कैसा है लेकिन मैंने हमेशा पाया है कि यह क्षेत्र आकाशवाणी और दूरदर्शन से समुचित रूप से कवर नहीं हो पाया है। जबकि दूसरी ओर हमारे देश की सीमा में चीनी, बर्मी और थाई कार्यक्रम स्पष्ट रूप से सुनाई और दिखाई देते हैं। इसलिए यहां के लोगों को बड़ा अचम्भा होता है कि ये क्षेत्र कहीं चीन या म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्र तो नहीं हैं? मैं समझता हूं कि यह बहुत ही उपयुक्त समय है जब भारत सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि इन सीमा क्षेत्रों में प्रचार तंत्र के सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

मैं नागालैंड का रहने वाला हूं। हमारे यहां 16 जनजातियां हैं और उनकी 16 ही बोलियां हैं। लेकिन कोहिमा स्थित दूरदर्शन केन्द्र इनमें से किसी की बोली में प्रसारण नहीं करता। यहां पर आकाशवाणी 41 वर्ष पुराना है और यह अब भी 50 किलोवाट क्षमता वाला केन्द्र है। इसलिए यह प्रस्ताव किया है कि इसे 100 किलोवाट क्षमता वाला केन्द्र बनाया जाए और यहां दस

किलोवाट क्षमता वाला एक एफ एम केन्द्र बनाए जाने का भी प्रस्ताव किया है। आपके पास रेडियो स्टेशन या दूरदर्शन केन्द्र के लिए 16 कार्यक्रम हैं जो कि उचित नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय** : आप केवल प्रश्न पूछिए।

**श्री के. ए. सांगतम** : मैं इस बारे में स्पष्टीकरण देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि वह इसका जवाब दे सकें।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न को स्पष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

**श्री के. ए. सांगतम** : महोदय, कृपया मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दीजिए।

**अध्यक्ष महोदय** : बहुत से प्रश्न पूछे जाने हैं। आप कृपया सीधा प्रश्न पूछें।

**श्री के. ए. सांगतम** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है कि सभी जिला मुख्यालयों के रेडियो स्टेशन उचित उपकरणों से सुसज्जित हों ताकि सभी लोग जो हिन्दी और अंगेजी न समझते हों वे भी समुचित तरीके से इन स्टेशनों के अंतर्गत लाए जा सकें।

**श्री रवि शंकर प्रसाद** : महोदय, जहां तक कि पूर्वोत्तर में दूरदर्शन और आकाशवाणी चैनलों के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है मैं इसके बारे में माननीय सदस्य की चिन्ता समझता हूं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि वर्तमान में हमारे पास कुल 132 टावर हैं—18 एच.पी.टी., 43 एल.पी. टी. और 71 वी.एल.पी.टी.। लेकिन आपके द्वारा उठाया गया मुद्दा सही है कि पूर्वोत्तर में हमारे इस कार्य संचालन को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। पूर्वोत्तर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, एक विशिष्ट पैकेज के अंतर्गत भारत सरकार ने पहले ही 204 करोड़ रुपयों की स्वीकृति दी है, जिसके अंतर्गत पूर्वोत्तर के पांचों राज्यों की राजधानियों में एचपीटी स्थापित करने का प्रस्ताव है। वर्तमान में ये केवल गुवाहाटी और अगरतला में ही उपलब्ध हैं।

**श्री के. ए. सांगतम** : ये राज्यों की राजधानियां हैं। यह सभी जिलों में होना चाहिए क्योंकि वहां 16 स्थानीय बोलियां बोली जाती हैं। मैं यही पूछना चाहता हूं।

**श्री रवि शंकर प्रसाद** : मुझे इस मुद्दे पर आने दीजिए। वृहद तौर पर भारत सरकार पूर्वोत्तर में प्रसार भारती चैनलों के सुदृढ़ीकरण के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है।

जहां तक किसी विशेष जिले या विशेष बोली की विशिष्ट आवश्यकताओं का संबंध है यह जरूर एक मुद्दा है। अगर इन विशिष्ट आवश्यकताओं के बारे में लिखित रूप में दिया जाता है तो मुझे प्रसन्नता होगी।

मैं इस बारे में निश्चय ही पूछताछ करूंगा। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि प्रसार भारती में स्थानीय बोलियों को उचित प्रतिनिधित्व मिले।

**प्राकृतिक गैस की मूल्य निर्धारण नीति**

*483. **डा. वी. सरोजा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक गैस की मूल्य निर्धारण नीति को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयात साम्यता मूल्य निर्धारण का लाभ सभी एलएनजी परियोजनाओं को मिलेगा;

(घ) क्या इससे सीएनजी के मूल्य में वृद्धि होगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) से (ङ) सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

**विवरण**

(क) और (ख) जी, हां। सितम्बर, 1997 में लिए गए सरकारी निर्णय के अनुसार प्राकृतिक गैस का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय ईंधन तेलों के बास्केट के मूल्य के साथ जोड़ दिया गया और वर्ष 2001–02 तक ईंधन तेलों के साथ 100 प्रतिशत मूल्य समता पाने के लिए समीक्षा की जानी थी। गैस के मूल्य की नियंत्रण मुक्ति के बाद प्राकृतिक गैस का मूल्य बाजार निर्धारित होना प्रस्तावित है। तथापि, गैस के मूल्य निर्धारण के बारे में अंतिम निर्णय सरकार द्वारा मंत्री दल की सिफारिशों पर विचार करने के बाद लिया जाएगा जो फिलहाल मामले की समीक्षा कर रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) का उत्पादन प्राकृतिक गैस और संपीड़न के माध्यम से एल एन

जी से किया जा सकता है। सी एन जी का मूल्य एल एन जी प्राकृतिक गैस के बाजार मूल्य पर निर्भर करेगा।

**डा. वी. सरोजा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रयोग में लाई जा रही ज्यादातर गैस, गैस क्षेत्रों से ही मिल रही है न कि कच्चे तेल के शोधन से प्राप्त होने वाले उत्पाद के रूप में। तेल की कीमतें 10–सदस्यीय वियना स्थित उत्पादक संघ ओपेक द्वारा नियंत्रित की जाती है। सामान्यतया तेल की कीमतें अधिक रखने के लिए यह तेल की आपूर्ति बंद कर देता है। गैस की कीमतों के नियंत्रण के लिए ऐसा कोई उत्पादक संघ नहीं है। तेल की भांति गैस का भंडारण आसान और सस्ता नहीं है और गैस निकलने के साथ ही इसकी बिक्री आवश्यक हो जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन परिस्थितियों में गैस और तेल की कीमतों को जोड़ने का औचित्य क्या है। विवरण में यह कहा गया है कि इस बारे में अंतिम निर्णय इस मुद्दे पर उचित विचार विमर्श और मंत्रियों के समूह की सिफारिशें आने के बाद लिया जाएगा। यह प्रतिवेदन कब उपलब्ध होगा? क्या इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है?

**श्री राम नाईक** : प्रश्न का पहला भाग कच्चे तेल के बुनियादी मूल्य ढांचे से संबंधित है। चाहे वह तेल है या गैस उनका प्रयोग समान ही है। चाहे तेल किसी भी कीमत पर उपलब्ध हो उसका अंतिम प्रयोग समान ही रहता है। यही कारण है कि तेल की कीमतों पर विचार किया जाता है। इससे कीमतों के निर्धारण के बारे में बृहद आधार उपलब्ध होता है।

आपका दूसरा प्रश्न मंत्रियों के समूह की सिफारिशों से संबंधित है। एक पूर्व निर्णय के अनुसार मैंने गैस की कीमतों में फेरबदल के लिए मंत्रिमंडल की टिप्पणी प्रस्तुत की थी। अब यह मंत्रियों के समूह को दे दी गई है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्री, विद्युत मंत्री और उर्वरक मंत्री इसके सदस्य हैं। इसकी पहली बैठक हुई है। इसमें कुछ आंकड़ों का मिलान किया जाना है। इन सभी मंत्रालयों के सचिवों को यह कार्य दिया गया है। उन्होंने 1 अप्रैल तक मिलान का यह कार्य पूरा कर लिया है। मुझे आशा है कि आने वाले महीनों में मंत्रियों के समूह की दूसरी बैठक आयोजित होने वाली है।

**डा. वी. सरोजा** : गैस के अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं को भारत में एलएनजी परियोजनाओं को बढ़ावा देने वालों से एक दीर्घकालीन समझौता करना पड़ेगा। सरकार की देश में विद्युत और उर्वरक संयंत्रों को उचित कीमत पर गैस आपूर्ति करने की क्या योजना है?

**श्री राम नाईक** : हमारे पास हमारी आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत गैस ही उपलब्ध है। इसी कारण हम इसके आयात की कोशिश कर रहे हैं। अपने पैट्रोनेट एल.एन.जी. के माध्यम से हमने प्रतिवर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन एलएनजी के आयात के सौदे को अंतिम रूप दे दिया है। गुजरात के दाहेज नामक स्थान पर इसके लिए एक टर्मिनल बनाया जा रहा है। इसका 75 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। दिसम्बर के अंत तक बाकी कार्य भी पूरा हो जाएगा और अगले वर्ष की प्रथम तिमाही में वाणिज्यिक रूप से गैस उपलब्ध होगी।

इसी प्रकार, कोचीन में एक अन्य टर्मिनल बनाया जाएगा और इसका कार्य भी चल रहा है। इसकी कीमत के बारे में भी विचार किया गया है। सदन की सूचना के लिए मैं बताना चाहूंगा कि यदि प्राकृतिक गैस और तेल की कीमतों में समानता रखी जाती है तो वितरण की लागत लगभग 8,400 रुपये प्रति एम.एस.सी.एम. होगी। अब एल.एन.जी. की कीमत की तुलना में यह लगभग 105 प्रतिशत अधिक होगी। यदि दूसरे ईंधन प्रयोग में लाए जाते हैं, तब इसकी कीमत 154 प्रतिशत अधिक होगी। यदि नाफ्था का प्रयोग होता है तो कीमत 174 प्रतिशत अधिक होगी। यदि इन सब पहलुओं पर विचार किया जाए तो एल.एन.जी. और प्राकृतिक गैस सस्ती होगी और हम इसी की कोशिश कर रहे हैं।

**श्री ए. सी. जोस** : महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी यह बताया है कि कोची में दूसरे टर्मिनल के निर्माण कार्य की प्रक्रिया चल रही है। कोची का उर्वरक संयंत्र, एफ.ए.सी. टी. नाफ्था पर आधारित है और नाफ्था के मंहगा होने के कारण यह कारखाना कार्य नहीं कर पा रहा है। अभी इसमें तालाबंदी है और यह बन्द होने वाला है। एल.एन.जी. टर्मिनल के निर्माण कार्य में कम से कम तीन–चार वर्ष लगेंगे। यह काफी बड़ी समयावधि है। उस समय तक केरल में एफ.ए. सी.टी. और अन्य खाद संयंत्र बन्द नहीं रह सकते। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या केरल और दक्षिण भारत में एफ.ए.सी.टी. और अन्य नाफ्था आधारित उद्योगों के कार्य करने के लिए सरकार एल.एन.जी. के आयात का कोई अस्थायी प्रबंध करने का विचार रखती है?

**श्री राम नाईक** : महोदय, एल.एन.जी. के आयात के लिए विशेष रूप से एक टर्मिनल बनाया जाना है। टर्मिनल बनाए बिना एल.एन.जी. का आयात नहीं किया जा सकता। अतः इस समस्या का कोई तुरन्त समाधान नहीं हो सकता। कोची में परियोजना पूर्व की सभी गतिविधियां पूरी की जा रही हैं। इसकी

क्षमता 2.5 मिलियन मीट्रिक टन की है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि लाई जा रही गैस का उपभोग हो पाए। अतः आपको देश के इस भाग में उद्योग भी लगाने पड़ेंगे। हम इस कार्य को शीघ्र करने की कोशिश कर रहे हैं और इसे यथासम्भव जल्दी करेंगे।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री पी. कुमारासामी।

**श्री एम. चिन्नासामी** : महोदय, मैं चिन्नासामी हूं। हम दोनों एक ही दल के हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है। मेरी गलती सुधार दी गई है।

**श्री एम. चिन्नासामी** : अध्यक्ष महोदय, पहले सरकार ने राज सहायता देने के लिए एक तेल पूल खाता बना रखा था मैं जानना चाहता हूं कि यह खाता अभी भी है या नहीं? यदि यह पूल अभी भी है तो इसमें कितनी निधियां हैं?

**श्री राम नाईक** : महोदय, प्रशासनिक मूल्य तंत्र को समाप्त करने के बाद से तकनीकी रूप से अप्रैल 2002 से तेल पूल खाता कार्य नहीं कर रहा है। महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा या ऐसे अन्य मामलों में, कई बार समायोजन करना पड़ता है, जिसमें समय लगता है। इस समय तेल पूल खाता एक सीमा तक सिर्फ कागजों में है। अन्य सभी उद्देश्यों के लिए तेल पूल खाता कार्य नहीं कर रहा है।

**सुपरफास्ट रेलगाड़ियों की गति कम करना**

*484. **श्री के. येरननायडू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेलगाड़ियों के बार-बार पटरी से उतरने की घटनाओं को रोकने हेतु सुपरफास्ट रेलगाड़ियों की गति कम करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने की घटनाओं को कम करने हेतु अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार)** : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**विवरण**

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पटरी से उतरने की घटनाओं में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय निम्नलिखित हैं :

(i) गतायु परिसंपत्तियों के नवीकरण तथा संरक्षा संवर्धन कार्यों के लिए 17,000/- करोड़ रुपए की नॉन लेप्सेबल रेल संरक्षा विशेष निधि की स्थापना की गई है।

(ii) सभी उत्पादन इकाइयों, अधिकांश मरम्मत कारखानों और बड़ी संख्या में शेड और डिपो ने अपनी गुणवत्ता अनुरक्षण प्रणाली के लिए आईएसओ-9002 प्रमाणन प्राप्त कर लिया है।

(iii) गाड़ी की गति पर नजर रखने के लिए माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोल स्पीड रिकार्डर की व्यवस्था।

(iv) रनिंग कर्मचारियों के प्रशिक्षण में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण उपकरण के रूप में सिमुलेटरों की खरीद की जाती है।

(v) चालान के समय धुरा/जर्नल्स की टूटन को रोकने के लिए हॉट बाक्सों के अलग हो जाने का समय पर पता लगाने के लिए गंध एवं धुआं देने वाले (ओडौर-कम-फ्यूम) हाट बाक्स डिटेक्टर का प्रयोगशाला में परीक्षण किया जा रहा है।

(vi) प्रणाली में शामिल किए जा रहे नए मालडिब्बे अधिक विश्वसनीय कैसनब बोगियों और एयर ब्रेक प्रणाली से युक्त हैं। मालडिब्बों पर बोगी माउंटेड ब्रेक प्रणाली का भी विकास किया गया है। मालडिब्बों में संयुक्त ब्रेक ब्लॉकों का भी धीरे-धीरे उपयोग बढ़ाया जा रहा है।

(vii) अधिक दुर्घटना की संभावना वाले चौपहिया मालडिब्बों (सीआरटी मालडिब्बों) को सेवा से हटाया जा रहा है।

(viii) रेलपथ अनुरक्षण के लिए टाई-टैंपिंग और गिट्टी-सफाई मशीनों के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है; रेलपथ-नवीकरण गाड़ियों का उपयोग भी किया जा रहा है।

(ix) रेलपथ ज्यामिति और रेलपथ की चालन विशेषताओं पर निगरानी रखने के लिए परिष्कृत रेलपथ

अभिलेखन कारों, दोलनरोधी कारों और सुवाह्य त्वरणमापियों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

(x) पटरियों में दरारों/वेल्डिंग में विफलताओं का पता लगाने के लिए पर्याप्त संख्या में दोहरी पटरी पराश्रव्य दोष–संसूचकों की खरीद की जा चुकी है। स्वनोदित पराश्रव्य पटरी परीक्षण यानों की खरीद की जा रही है।

(xi) विभिन्न स्तरों पर रेलपथ का नियमित निरीक्षण किया जाता है।

(xii) रेल कर्मचारियों की भर्ती के तत्काल बाद उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके बाद उनके ज्ञान को आवधिक तौर पर अद्यतन कराया जाता है। रेलपथ कर्मचारियों के ज्ञान में वृद्धि करने और उसे अद्यतन करने के लिए समय–समय पर गोष्ठियों/कार्यशालाओं/फील्ड प्रदर्शनों का आयोजन किया जाता है।

(xiii) मानसून, गर्मी और जाड़े के दौरान भेद्य खंडों में गैंगमनों द्वारा रेलपथ पर गश्त लगाना।

(xiv) रेल स्टील की विशिष्टियों का अपग्रेड किया गया है और यह इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे (यूआईसी) की विशिष्टियों के अनुरूप है। भिलाई में 26 मीटर की लंबाई वाली रेल पटरियों का उत्पादन किया जा रहा है तथा 65 मीटर एवं 78 मीटर लंबी रेल पटरियों के निर्माण और अगले वर्ष से उन्हें भिलाई कारखाने में जोड़ कर 240 मीटर लंबी पटरी बनाने की भी योजना है।

(xv) रेलपथ संरचना को योजनागत आधार पर समुन्नत बनाया जा रहा है।

(xvi) रेलपथ को सही हालत में रखने के लिए यथा समय रेलपथ नवीकरण किया जाता है, बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

(xvii) रेलपथ और पुलों पर अपराध की रोकथाम के लिए जब कभी अपेक्षित होता है राज्यों के पुलिस विभागों के साथ निकट संपर्क रखा जा रहा है।

(xviii) जहां कहीं व्यावहारिक हो, फिश प्लेट वाले ज्वाइंटों की संख्या कम करने और भेद्य समझे जाने वाले खण्डों में स्थित ज्वाइंटों में दो फिश बोल्टों की–प्रत्येक पटरी पर एक–बरिंग के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

(xix) चोरी न किए जा सकने वाले इलास्टिक रेल क्लिप और फिश बोल्ट को विकसित किया जा रहा है।

(xx) लकड़ी और धातु के स्लीपरों के स्थान पर कंक्रीट के स्लीपरों की उत्तरोत्तर व्यवस्था की जा रही है।

(xxi) फिश प्लेट वाले जुड़नारों की संख्या में कमी लाने के लिए, जो कि रेलपथ में सबसे कमजोर कड़ी होते हैं, लंबी झलाई वाली पटरियों का उत्तरोत्तर प्रयोग करना।

(xxii) लकड़ी के स्लीपरों की कमी को पाटने के लिए गर्डर वाले पुलों पर, लकड़ी के रलीपरों के स्थान पर स्टील चैनल वाले स्लीपरों की व्यवस्था करना।

(xxiii) तोड़–फोड़ की आशंका वाले पुलों, सुरंगों आदि पर स्थाई रूप से चौकीदारों की तैनाती करना और षड्यंत्र की घटनाओं की आशंका वाले क्षेत्रों में रात के समय रेल सुरक्षा बल और गैंगमेनों के साथ मिलकर अचानक गश्त करना।

**श्री के. येरननायडू** : अध्यक्ष महोदय, श्री दत्तात्रेय बंडारू द्वारा दिए गए वक्तव्य का तात्पर्य यह है कि सुपरफास्ट रेलगाड़ियां भी धीमी गति से चल सकती हैं क्योंकि राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की गति धीमी किए जाने का प्रस्ताव है। पश्चिमी बंगाल के कुछ सांसदों ने भी मुझे बताया है कि राजधानी एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद, कुछ रेलगाड़ियों की गति में कमी लाई गई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि गत पांच वर्षों से लेकर अब तक ट्रेन के पटरियों से उतरने की कितनी घटनाएं हुई हैं और रेलगाड़ियों की रफ्तार को कम किए बिना, पटरियों और पुराने पुलों के नवीकरण के माध्यम से दुर्घटनाएं रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

*[हिन्दी]*

**श्री नीतीश कुमार** : अध्यक्ष महोदय, सुपरफास्ट ट्रेन्स की स्पीड रिस्ट्रिक्शन का कोई विचार नहीं है लेकिन राजधानी एक्सप्रेस के एक्सीडेन्ट के बाद जो कमिश्नर रेलवे सेफ्टी की

रिपोर्ट आई थी, उन्होंने सुझाव दिया था कि जो इस प्रकार के सैबोटेज प्रोन एरियाज हैं, वहां आप कुछ स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगाएं। उन्होंने कई प्रकार के सुझाव दिए। उनमें एक था कि पायलट इंजन चलाएं। उसको ध्यान में रखकर कोडरमा डेतरी ओन–सोन सैक्शन में अभी भी स्पीड रिस्ट्रिक्शन है, जिसके चलते कुछ गाड़ियां लेट हो रही हैं। लेकिन एक नीति के तौर पर सुपरफास्ट ट्रेनों की स्पीड घटाने का विचार नहीं है। फिर भी जो सुझाव दिए हैं, कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने, उनको मानते हुए, जो इस प्रकार के इलाके हैं, उनमें विशेष प्रयास किया जा रहा है। पेट्रोलिंग आदि का प्रबंध किया जा रहा है और इसके लिए डिविजन लेवल पर कुछ इंतजाम किए गए हैं।

जहां तक आपने पूछा है कि डीरेलमेंट की कितनी घटनाएं घटी हैं, हमने हर तरह की विस्तृत फिगर्स अभी जो व्हाइट पेपर सेफ्टी पर रखा है, उसमें प्रोवाइड की हैं।

लेकिन अगर डिरेलमेंट को देखें, तो डिरेलमेंट की संख्या में भी कमी आ रही है। वर्ष 2001–2002 में विभिन्न कारणों से डिरेलमेंट 280 हुए थे और वर्ष 2002–2003 में, जो मेरे पास इस समय प्रॉविजनल फिगर्स हैं, उनके अनुसार वह संख्या घटकर 216 रह गई है।

*[अनुवाद]*

**श्री के. येरननायडू** : सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उन्होंने अपने उत्तर में उल्लेख किया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इसके लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया गया है अथवा नहीं? यह मुख्यतः पुराने हो गए पुलों के कारण अथवा बहुत पुरानी हो चुकी पटरियों के कारण हो सकता है जिनके नवीनीकरण की आवश्यकता है। इन रेल पटरियों को अंग्रेजों ने बिछाया था। इसलिए मैं यह जानना चाहूंगा कि इन पुराने रेल पुलों और पटरियों के नवीनीकरण के लिए क्या कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है या नहीं? इस तरह समयबद्ध ढंग से कार्यक्रम लागू करने पर दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा।

*[हिन्दी]*

**श्री नीतीश कुमार** : श्रीमान, स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड के जरिए जो भी हमारे ओवरएज्ड एसैट्स हैं, उनकी रिनुअल का काम चल रहा है। इस वर्ष हम इस कार्य के तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। यह कार्य अक्तूबर, 2001 से प्रारम्भ हुआ था और छः वर्ष तक चलने वाला है। इन छः सालों में जितने भी हमारे ओवरएज्ड एसैट्स हैं, उनके रिनुअल का काम हम पूरा करेंगे, ऐसी हमें आशा है।

*[अनुवाद]*

**श्रीमती रेणूका चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करती हूं।

मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि क्या आकस्मिक निधि के रूप में उन्होंने विशेष बजट आवंटित करवाया है, क्योंकि तोड़–फोड़ वाले क्षेत्रों में किसी आपात स्थिति के पैदा होने पर इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र खम्माम में, कोई भी यात्री रेलगाड़ी नहीं चलती। यह कोठागुडेम प्रखंड में 23 दिसम्बर से स्थगित कर दी गई है क्योंकि पीपुल्स वार ग्रुप द्वारा इसे पटरी से उतार देने की धमकी दी गई है। हमारी तीन रेलगाड़ियों के इंजन पर हमले हुए हैं जिसके बाद सभी यात्री सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और स्थानीय बोर्ड को यह पता नहीं है कि ये यात्री सेवाएं पुनः कब चालू हो पाएंगी। इसलिए क्या सरकार का यह मानना है कि जहां कभी भी तोड़–फोड़ की आशंका हो, वहां रेल सेवाएं स्थगित कर देनी चाहिए?

आपने रेलवे सुरक्षा से संबंधित अनुसंधान और विकास कार्य के लिए कितनी धनराशि आवंटित की है और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय सुपरफास्ट रेलगाड़ियों की तुलना में हमारी स्थिति क्या है यह रेल सुरक्षा कमिश्नर की रिपोर्ट से पता चलता है। पूरे विश्व में रेलगाड़ियां चलती हैं और जापान सुपरफास्ट रेलगाड़ियों का अगुआ रहा है। शायद, सुपरफास्ट रेलगाड़ियों की गति को कम करना उचित नहीं होगा क्योंकि इससे यह आभास मिलेगा कि या तो रेलगाड़ियां उपकरणों से सुसज्जित नहीं हैं, या जब इन्हें शुरू किया गया था तो इनके लिए उपयुक्त मूलभूत ढांचा तैयार नहीं था, या फिर अब इनकी इंजीनियरिंग विपरीत दिशा में चल रही है। इसलिए मैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर मंत्री जी से जानना चाहूंगी।

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री जी, माननीय सदस्या ने तीन प्रश्न पूछे हैं। आप एक का जवाब दे सकते हैं।

**श्री नीतीश कुमार** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने स्टेटमेंट टाइप प्रश्न पूछे हैं, उनका उत्तर भी मुझे स्टेटमेंट टाइप ही देना होगा।

महोदय, सबसे पहली बात यह है कि सुपरफास्ट ट्रेनों की स्पीड घटाने का हमारा विचार नहीं है। माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि हम इस साल 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलगाड़ी चलाने वाले हैं। अभी हमारी रेलगाड़ी की अधिकतम स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हम उसे बढ़ा कर 150 किलोमीटर प्रति घंटा करने वाले हैं।

महोदय, दुनिया के कई मुल्कों में हाईस्पीड ट्रेन चलती है। सुपरफास्ट और हाईस्पीड ट्रेन में अन्तर है। हाईस्पीड ट्रेनें 250, 300 या इससे भी अधिक किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। फिलहाल अपने देश में उस तरह की परिस्थिति नहीं हैं। उसके लिए अलग से ट्रैक डालना पड़ेगा, टोटल फेंसिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए सभी इंतजाम अलग से करने पड़ेंगे। हमें विचार करना पड़ेगा कि हम किसी एक सैक्शन पर इतनी स्पीड में ट्रेन चलाने के लिए 35 से 40 हजार करोड़ रुपए खर्च करें या नहीं। वह एक प्रायर्टी का सवाल है।

महोदय, जहां तक सवाल है सेबोटेज–प्रोन एरिया का, मैं बताना चाहता हूं कि इस संबंध में हमारे अधिकारी राज्य सरकारों के साथ निरन्तर संपर्क में रहते हैं। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि राजधानी ट्रेन के एक्सीडेंट के बाद, कमिश्नर सेफ्टी (रेलवे) ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं उनमें अलग से रेलवे को सिक्योरिटी पेट्रोलिंग करनी चाहिए। यह एक नया डोमैन है, जिसकी ओर हमें जाना पड़ रहा है। वैसे सिक्योरिटी पेट्रोलिंग की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर थी, लेकिन ऐसे इलाकों में हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी तरफ से भी सिक्योरिटी पेट्रोलिंग की व्यवस्था कर सकें। जहां तक पी.डब्ल्यू.जी. के किसी अटैक के कारण रेलवे सर्विस बन्द होने का सवाल है, मैं इस बारे में जानकारी लेकर बताऊंगा। जहां इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं वहां राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क स्थापित करके उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज की सलाह के आधार पर हम कोई निर्णय लेते हैं।

*[अनुवाद]*

**श्रीमती रेणूका चौधरी** : क्या माननीय मंत्री इस बात से सहमत हैं कि यह एक बहुत बड़ी समस्या है?

**श्री नीतीश कुमार** : रेलवे सुरक्षा के बारे में मैं पहले ही एक श्वतेपत्र प्रस्तुत कर चुका हूं। मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्या उस श्वेतपत्र का अध्ययन करें...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : सभी सदस्यों को इस श्वेतपत्र का अध्ययन करना चाहिए।

**श्रीमती रेणूका चौधरी** : नहीं, मैं एक बहुत साधारण सा सवाल पूछ रही हूं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि यह एक बहुत बड़ी समस्या है?

*[हिन्दी]*

अध्यक्ष जी, मंत्री जी इस बात का जवाब तो दे दें कि यह 'हूमंगस' प्राब्लम है या नहीं?...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री नीतीश कुमार** : यह आप और श्री जयपाल रेड्डी जी तय करें कि यह...*(व्यवधान)*

**श्रीमती रेणूका चौधरी** : यह आपके और मेरे बीच का प्रश्न है...*(व्यवधान)*

**श्री नीतीश कुमार** : आप दोनों यह तय करें कि 'हूमंगस' कौन है और कौन नहीं है। मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है।

**श्रीमती रेणूका चौधरी** : यह आपके और मेरे बीच का प्रश्न है...*(व्यवधान)* आपको यह बात आधिकारिक तौर पर कहनी होगी कि राज्य सरकार रेलवे को सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तरह असफल रही है। यह कभी नहीं हुआ कि सभी यात्री रेलगाड़ियां खम्माम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कोठागुडेम प्रखंड में 23 दिसम्बर से स्थगित कर दी गई हों। यहां यात्रियों के लिए कोई रेल सेवा नहीं है। यह राज्य सरकार की असफलता है...*(व्यवधान)*

**श्री के. येरननायडू** : आप राज्य सरकार को दोषी कैसे ठहरा सकती हैं?...*(व्यवधान)*

**श्रीमती रेणूका चौधरी** : रेलवे को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। आपने यह सुरक्षा प्रदान नहीं की...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री रामदास आठवले** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मुंबई–गोवा बुलेट ट्रेन का सर्वे हो गया है और इसका ट्रायल भी हो चुका है, आप यह ट्रेन कब चालू करने वाले हैं? आप कोंकण रेलवे के अंतर्गत मुंबई–गोवा बुलेट ट्रेन कब चालू करने वाले हैं?

...*(व्यवधान)* मुंबई–दिल्ली और सभी राजधानियों को ऐसी ट्रेन से जोड़ने के बारे में आपका क्या विचार है?...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है। फिर भी मंत्री जी उत्तर दे सकते हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री रामदास आठवले** : अध्यक्ष महोदय, पैसेंजर गाड़ियों के ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं और सुपरफास्ट गाड़ियों के कम होते हैं। जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी जी की गाड़ी धीमी चल रही है, उनका एक्सीडेंट बहुत बार होता है। इसलिए हमें एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की आवश्यकता है। मेरा सवाल यह है कि बुलेट ट्रेन चालू करने के बारे में आप कब विचार करने वाले हैं?...*(व्यवधान)*

**श्री नीतीश कुमार** : अध्यक्ष महोदय, रिपब्लिकन पार्टी के लोग एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की बात करते हैं। आप पैसेंजर ट्रेन के खिलाफ हैं, ऐसा रिपब्लिकन पार्टी के एक मेम्बर की तरफ से आ रहा है। माना जाता है कि देश में जो सबसे निचले तबके का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी ऐसी राय है। आपने प्रश्न पूछा है कि कोंकण रूट पर कब तक ट्रेन चलाई जाएगी, वह इसी साल चलाई जाएगी। उसकी जब तिथि निर्धारित होगी तो उसकी व्यापक सूचना दी जाएगी। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाने का ट्रायल किया जा चुका है और उसके लिए बाकी तैयारियां की जा रही हैं।

*[अनुवाद]*

## विद्युत की देय राशि का एकमुश्त भुगतान

+

***485. श्री टी. एम. सेल्वागनपति :**
**श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किए गए समझौते के अनुसार राज्य 37,400 करोड़ रुपये के बकाया विद्युत देयों को एकमुश्त निपटारा योजना के अन्तर्गत भुगतान करने पर सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ 8.5 प्रतिशत की ब्याज दर वाले कर–मुक्त बांड जारी किए जाने हैं;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया जाना है और राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित बांड कब तक जारी किए जाएंगे;

(ङ) क्या मोंटेक सिंह अहलुवालिया समिति ने राज्य सरकारों द्वारा देयों के एकमुश्त निपटारे हेतु 60 प्रतिशत अधिभार माफ करने की सिफारिश की थी; और

(च) यदि हां, तो अधिभार माफ करने के पश्चात प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया जाना है और उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

**विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते)** : (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

### विवरण

(क) जी, हां।

(ख) राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र यूटिलिटियों (सीपीएसयू) को भुगतान की जाने वाली बकाया राशियों के त्रिपक्षीय समझौते के अंतर्गत तैयार एकमुश्त भुगतान स्कीम की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

(1) 30 सितम्बर, 2001 तक आठ सीपीएसयू और रेलवे के नाम राज्यों के विद्युत बोर्डों की 37,400 करोड़ रुपए की बकाया राशि का एकमुश्त रूप से निपटारा किया जाएगा।

(2) उपर्युक्त राशि के 60 प्रतिशत ब्याज/अधिभार, जो 8300 करोड़ रुपए के बराबर है, को माफ किया जाएगा।

(3) तत्पश्चात 29,100 करोड़ रुपए की निवल बकाया राशि को कर मुक्त सांविधिक लिक्विडिटी अनुपास (स्टेचुटरी लिक्विटिडी रेशियो) बाण्ड में परिवर्तित किया जाएगा और इस पर प्रति वर्ष 8.5 प्रतिशत का ब्याज दर लगाया जाएगा तथा इसे 5 वर्षों के ऋण स्थगन काल समेत 15 वर्ष की अवधि में भुगतान करना होगा।

(4) यदि राज्य समझौते के नियम एवं शर्तों का पालन

करते हैं, तो वे 4 वर्षों की अवधि में 6100 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(5) राज्य यूटिलिटियों को साख पत्रों के जरिए वर्तमान बिलों का भुगतान सुनिश्चित करना होगा और भुगतान नहीं की गई किसी भी प्रकार की राशि की वसूली संबंधित राज्य सरकारों को देय योजनागत सहायता, केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से और राज्यों को उनके लेखाओं के डेबिटिंग करके दिए जाने वाले अनुदान या ऋण में से कटौती कर की जाएगी, और

(6) स्कीम के अंतर्गत शामिल सीपीएसयू हैं, विद्युत मंत्रालय के अधीन नेशनल थर्मर पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी), नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी), पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल), नॉर्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन और दामोदर घाटी निगम(डीवीसी), कोयला मंत्रालय के अंतर्गत कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियों तथा नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एनएलसी) और परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) और रेलवे।

(ग) जी, हां।

(घ) बकाया राशियों के भुगतान के लिए राज्यों द्वारा जारी किए जाने वाले बॉण्डों के मूल्य अनुबंध–I में दर्शाए गए हैं। 24 राज्यों और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हाल ही में 20.3.2003 को हस्ताक्षर किए गए। इस संबंध में संबंधित राज्य सरकार उचित प्रक्रिया अपनाते हुए बॉण्ड जारी करेंगे।

(ङ) और (च) मोंटेक सिंह अहलुवालिया समिति ने बकाया राशियों के एकमुश्त भुगतान के लिए 50 प्रतिशत अधिभार छूट देने की सिफारिश की थी। हालांकि बाद में योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों की उच्चस्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के आधार पर इस छूट को बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया। 30.9.2001 तक कुल बकाया राशि, छूट दिया जाने वाला 60 प्रतिशत अधिभार का आंकड़ा और वह राशि जिसके लिए प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा बॉण्ड जारी किए जाने हैं, इन सबके ब्यौरे अनुबंध–II के रूप में दर्शाए गए हैं।

**अनुबंध-I**

*दिनांक 30.9.2001 के अनुसार बकाया राशि के भुगतान हेतु जारी किए गए राज्यवार बॉण्ड*

(राशि करोड़ रुपए में)

| क्र.सं. | राज्य | बॉण्ड राशि |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध प्रदेश | 769.30 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 280.24 |
| 3. | असम | 699.35 |
| 4. | बिहार | 2670.59 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 210.73 |
| 6. | गोवा | – |
| 7. | गुजरात | 1392.64 |
| 8. | हरियाणा | 1046.81 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 101.87 |
| 10. | जम्मू एवं कश्मीर | 566.64 |
| 11. | झारखंड | 1859.40 |
| 12. | कनार्टक | 644.95 |
| 13. | केरल | 878.30 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 3606.66 |
| 15. | महाराष्ट्र | 1648.53 |
| 16. | मणिपुर | 192.21 |
| 17. | मेघालय | 17.45 |
| 18. | मिजोरम | 52.88 |
| 19. | नागालैंड | 84.64 |
| 20. | उड़ीसा | 762.50 |
| 21. | पंजाब | 1155.48 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 22. | राजस्थान | 682.50 |
| 23. | सिक्किम | 51.53 |
| 24. | तमिलनाडु | 2241.45 |
| 25. | त्रिपुरा | 77.45 |
| 26. | उत्तर प्रदेश* | 4311.77 |
| 27. | पश्चिम बंगाल | 3108.07 |
| | कुल | 29057.96 |

*उत्तरांचल सहित

**अनुबंध-II**

*मूलधन, ब्याज, छूट और बांड मूल्य का राज्यवार सारांश*

(राशि करोड़ रुपए में)

| क्र.सं. | राज्य/एसईबी | मूलधन | ब्याज | ब्याज में छूट देने से लाभ | बॉण्ड राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध प्रदेश | 537.65 | 579.14 | 347.48 | 769.30 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 25.54 | 6.76 | 4.06 | 28.24 |
| 3. | असम | 554.88 | 361.18 | 216.71 | 699.35 |
| 4. | बिहार | 2049.97 | 1551.56 | 930.94 | 2670.59 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 159.40 | 128.32 | 76.99 | 210.73 |
| 6. | गोवा | –0.36 | – | – | – |
| 7. | गुजरात | 1205.71 | 467.32 | 280.39 | 1392.64 |
| 8. | हरियाणा | 634.53 | 1030.7 | 618.42 | 1046.81 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 76.93 | 62.35 | 37.41 | 101.87 |
| 10. | जम्मू एवं कश्मीर | 497.58 | 172.65 | 103.59 | 566.64 |
| 11. | झारखंड | 1384.15 | 1188.12 | 712.87 | 1859.40 |
| 12. | कनार्टक | 501.31 | 359.09 | 215.45 | 644.95 |
| 13. | केरल | 786.70 | 229.01 | 137.41 | 878.30 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 3103.53 | 1257.83 | 754.70 | 3606.66 |
| 15. | महाराष्ट्र | 1172.81 | 1189.29 | 713.57 | 1648.53 |
| 16. | मणिपुर | 167.89 | 60.80 | 36.48 | 192.21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. | मेघालय | 15.39 | 5.15 | 3.09 | 17.45 |
| 18. | मिजोरम | 45.82 | 17.64 | 10.58 | 52.88 |
| 19. | नागालैंड | 71.60 | 32.61 | 19.57 | 84.64 |
| 20. | उड़ीसा | 682.80 | 199.24 | 119.24 | 762.50 |
| 21. | पंजाब | 1046.98 | 271.26 | 162.76 | 1155.48 |
| 22. | राजस्थान | 604.53 | 194.92 | 116.95 | 682..50 |
| 23. | सिक्किम | 39.97 | 28.91 | 17.35 | 51.53 |
| 24. | तमिलनाडु | 2025.46 | 539.98 | 323.99 | 2241.45 |
| 25. | त्रिपुरा | 72.67 | 11.94 | 7.16 | 77.45 |
| 26. | उत्तर प्रदेश* | 3582.08 | 1824.23 | 1094.54 | 4311.77 |
| 27. | पश्चिम बंगाल | 2290.52 | 2043.87 | 1226.33 | 3108.07 |
| | कुल | 23520.76 | 13842.77 | 8305.65 | 29057.96 |

*उत्तरांचल सहित

**श्री टी. एम. सेल्वागनपति** : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय संस्थापनाओं को देय लगभग 34,500 करोड़ रुपए की बकाया धनराशि में से लगभग 60 प्रतिशत ब्याज है जिसे माफ किया जाना चाहिए। उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा इसकी सिफारिश की गई है। यदि आप मूलधन की ओर देखें जो अनुबंध एक में सूचीबद्ध है तो पाएंगे कि मूलधन और ब्याज बराबर–बराबर है। उदाहरण के लिए आंध्रप्रदेश के मामले में मूलधन 537 करोड़ रुपए है। और इस पर ब्याज मूलधन से अधिक 579 करोड़ रुपए है। राज्य विद्युत बोर्ड में वित्तीय संकट के मद्देनजर क्या मंत्रालय शत–प्रतिशत ब्याज माफ करने की मांग पर विचार करेगा? यह मेरा पहला प्रश्न है।

पूरे मामले पर 2001 तक विचार होता रहा। 2001 से आज तक इस पर जो ब्याज हुआ उसकी राशि बहुत अधिक होगी। राज्य विद्युत बोर्डों को वित्तीय संकट से उभारने और उनकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पूरे मामले पर विचार होता रहा कि किस तरह इनमें अधिक से अधिक निजी निवेश को आकर्षित किया जाए। वर्ष 2001 से 2003 के इन डेढ़–दो वर्षों में, यदि बकाया राशि और अधिक हो जाती तो इस तरह संकट से उभारने वाले पैकेज को देने का क्या औचित्य है? यह मेरा दूसरा प्रश्न है।

तीसरा प्रश्न यह है कि, निजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से कोहली समिति ने निजी निवेश के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोहली समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है अथवा नहीं। कोहली समिति द्वारा कई सिफारिशें की गई हैं जो विद्युत क्षेत्रों में सुधार लाने तथा बिजली सुधारों के लिए वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें एक सिफारिश यह भी है...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आपको उन सिफारिशों का उललेख करने की आवश्यकता नहीं। माननीय मंत्री जी उन सिफारिशों से अवगत होंगे। कृपया प्रश्न पूछें।

**श्री टी. एम. सेल्वागनपति** : महोदय, मैं अभी उसी पर आता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : आप सभा का समय क्यों बरबाद कर रहे हैं? आपको सिफारिशों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।

**श्री टी. एम. सेल्वागनपति** : मैं अभी एकदम सटीक प्रश्न पूछूंगा। क्या मंत्रालय काला धन आकर्षित करने के लिए विशेष विद्युत बांड जारी करेगा। जहां तक परियोजना विकास का प्रश्न है, इसके लिए उन्हें कर में छूट ग्रहण करने हेतु सीबीडीटी में आवेदन करना पड़ता था और कर में छूट केवल दो या तीन वर्षों के लिए दी जाती है। क्या मंत्रालय कर में छूट की इस अवधि को और अधिक समय के लिए बढ़ाएगा? यह छूट आय कर अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत प्राप्य है। क्या यह छूट पारेषण और वितरण के लिए भी दी जाएगी?

*[हिन्दी]*

**श्री अनन्त गंगाराम गीते** : अध्यक्ष जी, मोंटेक सिंह अहलूवालिया समिति ने इण्टरैस्ट सरचार्ज कम करने की जो सिफारिशें की थीं, उनकी सिफारिश तो 50 प्रतिशत की थी, लेकिन जो मुख्यमंत्रियों की समिति गठित की गई, उस समिति ने 60 प्रतिशत की सिफारिश की और इस 60 प्रतिशत की सिफारिश को स्वीकार किया गया। यह निर्णय ऐसा था, जिस पर चर्चा सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों की परिषद में इस संदर्भ में भी चर्चा हुई थी और उसमें यह सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है कि 60 प्रतिशत इण्टरैस्ट में माफी दी जाएगी, इसलिए 100 प्रतिशत इसे माफ करने का कोई प्रश्न अभी नहीं उठता। जो कोहली कमेटी की रिपोर्ट के संदर्भ में माननीय सदस्य ने यहां पर प्रश्न उपस्थित किया है, इस संदर्भ में मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप में जानकारी दे दूंगा। आज का जो यह मूल प्रश्न है, वह राज्य विद्युत बोर्डों की जो वित्तीय स्थिति है। उनकी स्थिति को सुधारने के लिए उनकी सहायता करने की आवश्यकता है। राज्य विद्युत बोर्डों की आज जो स्थिति है, उसके लिए केन्द्र सरकार जिम्मेदार नहीं हो सकती। राज्यों से जितना सहयोग राज्य विद्युत बोर्डों को मिलना चाहिए, उतना न मिलने के कारण राज्य विद्युत बोर्डों की स्थिति बिगड़ गई।

**कुंवर अखिलेश सिंह** : राज्य विद्युत बोर्डों में जो भ्रष्टाचार है, उससे उनकी स्थिति बिगड़ी है, उस भ्रष्टाचार को आप दूर करने का प्रयास करिए।

**श्री अनन्त गंगाराम गीते** : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने यहां पर जो जानकारी दी है, यह अतिरिक्त जानकारी है, लेकिन इसके लिए भी राज्य विद्युत बोर्ड ही जिम्मेदार हैं। यदि राज्य विद्युत बोर्डों की स्थिति को सुधारा जाता है तो उसका असर जो देश के बिजली उपभेक्ता हैं, उन पर होता है, क्योंकि इसके दुष्परिणामों का सामना उन्हें करना पड़ता है। इस स्थिति में सुधार करने के लिए जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उस कार्यक्रम को सभी राज्यों ने अपनाया है और उसके अच्छे परिणाम हमें दिखाई दे रहे हैं।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : आप दूसरा पूरक प्रश्न पूछें। बहुत संक्षेप में और सटीक प्रश्न ही पूछें।

**श्री टी. एम. सेल्वागनपति** : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण है।

**श्री टी. एम. सेल्वागनपति** : सरकार, 9,00,000 करोड़ रुपए के निवेश से 2012 तक 1,00,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की योजना तैयार कर रही है। लेकिन निजी निवेशकों चाहे वे भारतीय हों या विदेशी, की भागीदारी के बिना यह संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए सरकार निजी निवेशकों में विश्वास पैदा करने के उद्देश्य से राज्य विद्युत बोर्डों को वित्तीय संकट से उभारने का प्रयास कर रही है। लेकिन राज्य विद्युत बोर्डों को वित्तीय संकट से उभारने मात्र से काम नहीं चलेगा। अतः निवेश भी साथ-साथ होना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने कोहली समिति की सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की है?

*[हिन्दी]*

**श्री अनन्त गंगाराम गीते** : माननीय सदस्य के विचारों से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। आज एक लाख अतिरिक्त मेगावाट ऊर्जा का निर्माण करने की आवश्यकता है, जिसके लिए लगभग आठ लाख करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत है। इसलिए राज्य सरकारों, निजी क्षेत्र, कोआपोरेटिव क्षेत्र, हर क्षेत्र को ऊर्जा के निर्माण में बढ़ावा देने की आवश्यकता है। सदन को विदित होगा कि पिछले ही हफ्ते हमने विद्युत विधेयक, 2001 इस सदन में पारित किया है। इस विधेयक को पारित करते समय, विधेयक के अन्दर जो प्रावधान किए गए हैं वे विशेषकर अतिरिक्त ऊर्जा के निर्माण में जो निवेश की आवश्यकता है, चाहे विदेशी निवेश हो या देशी निवेश हो, ऐसे निवेश को बढ़ावा देने के लिए जो आवश्यक सुधार करने की हमें आवश्यकता थी, उन सारे सुधारों को हमने इस विशेयक के रूप में स्वीकार क़िया है। इसलिए मेरा विश्वास है कि एक लाख मेगावाट अतिरिक्त बिजली के निर्माण में जिस निवेश की हमें आवश्यकता है, उस निवेश को जुटाने में हम सफल हो पाएंगे।

*[अनुवाद]*

### अप्रयुक्त रेलवे भूमि की बिक्री

***466. श्री प्रबोध पण्डा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने अप्रयुक्त रेलवे भूमि एवं संपत्तियों की बिक्री करके राजस्व में वृद्धि करने की योजनाएं बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भूमि की बिक्री करके रेलवे द्वारा कितना राजस्व इकट्ठा किया गया है?

**रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) :** (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल रख दिया गया है।

**विवरण**

(क) से (ग) राजस्व बढ़ाने के लिए अपनी अप्रयुक्त भूमि और संपत्ति बेचने की न तो रेलवे की कोई योजना है और न ही कोई योजना थी, बहरहाल, यदि परिचालनिक और अनुरक्षा के प्रयोजनों के लिए खाली पड़ी भूमि की आवश्यकता न हो तो उसे राजस्व बढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है :

(i) रेलों द्वारा ढोए जाने वाले माल का चट्टा लगाने/उसका भंडारण करने के वास्ते स्टेशन यार्डों में और उसके साथ लगी हुई रेलवे भूमि को (जिसे वाणिज्यिक भूखंड कहा जाता है) लाइसेंस पर देना, इस प्रकार के लाइसेंस देने से रेलवे को यातायात को आकर्षित करने/बनाए रखने में मदद मिलती है।

(ii) थोक तेल संस्थापनाओं और प्राइवेट साइडिंगों के लिए भूमि का इस्तेमाल करना, जिनसे रेलों को पर्याप्त मात्रा में यातायात उपलब्ध होता है।

(iii) केन्द्र सरकार के अन्य विभागों/राज्य सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भूमि लीज पर देना।

(iv) वनारोपण, खेती-बाड़ी और वाणिज्यिक आधार पर पौधे लगाना।

(v) अन्य विविध उपयोग जैसे मार्गाधिकार की सुविधा देना, मत्स्य पालन, कर्मचारी कल्याण संगठनों/विद्यालयों को भूमि पट्टे/लाइसेंस पर देना।

(vi) जहां कहीं संभव हो, वहां अपनी कुछ भूमि/आकाश क्षेत्र का वाणिज्यिक उपयोग करना।

इसके अलावा, रेलवे ने रेलपथ के साथ-साथ तथा अन्य स्थानों पर भी बड़े पैमाने पर जटरोफा करकास (रतनजोत) के पौधों को लगाने की योजना बनाई है। रेलवे ने एक पायलट परियोजना के रूप में 500 हेक्टेयर भूमि पर जटरोफा करकास के पौधे लगाने तथा बायो-डीजल के उत्पादन के लिए इंडियन ऑयल कारपोरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान भूमि के उपयोग से प्राप्त हुई आय का विवरण इस प्रकार है :

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

| वर्ष | 1999-2000 | 2000-01 | 2001-02 |
|---|---|---|---|
| रुपए (करोड़ में) | 30.37 | 94.49 | 223.53* |

*इसमें भूमि को पट्टे पर दिए जाने के कारण तेल कंपनियों से किराए के रूप में वसूल की गई 131 करोड़ रुपए की बकाया राशि भी शामिल है।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रबोध पण्डा जी, मैं आपको थोड़ा समय देता हूं, आप प्रश्न पूछिए।

*[अनुवाद]*

**श्री प्रबोध पण्डा :** मैं माननीय रेल मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या मंत्रालय रेलवे भूमि को किसी सार्वजनिक कार्य, विशेष रूप से दक्षिण-पूर्व रेलवे और मुख्य रूप से खड़गपुर में, आरक्षित करने पर विचार कर रहा है? मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या रेल मंत्रालय इस भूमि को किसी सार्वजनिक कार्य के लिए सस्ती दरों पर आरक्षित करना चाहेगा क्योंकि इससे उसे राजस्व की प्राप्ति भी होगी?

*[हिन्दी]*

**श्री नीतीश कुमार :** अध्यक्ष महोदय, हमने प्रश्न के उत्तर में ही बता दिया है कि रेलवे अपनी जमीन को, जिसका इस्तेमाल तात्कालिक तौर पर रेलवे के अपने काम के लिए नहीं होता, वैसी स्थिति में हम लीज पर जमीन को देते हैं और उससे

कुछ आमदनी भी होती है। उसके बारे में हमने विस्तृत विवरण दिया है कि कहां–कहां किन–किन परिस्थितियों में जमीन दी गई हैं। रेलवे से सम्बन्धित जो लोग कारोबार करते हैं, उनको जमीन दी जाती है, स्टोरेज वगैरह के लिए दी जाती है और साइडिंग के लिए भी दी जाती है।

**अध्यक्ष महोदय** : सब आपने उत्तर में दिया है।

**श्री नीतीश कुमार** : पूरा विवरण उत्तर में हमने दे दिया है। इसके अलावा भी एफोरेस्टेशन के लिए भी देते हैं। 1984 के पहले यह नियम था कि कामर्शियल परपजेज के लिए जमीन लोगों को दी जाती थी, छोटी–मोटी दुकानों के लिए भी दी जाती थी, लेकिन 1984 के बाद से वह पालिसी बन्द कर दी गई है, फिर भी पहले से, रेलवे की जमीन पर जो लोग अपना अपना व्यवसाय कर रहे हैं, उनको नई शर्तों के मुताबिक जारी रखा गया है। इसी तरह से खड़गपुरा में, जहां तक मेरी जानकारी है और माननीय सदस्य ने इस बात को मेरे समक्ष उठाया भी है, जिन्होंने रेलवे की जमीन लीज पर ली है। दोनों का अलग मसला है और दोनों के मसले में कुछ समस्याएं आई हैं, उसे भी हम देख रहे हैं। आप कुछ और प्रश्न पूछना चाह रहे हैं?

*[अनुवाद]*

**श्री प्रबोध पण्डा** : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि जहां तक खड़गपुर का सवाल है, वहां रेल की भूमि खाली पड़ी है जिस पर सेंट्रल बस स्टेशन का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन रेलवे प्रशासन इसके लिए एक करोड़ रुपए से भी अधिक की मांग कर रहा है। इस स्थिति के मद्देनजर वहां बस स्टेशन का निर्माण संभव नहीं है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न है कि क्या रेल मंत्रालय राज्य सरकार अथवा नगर पालिका को यह भूमि सस्ती दर पर पट्टे पर देगा ताकि वहां लोक हित में एक सैंट्रल बस स्टेशन बनाया जा सके?

*[हिन्दी]*

**श्री नीतीश कुमार** : अगर राज्य सरकार को या किसी सरकारी संस्था को जमीन की जरूरत पड़ती है तो लीज पर उसे दिया जाता है। उसके लिए लीज चार्जेज हैं, जो उनको अदा करने होते हैं। लेकिन जब राज्य सरकार जमीन चाहेगी तो उनको दी जा सकती है, यदि जमीन उपलब्ध है। ऐसी हमारी नीति है।

**कुंवर अखिलेश सिंह** : माननीय रेल मंत्री जी, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि रेलवे की बहुत सी जमीनों पर प्रभावशाली लोगों ने कब्जा कर रखा है। क्या आप उनके कब्जे से उन जमीनों को मुक्त कराकर उसका व्यावसायिक उपयोग की व्यवस्था करेंगे? प्रश्न का दूसरा भाग है कि रेलवे की बहुत सी जमीनों पर से होकर आज आबादी के लोगों के आवागमन के रास्ते हैं, क्या उन रास्तों को आम जनता के उपयोग के लिए खोलने का आप आदेश प्रदान करेंगे?

**श्री नीतीश कुमार** : जहां तक रेलवे जमीनों पर कब्जे का सवाल है, रेलवे की लगभग 4 परसेंट होल्डिंग हमारी है, जो डिफरेंट काम में आ रही है। हमारी जमीन पर काफी एनक्रोचमैंट है, इसमें कोई शक नहीं है। रेलवे की 20 हजार हेक्टेयर जमीन ऐसी है जिस पर जबरन दूसरे लोगों ने कब्जा किया हुआ है। उसे कब्जे से मुक्त करने के लिए निरंतर प्रयास चलता रहता है। जहां तक रेलवे की जमीन से किसी को रास्ता देने की बात है, यदि उसके बारे में इनका कोई स्पेसीफिक प्रस्ताव आएगा तो हम प्रयास करेंगे।

---

*[हिन्दी]*

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### राज्य सरकारों का केबल आपरेटरों पर नियंत्रण

***487. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
**श्रीमती निवेदिता माने :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें उनके राज्यों में केबल आपरेटरों पर नियंत्रण रखने के लिए सशक्त बनाएं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)** : (क) से (ग) कुछ राज्यों से केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के विभिन्न उपबन्धों को बेहतर ढंग से लागू

करने के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं। केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत, अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के तहत चूककर्ता केबल आपरेटरों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों के अधिकारियों को अधिकार दिए गए हैं।

"केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 2 (क) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारियों" से अभिप्राय, उसके कार्यक्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर :

(i) एक जिलाधीश; या

(ii) एक उप जिलाधीश; या

(iii) एक पुलिस आयुक्त, से है और इसमें ऐसे अधिकारी शामिल होंगे, जिन्होंने केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया हो, जो उस सरकार द्वारा यथा निर्धारित की जाने वाली कार्यक्षेत्र की सीमा के लिए प्राधिकृत अधिकारी होगा।

उपुर्यक्त अधिनियम की धारा 11(I) के अंतर्गत यदि किसी प्राधिकृत अधिकारी के पास इस बात पर विश्वास करने का कारण है कि धारा 3 (पंजीयन के संबंध में), धारा 4 क (दिनांक 14.7.2003 के बाद सम्बोधन प्रणाली के जरिए पे चैनलों के प्रसारण/पुनः प्रसारण के संबंध में), धारा 5 (कार्यक्रम संहिता), धारा 6 (विज्ञापन संहिता), धारा 8 (दूरदर्शन चैनलों का अनिवार्य प्रसारण) के उपबंधों को किसी केबल आपरेटर द्वारा उल्लंघन किया गया है अथवा किया जा रहा है, तो वह केबल टेलीविजन नेटवर्क चलाने के लिए ऐसे केबल आपरेटर द्वारा प्रयुक्त किए जा रहे उपस्कर को जब्त कर सकता है।

उपर्युक्त अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत जहां भी "कोई भी प्राधिकृत अधिकारी" लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, तो वह आदेश द्वारा, किसी भी कार्यक्रम या चैनल को प्रसारित या पुनःप्रसारित करने से किसी भी केबल आपरेटर को रोक सकता है यदि यह धारा 5 में उल्लिखित निर्धारित कार्यक्रम संहिता और धारा 6 में उल्लिखित विज्ञापन संहिता के अनुरूप नहीं है अथवा यदि इससे धर्म, प्रजाति, भाषा, जाति या समुदाय के आधार पर अथवा किसी अन्य आधार पर, जो कोई भी हो, विभिन्न धार्मिक, प्रजातीय, भाषायी या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच असामंजस्य अथवा वैमनस्य की भावना, घृणा या दुर्भावना को बढ़ावा देने की संभावना हो अथवा जिससे सार्वजनिक शांति के भंग होने की संभावना हो।"

*[अनुवाद]*

**सैनिक स्कूलों का कार्यनिष्पादन**

***488. श्री पी. सी. थामस :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सैनिक स्कूलों का कार्य निष्पादन स्तरीय नहीं है और इनके अच्छे परिणाम नहीं आ रहे हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय रक्षा अकादमी हेतु सैनिक स्कूल के विद्यार्थियों के चयन मे भारी कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के लिए चुने गए विद्यार्थियों की सैनिक स्कूल–वार संख्या कितनी है; और

(घ) सैनिक स्कूलों के कार्य निषपादन में सुधार के लिए कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) :** (क) से (घ) जी, नहीं। सैनिक स्कूलों की स्थापना सशस्त्र सेनाओं के अफसर संवर्ग में प्रादेशिक असंतुलन दूर करने, कैडेटों को भविष्य का अच्छा और उपयोगी नागरिक बनाने तथा पब्लिक स्कूल की शिक्षा को जन सामान्य की पहुंच के भीतर लाने के प्राथमिक उद्देश्य से की गई थी। सैनिक स्कूलों द्वारा अपनी शुरूआत से सशस्त्र सेनाओं को 6000 से अधिक अफसर उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त सुविकसित व्यक्तित्व वाले उपयोगी और अनुशासित नागरिक उपलब्ध करवाए जा रहे हैं जिन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों में योगदान दिया है।

सैनिक स्कूलों से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश में कोई कमी नहीं हुई वरन यह 15.8 प्रतिशत (जनवरी 1985 से जनवरी 1995 तक) से बढ़कर 16.5 प्रतिशत (जुलाई 1995 से जनवरी 2002 तक) हो गई है। विगत तीन शैक्षणिक वर्षों में सैनिक स्कूलों से 310 कैडेटों ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश लिया है। स्कूल–वार ब्यौरा संलग्न विवरण पर प्रस्तुत है।

उनके लक्ष्यों और उद्देश्यों के बरक्स सैनिक स्कूलों के कार्य–निष्पादन की निरंतर समीक्षा की जाती है। चालू वित्तीय वर्ष से अतिरिक्त धन मुहैया कराया गया है जिससे बढ़े हुए शुल्क के भार को कम करने में सहयोग दिया जा सके, जिससे न केवल पब्लिक स्कूल की शिक्षा तक जन सामान्य की पहुंच हो पाएगी तथा भर्ती होने के लिए अच्छे स्तर के उम्मीदवार प्राप्त होंगे। सैनिक स्कूलों के शैक्षिक निष्पादन में सुधार करने

के लिए कक्षा नवीं और ग्यारहवीं के वास्ते केन्द्रीकृत परीक्षाओं जैसे कुछ उपाय शुरू किए गए हैं। कैडेटों के वास्ते अतिरिक्त साहसिक कार्यकलापों का आयोजन किए जाने का भी प्रस्ताव है ताकि उन्हें सेवा चयन बोर्डों का सामना आत्मविश्वास से करने के लिए तैयार किया जा सके। सैनिक स्कूलों की प्रवेश प्रक्रिया में और सुधार किया जा रहा है ताकि सर्वोत्तम क्षमता वाले कैडेटों का चयन किया जा सके। अध्यापकों और छात्रावास अधीक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण नियमति रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। ताकि उनकी व्यावसायिक क्षमता अद्यतन बनी रहे।

**विवरण**

*शैक्षिक वर्ष 1999–2000 से 2001–2002 के दौरान सैनिक स्कूलों से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश लेने वाले कैडेटों का ब्यौरा*

| क्र.सं. | स्कूल का नाम | 1999–2000 के दौरान राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश लेने वाले कैडेट (पाठ्यक्रम 102 व 103) | 2000–2001 के दौरान राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश लेने वाले कैडेट (पाठ्यक्रम 104 व 105) | 2001–2002 के दौरान राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश लेने वाले कैडेट (पाठ्यक्रम 106 व 107) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | अमरावती | 3 | 11 | 1 |
| 2. | भुवनेश्वर | 3 | 5 | 4 |
| 3. | बीजापुर | 4 | 4 | 4 |
| 4. | चित्तौड़गढ़ | 1 | 4 | 5 |
| 5. | घोड़ाखाल | 7 | 10 | 7 |
| 6. | ग्वालपाड़ा | 1 | 0 | 1 |
| 7. | इंफाल | 1 | 5 | 5 |
| 8. | बालचड़ी | 0 | 4 | 3 |
| 9. | कपूरथला | 0 | 1 | 1 |
| 10. | कझाकूट्टम | 5 | 10 | 4 |
| 11. | कोरुकोंडा | 4 | 10 | 16 |
| 12. | कुंजपुरा | 4 | 5 | 3 |
| 13. | नगरोटा | 1 | 7 | 4 |
| 14. | पुरुलिया | 4 | 5 | 3 |
| 15. | रीवा | 12 | 9 | 8 |
| 16. | सतारा | 12 | 15 | 12 |
| 17. | सुजानपुर टिहरा | 5 | 9 | 11 |
| 18. | तिलैया | 4 | 7 | 11 |
| | जोड़ | 71 | 129 | 110 |

**एक समान मीटरिंग**

***489. श्री कालवा श्रीनिवासुलु** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 किलो वाट और इससे अधिक' मीटरिंग का कार्य 2001 के अन्त तक शत–प्रतिशत मीटरिंग कार्यक्रम के प्रथम चरण में पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या एक समान मीटरिंग कार्यक्रम देश भर में निर्धारित अवधि से पीछे चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक राज्यवार क्या प्रगति की गई है; और

(ङ) सरकार का विचार एक समान मीटरिंग कार्यक्रम को कब तक पूरा करने का है?

**विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते)** : (क) देश में 11 के.वी. फीडरों की अभी तक 86.38 प्रतिशत मीटरिंग हुई है। राज्यों से उपलब्ध सूचना के अनुसार 11 राज्यों ने 11 के.वी. फीडर स्तर पर 100 प्रतिशत मीटरिंग प्राप्त की है।

(ख) जैसा कि राज्यों द्वारा सूचित किया गया है 6 राज्यों ने उपभोक्ता स्तर पर 100 प्रतिशत मीटरिंग में पर्याप्त प्रगति हासिल की गई है। तथापि, कृषि उपभोक्ताओं के संबंध में मीटरिंग कम रही है।

(ग) निम्नलिखित कारणों की वजह से मीटरिंग का लक्ष्य पिछड़ा है :

(i) राज्य यूटिलिटियों की क्रियान्वयन क्षमता में अपर्याप्तता।

(ii) सामग्री संबंधी संसाधनों की कमी।

(iii) कुछ राज्यों में किसानों द्वारा स्थिर टैरिफ जारी रखने पर जोर देना।

(घ) उपभोक्ता मीटरिंग और 11 के.वी. फीडर मीटरिंग की स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ङ) जैसा कि राज्यों द्वारा सूचना प्रदान की गई है, एक समान मीटरिंग के दिसम्बर, 2004 तक पूरा हो जाने की प्रत्याशा है।

**विवरण**

*उपभोक्ता मीटरिंग की स्थिति (दिसम्बर, 2002 तक)*

| क्र.सं. | स्थिति | उपभोक्ताओं की संख्या (लाख में) | मीटरीकृत (लाख में) | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 146.9 | 124.82 | 84.97 |
| 2. | असम | 9.92 | 8.55 | 86.19 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 1.3 | 0.7 | 53.85 |
| 4. | बिहार | 18 | 16 | 88.89 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 19.25 | 12.54 | 65.14 |
| 6. | दिल्ली | 26.26 | 26.26 | 100.00 |
| 7. | गोवा | 3.92 | 3.74 | 95.41 |
| 8. | गुजरात | 73.33 | 68.11 | 92.88 |
| 9. | हरियाणा | 32.27 | 32.27 | 100.00 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 15.68 | 15.68 | 100.00 |
| 11. | झारखंड | 6.53 | 4.02 | 61.65 |
| 12. | जम्मू एवं कश्मीर | 10 | 4 | 40.00 |
| 13. | कर्नाटक | 48.4 | 48.4 | 100.00 |
| 14. | केरल | 68.94 | 68.94 | 100.00 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 65.3 | 40.98 | 62.76 |
| 16. | महाराष्ट्र | 132.82 | 113.73 | 85.63 |
| 17. | मणिपुर | 1.7 | 1.4 | 82.35 |
| 18. | मेघालय | 1.4 | 0.9 | 64.29 |
| 19. | मिजोरम | 1.16 | 0.55 | 47.41 |
| 20. | नागालैंड | 1.5 | 1.1 | 73.33 |
| 21. | उड़ीसा | 12 | 10.8 | 90.00 |
| 22. | पंजाब | 55.13 | 46.73 | 84.76 |
| 23. | राजस्थान | 48 | 43.25 | 90.10 |
| 24. | सिक्किम | 0.6 | 0.17 | 28.33 |
| 25. | तमिलनाडु | 113.91 | 113.91 | 100.00 |
| 26. | त्रिपुरा | 2.28 | 1.84 | 80.70 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 78.1 | 46.03 | 58.94 |
| 28. | उत्तरांचल | 9.09 | 7.95 | 87.46 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 43.45 | 41.11 | 94.61 |
| | उत्तर पूर्व में कुल मीटरिंग | 19.26 | 15.04 | 78.09 |
| | देश में कुल मीटरिंग उत्तर पूर्व को छोड़कर | 1027.88 | 88.9 | 86.53 |
| | देश में कुल मीटरिंग | 1047.14 | 904.48 | 86.38 |

*11 के.वी. फीडर मीटरिंग की स्थिति (दिसम्बर 2002 तक)*

| क्र.सं. | राज्य | फीडरों की संख्या | मीटरीकृत | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 7291 | 7291 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 2. | असम | 605 | 208 | 34.38 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 1868 | 33 | 19.64 |
| 4. | बिहार | 1517 | 600 | 39.55 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 988 | 619 | 62.65 |
| 6. | दिल्ली | 1400 | 1400 | 100 |
| 7. | गोवा | 179 | 179 | 100 |
| 8. | गुजरात | 4917 | 4917 | 100 |
| 9. | हरियाणा | 2557 | 2557 | 100 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 678 | 628 | 92.63 |
| 11. | झारखंड | 461 | 4 | 0.87 |
| 12. | जम्मू एवं कश्मीर | 1214 | 1214 | 100 |
| 13. | कर्नाटक | 3518 | 3518 | 100 |
| 14. | केरल | 1051 | 1051 | 100 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 6117 | 5551 | 90.75 |
| 16. | महाराष्ट्र | 7128 | 6082 | 85.33 |
| 17. | मणिपुर | 193 | 40 | 20.73 |
| 18. | मेघालय | 314 | 96 | 30.57 |
| 19. | मिजोरम | 131 | 104 | 79.39 |
| 20. | नागालैंड | 93 | 32 | 34.11 |
| 21. | उड़ीसा | 875 | 500 | 26.67 |
| 22. | पंजाब | 5387 | 5368 | 99.65 |
| 23. | राजस्थान | 7321 | 3321 | 45.36 |
| 24. | सिक्किम | 87 | 21 | 24.14 |
| 25. | तमिलनाडु | 3684 | 3684 | 100 |
| 26. | त्रिपुरा | 185 | 185 | 100 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 8124 | 8124 | 100 |
| 28. | उत्तरांचल | 643 | 618 | 96.11 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 2406 | 2234 | 92.85 |
| | उत्तर पूर्व में कुल मीटरिंग | 1689 | 698 | 41.33 |
| | देश में कुल मीटरिंग उत्तर पूर्व को छोड़कर | 68543 | 59481 | 86.78 |
| | देश में कुल मीटरिंग | 70232 | 60179 | 85.69 |

*[हिन्दी]*

## सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा प्राप्त भागीदारी

*490. **डा. सुशील कुमार इन्दौरा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की अनेक तेल कंपनियों ने विदेशों में तेल उत्पादन में लगी कुछ कंपनियों के साथ भागीदारी की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कंपनियां कौन–कौन सी हैं और दिसम्बर, 2002 के अंत तक देश–वार, प्रत्येक विदेशी कंपनी द्वारा कितनी पूंजी का निवेश किया गया है; और

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को तेल और नवीन प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के संबंध में प्राप्त होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) और (ख) आज की तारीख के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की एक तेल कंपनी अर्थात ओ एन जी सी विदेश लिमिटेड (ओवीएल), जो आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, ने विदेश में तेल उत्पादन में लगी किसी कंपनी की सहायक कंपनी के शेयर प्राप्त कर लिए हैं।

तालिसमैन एनर्जी इंक (टीएलएम), कनाडा के 25 प्रतिशत हिस्से को खरीदने की प्रक्रिया में ओवीएल ने टीएलएम से "तालिसमैन ग्रेटर नील बी वी" से 100 प्रतिशत शेयर प्राप्त किए, यह टीएलएम की सहायक कंपनी है, जिसके माध्यम से

उनका ग्रेटर नील तेल परियोजना में 25 प्रतिशत हिस्सा था। खरीद मूल्य के रूप में परियोजना में ओवीएल द्वारा किया गया निवेश 720 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 3,456 करोड़ रुपए) है।

यह भी उल्लेखनीय है कि ओवीएल का अनिगामित संयुक्त उद्यम में सदस्य के रूप में वियतनाम अपतट के गैस उत्पादक ब्लाक 6.1 में 45 प्रतिशत हित है। इसके अलावा ओवीएल और सार्वजनिक क्षेत्र की तीन अन्य तेल कंपनियों अर्थात गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल), इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसी) और आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) का विदेश में ईरान, म्यांमार, रूस और अमरीका जैसे देशों में स्थित ब्लाकों में हित हैं, जहां से आज की तारीख के अनुसार कोई उत्पादन नहीं हो रहा है।

(ग) देश के लिए लगभग 3 मिलियन टन प्रतिवर्ष इक्विटी तेल में वृद्धि करने के अलावा ओवीएल को निम्न लाभ भी होंगे :

(1) ओवीएल को विश्वव्यापी हाइड्रोकार्बन उद्योग में बड़ी शक्ति बनने के लिए समर्थ बनाने हेतु महत्वपूर्ण विशेषज्ञता और अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन अनुभव।

(2) उन ओवीएल कार्मिकों को अच्छा ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होगा जिन्हें परियोजना में तैनात किया जाएगा जिससे वे विदेश में अन्य परियोजनाएं हासिल करने के लिए तैयार हो सकेंगे।

(3) ओवीएल उन भारतीय कंपनियों का भी प्रवर्तन कर सकेगी, जो सूडान में परियोजना और अन्य सहायक कार्यों को सामग्रियां तथा सेवाएं प्रदान कर सकें।

*[अनुवाद]*

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से बिजली का उत्पादन**

*491. **श्री ए. कृष्णास्वामी** : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से राज्यवार वार्षिक कितना विद्युत उत्पादन होता है;

(ख) क्या इन स्रोतों से विद्युत उत्पादन में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार के समक्ष स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु तमिलनाडु में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत संबंधी नई परियोजनाओं की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन)** : (क) से (ग) पवन, लघु पनबिजली, बायोमास और अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं पर आधारित अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं से संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 31.3.2000, 31.3.2001, 31.3.2002 और 31.3.2003 के अनुसार क्रमशः 2674 मेवा., 3002 मेवा., 3467 मेवा., और 3875 मेवा. थी। संस्थापित क्षमता में वार्षिक विद्युत उत्पादन 8.5 बिलियन यूनिट से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) तमिलनाडु में 31.3.2003 के अनुसार अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित 1174 मेवा., की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता पहले ही स्थापित की जा चुकी है। राज्य में खोई सहउत्पादन, बायोमास विद्युत, लघु पनबिजली, अपशिष्ट से ऊर्जा और बायोमास गैसीफायर परियोजनाओं सहित लगभग 115 मेवा. की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं; और चालू वर्ष के दौरान 60 मेवा. पवन विद्युत क्षमता के संयोजन की योजना है। इसके अतिरिक्त राज्यवार सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में स्थानीय रूप से उपलब्ध बायोमास का उपयोग करते हुए अगले दो वर्षों में लगभग 300 मेवा. क्षमता की बायोमास विद्युत परियोजनाओं के संवर्धन का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है अथवा उसके पास लंबित नहीं है।

(च) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन देने के लिए उठाए गए कदमों में परियोजना के प्रकार पर निर्भर करते हुए पूंजीगत सब्सिडी के रूप में केन्द्रीय वित्तीय सहायता अथवा ब्याज सब्सिडी का प्रावधान; राजकोषीय प्रोत्साहन जैसे 80 प्रतिशत त्वरित अवमूल्यन और रियायती शुल्क तथा कर; और भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था से आवधिक ऋण शामिल हैं। राज्य सरकार ने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए एक नीति आरंभ की है।

**विवरण**

*अपारंपरिक ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजनाओं से वर्ष 2002–03 के दौरान राज्यवार अनुमानित ऊर्जा उत्पादन*

(मिलियन यूनिट)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | पवन विद्युत | लघु पनबिजली | बायोमास विद्युत | अपशिष्ट से ऊर्जा | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | अंडमान एवं निकोबार | | 15.75 | | | 15.75 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 93.63 | 452.13 | 558.20 | 11.00 | 1114.96 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | | | 97.11 | | 97.11 |
| 4. | असम | | 6.00 | | | 6.00 |
| 5. | बिहार | | 134.70 | | | 134.70 |
| 6. | छत्तीसगढ़ | | 0.60 | 66.00 | | 66.60 |
| 7. | गुजरात | 157.61 | 21.00 | 3.00 | 8.00 | 189.61 |
| 8. | हरियाणा | | 144.90 | 24.00 | | 168.90 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | | 273.72 | | | 273.72 |
| 10. | जम्मू एवं कश्मीर | | 279.72 | | | 279.72 |
| 11. | झारखंड | | 12.15 | | | 12.15 |
| 12. | कर्नाटक | 165.20 | 470.70 | 322.40 | 4.00 | 982.30 |
| 13. | केरल | 0.76 | 208.56 | | | 209.32 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 30.39 | 116.88 | | 10.80 | 158.07 |
| 15. | महाराष्ट्र | 636.01 | 600.99 | 105.00 | 4.00 | 1346.00 |
| 16. | मणिपुर | | 14.10 | | | 14.10 |
| 17. | मेघालय | | 92.13 | | | 92.13 |
| 18. | मिजोरम | | 44.28 | | | 44.28 |
| 19. | नागालैंड | | 59.61 | | | 59.61 |
| 20. | उड़ीसा | | 3.90 | | | 3.90 |
| 21. | पंजाब | | 309.60 | 68.00 | | 377.60 |
| 22. | राजस्थान | 21.54 | 71.55 | | | 93.09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | सिक्किम | | 97.80 | | | 97.80 |
| 24. | तमिलनाडु | 1,305.70 | 221.70 | 457.00 | 0.92 | 1985.32 |
| 25. | त्रिपुरा | | 48.03 | | | 48.03 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | | 64.50 | 186..00 | 4.00 | 254.50 |
| 27. | उत्तरांचल | | 185.25 | | | 185.25 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 0.46 | 267.84 | | | 268.30 |
| | कुल | 2411.30 | 4315.20 | 1789.60 | 42.72 | 8558.82 |

**उत्पादन इकाइयों का आधुनिकीकरण/उन्नयन**

*492. **श्री के. पी. सिंह देव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ रक्षा उत्पादन इकाइयों का आधुनिकीकरण/उन्नयन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में इकाई–वार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल)** : (क) से (ग) दसवीं योजना के दौरान आयुध निर्माणियों के आधुनिकीकरण के लिए नवीकरण और बदलाई अनुदान के अंतर्गत 1456 करोड़ रुपए के निवेश की परिकल्पना की गई है। वर्ष 2002–2003 के दौरान आयुध निर्माणियों के आधुनिकीकरण के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। आयुध निर्माणियों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है ताकि उत्पादन की लागत घटाई जा सके, उत्पाद गुणता बढ़ाई जा सके और उत्पाद मिश्रण में लचीलापन लाया जा सके। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के दौरान आटो गेंट्री रोबोट, सामग्री संभलाई मेनीप्यूलेटर, आटो गेजिंग यूनिट, स्वचालित पैकिंग संयंत्रों आदि जैसे चुनिंदा क्षेत्रों में आयुध निर्माणियों में स्वचालन भी शुरू किया जा रहा है। आधुनिकीकरण प्रक्रिया पहले से ही छब्बीस आयुध निर्माणियों में शुरू की जा चुकी है। वर्ष 2003 से 2007 के दौरान आधुनिकीकरण के लिए नवीकरण और बदलाई शीर्ष के तहत किया जाने वाला प्रस्तावित यूनिटवार निवेश संलग्न विवरण में दिया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों में उनकी संबद्ध यूनिटों के आधुनिकीकरण/उन्नयन के लिए अपने–अपने वित्तीय संसाधन हैं। तथापि, तीन शिपयार्डों अर्थात मझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई, गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा ने भारतीय नौसेना की परियोजना सहायता धनराशि के माध्यम से अपने कुछ कारखानों को आधुनिक बनाने/उनका संवर्धन करने का प्रस्ताव किया है। इसी तरह, मिश्र धातु निगम लिमिटेड ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा धनराशि की व्यवस्था के जरिए कावेरी और सुखोई 30 इंजनों के लिए ब्लेडिंग के विनिर्माण के वास्ते कास्ट एलॉय फीड स्टॉक के उत्पादन और नौसेना द्वारा अपेक्षित उच्च वायुदाब बोतलों के विनिर्माण के लिए कतिपय सुविधाओं का सृजन करने का प्रस्ताव किया है।

**विवरण**

आयुध निर्माणी बोर्ड की संदर्शी योजना के अनुसार आयुध निर्माणियों के आधुनिकीकरण के लिए नवीकरण तथा बदलाई शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2002 से 2007 की अवधि के दौरान प्रस्तावित निवेश निम्न तालिका में दिया गया है :

(करोड़ रुपए में)

| क्र.सं. | निर्माणी का नाम | प्रस्तावित निवेश 2002–2007 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | भारी वाहन निर्माणी, आवडी | 22.90 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2. | आयुध निर्माणी, मेडक | 7.54 |
| 3. | धातु तथा स्टील निर्माणी, ईशापुर | 199.02 |
| 4. | आयुध निर्माणी, मुरादनगर | 23.06 |
| 5. | आयुध निर्माणी, अम्बाझारी | 143.83 |
| 6. | आयुध निर्माणी, अंबरनाथ | 26.54 |
| 7. | हैवी एलॉय पैनेट्रेटर प्रोजेक्ट, तिरुचिरापल्ली | 21.30 |
| 8. | आयुध निर्माणी, कटनी | 17.45 |
| 9. | आयुध निर्माणी, कानपुर | 164.4 |
| 10. | फील्ड गन फैक्टरी, कानपुर | 16.98 |
| 11. | गन और शैल निर्माणी, काशीपुर | 65.00 |
| 12. | राइफल फैक्टरी, ईशापुर | 62.77 |
| 13. | स्माल आर्म्स निर्माणी, कानपुर | 26.62 |
| 14. | आयुध निर्माणी, तिरुचिरापल्ली | 34.23 |
| 15. | वाहन निर्माणी, जबलपुर | 78.07 |
| 16. | आयुध उपस्कर निर्माणी, कानपुर | 13.31 |
| 17. | आयुध पैराशूट निर्माणी, कानपुर | 11.29 |
| 18. | आयुध निर्माणी, खमरिया | 71.02 |
| 19. | गोलाबारूद निर्माणी, खड़की | 100.00 |
| 20. | आयुध निर्माणी, वरणगांव | 14.06 |
| 21. | आयुध निर्माणी, चांदा | 18.82 |
| 22. | आयुध निर्माणी, निर्माणी इटारसी | 18.75 |
| 23. | आयुध निर्माणी, भंडारा | 108.60 |
| 24. | कारडाइट निर्माणी, अरवनकाडु | 24.66 |
| 25. | आयुध निर्माणी, दमदम | 12.91 |
| 26. | गन कैरिज निर्माणी, जबलपुर | 37.00 |
| 27. | उच्च विस्फोटक निर्माणी | 7.84 |
| 28. | आयुध निर्माणी, देहू रोड | 5.09 |
| 29. | ग्रे आयरन फाउंड्री | 11.39 |
| 30. | मशीन टूल प्रोटोटाइप निर्माणी | 12.10 |
| 31. | आयुध निर्माणी, भुसावल | 7.47 |
| 32. | आयुध निर्माणी, देहरादून | 16.16 |
| 33. | इंजन निर्माणी, आवडी | 4.69 |
| 34. | ऑप्टो इलेक्ट्रानिक्स निर्माणी, देहरादून | 5.97 |
| 35. | आयुध उपस्कर निर्माणी, हजरतपुर | 6.65 |
| 36. | आयुध वस्त्र निर्माणी, आवडी | 6.23 |
| 37. | आयुध वस्त्र निर्माणी, शाहजहांपुर | 18.90 |
| 38. | आयुध निर्माणी, चंडीगढ़ | 13.68 |
| | जोड़ | 1456.30 |

**दुर्घटनारोधी उपकरण लगाना**

*493. **श्रीमती श्यामा सिंह :**
**श्री कैलाश मेघवाल :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे ने अपने सभी प्रमुख मार्गों पर दुर्घटनारोधी उपकरण लगाने का निर्णय किया है जैसा कि 1 अप्रैल, 2003 को "दि हिन्दू" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समूचे रेलवे में उक्त उपरकण लगाने हेतु कोई योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार)** : (क) और (ख) जी, नहीं। इस वर्ष के निर्माण कार्यक्रम में केवल एक ही खंड, अर्थात उत्तर रेलवे के जालंधर–अमृतसर खंड में, टक्कर रोधी उपरकण (एसीडी) की व्यवस्था करने के कार्य को स्वीकृति दी गई है।

(ग) और (घ) भारतीय रेल पर टक्कर–रोधी उपकरण (एसीडी) की उत्तरोत्तर व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव है। प्रारंभ में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, दक्षिण रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे और उत्तर रेलवे के 3500 मार्ग किलोमीटर पर टक्कर–रोधी उपकरण की व्यवस्था करने का काम शुरू किया गया है। इसके अलावा, भारतीय रेल पर चुनिंदा मार्गों को शामिल करने के लिए और 10,000 मार्ग किलोमीटर के एसीडी सर्वेक्षण के लिए मंजूरी दी गई है।

चूंकि एसीडी का विकास कोंकण रेल निगम लिमिटेड द्वारा अपने देश में ही किया गया है, भारतीय रेल का इन उपरकणों को कोंकण रेल निगम लिमिटेड के माध्यम से खरीदने का प्रस्ताव है।

**गर्मियों में विद्युत आपूर्ति की स्थिति**

***494. श्री वाई. वी. राव** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आगामी गर्मियों में विद्युत की कमी के कारण लोगों के लिए काफी कठिनाई होने वाली है;

(ख) यदि हां, तो गर्मियों के लिए अनुमानित अधिकतम लोड और अनुमानित आपूर्ति की स्थिति क्या होगी; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस अंतर को दूर करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

**विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते)** : (क) कुछ राज्यों को छोड़कर देश में विद्युत उपलब्धता की कुल मिलाकर कमी है। मांगव व पूर्ति के बीच अंतर राज्य–दर–राज्य और क्षेत्र–दर–क्षेत्र भिन्न–भिन्न है।

(ख) अखिल भारत ऊर्जा कमी आगामी गर्मी के दौरान 2.9 प्रतिशत से 8.8 प्रतिशत तक भिन्न–भिन्न रहने की प्रत्याशा है जबकि इसकी तुलना में यह अप्रैल–जुलाई 2002 के दौरान 8 प्रतिशत से 10.7 प्रतिशत थी। अप्रैल–जुलाई 2003 के दौरान अखिल भारत व्यस्ततम भार कमी 10.5 प्रतिशत से 14.7 प्रतिशत तक भिन्न–भिन्न रहने की प्रत्याशा है जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2002 की समान अवधि में यह 14.5 प्रतिशत से 16.2 प्रतिशत तक थी।

(ग) विद्युत समवर्ती सूची का विषय है। राज्य में विद्युत की आपूर्ति व वितरण की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटीलिटी की होती है। केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रमों के जरिए क्षमता अभिवृद्धि के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करती है। वर्तमान में देश कुल उत्पादित विद्युत के का लगभग 30 प्रतिशत केन्द्रीय विद्युत स्टेशनों से प्राप्त होता है।

देश में विद्युत के उत्पादन और उपलब्धता में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

(i) 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 41110 मेवा. क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य बनाया गया है।

(ii) नए चालू यूनिटों का शीघ्र स्थरीकरण और ताप विद्युत यूनिटों के पीएलएफ में समग्र वृद्धि।

(iii) उप–पोषण एवं वितरण प्रणालियों का सशक्तीकरण/विस्तार। त्वरित ताप विद्युत एवं सुधार कार्यक्रम के तहत राज्यों को पारेषण एवं वितरण प्रणालियों के लिए स्कीमें आरंभ करने हेतु निधियां प्रदान की जा रही हैं।

(iv) मांग पक्ष प्रबंधन और ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण उपायों को प्रोत्साहित करना।

(v) पुरानी और अकुशल विद्युत उत्पादक यूनिटों के नवीकरण व आधुनिकीकरण के लिए पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा ब्याज आर्थिक सहायता के साथ ऋण संवितरण।

(vi) अंतरक्षेत्रीय पारेषण पारेषण लिंकों के सशक्तीकरण और अन्ततः नेशनल ग्रिड के सृजन द्वारा अंतर राज्यीय और अंतर क्षेत्रीय विद्युत अंतरण में वृद्धि।

(vii) तीव्र गति से जल विद्युत शाक्यता का दोहन।

(viii) विद्युत परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का मुख्य कारण राज्य यूटीलिटियों की भुगतान क्षमता खराब होना है। ये यूटीलिटियां निजी क्षेत्र की परियोजनाओं और सीपीएसयू से विद्युत के अनंतिम क्रेता है। राज्य विद्युत यूटीलिटियों की पुनर्संरचना व सुधार के लिए कई कदम उठाए गए हैं। 27 राज्य समयबद्ध तरीके में सुधार एवं पुनर्संरचना आरंभ करने के लिए पहले ही समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त, वितरण में सुधार लाने के

लिए विद्युत मंत्रालय ने कुल पारेषण एवं वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्राप्त करने के लिए एक बड़े कदम के रूप में त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम आरंभ किया है। 27 राज्यों ने विद्युत मंत्रालय के साथ करार ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं जो कि एपीडीआरपी निधियां प्राप्त करने के लिए एक पूर्व आवश्यकता है। इन एमओयू/एमओए में राज्य सरकार की वचनबद्धता में राज्य विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना किया जाना, 11 केवी फीडरों की 100 प्रतिशत मीटरिंग, प्रभावी ऊर्जा लेखा परीक्षा, विद्युत चोरी की पहचान व इसे दूर से किया जाना और इसके द्वारा वितरण में वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्राप्त करना शामिल है।

**सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मंडल**

***495. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मंडलों में व्यावसायिकों को शामिल करने हेतु कोई दिशा–निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं और किन–किन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मंडलों में व्यावसायिकों का प्रतिनिधित्व नहीं है;

(ग) सरकारी क्षेत्र के किन–किन उपक्रमों के निदेशक मंडलों का पुनर्गठन किया जा रहा है;

(घ) सरकारी क्षेत्र के किन–किन उपक्रमों के निदेशक मंडलों में रिक्तियां हैं और ऐसे प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में तत्संबंधी संख्या कितनी है; और

(ङ) सरकार का कब तक इन रिक्तियों को भरने का प्रस्ताव है?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) से (ङ) जी, हां। सरकार ने लोक उद्यम विभाग के दिनांक 16.3.1992 के का.ज्ञा. संख्या 18(6)/91–सा.प्र. और लोक उद्यम विभाग के दिनांक 26.11.2001 के का.ज्ञा. संख्या 18(6)/2000–सा.प्र. द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मंडलों में व्यावसायिकों को शामिल करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में गैर–सरकारी (व्यावसायिकों) की संख्या निदेशक मंडल का 1/3 होनी चाहिए और सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में जिनकी अध्यक्षता कार्यकारी अध्यक्ष करते हैं, यह संख्या निदेशक मंडल का आधा होनी चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के 240 उपक्रमों (लोक उद्यम सर्वेक्षण 2001–02 के अनुसार) में से सार्वजनिक क्षेत्र के 89 उपक्रमों का व्यावसायिक निदेशकों को शामिल करके पुनर्गठन किया गया है। सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

व्यावसायिक निदेशकों के लिए पदों की कोई निश्चित संख्या नहीं है, क्योंकि दिशानिर्देशों में से ऐसे व्यावसायिक निदेशकों के न्यूनतम अनुपात का उल्लेख किया गया है और वास्तविक संख्या में समय–समय पर अंतर हो सकता है जोकि सरकारी क्षेत्र के संबंधित उपक्रमों के संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार तथा उस समय संबंधित निदेशक मंडल में निदेशकों की संख्या पर निर्भर करता है। अवधि पूरी होने, त्यागपत्र, आदि जैसे विभिन्न कारणों से रिक्तियां उत्पन्न होती हैं। निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करके रिक्त पदों को भरा जाता है जोकि एक सतत प्रक्रिया है।

**विवरण**

*सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम (मंत्रालय वार), जहां पर व्यावसायिक निदेशक शामिल किए गए हैं*

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

रसायन एवं पैट्रोरसायन विभाग

1. बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि.
2. हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि.

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

3. फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (त्रावणकोर) लि.
4. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.
5. राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.

नागरिक उड्डयन मंत्रालय

6. एयर इंडिया लि.
7. एयरलाइन एलाइड सर्विसिज लि.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

8. भारतीय निर्यात ऋण प्रतिभूति निगम लि.

9. इंडिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन

10. एमएमटीसी लि.

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

11. भारत संचार निगम लि.

12. महानगर टेलीफोन निगम लि.

13. टेलीकम्यूनिकेशन कंसल्टेंट्स (इंडिया) लि.

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

14. भारतीय खाद्य निगम

रक्षा मंत्रालय

रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग

15. भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि.

16. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लि.

17. गोवा शिपयार्ड लि.

18. हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि.

19. मझगांव डॉक लि.

20. मिश्र धातु निगम लि.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य विभाग

21. हास्पिटल सर्विसिज कंसलटेंसी कारपो. (इंडिया) लि.

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

22. एण्ड्रयु यूले एण्ड कंपनी लि.

23. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि.

24. भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लि.

25. भारत पम्प्स एण्ड कंप्रेशर्स लि.

26. भारत लेदर कारपोरेशन लि.

27. भार वेगन एण्ड इंजी. कं. लि.

28. भारत यंत्र निगम लि.

29. ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लि.

30. ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लि.

31. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.

32. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि.

33. हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि.

34. हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि.

35. हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्यु. कारपो. लि.

36. हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.

37. नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि.

38. नेपा लि.

39. रिचर्डसन एण्ड क्रूडस (1972) लि.

40. त्रिवेदी स्ट्रक्चरल्स लि.

41. तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि.

42. टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग

43. एजूकेशन कंसल्टेंट्स (इंडिया) लि.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

44. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.

खान मंत्रालय

45. हिन्दुस्तान कॉपर लि.

46. खनिज गवेषण निगम लि.

47. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि.

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय

48. भारतीय पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लि.

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

49. भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.

50. चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.

51. गेल (इंडिया) लि.

52. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.

53. आईबीपी कंपनी लि.

54. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि.

55. तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि.

विद्युत मंत्रालय

56. नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि.

57. नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि.

रेल मंत्रालय

58. कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.

59. इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन लि.

60. इरकॉन (इंटरनेशनल) लि.

61. राइट्स लि.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

62. भारत इम्युनोलॉजिकल एण्ड बायोलॉजिकल कारपोरेशन लि.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग

63. सेन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लि.

64. भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम

नौवहन मंत्रालय

65. कोचीन शिपयार्ड लि.

66. ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.

67. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.

68. भारतीय नौवहन निगम लि.

लघु उद्योग मंत्रालय

69. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.

इस्पात मंत्रालय

70. भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि.

71. कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लि.

72. एमएसटीसी लि.

73. मैंगनीज ओर (इंडिया) लि.

74. मेकॉन लि.

75. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि.

76. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.

वस्त्र मंत्रालय

77. भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लि.

78. कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.

79. भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि.

80. राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि.

81. नेशनल जूट कारपोरेशन लि.

शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय

शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग

82. आवास एवं शहर विकास निगम लि.

शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय

शहरी विकास विभाग

83. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि.

जल संसाधन मंत्रालय

84. वाटर एण्ड पावर कंसलटेंसी सर्विसिज (इंडिया) लि.

परमाणु ऊर्जा विभाग

85. इलेक्ट्रोनिक्स कारपोशन ऑफ इंडिया लि.

86. इंडियन अर्थस लि.

87. यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.

उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास विभाग

88. उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि.

अंतरिक्ष विभाग

89. अंतरिक्ष कारपोरेशन लि.

**जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर में तेल प्रतिष्ठानों पर आतंकवादी हमले**

*496. **श्री जे. एस. बराड़** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवादियों ने मार्च, 2003 में जम्मू में तेल प्रतिष्ठानों पर हमला किया जिसके फलस्वरूप कई लोग मारे गये और घायल हुए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष, 2002–03 के दौरान जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर में तेल प्रतिष्ठानों पर आतंकवादी हमलों की घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) संवेदनशील क्षेत्रों में तेल प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) और (ख) 26 मार्च, 2003 को प्रातः 7.45 बजे के लगभग हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के डिपो के आपात द्वार के सामने इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी एल) के जम्मू डिपो के बाहर एक अन्य टैंक ट्रक के साथ खड़े किये गये एक ठेकेदार के टैंक ट्रक सं. जेके.–02–क्यू 327 में लगाये गये एक बम के विस्फोट की घटना घटी थी। एक क्लीनर की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई और टैंक ट्रक के ड्राइवर और इसके चालक दल सहित 4–5 व्यक्तियों को इस घटना में चोटें आईं। पास में खड़े किये गये एक और ट्रक को भी आग लगने के कारण बहुत नुकसान हुआ।

(ग) जम्मू–कश्मीर में तेल प्रतिष्ठान पर आतंकवादी घटना की अन्य कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। जहां तक उत्तर–पूर्व का संबंध है, ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

**विवरण-I**

*वर्ष 2002–03 के दौरान उत्तर–पूर्व में तेल प्रतिष्ठानों पर आतंकवादी हमले की घटनाओं का ब्यौरा*

| क्र.सं. | तेल सा. क्षे. उ. का नाम | घटना का संक्षिप्त ब्यौरा | क्षति (अनुमानित) |
|---|---|---|---|
| 1. | इंडियन आयल कारपोरेशन लि. | 1. डिग्बोई–तिनसुखिया पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन 21 जनवरी, 2003 को लगभग प्रातः 2 बजे डिग्बोई कस्बे से लगभग 17 कि. मी. की दूरी पर एक विस्फोट से उड़ा दी गई थी। पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त भाग की 44 घंटे में मरम्मत कर दी गई थी और प्रचालन सामान्य हो गया था। | 22.42 लाख रुपये |
| | | 2. 7 मार्च, 2003 को लगभग प्रातः 11.45 बजे डिग्बोई रिफाइनरी टैंक फार्म में एक पेट्रोल टैंक में आग लग गई। यह आग 10 मार्च, 2003 को दोपहर 12.15 बजे पूरी तरह बुझा दी गई। | 14.17 करोड़ रुपये |
| 2. | आयल इंडिया लिमिटेड | 8 मार्च, 2003 को डिब्रूगढ़ जिले में कथालगुड़ी तेल संग्रह केंद्र की चारदीवारी के बाहर कथालगुड़ी के तेल और गैर संग्रह केंद्रों के बीच प्रातः 1.20 बजे विस्फोट की एक घटना घटी तथा 8 इंची गैस पाइपलाइन और एक दूसरी 10 इंची पाइपलाइन में भारी आग लग गई। | 25 लाख रुपये |

**विवरण-II**

*संवेदनशील क्षेत्रों में तेल प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किये गये उपायों का ब्यौरा*

तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओ आई एस डी) के दिशानिर्देशों के अनुरूप सुरक्षा उपायों के अतिरिक्त निम्नलिखित संरक्षा और सुरक्षा उपाय संवेदनशील क्षेत्रों में रिफाइनरियों, तेल प्रतिष्ठानों और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिये अपनाये जाते हैं :

- कड़े पहुंच नियंत्रण लागू किये जाते हैं।
- एच एच एम डी जैसी मशीनों, विस्फोटक डिटेक्टरों

का प्रयोग कार्मिकों और वाहनों की जांच करने के लिये किया जाता है।

- औचक रूप से विस्फोटों की जांच करने के लिये सूंघकर पता लगाने वाले कुत्तों की सेवाएं ली जाती हैं।
- सभी स्थानों पर 0.6 मीटर की कांटेदार तार की बाड़ सहित 3 मीटर ऊंची चारदीवारी का प्रावधान।
- चारदीवारी के बाहर सी.आर.पी.एफ., सी.आई.एस.एफ., होमगार्डों, राज्य पुलिस और सेना द्वारा चौबीसों घंटे गस्त।
- असम क्षेत्र और पश्चिम बंगाल और बिहार में हेलीकाप्टर से गस्त।
- विमानन ईंधन केंद्रों पर हवाई अड्डा प्राधिकरण, पुलिस, भारतीय वायु सेना प्राधिकारियों के साथ नियमित बैठकें।
- राज्य पुलिस और जिला प्राधिकारियों के खुफिया (मुख्य) दल के साथ निकट संपर्क।
- घरेलू खुफिया प्रकोष्ठ और स्थानीय सेना/पुलिस प्राधिकारियों के बीच नियमित आधार पर खुफिया जानकारी का आदान प्रदान।
- आसूचना ब्यूरो के दल के माध्यम से संरक्षा और सुरक्षा उपायों की आवधिक निगरानी।

*[हिन्दी]*

**दूरदर्शन पर विज्ञापन हेतु नीति**

***497. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :**
**श्री प्रह्लाद सिंह पटेल :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय द्वारा शराब के वाणिज्यिक विज्ञापन और कामुक अश्लील विज्ञापन न दिखाने संबंधी दिए गए निर्देश के बावजूद सैटेलाइट टीवी चैनल उन्हें दिखा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सैटेलाइट टीवी चैनलों ने फरवरी, 2003 में मंत्रालय द्वारा जारी नोटिसों की ओर या तो कम ध्यान दिया है या बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया;

(ग) यदि हां, तो सरकारी आदेशों का पालन न करने वाले सैटेलाइट टीवी चैनलों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या सार्वजनिक प्रसारण से पहले वाणिज्यिक विज्ञापनों के संबंध में नीति बनाने या प्रसारण से पहले सेंसरशिप की मांग की जा रही है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मांग पर अब तक विचार किया है;

(च) क्या विज्ञापन मानक परिषद के प्रतिनिधियों से विज्ञापन के मामले में स्वनियमन उपायों का पालन करने के संबंध में कोई बातचीत हुई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा टेलीविजन पर इस तरह के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अन्य कौन से कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)** : (क) से (ग) केबल नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित या पुनः प्रसारित सभी उपग्रह चैनलों पर विज्ञापनों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित विज्ञापन संहिता के उपबंधों का पालन करना होता है। विज्ञापन संहिता में, अन्य बातों के साथ-साथ, इस बात का भी प्रावधान है कि किसी भी ऐसे विज्ञापन को प्रसारित नहीं किया जाएगा जो तम्बाकू, शराब, अल्कोहल, मदिरा और किसी अन्य नशीले पदार्थ के उत्पादन, बिक्री व उपभोग को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देता हो अथवा जो अश्लीलता को महिमामंडित करता हो, नैतिकता/शालीनता के प्रतिकूल हो, महिलाओं की अपमानजनक छवि को प्रक्षेपित करता हो अथवा जिसमें अश्लीलता/अभद्रता की विषय वस्तु हो।

विज्ञापन संहिता के उल्लंघनों की जांच करने के लिए सरकार ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 20 के अंतर्गत एक समिति का गठन किया है, जिसमें सूचना एवं प्रसारण, विधि, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालयों के अधिकारी तथा भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का एक प्रतिनिधि शामिल है।

टेलीविजन चैनलों को विज्ञापन संहिता का उल्लंघन करते

पाए गए मदिरा उत्पादों के 11 (ग्यारह) विज्ञापनों को प्रसारित न करने के निर्देश देने से संबंधित आदेश जारी कर दिए गए हैं। वर्ष 2003 में, संहिता का उल्लंघन करके विज्ञापनों का प्रसारण करने के लिए विभिन्न टेलीविजन चैनलों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) टी वी कार्यक्रमों की पूर्व–सेंसरशिप पर अंतर्निहित व्यावहारिक सीमाएं हैं लेकिन कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं का उल्लंघन केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम के अंतर्गत कारावास/जुर्माना के साथ एक दंडनीय अपराध है।

(च) और (छ) भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का प्रतिनिधि विज्ञापन संहिता के उल्लंघनों की जांच करने के लिए केबल अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत गठित समिति का एक सदस्य है। टीवी चैनलों पर विज्ञापन प्रसारण के बारे में चिंताओं को लेकर भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के साथ हाल ही में एक बैठक का भी आयोजन किया गया।

(ज) संहिता के उल्लंघन संबंधी शिकायतों/सुझावों की समय–समय पर जांच की जाती है। यह एक सतत एवं अनवरत प्रक्रिया है।

*[अनुवाद]*

**हथियार अर्जित हेतु प्रक्रिया**

*498. **डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला :**
**श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथियार अर्जित करने की प्रणाली में 20 वर्षों की देरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं और 20 वर्ष बीत जाने के पश्चात हथियार अर्जित करने की प्रणाली की क्या उपयोगिता है;

(ग) क्या हथियारों के अर्जन में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया में अनेक खामियां हैं;

(घ) यदि हां, तो काफी लम्बे समय से इस प्रक्रिया को नहीं बदलने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या अर्जन बोर्ड में रक्षा अधिकारियों को रखने से कोई लाभ हुआ है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार ने शस्त्रों व उपकरणों की कमी को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) :** (क) और (ख) शस्त्र प्रणालियों का अधिग्रहण आयात और स्वदेशी विकास, दोनों ही माध्यमों से किया जाता है। कभी–कभी अधिग्रहण के दोनों तरीकों में विलंब हो जाता है। आयात में विलंब प्रौद्योगिकियों की लघु सूची बनाने, वांछित विक्रेताओं के माध्यम से उपलब्धता, उत्पाद सहायता के संबंध में अन्य सरकारों से आश्वासन प्राप्त करने, परीक्षण मूल्यांकन करने तथा उचित मूल्य प्राप्त करने के प्रयास के कारण होता है। स्वदेशी विकास में व्यवधान मुख्यतः देश में अपर्याप्त प्रौद्योगिकीय आधार के कारण आता है। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस प्रणाली के सेवा में शामिल किए जाने पर यह वर्तमान आवश्यकताएं पूरी करे।

(ग) और (घ) रक्षा अधिप्राप्ति समय–समय पर तैयार की गई विभिन्न प्रणालियों और प्रक्रियाओं के तहत की जा रही है। पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर इनमें सुधार किया गया है। रक्षा मंत्रालय में अपनाई जा रही रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया 1992 को दिसंबर 2002 में संशोधित किया गया है।

(ङ) और (च) अक्तूबर 2001 में एक रक्षा अधिप्राप्ति बोर्ड का गठन किया गया है। यह एक संस्थागत व्यवस्था है, जो रक्षा मंत्रालय के भीतर ही कार्य करती है तथा इसमें अन्य के साथ–साथ, तीनों सेनाओं तथा वित्त के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह बोर्ड पूंजीगत लेखे में अधिग्रहण से संबंधित समस्त कार्य–कलापों को देखता है। इस संस्थागत परिवर्तन के साथ वर्ष 2001–02 के दौरान 12,488 करोड़ रुपये मूल्य की 174 संविदाओं को अंतिम रूप दिया गया है, जबकि वर्ष 2002–03 के दौरान 34,198 करोड़ रुपये मूल्य की 183 संविदाओं को अंतिम रूप दिया गया है।

(छ) सेनाओं की दीर्घकालीन जरूरतों को निर्धारित करने के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं स्थापित की गई हैं, सार्वजनिक

क्षेत्र का आधुनिकीकरण किया जा रहा है तथा निजी क्षेत्र के निवेश के लिए रक्षा उपस्कर उत्पादन खोल दिया गया है। अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं में संशोधन किया गया है ताकि तकनीकी मानदंडों में किसी प्रकार का समझौता किए बिना शीघ्र आयात को सुकर बनाया जा सके।

**विद्युत उत्पादन में निवेश**

*499. **श्री वी. वेत्रिसेलवन** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी और निजी क्षेत्रों द्वारा विद्युत उत्पादन में किए गए निवेश की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस क्षेत्र में निवेश की दशाओं में सुधार हेतु पर्याप्त कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते)** : (क) से (ग) प्रथम योजना से नौवीं योजना तक विद्युत क्षेत्र (विद्युत उत्पादन समेत) में कुल सार्वजनिक क्षेत्र निवेश 2,85,576.33 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है। विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र द्वारा किए गए वास्तविक निवेश के आंकड़े नहीं रखे गए हैं। तथापि, निजी क्षेत्र की चालू की गयी/ निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं में और जिन्हें तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, उन परियोजनाओं में लगभग 238.49 मिलियन डीएम + 4950.52 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 13,515.16 करोड़ रुपये कुल निवेश की परिकल्पना की गयी है। 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार देश में अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता 1,07,972.80 मेगावाट है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की 96,104.98 मेगावाट और निजी क्षेत्र में शेष 11867.82 मेगावाट क्षमता शामिल है। 23011.92 मेगावाट की क्षमता क्रियान्वयनाधीन है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की 19,477.92 मेगावाट क्षमता और निजी क्षेत्र की 2534 मेगावाट क्षमता शामिल है।

सरकार विद्युत उत्पादन परियोजनाओं में निवेश को बढ़ाने और सुविधाजनक बनाने के लिए समय–समय पर समीक्षा करती रही है और आवश्यक कदम उठाती रही है। 10वीं योजना में केंद्रीय क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र निवेश के लिए योजना परिव्यय लगभग तीन गुना बढ़ा है। नया विद्युत विधेयक निजी क्षेत्र निवेश के लिए और अधिक उदार कार्य ढांचा तैयार करता है।

*[हिन्दी]*

**डाभोल विद्युत परियोजना में वित्तीय निवेश**

*500. **श्री रामजीलाल सुमन** :
**श्री नवल किशोर राय** :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाभोल विद्युत परियोजना में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की पूंजी का निवेश किया गया है;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार इस परियोजना में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश की गई पूंजी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने इस पूंजी निवेश को सुरक्षा के लिए गारंटी दी है; और

(घ) यदि हां, तो उस पूंजी निवेश की प्रमात्रा क्या है जिसके लिए सरकार ने गारंटी दी है?

**विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते)** : (क) कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों ने डाभोल पावर कंपनी (डीपीसी) को ऋण प्रदान किया है।

(ख) जनवरी, 2003 तक डीपीसी को वित्तीय संस्थानों के ऋण के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) भारत सरकार ने डाभोल पावर परियोजना के चरण–1 (740 मेगावाट) के बारे में महाराष्ट्र सरकार की गारंटी के तहत महाराष्ट्र सरकार (जीओएम) की भुगतान देयता के लिए डीपीसी को काउंटर गारंटी दी है। काउंटर गारंटी में कुछ ऊर्जा तथा क्षमता भुगतान और कुछ समापन शामिल है तथा यह काउंटर गारंटी क्रय करार के अंतर्गत महाराष्ट्र रा. वि. बोर्ड द्वारा डीपीसी को भुगतान न किए जाने की दशा में तथा प्राथमिक गारंटीदाता के रूप में महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह भुगतान न करने की स्थिति में प्रभावी हो जाएगी।

(घ) काउंटर गारंटी के अंतर्गत भारत सरकार की देयताएं 1500 करोड़ रुपये प्रति वर्ष तक के भुगतान तक (कुछ ऊर्जा तथा क्षमता प्रभारों समेत) सीमित है, राशि में वृद्धि काउंटर गारंटी करार में विनिर्दिष्ट कतिपय पैरामीटरों पर आधारित है। विद्युत क्रय करार के समापन की दशा में काउंटर गारंटी 300 मिलियन अमरीकी डॉलर तक बकाया विदेशी ऋण पुनर्अदायगी को भी कवर करती है।

**विवरण**

**डाभोल पावर कंपनी**

**1 जनवरी, 2003 की स्थितिनुसार बकाया मूल का सारांश**

(1 अमरीकी डालर = 49.50)

| ऋणदाता | मिलियन यू.एस. डालर | | |
|---|---|---|---|
| **I ओपीआईसी** | | | |
| चरण–I | 78.00 | 386.10 | परियोजना में जोखिम शामिल, किंतु पीपीए की समाप्ति पर भारत सरकार द्वारा भुगतान करने का आश्वासन |
| चरण–II | 60.00 | 297.00 | परियोजना जोखिम |
| उप जोड़ (ओपीआईसी ऋण) | 138.00 | 683.10 | |
| **II ऑफ शेयर बैंक** | | | |
| 1 चरण–I ऋण$ | 90.00 | 445.50 | परियोजना में जोखिम शामिल, किंतु पीपीए की समाप्ति पर भारत सरकार द्वारा भुगतान करने का आश्वासन |
| 2. चरण–I में रुपये में बैंक ऋण | 2.75 | 13.59 | |
| 3. चरण–IIदऋण | 220.13 | 1089.65 | परियोजना जोखिम |
| उप जोड़ (परियोजना जोखिम सहित ऑफ शेयर बैंक) | 312.88 | 1548.74 | |
| ओपीआईसी प्लस शॉर बैंक (परियोजना जोखिम सहित) | 450.88 | 2231.84 | |
| **III यूएस एक्जिम (चरण-I)** | 164.00 | 811.80 | आईएफआई द्वारा प्रत्याभूत |
| **IV जेबीआईसी/एमआईटीआई बैंक (चरण-II)** | | | |
| जेबीआईसी/एमआईटीआई (बैंक को छोड़कर) | 210.68 | 1042.87 | भारतीय वित्तीय संस्थान से प्रत्याभूत (आईएफआई) |
| एमआईटीआई सिंडीकेट में विदेशी बैंक | 113.60 | 62.33 | आईएफआई द्वारा प्रत्याभूत |
| उप जोड़ (जेबीआईसी/एमआईटीआई बैंक) चरण–II | 324.28 | 1605.19 | आईएफआई द्वारा प्रत्याभूत |
| **V ओएनडी सिंडीकेट में विदेशी बैंक (चरण-2)** | 52.89 | 261.81 | आईएफआई द्वारा प्रत्याभूत |
| **VI भारतीय वित्तीय संस्थान** | | | |
| A निधि आधारित | | | |
| 1 चरण–1 ऋण रुपये | | 191.77 | |

| | ऋणदाता | मिलियन यू.एस. डालर | |
|---|---|---|---|
| 2 | चरण–2 ऋण रुपये | | 1171.78 |
| 3 | मांग ऋण–चरण–1 | | 242.54 |
| 4 | मांग ऋण–चरण–2 | | 331.66 |
| 5 | चरण–2 का डॉलर मूल्य वर्ग ऋण | 190.31 | 942.03 |
| 6 | ओएनडी सिंडीकेट में एसबीआई का गारंटी ऋण (आईएफआई द्वारा प्रत्याभूत) | 107.47 | 51.83 |
| | कुल | | 2931.61 |
| B | गारंटी एक्सपोजर | | |
| | VI ए 6 से ऊपर ओएनडी सिंडीकेट में एसबीआई ऋण के संबंध में गारंटी समेत | | |
| | आईडीबीआई | 240.69 | 1191.42 |
| | आईसीआईसीआई | 143.26 | 709.16 |
| | आईएफसीआई | 50.39 | 249.41 |
| | एसबीआई | 107.85 | 533.88 |
| | केनरा बैंक | 9.45 | 46.78 |
| | उप जोड़ | 551.64 | 2730.62 |
| | आईएफआई का कुल एक्सपोज़र (ई+एफ) | | 5610.41 |
| | | | 7942.25 |

संकेताक्षर :

ओपीआईसी : ओवरसीज़ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन

आईडीबीआई : इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया

आईएफसीआई : इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया

जेबीआईसी : जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोओपरेशन

आईसीआईसीआई : इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया

एसबीआई : स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।

*[अनुवाद]*

**रेल परियोजनाओं के संबंध में श्वेत पत्र**

*501. **श्री अशोक ना. मोहोल :**
**श्री रामशेठ ठाकुर :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने चालू रेल परियोजनाओं की स्थिति के संबंध में श्वेत पत्र प्रकाशित किया था;

(ख) यदि हां, तो श्वेत पत्र के प्रकाशन के बाद जोनवार कितनी चालू रेल परियोजनाएं अभी तक अधूरी हैं;

(ग) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और उन पर अभी तक कितना व्यय हुआ है;

(घ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ङ) इनमें से कितनी परियोजनाएं छोड़ दी गई हैं और उसके क्या कारण हैं;

(च) क्या रेलवे का चालू परियोजनाओं की स्थिति के संबंध में एक अन्य श्वेत पत्र प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार)** : (क) जी, हां।

(ख) संसद के दोनों सदनों में 28.7.1998 को रेल परियोजनाओं के संबंध में प्रस्तुत किए गए श्वेत पत्र में 214 चल रही परियोजनाओं के संबंध में स्थिति पत्र का विवरण दिया गया था। इनमें से मार्च, 2003 तक विभिन्न वर्षों में 69 परियोजनाओं को पहले ही पूरा कर लिया गया है। बहरहाल, इसके बाद के वर्षों में कई नई परियोजनाएं शामिल की गई हैं और 1.4.2003 की स्थिति के अनुसार ऐसी 233 परियोजनाएं हैं जो चल रही हैं या जिन्हें अभी शुरू किया जाना है और उनका रेलवे वार विवरण निम्नलिखित है :

| क्र.सं. | रेलवे | परियोजनाओं की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | मध्य | 10 |
| 2 | पूर्व | 22 |
| 3 | पूर्व मध्य | 23 |
| 4 | पूर्व तटीय | 16 |
| 5 | उत्तर | 19 |
| 6 | उत्तर–मध्य | 12 |
| 7 | पूर्वोत्तर | 6 |
| 8 | पूर्वोत्तर सीमा | 13 |
| 9 | उत्तर पश्चिम | 10 |
| 10 | दक्षिण | 22 |
| 11 | दक्षिण मध्य | 20 |
| 12 | दक्षिण पूर्व | 8 |
| 13 | दक्षिण–पूर्व मध्य | 6 |
| 14 | दक्षिण–पश्चिम | 14 |
| 15 | पश्चिम | 10 |
| 16 | पश्चिम मध्य | 01 |
| 17 | रेल विद्युतीकरण | 13 |
| 18 | महानगर परिवहन परियोजना (म.प.प.), मुंबई | 4 |
| 19 | महानगर परिवहन परियोजना (म.प.प.), चेन्नै | 2 |
| 20 | मैट्रो रेलवे, कोलकाता | 2 |

(ग) ये परियोजनाएं प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार चल रही और पूरी हो गई परियोजनाओं, जिन्हें पिंक बुक में दर्शाया गया है, पर किया गया अनुमानित खर्च लगभग 22,125 करोड़ रुपये है।

(घ) इन परियोजनाओं का पूरा होना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ङ) कोई परियोजना छोड़ी नहीं गई है।

(च) और (छ) इस समय, परियोजनाओं की स्थिति पर फिर से श्वेत पत्र प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*[हिन्दी]*

**डीलर की नियुक्ति**

**4813. डा. बलिराम** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की विभिन्न तेल कंपनियों ने डीलरों की नियुक्ति की प्रक्रिया को "खुली" बना दिया है जिसके परिणामस्वरूप कुछ पेट्रोल पंपों की स्थापना की गई है और कुछ पंपों की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या तेल कंपनियों ने फरवरी/मार्च, 2003 के दौरान उक्त नीति पर रोक लगा दी थी जिसके परिणामस्वरूप आवेदकों और कंपनी द्वारा किया गया भारी निवेश रुक गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त नीति के कार्यान्वयन और उसे रोकने के संबंध में उनके मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे मामलों में जहां डीलरों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आवेदकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)** : (क) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों में से दो कंपनियों ने अपने द्वारा प्रारूपित नीति के अनुसार खुदरा बिक्री केंद्र डीलरों के चयन के लिए कुछ साक्षात्कार लिए हैं। इन मामलों में आगे की कार्यवाही इस विषय में संबंधित नीति/दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात की जाएगी।

*[अनुवाद]*

**आरपीओ डीलरों का कमीशन**

**4814. श्री अधीर चौधरी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मूल्य वृद्धि को कार्यान्वित करने के लिए आर पी ओ डीलरों का कमीशन बढ़ाने के फार्मूले को पहले ही स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां प्रत्येक वार मूल्य वृद्धि के मामले में इस फार्मूले को अपना रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के मनमाने व्यवहार से राहत दिलाने के लिए अपीलीय प्राधिकरण कौन सा है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)** : (क) से (ग) 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था (एपीएम) की समाप्ति के साथ अब सरकार पेट्रोल तथा डीजल पर डीलर कमीशन को नियत नहीं कर रही है और अब यह संबंधित तेल कंपनियों द्वारा नियत किया जा रहा है।

तेल कंपनियों ने डीलरों के कमीशन में पिछला संशोधन 1 नवम्बर, 2002 को किया था। संशोधन के अनुसार पेट्रोल पर डीलर कमीशन को 613 रुपये प्रति किलो लीटर से बढ़ाकर 639 रुपये प्रति किलो लीटर तथा डीजल पर कमीशन 365 रुपये प्रति किलो लीटर से बढ़ाकर 385 रुपये प्रति किलो लीटर कर दिया गया था।

**अपमिश्रण रोधी प्रकोष्ठ द्वारा पेट्रोल पंपों का निरीक्षण**

**4815. डा. चरणदास महंत :**
**श्री भास्करराव पाटील :**
**श्री नरेश पुगलिया :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोल पंपों में अपमिश्रण की शिकायतों पर रोक लगाने हेतु अपमिश्रण–रोधी प्रकोष्ठ गठित/सृजित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं तथा इस प्रकोष्ठ को क्या शक्तियां सौंपी गई हैं;

(ग) एमएम और एचएसडी आदेश, 1998 के अलावा अन्य विभिन्न आदेशों के अंतर्गत अपमिश्रण रोधी प्रकोष्ठ द्वारा कितने निरीक्षण किए गए हैं और कितने मामलों में अपमिश्रण के लिए पेट्रोल पंपों द्वारा अनधिकृत रूप से सौल्वेंट, नाफ्था का अंतरण किया है और मिट्टी के तेल का इस्तेमाल किया है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी भी है कि एएसी द्वारा केवल पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया जा रहा है और नाफ्था नियंत्रण आदेश, रसोई गैस नियंत्रण आदेश, फर्नेस तेल नियंत्रण आदेश आदि के अंतर्गत व्यापार प्रतिष्ठानों का निरीक्षण/छापा नहीं मारा गया है;

(ङ) यदि हां, तो इस प्रकोष्ठ द्वारा केवल पेट्रोल पंपों का, विशेषकर रात में निरीक्षण करने की क्या मंशा है;

(च) सरकार के ध्यान में आए एएसी द्वारा नियमों के उल्लंघन के मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) पेट्रोल डीलरों को अनावश्यक रूप से परेशान करने पर रोक लगाने और सीआरपीसी के उपबंधों का सम्मान करने हेतु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)** : (क) जी, हां।

(ख) मिलावट रोधी प्रकोष्ठ (एएसी) को निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित नियंत्रण आदेशों के तहत शक्ति प्रदत्त किया गया है। इस प्रकोष्ठ के अधिकारियों को तलाशी और जब्ती के अधिकार भी दिए गए हैं।

(i) नाफ्था (अर्जन, बिक्री, भंडारण और आटोमोबाइल में प्रयोग का निवारण) आदेश, 2000

(ii) विलायक, राफीनेट और स्लाप (अर्जन, बिक्री, भंडारण और आटोमोबाइल में प्रयोग का निषेध) आदेश, 2000

(iii) पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भंडारण और आपूर्ति का रख–रखाव) आदेश, 1999

(iv) मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति और वितरण का विनियमन और कदाचारों का निवारण) आदेश, 1998

(v) मिट्टी तेल (उपयोग पर प्रतिबंध और अधिकतम मूल्य निर्धारण) आदेश, 2000

(vi) तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000

(vii) स्नेहक तेल और ग्रीस (संक्रिया, आपूर्ति और वितरण विनियमन) संशोधन आदेश, 1997

(ग) एमएस और एचएसडी नियंत्रण आदेश, 1998 के अतिरिक्त विभिन्न नियंत्रण आदेशों के तहत एएसी द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या निम्नानुसार है :

| क्र.सं. | नियंत्रण आदेश | निरीक्षणों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | नाफ्था और विलायक | 78 |
| 2. | तरलीकृत पेट्रोलियम गैस | 6 |
| 3. | मिट्टी तेल | 13 |
| 4. | स्नेहक | 3 |

(घ) और (ङ) एएसी नाफ्था नियंत्रण आदेश, एलपीजी नियंत्रण आदेश और विलायक नियंत्रण आदेश के तहत पेट्रोल पंपों और व्यवसाय परिसरों के निरीक्षण कर रही है। एएसी प्रायः रात्रि के समय निरीक्षण करती हैं क्योंकि अधिकांश मिलावट क्रियाकलाप रात्रि के दौरान घटित होते हैं और उस समय दोषियों को रंगे हाथ पकड़ना संभव होता है। इसके अलावा दिन के समय के दौरान खुदरा बिक्री केंद्रों के निरीक्षणों से जन साधारण को और असुविधा हो सकती है।

(च) ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

**तमिलनाडु और कर्नाटक में रसोई गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिप**

**4816. श्री सी. श्रीनिवासन :**
**श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ संसद सदस्यों की ओर से तमिलनाडु और कर्नाटक के विभिन्न जिलों में रसोई गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिप की स्थापना के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)** : (क) से (ग) संसद सदस्यों से विभिन्न स्थानों पर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना के लिए समय–समय पर प्राप्त अभ्यावेदन इन स्थानों के व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को भेजे जाते हैं। प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (एपीएम) की समाप्ति के परिणामस्वरूप तेल विपणन कंपनियां राज्यों में अपनी वाणिज्यिक परिस्थितियों के अनुसार स्थान चुनने और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

**जलविद्युत परियोजनाएं पूरी न होना**

**4817. श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें 10–15 वर्ष पूर्व स्वीकृत किया गया था और जिन्हें अभी

तक पूरा नहीं किया गया है तथा जिनसे राष्ट्रीय राजकोष का अपक्षय हो रहा है; और

(ख) इसके क्या कारण हैं और इन सभी वर्षों के दौरान ऐसी परियोजनाओं की बढ़ी हुई लागत का ब्यौरा क्या है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता)** : (क) और (ख) 10–15 वर्ष पहले स्वीकृत किंतु अब तक अपूर्ण जल विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे विलंब के कारण और उनकी अद्यतन अनुमानित लागत के उल्लेख सहित संलग्न विवरण में हैं।

**विवरण**

*विलम्बित एवं निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं*

| परियोजना का नाम | राज्य | क्षमता मेगावाट | प्रारंभ होने की तिथि वास्तविक/ अद्यतन | अनुमानित लागत/ अद्यतन (मूल्य स्तर) (करोड़ रु.) | विलंब के कारण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| धौलीगंगा (एनएचपीसी) | उत्तरांचल | 280.00 | 1998–99/ 2004–05 | 601.98 (12/89)/ 1578.31 (8/99) | वित्तीय प्रबंध करार, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास की समस्या के समाधान में विलंब। |
| दुलहस्ती (एनएचपीसी) | जम्मू और कश्मीर | 390.00 | जुलाई, 1994/ दिसम्बर, 2003 | 1262.97 (10/88)/ 3559.77 (11/96) | कानून और व्यवस्था की समस्या, फ्रेंच कंसोर्टियम की निकासी, हेड रेस टनेल (अपस्ट्रीम) और रॉक बस्ट में एनकाउंटर किए गए स्थान की स्थिति ठीक न होने के कारण टनेल बोरिंग मशीन में आग लगी। |
| नाथपा झाकरी | हिमाचल प्रदेश | 1500.00 | दिसंबर, 01 से मार्च, 02/ मार्च, 03 से दिसंबर, 03 | 1578.02 (12/88)/ 7666.31 (6/98) | भूस्खलन और रॉक को स्थिर करने की जरूरत, जुलाई/अगस्त, 2000 में फ्लैस फ्लड्स, मई, 2000 में डिसिल्टिंग चैम्बर नं. 3 और 4 में रॉक फाल और सितंबर–अक्टूबर, 2002 में डिसिल्टिंग चैम्बर नं. 4 में शाट क्रेट/रॉक फाल्स। सुरक्षा के अतिरिक्त उपाय किए जाने थे। |
| सरदार सरोवर | गुजरात/मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र | 1450.00 | 1994–96/ 2003–07 | 1551.86 (86–87)/ 3267.25 (96–97) | पुनर्वास की समस्याएं, उपद्रव, न्यायालयीन मामले और विश्व बैंक द्वारा वित्तीय प्रबंध से पीछे हटना। |
| बनसागर टॉस पीएच–iv | मध्य प्रदेश | 20.00 | 1996–97/ 2005–06 | 51.06(9/90)/ 84.97 (2000) | वित्तीय अड़चनें, कार्यकारी एजेंसी के निर्धारण में विलम्ब तथा राहत एवं पुनर्वास की समस्याएं। |
| घाटघर पीएसएस | महाराष्ट्र | 250.00 | 1995–906/ 2004–05 | 486.96(1992)/ 1184.60 (99–00) | भूमि अधिग्रहण और मुख्य कार्यों की सुपुर्दगी आदि में विलंब। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| श्रीसेलम एलबीपीएच | आंध्र प्रदेश | 900.00 | 1993–95/ 2002–03 | 418.00 (85–86)/ 2620.00 (01–02) | 750 मे.वा. क्षमता का संयंत्र चालू, सिविल कार्यों की सुपुर्दगी और धीमी कार्य प्रगति आदि। |
| पायकारा अलटीमेट | तमिलनाडु | 150.00 | 1994–95/ 2003–04 | 70.16(87–88)/ 373.06 (98-99) | सिविल और यांत्रिक कार्यों की सुपुर्दगी में विलंब। |
| कारबी लंगपी (लोअर बोरपानी) | असम | 100.00 | 1985–86/ 2004–05 | 36.37(1979)/ 470.86 | कार्यकारी एजेंसियों का बार–बार बदलते रहने और वित्तीय अड़चनों के कारण विलंब। |

**टेलीविजन पर कार्यक्रमों/मैचों का पुनःप्रसारण**

**4818. श्री सईदुज्जमा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि टेलीविजन पर विशेषकर विश्व कप क्रिकेट शृंखला के विभिन्न कार्यक्रमों के बार–बार प्रसारण से टी.वी. कंपनियों द्वारा सस्ते तरीके अपना कर दर्शक का दोहन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह जानकारी है कि इसके कारण दर्शकों को क्रिकेट, अन्य खेलों और कार्यक्रमों में स्वाभाविक रुचि गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है, विशेषकर जब इन कार्यक्रमों में अत्यधिक विज्ञापन होते हैं जिसके कारण दर्शक धैर्य की परीक्षा लेते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) :** (क) संवैधानिक स्वायत्तशासी निगम प्रसार भारती ने सूचित किया है कि उनके द्वारा सभी दूरदर्शन चैनलों पर कई खेल–कूद आयोजनों–अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों को प्रसारित करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं। दूरदर्शन चैनलों पर खेल–कूद आयोजनों के अनन्य प्रसारणों के लिए दूरदर्शन ने सभी प्रमुख खेल–कूद संघों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि उनके द्वारा क्रिकेट मैच और अन्य खेलकूद आयोजनों की निरंतरता को प्रभावित किए बिना प्राकृतिक व्यवधानों में विज्ञापनों को प्रसारित करने के लिए सावधानी बरती जाती है ताकि मैदान में चल रही क्रिया प्रभावित न हो।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

**सेवा अवधि**

**4819. श्री पी. राजेन्द्रन :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की सेना में अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मचारियों (पीबीओआर) के लिए पेंशन अवधि 33 वर्ष से कम करने की कोई योजना है क्योंकि सिपाही को 17 वर्ष से अधिक सेवा करने की अनुमति नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**जेहादियों की घुसपैठ**

**4820. डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :**
**श्री राम मोहन गाड्डे :**

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 अप्रैल, 2003 के 'द हिंदुस्तान टाइम्स' में "आई एस आई रेडी टू अनलीश जेहादीज ऑन कश्मीर" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या ऐसी कोई गुप्तचर रिपोर्ट है कि जब बर्फ पिघलेगी तो सीमापार से आतंकवादियों की घुसपैठ में भारी तेजी आएगी; और

(घ) रक्षा बलों द्वारा ऐसी घुसपैठ को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त)** : (क) और (ख) जी, हां। विभिन्न समूहों के आतंकवादी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास विभिन्न प्रस्थान ठिकानों पर अवस्थित हैं जो अल्प सूचना पर जम्मू तथा कश्मीर में घुसपैठ के लिए तैयार हैं।

(ग) इस बात का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है कि पाकिस्तान ने सीमापार से आतंकवाद तथा भारत में घुसपैठ को रोकने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति के भारत में सीमा पार से घुसपैठ को स्थाई रूप से समाप्त करने की वचनबद्धताओं के बावजूद, सीमा पार से बड़े पैमाने पर घुसपैठ जारी है। ऐसे संकेत हैं कि जब जम्मू तथा कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फ कम होगी तब पिछले वर्षों की तरह घुसपैठ के स्तर में विशिष्ट वृद्धि हो सकती है।

(घ) जम्मू तथा कश्मीर में घुसपैठ का प्रयास करने वाले आतंकवादी समूहों को रोकने तथा समाप्त करने के लिए पर्याप्त सैन्य उपाय किए गए हैं। सीमा पार से घुसपैठ को रोकने के उपयुक्त सुरक्षा उपायों के अतिरिक्त, भारत में सीमा पार से घुसपैठ को पाकिस्तान के लगातार समर्थन देने के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अवगत कराने के लिए निरंतर उपयुक्त तथा आवश्यक कूटनीतिक कदम उठाए जाते हैं।

*[हिन्दी]*

**अशक्तों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय आयोग**

**4821. श्री विष्णुदेव साय : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अशक्त व्यक्तियों के लिए कौन-कौन सी योजनाएं हैं;

(ख) अशक्त व्यक्तियों की राज्यवार जनसंख्या कितनी है;

(ग) क्या इस वर्ग के लोगों के कल्याण हेतु किसी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना से संबंधित कोई प्रस्ताव है;

(घ) क्या ऐसे व्यक्तियों के कल्याण के लिए नियुक्त किए जाने वाले कल्याण आयुक्त अशक्त वर्ग से होंगे या जिन्हें अशक्तता के दर्द का अनुभव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस वर्ग के कल्याण आयुक्तों की नियुक्ति हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान)** : (क) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय निःशक्तता के प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र में स्थापित छः राष्ट्रीय संस्थाओं/शीर्ष स्तर की संस्थाओं की सहायता कर रहा है जो अन्य बातों के अलावा दीर्घावधि और अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जनशक्ति विकास का कार्य करती हैं, पुनर्वास सेवाएं प्रदान करती हैं, और कार्यात्मक अनुसंधान आदि करती हैं। इस मंत्रालय के तत्वावधान में सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम-भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) निःशक्त व्यक्तियों के लिए गुणवत्तापूर्ण सहायक यंत्रों और उपकरणों का निर्माण करता है और उनकी उपलब्धता, आपूर्ति और वितरण को बढ़ावा देता है। 1997 में स्थापित राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी) निःशक्त व्यक्तियों को स्व-रोजगार और आय सृजनकारी कार्यकलापों के लिए आसान शर्तों पर वित्तीय सहायता देता है। निःशक्त व्यक्तियों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम चलाने वाले गैर-सरकारी संगठनों को सहायता देने के लिए भी योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। सरकार ने निःशक्त व्यक्तियों के लिए व्यापक कवरेज और उनका समग्र पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए भी उपाय किए हैं। व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से जिला केंद्रों की स्थापना करने के लिए 100 से अधिक जिलों की पहचान की गई है। मेरूदंड क्षतिग्रस्त व्यक्तियों और अन्य अस्थि विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए संयुक्त पुनर्वास सेवाएं और क्षेत्रीय पुनर्वास केंद्र उपलब्ध कराने हेतु संयुक्त क्षेत्रीय केंद्रों के गठन के लिए योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। इसके अलावा, व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य/जिला/ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर अवसंरचना के निर्माण के लिए राज्य क्षेत्र में निःशक्त व्यक्तियों के लिए पुनर्वास की राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमपीआरपीडी) योजना अनुमोदित की गई है। वर्ष 2000 में स्थापित ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास निःशक्त व्यक्ति के परिवार में संकट के दौरान आवश्यकता आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए पंजीकृत संगठनों को सहायता देता है और उनके माता-पिताओं अथवा संरक्षकों की मृत्यु हो जाने

की स्थिति में इन निःशक्त व्यक्तियों की देखरेख और सुरक्षा के लिए उपायों को बढ़ावा भी देता है।

(ख) 1991 के एनएसएसओ सर्वेक्षण के अनुसार विकलांग व्यक्तियों की आबादी के संबंध में सूचना संलग्न विवरण है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 57 केंद्र सरकार को निःशक्त व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार प्रदान करती है। इस धारा में यह भी प्रावधान है कि मुख्य आयुक्त को पुनर्वास से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए। इसी तरह राज्यों में निःशक्त व्यक्तियों के लिए आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इन पदों के लिए निःशक्त व्यक्तियों की नियुक्ति पर भी विचार किया जा सकता है बशर्ते कि वे अन्यथा पात्र हों।

**विवरण**

*1991 में एनएसएसओ द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का राज्यवार ब्यौरा*

| क्र.सं. | राज्य का नाम | निःशक्त व्यक्तियों की अनुमानित सं. (लाख में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 15.72 |
| 2. | असम | 2.71 |
| 3. | बिहार | 13.61 |
| 4. | गुजरात | 6.95 |
| 5. | हरियाणा | 3.04 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 1.40 |
| 7. | कर्नाटक | 8.76 |
| 8. | केरल | 5.56 |
| 9. | मध्य प्रदेश | 12.87 |
| 10. | महाराष्ट्र | 18.19 |
| 11. | उड़ीसा | 7.20 |
| 12. | पंजाब | 5.31 |
| 13. | राजस्थान | 7.23 |
| 14. | तमिलनाडु | 12.36 |
| 15. | उत्तर प्रदेश | 25.50 |
| 16. | पश्चिम बंगाल | 11.79 |
| | अखिल भारतीय | 161.54 |

**नोट** 1. आंकडे में (1) दृष्टि (2) श्रवण (3) वाणी और (4) चलन संबंधी विकलांगता शामिल है।

2. शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आंकडे परिणाम प्रस्तुत नहीं किए गए क्योंकि विश्वसनीय अनुमान देने के लिए नमूना आकार को पर्याप्त नहीं समझा गया था। तथापि, अखिल भारतीय स्तर पर प्रस्तुत परिणामों में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं। लगभग 2–3 प्रतिशत बच्चे मानसिक मंदता से ग्रस्त हैं। मानसिक रूप से रुग्णों से संबंधित आंकडे ज्ञात नहीं हैं।

**जबलपुर-रीवा और मांडला में पूर्ण रेक प्वाइंट**

**4822. श्रीमती जयश्री बैनर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जबलपुर, रीवा और मांडला में पूर्ण रेक प्वाइंट और नीवाडी में हाफ रेक प्वाइंट को मंजूरी देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनको कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

**सिपात एनटीपीसी परियोजना**

**4823. श्री पुन्नू लाल मोहले** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छत्तीसगढ़ के सिपात एनटीपीसी परियोजना में शुरू की गई 660 मेगावाट टरबाइन को बदलने हेतु कोई नया ईआईए अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना को अंतिम पर्यावरणिक मंजूरी दे दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी निबंधन एवं शर्तें क्या हैं?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता)** : (क) और (ख) छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी की 2000 मेगावाट की क्षमता वाली सीपात परियोजना के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया गया था। तत्पश्चात पूर्व इकाई का आकार 4x500 मेगावाट से 3X600 मेगावाटा किया गया है जिसकी अधिष्ठापित क्षमता 1980 मेगावाट है जो कि पूर्व निर्धारित 2000 मेगावाट के अंतर्गत है। अतः नये सिरे से ईआईए अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं थी। तथापि, इकाई का आकार 4x500 मेगावाट से 3X660 मेगावाट करने के कारण प्रभाव मूल्यांकन की गणना की गयी तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

(ग) जी, हां।

(घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति में निर्धारित की गयी शर्तें अन्य बातों के साथ–साथ दिपका खानों से कोयले के उपयोग सेंधीपहाड़ के समीप वायु गुण मॉनीटरिंग, अगर आवश्यकता हो तो फ्लू गैस डी सल्फराइजर की रिट्रोफिटिंग के लिए प्रावधान, निर्माण कार्य आदि के लिए राखकुंड क्षेत्र से मिट्टी का न हटाया जाना आदि से संबंधित है।

*[अनुवाद]*

**पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में गिरावट**

**4824. श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रिलायंस पेट्रोलियम और मंगलौर रिफाइनरीज एंड पेट्राकेमिकल्स लिमिटेड को एचपीसीएल और बीपीसीएल के कर्मचारियों द्वारा तीन दिन की हड़ताल के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में किसी गिरावट को दूर करने के लिए उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो रिलायंस और मंगलौर रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड पेट्रोलियम उत्पादों की कमी को दूर करने में किस सीमा तक सफल रही हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)** : (क) से (ग) हड़ताल अवधि के दौरान भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड (आरपीएल) तथा मंगलौर रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) से उत्पाद उद्योग योजना (आईएलपी) जिसे संबंधित माह की शुरूआत में तैयार किया गया था के अनुसार उठाए थे। रतर में किसी गिरावट के बगैर वांछित उत्पाद सामान–सूची का रख–रखाव किया गया था। चूंकि लारियों की भराई में लारी कर्मियों द्वारा व्यवधान डाला गया था; इसलिए उत्पाद की अनापूर्ति के कारण कोलकाता के कुछ खुदरा बिक्री केंद्रों पर आंशिक ड्राई–आउट के सिवाय बाजारगत मांग पूर्णतया पूरी की गई। मुंबई तथा विशाखापट्टनम स्थित एचपीसीएल की रिफाइनरियों का प्रचालन इन तीन दिनों की हड़ताल के दौरान निर्बाध रूप से किया गया। इस अवधि के दौरान उत्पादों की आपूर्तियों में कोई कमी नहीं आई।

*[हिन्दी]*

**लोहरदगा-टोरी नई रेल लाइन परियोजना**

**4825. श्री रामटहल चौधरी :**
**प्रो. दुखा भगत :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोहरदगा और टोरी के बीच नई रेल लाइन के विस्तार कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या उक्त परियोजना का कार्य निर्धारित समयावधि के अनुसार चल रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस परियोजना को समय से पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इस कार्य हेतु वर्ष 2003–04 के चालू बजट में कितना आवंटन किया गया है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) लोहरदगा और टोरी के बीच नई लाइन का विस्तार कार्य रांची–लोहरदगा आमान परिवर्तन योजना का एक भाग है। लोहरदगा–टोरी खंड पर भूमि अधिग्रहण कार्य प्रगति पर है जहां राज्य सरकार को 596 एकड़ भूमि के लिए पूरा मांगपत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। भूमि की लागत के रूप में 4.10 करोड़ रु. की राशि राज्य सरकार को सौंप दी गई है। मिट्टी

संबंधी कार्य के लिए निविदाओं पर कार्यवाही शुरू कर दी गई है और पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

(ख) से (घ) टोरी तक नई लाइन के विस्तार सहित रांची–लोहरदगा आमान परिवर्तन की संपूर्ण परियोजना शीघ्र पूरा करने के लिए राज्य सरकार के साथ लागत में भागीदारी के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। लोहरदगा–टोरी नई लाइन को 2004 तक पूरा करने का लक्ष्य है बशर्ते कि समय पर संसाधन और भूमि उपलब्ध हो। राज्य सरकार द्वारा भूमि सौंपने में विलम्ब हुआ है। बहरहाल, उसमें तेजी लाने शीघ्र करने के लिए राज्य सरकार के साथ मामले पर सक्रिय रूप से कार्रवाई की जा रही है।

(ङ) लोहरदगा–टोरी नई लाइन कार्य के लिए कोई पृथक बजटीय प्रावधान नहीं है। वर्ष 2003–04 के दौरान संपूर्ण परियोजना के लिए प्रस्तावित बजट परिव्यय 17.34 करोड़ रु. है इसके अलावा, 34 करोड़ रु. की भागीदारी झारखंड सरकार द्वारा की जाएगी, जैसा कि उनके साथ समझौता हुआ है।

**एसी-II और एसी-III सवारी डिब्बों का उत्पादन**

**4826. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निर्मित चालित एसी–II और एसी–III सवारी डिब्बों का उत्पादन करने वाले कारखानों का स्थान–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उनकी कारखाना–वार, वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ग) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष कारखाना–वार उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धि क्या रही;

(घ) क्या इन सवारी डिब्बों का निर्यात अन्य देशों को भी किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी देश–वार ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) भारतीय रेलों के लिए एसी–II टियर सवारी डिब्बों के विनिर्माण के लिए निम्नलिखित दो कारखाने हैं :

1. सवारी डिब्बा कारखाना, चेन्नै।

2. रेल कोच फैक्टरी, कपूरथला।

एस–II टीयर सवारी डिब्बे रेल कोच फैक्टरी, कपूरथला में विनिर्मित किए जाते हैं।

(ख) उपर्युक्त कारखानों में से प्रत्येक कारखाने की स्थापित विनिर्माण क्षमता 1000 सवारी डिब्बे प्रतिवर्ष है। इनमें से, वातानुकूल सवारी डिब्बे यातायात की आवश्यकताओं और निधियों की उपलब्धता के आधार पर विनिर्मित किए जाते हैं।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान, कारखाना–वार निर्धारित उत्पादन लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन निम्नलिखितानुसार है :

| | 2001–02 | | 2002–03 | |
|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | वास्तविक | लक्ष्य | वास्तविक |
| सवारी डिब्बा कारखाना | | | | |
| एसी–II टीयर | 60 | 60 | 50 | 50 |
| एसी–III टीयर | – | – | – | |
| अन्य | 941 | 965 | 840 | 894 |
| रेल कोच फैक्टरी | | | | |
| एसी–II टीयर | 18 | 18 | 7 | 7 |
| एसी–III टीयर | 261 | 261 | 205 | 205 |
| अन्य | 925 | 925 | 729 | 732 |

(घ) जी, नहीं। पिछले तीन वर्षों में, इन कारखानों से सवारी डिब्बे निर्यात नहीं किए गए हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**सुरक्षा कोष से प्लेटफार्मों की ऊंचाई बढ़ाना**

**4827. श्री पी. आर. खूंटे :**
**श्री पुन्नू लाल मोहले :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय का विचार छोटे रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्मों को ऊंचा बनाने और उनकी लंबाई भी बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितना खर्च होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) और (ख) स्टेशन पर रुकने वाली सबसे लंबी गाड़ी की लंबाई के आधार पर प्लेटफार्म की लंबाई की व्यवस्था/विस्तार किया जाता है। न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं के लिए निर्धारित मानदंड के अनुसार प्लेटफार्मों की ऊंचाई तय की जाती है। इस संबंध में किसी कमी की वार्षिक तौर पर समीक्षा की जाती है और तदनुसार ऐसे कार्यों को वार्षिक कार्यक्रमों में प्रस्तावित किया जाता है। कुछ स्टेशनों पर, प्लेटफार्म की लंबाई निर्धारित मानदंडों से कम है। यह अधिकतर अपरिहार्य है क्योंकि यार्ड विन्यास के कारण स्थान की तंगी है। बहरहाल, जब कभी परिचालनिक आवश्यकताओं के लिए यार्ड के ढांचे में परिवर्तन किया जाता है तब ऐसे प्लेटफार्मों का भी विस्तार किया जाता है।

प्लेटफार्मों को ऊंचा करने/उनका विस्तार करने का कार्य प्राथमिक तौर पर योजना शीर्ष "यात्री सुबिधाओं" के अंतर्गत किया जाता है। विभिन्न स्टेशनों पर चालू बड़े कार्य और चालू वर्ष अनुमोदित नए कार्यों का ब्यौरा निर्माण मशीन और चल स्टाक कार्यक्रम, भाग–II में शामिल किया गया है जिसे रेल बजट दस्तावेज के साथ संसद में प्रस्तुत किया गया था। योजना शीर्ष "यात्री सुविधाएं" के अंतर्गत वर्ष 2001–02 के दौरान खर्च 168.9 करोड रु. था और वर्ष 2002–03 के दौरान इसके 200.1 करोड़ रुपये हो जाने की संभावना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

## कावेरी बेसिन में पाई गई रिलायंस गैस का प्रभाव

**4828. श्री विनय कुमार सोराके** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आईसीआरए ने कावेरी बेसिन में पाई गई रिलायंस गैस के पूर्वी तट पर निर्माणाधीन एलएनजी परियोजना की संभावनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव को जानने हेतु कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रिलायंस द्वारा गैस की खोज के सकारात्मक परिणामस्वरूप नए ब्लाकों हेतु बोलीदाताओं के उत्साह में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो हाल में गहरे पानी में कितने नए ब्लाकों की निलामी की गई है और ओएनजीसी और बोलीदाताओं के बीच गैस/तेल के बंटवारे की प्रणाली क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)** : (क) जी, नहीं। सरकार आईसीआरए द्वारा किए गए किसी अध्ययन से अवगत नहीं है। तथापि, हाइड्रोकार्बन झलक–2025 के अनुसार प्राकृतिक गैस की मांग वर्ष 2006–07 में 231 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन होने का अनुमान है। इसकी वर्तमान आपूर्ति केवल लगभग 65 एमएमएससीएमडी है। पूर्वी तट पर कृष्णा–गोदावरी अपतटीय बेसिन में रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. तथा नीको रिसोर्सिस लि. कनाडा के परिसंघ द्वारा बड़ी गैस खोज से इस परिसंघ के अनुमानों के अनुसार 25–35 एमएमएससीएमडी गैस का उत्पादन होने की संभावना है। गैस आपूर्ति में अतिरिक्तता के बावजूद इसकी मांग एवं आपूर्ति में बड़ा अंतराल रहेगा। इस अंतराल को पाटने का एक विकल्प तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का आयात है। एलएनजी मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) सूची के तहत है तथा इसका आयात पहले संबंधित परियोजना की वाणिज्यिक व्यवहार्यता द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा।

(ख) और (ग) तेल एवं गैस की किसी प्रमुख खोज से भूवैज्ञानिक संभाव्यता के समग्र प्रत्यक्ष ज्ञान के सुधरने तथा अन्वेषण एवं उत्पादन कंपनियों की हित वृद्धि की संभावना है। भारत सरकार ने नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) के प्रथम तीन दौरों में 24 गहरे समुद्री ब्लाकों के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं पर हस्ताक्षर किए हैं। एनईएलपी के तहत लाभ तेल एक बोली योग्य मद है एवं इसकी सरकार एवं संविदाकारों के बीच हिस्सेदारी की जाती है।

## आंध्र प्रदेश में काकीनाडा संयंत्र में विद्युत घोटाला

**4829. डा. डी. वी. जी. शंकर राव**
**श्री राम नायडू दग्गुबाटि** :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के गैस चालित काकीनाडा संयंत्र में विद्युत घोटाले की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें संलिप्त लोगों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाही की गई है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता)** : (क) जी, हां। आंध्र प्रदेश में मैसर्स स्पेक्ट्रम पावर जेनरेशन

लि. (एसपीजीएल) की 208 मेगावाट क्षमता की गोदावरी विद्युत परियोजना के संदर्भ में गुप्त भुगतान की संलिप्तता की सूचना है।

(ख) "द एशियन ऐज" के 11 फरवरी, 2003 के अंक के समाचार सामग्री को ब्रिटिश मीडिया में स्थान देते हुए यह उल्लेख किया गया है कि मैसर्स स्पेक्ट्रम पावर जेनरेशन लि. (एसपीजीएल) द्वारा आंध्र प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही 208 मे.वा. क्षमता की गोदावरी विद्युत परियोजना के संबंध में "इंजीनियरी प्रापण व निर्माण" (ईपीसी) तथा संचलन और अनुरक्षण ठेके के लिए बोली प्राप्त करने हेतु अमेरिकी फर्म रॉल्स रायल्स कंपनी ने भारतीय फर्म टोवांडा सर्विसेज लि. को गुप्त भुगतान किया था।

आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के सुपुर्द की गई गोदावरी परियोजना राज्य क्षेत्र की परियोजना है। परियोजना के संबंध में विद्युत क्रय करार निजी परियोजना विकासकर्ताओं और तत्कालीन आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के मध्य हुआ है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने, जिनसे मामले में अपनी टिप्पणी देने का अनुरोध किया गया था, सूचित किया है कि कथित विद्युत परियोजना के लिए प्रवर्त्तकों के दो वर्गों के बीच शृंखलाबद्ध आरोप–प्रत्यारोप और मुकदमेबाजी हुई है। राज्य सरकार द्वारा यह बताया गया है कि इन दस्तावेजों की सत्यता के बारे में कोई निश्चित सूचना नहीं है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा इसमें शामिल पार्टियों से उनकी सूचना की सत्यता की पुष्टिकरण के लिए संपर्क किया जाना भी निष्फल रहा। राज्य सरकार द्वारा टिप्पणियां मांगे जाने पर विद्युत परियोजना के प्रबंध निदेशक ने भी विभिन्न न्यायालयों में मामले लंबित और निर्णयाधीन होने के कारण इस विषय पर कोई टिप्पणी देने से मना कर दिया था।

ईपीसी और ओ एंड एम ठेकेदारों के पीछे हटने के आरोप के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश सरकार ने यह भी सूचित किया है कि गोदावरी परियोजना से संबंधित भूमि और स्थल विकास के लिए प्रदत्त ठेके भी फर्जी थे। परियोजना के विकासकर्ताओं ने भूमि और स्थल विकास कार्य के लागत राशि का दावा किया था जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत लागत से अधिक थी। तथापि, राज्य सरकार ने परियोजना के मुख्य लागत में किसी भी वृद्धि की अनुमति न देने का निर्णय लिया है।

(ग) 208 मे.वा. क्षमता की गोदावरी विद्युत परियोज़ना से संबंधित विभिन्न आरोप न्यायालय में निर्णयाधीन हैं तथा केंद्र सरकार (विद्युत मंत्रालय) ने इस मामले की अलग से जांच नहीं की है।

**ताप और विद्युत ऊर्जा उत्पादन**

**4830. श्री अनन्त गुढे** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय ताप और जल विद्युत उत्पादन के अनुपात का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने अगली दसवीं पंचवर्षीय योजना में ताप और जल विद्युत क्षेत्र में उत्पादित विद्युत के अनुपात में संतुलन बनाने हेतु कोई विशेष कार्रवाही की है और राज्य सरकारों और पड़ोसी देशों के सक्रिय सहयोग से नई रणनीति के प्रचालन हेतु कितना निवेश प्रस्तावित है;

(ग) यदि हां, तो निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में ताप और जल विद्युत क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं की समीक्षा का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विद्युत क्षेत्र में निजी और प्रत्यक्ष निवेश को आकृष्ट करने हेतु क्या नई नीतिगत पहल की गई/किए जाने का विचार है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता)** : (क) 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार देश की कुल अधिष्ठापित क्षमता में ताप विद्युत और जल विद्युत का अनुपात क्रमशः 71 प्रतिशत और 25 प्रतिशत था।

(ख) 10वीं योजना के लिए 41110 मे.वा. क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 14393 मे.वा. जल विद्युत, 25417 मे.वा. ताप विद्युत और 1300 मे.वा. न्यूक्लियर विद्युत निहित है। परियोजनाओं को समय से पूरा करने तथा 10वीं योजना के दौरान लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी तंत्र तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त भूटान में ताला जल विद्युत परियोजना (1020 मे.वा.), जिसके 10वीं योजना के चालू होने की प्रत्याशा है, से विद्युत का आयात किया जाएगा। जलविद्युत विकास में तेजी लाने के साथ ही जल विद्युत की कम होती हिस्सेदारी में बढ़ोतरी होगी।

(ग) निर्माणाधीन जल विद्युत और ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण । और ॥ में दिया गया है।

(घ) निजी क्षेत्र में विकसित की जा रही स्कीमों के तीव्रतापूर्वक विकास की पद्धतियों को सरल बनाने की दृष्टि से विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र की अधिकाधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1991 में घोषित नीति की समय–समय पर समीक्षा की गई है। इस दिशा में हाल ही में की गई कुछ नीतिगत पहल नीचे इंगित की गई हैं।

(i) विद्युत उत्पादन कंपनियों की विद्युत उत्पादन स्कीमों, जिनकी पूंजीगत लागत–2500 करोड़ रु. तक है, और जहां टैरिफ का अनुमोदन केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग या किसी राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा किया जाता है, को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी आर्थिक स्वीकृति की आवश्यकता से छूट दी गई है।

(ii) निवेश की मात्रा में बिना किसी ऊपरी सीमा के 100 प्रतिशत विदेशी इक्विटी के लिए स्वचालित अनुमोदन (आरबीआई रूटे)।

(iii) विद्युत उत्पादन हेतु प्राथमिक ईंधन के रूप में प्रयुक्त नेपथा और लो–सल्फर हैवी स्टाक और अन्य निर्धारित अवशिष्ट ईंधन तेलों पर आबकारी शुल्क/समकक्ष ड्यूटी हटा दी गई।

(iv) विद्युत क्षेत्र में जारी सुधार एवं पुनर्संरचना से विद्युत क्षेत्र में निवेशकों/आईपीपी के आत्मविश्वास में सुधार आने की प्रत्याशा है और उनके हेतु सुरक्षा (एस्क्रो करार और गारंटी आदि) की आवश्यकता अब नहीं होगी।

**विवरण-I**

*देश में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं*

*(एमएनईएस के अंतर्गत अक्षय ऊर्जा को छोड़कर)*

15.04.03 की स्थितिनुसार

| क्र.सं. | स्कीम का नाम | क्षेत्र | अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट) | निर्माणाधीन क्षमता (मेगावाट) | चालू होने का कार्यक्रम अद्यतन | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **जम्मू व कश्मीर** | | | | | | |
| 1. | दुलहस्ती (एनएचपीसी) | केंद्रीय | 3x130 | 390.00 | 2003–04 | |
| 2. | बगलीहार–I | राज्य | 3x150 | 450.00 | 2004–05 | |
| 3. | बगलीहार–II | राज्य | 3x150 | 450.00 | 11वीं योजना | |
| 4. | सांवलकोट | राज्य | 3x200 | 600.00 | 2009–10 | |
| **हिमाचल प्रदेश** | | | | | | |
| 5. | चमेरा चरण–II (एमएचपीसी) | केंद्रीय | 3x100 | 300.00 | 2003–04 | |
| 6. | पार्वती चरण–II (एनएचपीसी) | केंद्रीय | 4x200 | 800.00 | 2009–10 | |
| 7. | नाथपा–झाकरी (एनजेपीसी) | केंद्रीय | 6x250 | 1500.00 | 2003–04 | |
| 8. | कोल डैम (एनटीपीसी) | केंद्रीय | 4x200 | 800.00 | 2008–10 | |
| 9. | लारजी | राज्य | 3x42 | 126.00 | 2004–05 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | कशांग | राज्य | 2x33 | 66.00 | 2006–07 | |
| 11. | उहल–III | राज्य | 2x50 | 100.00 | 11वीं योजना | |
| 12. | बास्पा चरण–II | निजी | 3x100 | 100.00 | 2003–01 | यूनिट–1 व 2 चालू |
| 13. | धामवाड़ी सुण्डा | निजी | 2x35 | 70.00 | 2006–07 | वित्तीय समापन |
| **उत्तरांचल** | | | | | | |
| 14. | टिहरी चरण–I (टीएचडीसी) | केंद्रीय | 4x250 | 1000.00 | 2003–04 | |
| 15. | कोटेश्वर (टीएचडीसी) | केंद्रीय | 4x100 | 400.00 | 2005–06 | |
| 16. | धौलीगंगा (एनएचपीसी) | केंद्रीय | 4x70 | 280.00 | 2004–05 | |
| 17. | मनेरी भाली–II | राज्य | 4x76 | 304.00 | 2005–06 | |
| 18. | विष्णुप्रयाग | निजी | 4x100 | 400.00 | 2006–07 | |
| **मध्य प्रदेश** | | | | | | |
| 19. | इंदिरा सागर (एनएचडीसी) | केंद्रीय | 8x125 | 1000.00 | 2003–06 | संयुक्त उद्यम |
| 20. | मादीखेड़ा | राज्य | 2x20 | 40.00 | 2004–05 | |
| 21. | वाणसागर टोंस पीएच 4 | राज्य | 2x10 | 20.00 | 2004–05 | |
| **गुजरात** | | | | | | |
| 22. | सरदार सरोवर | राज्य | 6x200+5x50 | 1450.00 | 2002–07 | सीएचपीएच की यू–2 व 3 चालू (टेस्ट स्पन) |
| **महाराष्ट्र** | | | | | | |
| 23. | घाटघर पीएसएस | राज्य | 2x125 | 250.00 | 2004–05 | |
| **आंध्र प्रदेश** | | | | | | |
| 24. | प्रियदर्शिनी जुराला | राज्य | 6x39.1 | 235.00 | 2006–07 (दो यूनिटें) और 4 यूनिटें 11वीं योजना में | |
| 25 | श्रीसेलम एलबीपीएच | राज्य | 6x150 | 150.00 | 2000–04 | यू–1 से 5 चालू |
| **कर्नाटक** | | | | | | |
| 26 | अलमाटी बांध | राज्य | 1x15+5x55 | 290.00 | 2004–06 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **तमिलनाडु** | | | | | | |
| 27 | पाइकारा | राज्य | 3x50 | 150.00 | 2003–05 | |
| 28 | भवानी बैराज–I | राज्य | 2x15 | 30.00 | 2004-05 | |
| | II | | 2x15 | 30.00 | 2005–06 | |
| | III | | 2x15 | 30.00 | 2005–06 | |
| **पश्चिम बंगाल** | | | | | | |
| 29 | पुरूलिया पीएसएस (एनएचपीसी) | केंद्रीय | 4x225 | 900.00 | 2006–07 | संयुक्त उद्यम |
| **असम** | | | | | | |
| 30 | कोपिली चरण–II (नीपको) | केंद्रीय | 1x25 | 25.00 | 2003–04 | |
| 31 | कारबी लांग्पी (लोअर बोरपानी) | राज्य | 2x50 | 100.00 | 2004–05 | |
| **सिक्किम** | | | | | | |
| 32. | तीस्ता चरण–5 (एनएचपीसी) | केंद्रीय | 3x170 | 510.00 | 2006–07 | |
| **मेघालय** | | | | | | |
| 33. | मिंत्दू | राज्य | 2x42 | 84.00 | 2006–07 | |
| **मिजोरम** | | | | | | |
| 34. | तुरियल नीपको | केंद्रीय | 2x30 | 60.00 | 2006–07 | |
| | कुल | | | 13390.00 | | |

**विवरण-II**

*10वीं योजना में की वे विद्युत परियोजनाएं जो निर्माणाधीन हैं*

(15 अप्रैल, 2003 के अनुसार)

| क्षेत्र, राज्य | परियोजना का नाम | क्रियान्वयक एजेंसी | यूनिट सं. | क्षमता (मेगावाट) | चालू होने का कार्यक्रम | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | लक्ष्य | वास्तविक/ अनुमानित | अनुमानित अनुमोदित लागत (लाख रुपये में) | परियोजना लागत (मेगावाट) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **केंद्रीय क्षेत्र** | | | | | | | | |
| आंध्र प्रदेश | रामागुण्डम | एनटीपीसी | यू–7 | 500 | अगस्त–2005 | अगस्त–2005 | 181846 | 1x500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मध्य प्रदेश | विंध्याचल टीपीएस–III | | यू–09 | 500 | अगस्त–2006 | जुलाई–2006 | 412500 | 2x500 |
| उड़ीसा | तालचेर एसटीपीएस–II | | यू–3 | 500 | नवंबर–2003 | 04.01.03 (ए) | 6685499 | 4x500 |
| | | | यू–4 | 500 | अगस्त–2004 | दिसंबर–2003 | | |
| | | | यू–5 | 500 | मई–2005 | सितंबर–2004 | | |
| | | | यू–6 | 500 | फरवरी–2006 | मार्च–2005 | | |
| तमिलनाडु | नैवेली टीपीएस–I विस्तार | एनएलसी | यू–1 | 210 | जून–2002 | 21.10.02 (ए) | 159058 | 2x210 |
| | | | यू–2 | 210 | दिसंबर–2002 | जुलाई–2003 | | |
| उत्तर प्रदेश | रिहंद एसटीपीएस–II | एनटीपीसी | यू–3 | 500 | अगस्त–2005 | अगस्त–2005 | 404949 | 2x500 |
| | | | यू–4 | 500 | मई–2006 | मई–2006 | | |
| पश्चिम बंगाल | मेजिया टीपीएस विस्तार–4 | डीवीसी | यू–4 | 210 | जुलाई–2004 | जुलाई–2004 | 79782 | 1x210 |
| | | उप जोड़ | | 4630 | | | | |
| **राज्य क्षेत्र** | | | | | | | | |
| गुजरात | अकरीमोटा टीपीपी | जीएमडीसीएल | यू–1 | 125 | मार्च–2003 | जून–2004 | 133842 | 2x125 |
| | | | यू–2 | 125 | मई–2003 | सितंबर–2004 | | |
| | धुवण सीसीपीपी | जीएसईसीएल | जीटी | 67.85 | अप्रैल–2003 | अप्रैल–2003 | 31006 | 106x617 |
| | | | एसटी | 38.77 | जून–2003 | जून–2003 | | |
| हरियाणा | टीडीएल (पानीपत) टीपीएस | एचपीजीसीएल | यू–7 | 250 | सितंबर–2004 | सितंबर–2004 | 178536 | 2x250 |
| मिजोरम | बैराबी डीजीपीपी | विद्युत विभाग, मिजोरम सरकार | डीजी | 22.92 | जुलाई–2003 | जनवरी–2004 | 8595 | 4x5.73 |
| मध्य प्रदेश | बीरसिंहपुर टीपीएस विस्तार | एमपीईबी | यू–1 | 500 | सितंबर–2006 | सितंबर–2006 | 209375 | 1x500 |
| राजस्थान | कोटा टीपीएस–4 | आरआरवीयूएनएल | यू–6 | 195 | जुलाई–2003 | जुलाई–2003 | 63478 | 195 |
| | सूरतगढ़ टीपीएस– | | यू–5 | 250 | जून–2003 | जून–2003 | 75274 | 1x250 |
| तमिलनाडु | कुट्टालम सीसीपीपी | टीएमईबी | जीटी | 64 | सितंबर–2003 | सितंबर–2003 | 31111 | 100 |
| | | | एसटी | 36 | अक्तूबर–2003 | अक्तूबर–2003 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश | परीचा टीपीएस विस्तार | यूपीआरवीयूएनएल | एसटी | 210 | सितंबर–2006 | जनवरी–2005 | 170300 | 2x210 |
| | | उप जोड़ | | 2134.54 | | | | |
| **निजी क्षेत्र** | | | | | | | | |
| आंध्र प्रदेश | रामागुण्डम टीपीपी | बीपीएल पावर | यू–1 | 260 | गई–2005 | मई–2005 | 238906 | 2x260 |
| महाराष्ट्र | डाभोल सीसीपीपी–II | डाभोल पावर कंपनी | यू–2 | 260 | दिसंबर–2005 | दिसंबर–2005 | | |
| | | | | 916 | मार्च–2003 | सितंबर–2004 | 560400 | 1444 |
| | | | एसटी | 528 | | सितंबर 2004 | | |
| | | उप जोड़ | | 1964.00 | | | | |
| | | कुल | | 4428.54 | | | | |

(A) यूनिट के तुल्यकालन का आंकड़ा दर्शाता है।

*[हिन्दी]*

**विदेशी चैनलों द्वारा अश्लील संस्कृति का प्रसार**

**4831. श्री चन्द्रकांत खैरे :**
**श्री ए. वेंकटेश नायक :**

**क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी चैनलों के द्वारा देश में, विशेषतया बड़े शहरों में अपसंस्कृति का प्रसार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो विदेशी चैनलों द्वारा भारतीय संस्कृति पर किए जा रहे आघात तथा अश्लीलता के प्रसार को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)** : (क) और (ख) टी.वी. चैनलों पर प्रसारित कार्यक्रमों के बारे में चिंता करने वाली शिकायतें/सुझाव समय–समय पर प्राप्त होते रहते हैं।

सभी उपग्रह चैनलों के कार्यक्रमों को केबल नेटवर्क के जरिए देश में प्रसारित किए जाने पर केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का पालन करना अपेक्षित होता है। कार्यक्रम संहिता केबल सेवा में ऐसे कार्यक्रमों के प्रसारण का निषेध करती है जो अच्छी रुचि और शालीनता वाले न हों, जिनमें कोई अश्लीलता हो और जो अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त न हों।

सरकार ने कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के उल्लंघन की जांच करने के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 20 के तहत दो अंतरमंत्रालयीय समितियों का गठन किया है। इन समितियों की सिफारिशों पर संहिताओं के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए टीवी चैनलों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है।

**रेल यात्रियों में आतंक**

**4832. श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के महीनों में रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में बम पाये जाने की घटनाओं से रेलयात्री आतंकित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा रेलयात्रियों के

भय को दूर करने हेतु प्रभावी कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। यद्यपि रेलवे पर अपराध रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है तथापि रेलवे ने राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद के लिए निम्न कदम उठाए हैं :

1. आरपीएफ द्वारा असामाजिक तत्वों को रेलवे परिसरों और रेल गाड़ियों से निकाला जा रहा है।
2. कोच अटेंडेंट/टीटीई द्वारा डिब्बों में चढ़ने/उतरने वाले यात्रियों पर ठीक ढंग से नजर रखी जाती है।
3. यात्रियों द्वारा अपनी रिपोर्ट तत्काल दर्ज करवाने के उद्देश्य से ट्रेन गार्ड/स्टेशन मास्टर/आरपीएफ के पास एफआईआर प्रपत्र उपलब्ध कराए गए हैं।
4. आरपीएफ और जीआरपी द्वारा सभी स्तरों पर विशेष आसूचना और अपराध आसूचना का आदान–प्रदान किया जा रहा है।
5. महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर जन उद्घोषणा प्रणाली और सीसीटीवी द्वारा उद्घोषणाओं के माध्यम से यात्रियों को गाड़ियों और रेल परिसरों में कोई भी संदिग्ध वस्तु और लावारिस वस्तु के प्रति सतर्क किया जाता है। यात्रियों को चेतावनी दी जाती है कि वे संदिग्ध वस्तुओं को न छुएं अपितु, पुलिस/रे.सु.ब. या रेल प्राधिकारियों को सूचित करें।
6. रे.सु.ब. के खोजी कुत्ते जहां उपलब्ध हैं, विस्फोटक सामग्री का पता लगाने के लिए रेलवे के प्लेटफार्मों, यार्डों आदि में तैनात किए जा रहे हैं। रे.सु.ब. कर्मियों को विस्फोटक पदार्थों की पहचान करने और पता लगाने में प्रशिक्षित किया जा रहा है।
7. राजकीय रेल पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराने में यात्रियों की सहायता के लिए रे.सु.ब. सहायता पोस्ट की व्यवस्था की जाती है।
8. उपयुक्त निवारक उपाय करने की दृष्टि से अपराध स्थिति का विश्लेषण करने के लिए राजकीय रेल पुलिस और स्थानीय पुलिस के साथ आवधिक उच्च स्तरीय समन्वय बैठकें की जाती हैं।

*[अनुवाद]*

**जलविद्युत परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन**

**4833. श्री अशोक ना. मोहोल** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत जल विद्युत परियोजनाओं के राज्यवार क्या नाम हैं;

(ख) उन भारतीय और विदेशी फर्मों के नाम क्या हैं जिन्होंने उन परियोजनाओं में निवेश किया है;

(ग) उन जल विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनके संबंध में महाराष्ट्र सरकार से उक्त योजना के दौरान प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) प्रत्येक प्रस्ताव के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) उनके लंबित होने के कारण, यदि कोई हों, तो क्या हैं?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता)** : (क) भारत सरकार, उन परियोजनाओं के संबंध में निवेश मंजूरी देती है जो केंद्रीय क्षेत्र में आती हैं। नौवीं योजना के दौरान निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई :

| क्र.सं. | परियोजना | राज्य | क्षमता | कार्यान्वयन एजेंसी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | चमेरा चरण–2 | हिमाचल प्रदेश | 300 मे.वा. | एनएचपीसी |
| 2. | तीस्ता–5 | सिक्किम | 510 मे.वा. | एनएचपीसी |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3. | लोकतक डाउस्ट्रीम | मणिपुर | 90 मे.वा. | एनएचपीसी |
| 4. | इंदिरा सागर | मध्य प्रदेश | 1000 मे.वा. | एनएचपीसी |
| 5. | कोटेश्वर | उत्तरांचल | 400 मे.वा. | टीएचडीसी |
| 6. | कोपीली | असम | 25 मे.वा. | नीपको |
| 7. | टूरियल | मिजोरम | 60 मे.वा. | नीपको |

(ख) निजी क्षेत्र में कार्यान्वित की गई परियोजनाओं में निवेश निजी इनटीटियों द्वारा किया गया है। भारतीय तथा विदेशी इनटीटियों के नाम जिन्होंने जल–विद्युत परियोजनाओं में निवेश किया है निम्नलिखित हैं :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. विष्णु प्रयाग | उत्तरांचल | 400 मे.वा. | जयप्रकाश पावर वेंचर लि. |
| 2. मलाना | हिमाचल प्रदेश | 86 मे.वा. | मलाना पावर कंपनी लि. |
| 3. श्रीनगर | उत्तरांचल | 330 मे.वा. | डकन नॉर्थ हाइड्रो पावर कंपनी लि. |
| 4. धमवारी सुण्डा | हिमाचल | 70 मे.वा | धमवारी पावर कंपनी लि. |

(ग) और (घ) महाराष्ट्र सरकार ने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को तकनीकी आर्थिक स्वीकृति के लिए नौवीं योजना के दौरान निम्नलिखित जल–विद्युत योजनाओं की संक्षिप्त परियोजना रिपोर्ट पेश की थी परंतु इन योजनाओं को उनके सामने दर्शाए गए कारणों से वापस लौटा दिया गया था।

| | |
|---|---|
| 1. चिकालदारा पीएसएस (400 मे.वा.) | सीईए स्वीकृति आवश्यक नहीं समझी गयी क्योंकि मूल्यांकित मूल्य 1000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं था और योजना को प्रतियोगिता बोली के द्वारा निजी निवेशकर्ताओं के सामने रखने का सुझाव दिया गया था। |
| 2. मलसहेज घाट पीएसएस (800 मे.वा.) | बुनियादी निवेशों/स्वीकृति के अनुसार न होना। |
| 3. हमबारली पीएसएस (400 मे.वा) | वे मुद्दे जिनका समाधान नहीं हुआ।<br>(क) विद्युत निष्क्रमण व्यवस्थाओं का अतिक्रमण<br>(ख) निधियों का स्रोत<br>(ग) एमओइएण्ड वित्त स्वीकृति<br>(घ) स्थल संबंधी स्वीकृति |

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**माल ढुलाई सूचना प्रणाली**

**4834. श्री ए. नरेन्द्र :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने "माल ढुलाई प्रचालन सूचना प्रणाली" (एफओआईएस) नामक माल ढुलाई सूचना प्रणाली प्रारंभ की है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रणाली किस प्रकार कार्य करती है;

(ग) देश में उन रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है जिनमें यह प्रणाली लगाई गई हैं;

(घ) क्या तेनाली और गुंटूर जैसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों पर यह प्रणाली लगाई गई है;

(ङ) क्या इस प्रणाली के द्वारा रेल प्रयोक्ताओं को अपने माल को ढूंढ़ने में सुविधा होगी; और

(च) यदि हां, तो डिब्बों से माल को तेजी से लाने और उतारने हेतु क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) :** (क) जी, हां।

(ख) जैसे ही कोई घटना घटित होती है। गाड़ी चलती है, जब मालगाड़ी परिचालन से संबंधित सभी सूचना मंडल नियंत्रण कार्यालय, बड़े स्टेशनों तथा यार्डों के कर्मचारियों द्वारा कंप्यूटरीकृत माल परिचालन सूचना प्रणाली में फीड की जाती है। प्रणाली में यह सूचना उपलब्ध हो जाने पर एफओआईएस प्रणाली के किसी भी टर्मिनल से उस सूचना की मानीटरिंग की जा सकती है या उसे देखा जा सकता है।

(ग) 233 स्थलों पर एफओआईएस टर्मिनल लगाए गए हैं जिसमें नियंत्रण कार्यालय, बड़े स्टेशन, रेलवे यार्ड इत्यादि शामिल हैं।

(घ) गुंटूर रेलवे स्टेशन पहले से ही एफओआईएस प्रणाली का एक हिस्सा है। मौजूदा चरण के तहत तेनाली रेलवे स्टेशन का अभी कंप्यूटरीकरण नहीं किया गया है।

(ङ) और (च) इस समय कुछ चुनिंदा प्रमुख ग्राहकों को ई–मेल के जरिए अनेक रेक संचलन के बारे में सूचना दी जाती है। किंतु एफओआईएस चरण–II अर्थात टीएमएस के पूर्णतया कार्यान्वित हो जाने पर ग्राहक बीजक सं. या माल डिब्बा सं. आदि के आधार पर अपने परेषण की सही स्थिति जान पाएंगे। पहले से सूचना उपलब्ध होने के कारण, ऐसी आशा है कि भारतीय रेलों पर योजनाओं में सुधार होगा जिसके फलस्वरूप लदान और उतराई परिचालनों में भी सुधार होगा।

*[हिन्दी]*

**पीजीसीआई मुख्यालय का फरीदाबाद से लखनऊ स्थानांतरण**

**4835. डा. अशोक पटेल :** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लि. का विचार अपने उत्तर क्षेत्र के पारेषण मुख्यालय को फरीदाबाद से लखनऊ स्थानांतरित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्र सरकार को इस संबंध में पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लि. से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, इस संबंध में केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) :** (क) से (ग) अप्रैल 2001 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पावर ग्रिड के उत्तर क्षेत्र–1 के कार्यालय को फरीदाबाद, हरियाणा से लखनऊ में पुनः स्थापना का सुझाव दिया था। पावर ग्रिड ने उक्त कार्यालय की पुनः स्थापना के लिए 12 एकड़ भूमि की आवश्यकता दर्शाई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अपेक्षित भूमि की उपलब्धता के लिए सहमति नहीं दिखाई है। हालांकि वर्तमान स्थिति में उत्तर क्षेत्र–1 के मुख्यालय को फरीदाबाद से लखनऊ बदलने के बारे में पावर ग्रिड की तरफ से कोई सुझाव नहीं है।

*[अनुवाद]*

**हैदराबाद में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना**

**4836. डा. मन्दा जगन्नाथ :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार का हैदराबाद में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ग) यह प्रस्ताव कब तक स्वीकृत हो जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रस्ताव की जांच चल रही है। बोर्ड को इस मामले, जिसमें दीर्घकालिक वित्तीय फलितार्थ निहित है, पर अभी निर्णय लेना है, इसलिए इस स्तर पर समय सीमा का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

**तेल और प्रकृतिक गैस निगम का कोल इंडिया लि. के साथ कोल बेड मिथेन संबंधी समझौता**

**4837. श्री नरेश पुगलिया :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और कोल इंडिया लि. ने देश में कोल बेड मिथेन की खोज और उत्पादन करने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में सीबीएम की खोज और उत्पादन हेतु आज तक किए गए सीबीएम ब्लाक समझौते संबंधी विवरण क्या हैं;

(घ) क्या महाराष्ट्र में कोई सीबीएम ब्लाक स्थित है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) महाराष्ट्र में सीबीएम की खोज और उत्पादन के संबंध में समझौता कब तक होने की संभावना है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)** : (क) और (ख) सरकार ने सीबीएम के अन्वेषण और उत्पादन के लिए दो कोल बेड मीथेन (सीबीएम) ब्लाकों अर्थात झारखंड में झरिया और पश्चिम बंगाल में रानीगंज में आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओएनजीसी) और कोल इंडिया लि. (सीआईएल) के परिसंघ के साथ संविदाओं पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) आज की तारीख तक सरकार ने नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार आठ सीबीएम ब्लाकों के लिए संविदाओं पर हस्ताक्षर किए हैं :

| क्र.सं. | ब्लाक का नाम | राज्य | ब्लाक प्राप्तकर्ताओं संविदाकार |
|---|---|---|---|
| 1. | बोकारो | झारखंड | ओएनजीसी–इंडियन आयल का. |
| 2. | उत्तरी करणपुरा | झारखंड | ओएनजीसी–आईओसी |
| 3. | सोहागपुर (पूर्व) | मध्य प्रदेश | रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. |
| 4. | सोहागपुर (पश्चिम) | मध्य प्रदेश | रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. |
| 5. | रानीगंज (पूर्व) | पश्चिम बंगाल | एस्सार आयल लिमिटेड |
| 6. | रानीगंज (उत्तर) | पश्चिम बंगाल | ओएनजीसी–सी आई एल |
| 7. | झरिया | झारखंड | ओएनजीसी–सीआईएल |
| 8. | रानीगंज (दक्षिण) | पश्चिम बंगाल | ग्रेट ईस्टर्न एनर्जी कारपोरेशन लि. |

(घ) से (च) सीबीएम के अन्वेषण और उत्पादन के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर महाराष्ट्र सहित सीबीएम संभाव्यता वाले राज्यों से सीबीएम ब्लाकों की पहचान और अवार्ड किया जाना एक सतत और निरंतर प्रक्रिया है। संविदाओं पर अवार्ड किए जाने की प्रक्रिया के पूरा होने और अवार्ड प्राप्तकर्ता कंपनियों के साथ अनुवर्ती वार्ताओं के बाद हस्ताक्षर किए जाते हैं जिनके लिए कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती।

**दूरदर्शन बिसिंग में व्यवस्थागत खामियां और प्रतिक्रियात्मक चूक**

**4838. श्री कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है कि देश में कार्यक्रम निर्माण केंद्रों और ट्रांसमीटरों की संख्या बढ़ने के बाद भी दूरदर्शन की कुल आय 1996–97 में 572.70 करोड़ रु. से घटकर 1998–99 में 400 करोड़ रु. रह गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा व्यवस्थागत खामियां अथवा प्रतिक्रियात्मक चूक के कारण है;

(ग) यदि हां, तो क्या वाणिज्यिक समय संबंधी आवंटन में व्याप्त अनियमितताएं और मानक वाणिज्यिक क्रियाकलाप का पालन न किया जाना व्यवस्था की विफलता का कारण है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने व्यवस्था में विभिन्न कमियों जैसे प्रसारण प्रमाण–पत्रों के बिना बिल बनाने, गलत बिल बनाने और बकाया राशि की वसूली के संबंध में असंतोषजनक निगरानी आदि पर ध्यान दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(च) सरकार द्वारा भविष्य में इन कमियों को रोकने और दूरदर्शन को हो रहे घाटे को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने का विचार है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)** : (क) से (च) भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक ने मार्च, 2002 में समाप्त वर्ष के लिए 2002 (सिविल) की अपनी रिपोर्ट संख्या 2 के पैरा संख्या 3.2 में इंगित किया है कि कार्यक्रम निर्माण केंद्रों, ट्रांसमीटरों एवं दर्शकों की संख्या में वृद्धि के बावजूद भी दूरदर्शन की सकल आय वर्ष 1996–97 में 572.72 करोड़ रुपये से घटकर 1998–99 में 399.09 करोड़ रुपये हो गई थी। उसी रिपोर्ट में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने उल्लेख किया है कि दूरदर्शन में बिल बनाने की पद्धति की लेखापरीक्षा समीक्षा से प्रणालीत्मक खामियों एवं प्रक्रियात्मक त्रुटियों, बुनियादी रिकार्डों को समुचित तरीके से न रखे जाने आदि का पता चला है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के उक्त पैरा की प्रसार भारती के परामर्श से मंत्रालय में जांच की जा रही है।

*[हिन्दी]*

**अनु.जा./अनु.ज.जा. की विपन्न निर्धरता**

**4839. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :**
**श्री लक्ष्मण गिलुवा :**
**श्री मानसिंह पटेल :**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग घोर निर्धनता में जीवनयापन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों में निर्धनता उन्मूलन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और उनका क्या परिणाम रहा है; और

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनु.जा./अनु.ज.जा. के लोगों के विकास हेतु क्या प्रावधान किए गए हैं?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान)** : (क) से (ग) बड़ी संख्या में अनु.जा./अनु.ज.जा. के लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं। निरक्षरता, कम आय, भूमिहीनता आदि मुख्य कारण हैं। केंद्र सरकार गरीबी दूर करने के प्रति वचनबद्ध है और इस उद्देश्य के लिए सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए अनेक योजनाएं तैयार की हैं। सामाजिक–आर्थिक तथा शिक्षा संबंधी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निधियां निर्मुक्त की जाती हैं। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यान्वित योजनाओं की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है। विशेष संघटक योजना तथा जनजाति उपयोजना की कार्यनीति के अनुसार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत के अनुपात में योजना निधि का भाग निर्धारित करते हुए विशेष संघटक योजना तथा जनजाति उप योजना तैयार और कार्यान्वित करने के लिए कहा गया है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 158.16 लाख अनुसूचित जातियों के लाभार्थ 3569.87 लाख रु. की राशि निर्मुक्त की गई थी। इसके अतिरिक्त, 3387.41 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए गए जिससे 47.74 लाख अनुसूचित जनजातियों को लाभ हुआ।

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 5786 करोड़ रुपये तथा 1754.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उपर्युक्त प्रावधान केवल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित हैं।

**विवरण**

| क्र.सं. | नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनु.जा.तथा अनुज.जा. के कल्याणार्थ कार्यान्वित योजनाएं | |
|---|---|---|
| | अनुसूचित जातियों के लिए योजना | अनुसूचित जनजातियों के लिए योजना |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | अनु.जा. के लिए विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता | जनजाति उपयोजना को विशेष केंद्रीय सहायता |
| 2. | मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान |
| 3. | पीसीआर तथा अत्याचार | अनु.ज.जा. लड़कियों के लिए होस्टल |
| 4. | अ.जा. लड़कों तथा लड़कियों के लिए होस्टल | अनु.ज.जा. लड़कों के लिए होस्टल |
| 5. | राज्य अनु.जा. विकास निगम | जनजाति उपयोजना क्षेत्र में आश्रम स्कूल की स्थापना |
| 6. | राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम | अनु.ज.जातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायतानुदान |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 7. | पुस्तक बैंक | अनुसंधान और प्रशिक्षण |
| 8. | सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास | राज्य जनजाति विकास सहकारी निगमों को सहायतानुदान |
| 9. | मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति | जनजाति क्षेत्रों में जनजाति लड़कियों के विकास के लिए कम साक्षरता पाकेटों में शिक्षा परिसर |
| 10. | कोचिंग और संबद्ध | जनजाति क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण |
| 11. | अनु.जा/अनु.ज.जातियों की प्रतिभा का उन्नयन | ग्रामीण खाद्यान्न बैंक योजना |
| 12. | राज्य अनु. जाति विकास निगम | आदिम जनजाति समूहों का विकास |
| 13. | राष्ट्रीय समुद्रीपारीय छात्रवृत्ति योजना | मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति |
| 14. | अ.जा. के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता | राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना |
| 15. | राष्ट्रीय अनु. जाति वित्त विकास निगम | अनु.ज. जातियों के लिए कोचिंग और संबद्ध योजना |
| 16. | | अनु.ज. जातियों की प्रतिभा का उन्नयन |
| 17. | | पुस्तक बैंक योजना |
| 18. | | राज्य जनजाति विकास वित्त निगम |
| 19. | | जनजातियां द्वारा दौरों का आदान–प्रदान |

**अनु. जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पद**

**4840. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :**
**श्री हरीभाऊ शंकर महाले :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नए बनाए गए रेल जोनों और मंडलों में अनु. जा./अनु.ज.जा. और अ.पि.व. के वर्ग "घ" और "ग" के रिक्त पदों की संख्या कितनी है;

(ख) इन रिक्त पदों के अब तक न भरे जाने के क्या कारण हैं, और

(ग) इन पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) :** (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[अनुवाद]*

**आंध्र प्रदेश में रेल पुलों का पुनर्निर्माण/सुदृढ़ीकरण**

**4841. श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य में रेल पुलों के पुनर्निर्माण/सुदृढ़ीकरण की योजना प्रारंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस पुनर्निर्माण/सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु कितनी निधि आवंटित की गयी;

(घ) क्या निधियों का आवंटन मांग के अनुसार किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) रेलवे पुलों की स्थिति का ब्यौरा रेलवे–वार रखा जाता है न कि राज्य–वार। बहरहाल, दक्षिण, दक्षिण मंध्य और पूर्व तटीय रेलवे, जो आंध्र प्रदेश राज्य से गुजरती है, के वार्षिक निरीक्षणों के परिणामस्वरूप पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापन के लिए पहचाने गए सभी पुलों के पुनर्निर्माण और पुनर्सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है।

(ख) दक्षिण, दक्षिण मध्य, पूर्व तट रेलवे जो आंध्र प्रदेश राज्य से गुजरती हैं, के पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण के लिए 1.4.2003 को स्वीकृत पुलों की संरख्या इस प्रकार है :

| रेलवे | पुल संख्या |
|---|---|
| दक्षिण | 311 |
| दक्षिण मध्य | 431 |
| पूर्व तट रेलवे | 187 |
| कुल | 929 |

(ग) रेलवे पुलों के पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण के लिए चालू वर्ष के दौरान दक्षिण, दक्षिण मध्य और पूर्व तट रेलवे को 57.36 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं।

(घ) से (च) जी, हां। पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण के कार्य निष्पादन के लिए आवश्यकताओं के अनुसार निधि आवंटित की गई है।

*[हिन्दी]*

## समुद्री मार्ग से घुसपैठ

**4842. श्री हरीभाऊ शंकर महाले** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ पाकिस्तानियों ने समुद्री मार्ग से भारत में घुसपैठ की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले दर्ज किए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी घुसपैठ को रोकने हेतु उठाए कदमों का ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त)** : (क) इस मंत्रालय को ऐसी किसी घुसपैठ की जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गुजरात तथा महाराष्ट्र के तटवर्ती क्षेत्रों में तस्करी/कार्मिकों, हथियारों तथा गोलाबारूद का आगमन रोकने के लिए भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, राज्य पुलिस, सीमा शुल्क तथा राजरव आसूचना के कार्मिकों द्वारा संयुक्त गश्त की व्यवस्था है।

## दूरदर्शन पर खेल प्रतियोगिताएं

**4843. श्री शिवराजसिंह चौहान** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन की राजस्व आय लगातार घट रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या दूरदर्शन महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिताएं दिखाने से वंचित हो गया है और विदेशी चैनलों को ठेके दे दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इन कार्यक्रमों के कारण कुल कितनी हानि हुई;

(घ) क्या दूरदर्शन को हो रहे घाटे में कुछ वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)** : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि पिछले चार वर्षों में लक्ष्य की तुलना में दूरदर्शन का सकल राजस्व निम्न प्रकार से है :

| वर्ष | लक्ष्य | अर्जित राजस्व (करोड़ रुपयें में) |
|---|---|---|
| 1999–2000 | 575 | 597.19 |
| 2000–2001 | 625 | 637.51 |
| 2001–2002 | 600 | 615.21 |
| 2002–2003 | 550 | 553.81 |

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**हाजीपुर-मुजफ्फरपुर लाइन पर स्वीकृत सड़क ऊपरी पुल/सड़क अधोगामी पुल**

**4844. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाजीपुर–मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर–समस्तीपुर रेल लाइन पर स्वीकृत ऊपरी–पुलों/अधोगामी पुलों का स्थान–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन पर कार्य कब तक शुरू किए जाने और पूरा किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस कार्य पर होने वाले संभावित व्यय का ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) :** (क) ऊपरी सड़क पुल के चार कार्य स्वीकृत किए गए हैं। मुजफ्फरपुर–समस्तीपुर लाइन पर से अर्थात नारायणपुरा–अनंत और मुजफ्फरपुर के बीच समपार सं. 101 और 101/ए के बदले/हाजीपुर–मुजफ्फरपुर लाइन पर, दो अर्थात हाजीपुर और सराय स्टेशनों के बीच समपार सं. 47 और 54/ए के बदले।

(ख) ऊपरी/निचले सड़क पुल का निर्माण रेलवे और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। रेलवे पुल खास (रेलपथ के ऊपर) और राज्य सरकार पंहुच मार्गों का निर्माण करती है। रेलवे द्वारा अपने हिस्से का कार्य राज्य सरकारों द्वारा पहुंच मार्गों का कार्य करने से पहले या साथ–साथ पूरा करने के प्रयास किए जाते हैं।

(ग) निर्माण कार्यों की अनुमानित लागत इस प्रकार है :

1. समपार सं. 47 पर ऊपरी सड़क पुल – 11.35 करोड़
2. समपार सं. 54/ए पर ऊपरी सड़क पुल – 11.58 करोड़
3. समपार सं. 101 पर ऊपरी सड़क पुल – 11.47 करोड़
4. समपार सं. 101/ए पर ऊपरी सड़क पुल – 12.25 करोड़

**इलेक्ट्रिक रोप शॉवेल का निर्माण**

**4845. प्रो. रीता वर्मा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) दस क्यूबिक मीटर इलेक्ट्रिक रोप शॉवेल के निर्माण में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान, 31 मार्च, 2003 तक भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) द्वारा विभिन्न कंपनियों को कंपनी–वार कुल कितने दस क्यूबिक मीटर इलेक्ट्रिक रोप शॉवेल बेचे गए और किस दर पर बेचे;

(ग) यदि नहीं, तो इस तरह के शॉवेल हेतु भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा विदेशी कंपनियों से आयात की गई तकनीक या उपकरणों का देश–वार प्रतिशत कितना है;

(घ) क्या ये कंपनियां अपनी प्रतिनिधि कंपनियों के माध्यम से भारत में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को तकनीक या उपकरणों की आपूर्ति करती हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी–वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या खरीद के मामले में विदेशी कंपनियों के भारत स्थित प्रतिनिधियों के साथ कोई विवाद उभर कर सामने आया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे विवादों को निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) :** (क) से (ग) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, अमरीका के मैसर्स बसाइरस इंटरनेशनल के साथ तकनीकी सहयोग से 10 क्यूबिक मीटर इलेक्ट्रिक रोप शॉवेल का निर्माण करता है। विगत तीन वर्षों के दौरान भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने 31 मार्च, 2003 तक कोल इंडिया लिमिटेड को 4 अदद 10 क्यूबिक मीटर इलेक्ट्रिक रोप शॉवेल बेचे हैं। इस संबंध में ब्यौरा निम्नवत है :

| ग्राहक | आपूर्ति वर्ष | मात्रा | कारखाने में प्रति यूनिट मूल्य (लाख रुपये में) | संवर्धित मूल्य (लाख रुपये में) |
|---|---|---|---|---|
| | | 2 | | |
| कोल इंडिया लिमिटेड | 2002–2003 | (सामान्य सीमा शुल्क के तहत) | 1571.36 | 3142.72 |
| | | 2 | | |
| | | (परियोजना सीमा शुल्क के तहत) | 1372.00 | 2744.00 |
| | | कुल | | 5886.72 |

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने अब तक 10 क्यूबिक मीटर इलेक्ट्रिक रोप शॉवेल के निर्माण में मौजूदा लागत के लगभग 50 प्रतिशत का स्वदेशीकरण स्तर हासिल किया है।

(घ) से (छ) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, अमरीका के मैसर्स बसाइरस इंटरनेशनल के साथ सीधे ही सौदा कर रहा है, जिसने अपना एक कार्यालय बेंगलूर में बनाया है ताकि वे तकनीकी तथा बिक्री के बाद सेवा मामलों में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की सहायता कर सकें। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का मैसर्स बसाइरस के साथ कोई विवाद नहीं है।

*[अनुवाद]*

**सेंसरशिप के प्रावधानों का उल्लंघन**

**4846. श्री पवन कुमार बंसल : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्मों से संबंधित सेंसरशिप के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामले जानकारी में आए हैं; और

(ग) ऐसी प्रवृत्तियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए और इसके क्या परिणाम निकले?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)** : (क) से (ग) केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा वर्ष 2000, 2001 और 2002 के दौरान कई राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में विभिन्न रूपों में सेंसरशिप उल्लंघनों से संबंधित प्राप्त की गई शिकायतों की संख्या क्रमशः 57, 144 और 105 है।

चलचित्र अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के कड़ाई से अनुपालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने 1.5.2001 से 30.4.2002 तक की अवधि के दौरान प्रारंभ में चार महानगरों में सिनेमा थिएटरों में नियमित जांच करने के लिए परीक्षण मामले के आधार पर एक निजी जासूसी एजेंसी को किराए पर लिया था। इस एजेंसी ने चार महानगरों में 1859 थिएटरों में जांच की थी और 31 मामले दर्ज कराने को कहा था। 10वीं योजना में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सभी क्षेत्रीय केंद्रों के लिए सिनेमा हालों में जांच करने के लिए जासूसी एजेंसियों को काम पर लगाने की अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

**सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को सरकारी ऋण**

**4847. श्री के. फ्रांसिस जार्ज : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के पुररुद्धार और इनमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की सुविधा देने हेतु इन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को ऋण प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान रुग्ण कंपनियों को प्रदान किए गए ऋण का राज्यवार ब्यौरा क्या है और इस ऋण पर कितनी ब्याज दर वसूली गई है;

(ग) क्या इनमें से कोई कंपनी अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने में समर्थ रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन कंपनियों ने अब तक ब्याज सहित ऋण का पुनर्भुगतान कर दिया है;

(च) यदि नहीं, तो बकाया मूलधन और ब्याज का कंपनी–वार ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निजी क्षेत्र की कंपनियां पीएलआर से कम दर पर बैंकिंग क्षेत्र से धन उगाहने में समर्थ हैं;

(ज) यदि हां, तो क्या सरकार का इन ऋणों पर ब्याज दर को तुलनात्मक रूप से कम करने का विचार है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) और (ख) सरकार रुग्ण उद्यमों सहित केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को गुणावगुणों के आधार पर आवश्यकता पर आधारित ऋण प्रदान करती है। विगत 3 वर्षों के दौरान रुग्ण उपक्रमों सहित केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को प्रदान किए गए ऋणों का विवरण, वित्त मंत्रालय के संबंधित वर्षों के व्यय बजट के खण्ड–I में दिया गया है तथा यह एक प्रकाशित दस्तावेज है। भारत सरकार के ऋणों पर लगाए गए ब्याज की दर वित्त मंत्रालय द्वारा समय–समय पर घोषित की जाती है तथा यह प्रदान किए गए ऋण की किस्म पर निर्भर करती है। वित्त मंत्रालय के दिनांक 30.3.2002 के परिपत्र के अनुसार 1.4.2002 से 31.3.2003 तक निवेश ऋण पर लगाए गए ब्याज की दर 13.50 प्रतिशत तथा कार्यचालन पूंजी तथा नगद घाटा पूरा करने के लिए प्राप्त ऋण पर ब्याज की दर 17.50 प्रतिशत थी। विगत वर्ष में ब्याज की दर क्रमशः 14 प्रतिशत तथा 18 प्रतिशत थी।

(ग) और (घ) वित्तीय सहायता के अलावा, केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों का पुररुद्धार अन्य पहलुओं, जैसे कि वित्तीय एवं व्यापार पुनर्गठन, आदेश पुस्तक की स्थिति, क्षमता उपयोग, लागत नियंत्रण उपायों तथा कर्मचारियों की संख्या का यौक्तिकीकरण इत्यादि पर भी निर्भर करता है। तथापि, 3.3.2003 को संसद में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2001–2002, जो कि एक प्रकाशित दस्तावेज है, के अनुसार केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण औद्योगिक उपक्रमों अर्थात यू.पी. ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, विग्नयन इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा एनटीसी (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं गोवे) ने विगत वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2001–2002 में निवल परिसम्पत्तियों में सकारात्मक सुधार किया है।

(ङ) और (च) केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण औद्योगिक उपक्रमों पर भारत सरकार के ऋण तथा ब्याज से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(छ) से (झ) केंद्रीय सरकारी क्षेत्र को प्रदान किए गए भारत सरकार के ऋणों पर ब्याज की दरों की विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर समीक्षा की जाती है।

**विवरण**

*31.3.2002 की स्थिति के अनुसार औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में पंजीकृत सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों (31.12.2002 की स्थिति के अनुसार) के बकाया भारत सरकार के ऋण/ब्याज से संबंधित विवरण ब्यौरा*

(करोड़ रुपये)

| क्र.सं. | कंपनी का नाम | ऋण | ब्याज |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि. | 23.58 | 1.35 |
| 2. | बंगाल इम्युनिटी लि. | 67.44 | 8.82 |
| 3. | भारत ब्रेक्स एंड वाल्वस लि. | 1.44 | 0.13 |
| 4. | भारत गोल्ड माइंस लि. | 704.38 | 255.4 |
| 5. | भारत इम्युनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कारपो. लि. | 11.34 | 0.80 |
| 6. | भारत ऑप्थैल्मिक ग्लास लि. | 219.86 | 22.02 |
| 7. | भारत पम्प्स एंड कंप्रेशर्स लि. | 16.82 | 3.37 |
| 8. | भारत रिफैक्ट्रीज लि. | 103.18 | 1.30 |
| 9. | भारत वैगन एंड इंजी. कं. लि. | 6.57 | 0.19 |
| 10. | बड्र्स, जूट एंड एक्सपोर्ट लि. | 11.55 | 0.60 |
| 11. | ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि. | 252.82 | 0.00 |
| 12. | बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लि. | 0.00 | 14.92 |
| 13. | कानपुर टेक्सटाईल्स लि. | 122.64 | 11.38 |
| 14. | सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. | 974.84 | 107.55 |
| 15. | एल्गिन मिल्स कंपनी लि. | 571.51 | 45.22 |
| 16. | फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. | 7027.57 | 831.58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 17. | हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि. | 636.00 | 27.89 |
| 18. | हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लि. | 91.32 | 1.30 |
| 19. | हिंदुस्तान केबल्स लि. | 73.55 | 10.74 |
| 20. | हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि. | 6004.92 | 633.69 |
| 21. | हिंदुस्तान फोटो मिल्स मैन्यु. कारपोरेशन लि. | 302.14 | 36.70 |
| 22. | हिंदुस्तान साल्ट्स लि. | 35.09 | 2.03 |
| 23. | हिंदुस्तान वेजीटेबल ऑयल कारपोरेशन लि. | 127.39 | 20.30 |
| 24. | इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि. | 716.24 | 60.41 |
| 25. | इंस्ट्रूमेंटेशन लि. | 69.52 | 7.36 |
| 26. | नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि. | 198.42 | 0.00 |
| 27. | नेशनल जूट मैन्यु. कारपोरेशन लि. | 2675.08 | 213.13 |
| 28. | नेपा लि. | 35.65 | 5.16 |
| 29. | उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि. | 0.25 | 0.00 |
| 30. | नेटेका (महाराष्ट्र नार्थ) लि. | 4.24 | 0.00 |
| 31. | प्रागा टूल्स लि. | 0.00 | 10.06 |
| 32. | प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लि. | 68.32 | 6.33 |
| 33. | पायराइट्स, फास्फेट्स एंड कैमिकल्स लि. | 146.57 | 19.59 |
| 34. | आरबीएल लि. | 9.62 | 0.00 |
| 35. | रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लि. | 8.05 | 0.00 |
| 36. | स्कूटर्स इंडिया लि. | 7.53 | 0.00 |
| 37. | स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एंड फार्मास्युटिकल्स लि. | 37.33 | 4.44 |
| 38. | त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि. | 0.00 | 5.56 |
| 39. | टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. | 457.51 | 33.82 |
| | जोड़ | 21820.28 | 2403.53 |

**निजी और सरकारी क्षेत्र में राजस्थान में विद्युत परियोजनाएं**

**4848. डा. जसवंतसिंह यादव** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में निजी और सरकारी क्षेत्र में कितनी विद्युत परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं;

(ख) ऐसी कितनी विद्युत परियोजनाएं लंबित हैं और कितनी परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं; और

(ग) उक्त परियोजनाओं के नाम क्या हैं और तत्संबंधी अनुमानित लागत कितनी है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता)** : (क) से (ग) राजस्थान में 9वीं योजना के दौरान स्वीकृत अनुमानित लागत समेत स्थापित की जाने वाली विद्युत परियोजनाओं की स्थिति संलग्न विवरण में दर्शायी गयी है।

**विवरण**

*9वीं योजना के दौरान राजस्थान में स्थापित की जाने वाली विद्युत परियोजनाओं की स्थिति, जिन्हें केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त है*

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | क्षमता (मेगावाट) | अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में) | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | सूरतगढ़ चरण–II यूनिट–3 और 4, राज्य क्षेत्र | 500 | 2057.62 | चालू |
| 2. | रामगढ़ संयुक्त साइकिल पावर प्रोजेक्ट (सीसीपीपी) चरण–2 जीटी–2 और एसटी, राज्य क्षेत्र | 75.325 | 300.10 | चालू |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3. | सूरतगढ़, संयुक्त साइकिल गैस टरबाइन (सीसीजीटी) चरण–3 स्टीम टरबाइन आरवीयूएनएल<br>केविप्रा द्वारा टीईसी की तिथि : 27.7.2001 | 250 | 752.74 | निर्माणाधीन |
| 4. | मैथानिया इंटीग्रेटिड सोलर कंबाइंड साइकिल पावर हाऊस<br>मै. राजस्थान रिन्यूवल एनर्जी कारपोरेशन लि. (आरआरईसीएल)<br>केविप्रा द्वारा टीईसी की तिथि : 27.8.1999 | 140 | 871.86 | परियोजना का कार्य शुरू होना शेष है। |
| 5. | बरसिंहसर, लिग्नाइट, एनएलसी | 2x250 | 1090.80 करोड़ रु. + 322.7 मि.यू.एस. डॉलर | एक यूनिट 10वीं योजना में चालू होगी। |

इसके अलावा भारत सरकार ने 9वीं योजना के अंत में परमाणु विद्युत परियोजना (यू–5 और यू–6) को वित्तीय मंजूरी प्रदान की। इस परियोजना पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है और यह निर्धारित समयानुसार प्रगति पर है। इनका वाणिज्यिक प्रचालन शुरू होने का समय रा.प.वि.प. यूनिट–5 के लिए अगस्त, 2007 तथा रा.प.वि.प. यूनिट–6 के लिए फरवरी, 2008 है। इन परियोजनाओं पर निर्धारित समय के अनुसार कार्य जारी है। परियोजना की पूर्णता लागत 3027 करोड़ रुपये है।

उपरोक्त के अलावा नौवीं योजना के दौरान दो संयंत्र, नामशः, धौलपुर सीसीजीटी और अंता सीसीजीटी चरण–2 को भी तकनीकी स्वीकृति दी गयी, किंतु इन संयंत्रों के क्रियान्वयन के लिए निवेश निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

*[हिन्दी]*

**देश में अनाथों के लिए कल्याणकारी गतिविधियां**

**4849. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर झारखंड में अनाथों के कल्याण के लिए कल्याणकारी गतिविधियों में लगे गैर–सरकारी संगठनों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान विशेषकर झारखंड में उक्त प्रत्येक संगठन को राज्य–वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या कुछ उक्त संगठनों ने इस धनराशि का दुरुपयोग किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) :** (क) और (ख) वर्ष 2001–2002 और 2002–2003 के दौरान अंतःदेशीय दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए शिशु गृहों को सहायता की योजना के अंतर्गत सहायता–अनुदान प्राप्त करने वाले गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण–I संलग्न है। "समाज रक्षा के क्षेत्र में सहायता के लिए सामान्य सहायता–अनुदान कार्यक्रम" नामक योजना के अंतर्गत देश में दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2001–02 और 2002–03 के दौरान स्वैच्छिक समन्वय एजेंसियों को निर्मुक्त सहायता–अनुदान का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण–II संलग्न है। झारखंड में इस योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों के कल्याणकारी कार्यकलापों में कोई गैर–सरकारी संगठन नहीं लगा है।

(ग) से (ङ) निधियों के दुरुपयोग और की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण–III में दिया गया है।

विवरण-I

| क्र.सं. | संगठन का नाम | 2001–2002 | 2002–2003 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **अरुणाचल प्रदेश** | | | |
| 1. | ओजू वेल्फेयर एसोसिएशन, ईटा नगर | 533,700.00 | 490,500.00 |
| | उप–योग | 533,700.00 | 490,500.00 |
| **असम** | | | |
| 1 | श्रीमंत संस्कार मिशन नागौन | 172,125.00 | – |
| 2. | हेलल संघ समुदायी केंद्र करीमगंज | 151,686.000 | 230,338.00 |
| | उप–योग | 323,811.00 | 230,338.00 |
| **दिल्ली** | | | |
| 1. | विल्फेयर होम फॉर चिल्ड्रेन, सरिता विहार | – | 579,024.00 |
| 2. | सेवा भारती, झंडेवाला | 466,650.00 | 658,800.00 |
| | उप–योग | 466,650.00 | 1,237,824.00 |
| **गुजरात** | | | |
| 1. | श्री काठी वाली निराश्रित बालाश्रम, राजकोट | – | 447,600.00 |
| 2. | शिशु मंगल ट्रस्ट जूनागढ़ | – | 377,100.00 |
| | उप–योग | – | 824,400.00 |
| **हरियाणा** | | | |
| 1. | हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेल्फेयर, चंडीगढ़ | 223,650.00 | 142,650.00 |
| 2. | एस ओ एस चिल्ड्रेन विलेज एसोसिएशन पंचकुला | 354,452.00 | 332,261.00 |
| | उप–योग | 578,102.00 | 474,911.00 |
| **हिमाचल प्रदेश** | | | |
| 1. | एचपी स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेल्फेयर, शिमला | 191,803.00 | 394,074.00 |
| | उप–योग | 191,803.00 | 394,074.00 |
| **कर्नाटक** | | | |
| 1. | जयंती ग्राम वूमेन एंड चिल्ड्रेन वेल्फेयर एसोसिएशन, बीजापुर | 252,000.00 | – |
| | उप–योग | 252,000.00 | – |
| **केरल** | | | |
| 1. | डिनासेवानासभा, पट्टूवम, कन्नूर | 232,200.00 | – |
| 2. | केरल स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेल्फेयर थाइकोड तिरूवनन्तापुरम | 278,290.00 | 293,326.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 3. | होली एंजल फाउंडिंग होम, त्रिचूर | 161,325.00 | 209,454.00 |
| 4. | आनंद भवन फाउंडिंग होम, कलक्कड़ | 198,598.00 | 162,598.00 |
| | उप–योग | 870,413.00 | 665,378.00 |
| **मध्य प्रदेश** | | | |
| 1. | श्री बांके बिहारी कुंज बहुद्देशीय महिला कल्याण समिति भिंड | 518,850.00 | 398,700.00 |
| | उप–योग | 518,850.00 | 398,700.00 |
| **महाराष्ट्र** | | | |
| 1. | आधार आश्रम, नासिक | 707,100.00 | 464,660.00 |
| 2. | बाल विकास महिला मंडल, लातूर | 512,100.00 | – |
| 3. | पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी, बुल्दाना | – | 1,024,200.00 |
| 4. | ध्यान गंगोत्री एजूकेशन सोसाइटी, लातूर | 516,150.00 | – |
| 5. | पंकज बहुद्देशीय शिक्षण संस्थान, भंडारा | 933,300.00 | 113,442.00 |
| 6. | जिला परिवीक्षा एवं उत्तरवर्ती देखभाल परिसंघ, कोल्हापुर | 496,800.00 | – |
| 7. | वात्सल्य ट्रस्ट, मुंबई | 453,533.00 | 824,181.00 |
| 8. | संघि निकेतन शिक्षण संस्था, नांदेड़ | 493,900.00 | 494,550.00 |
| 9. | पटेल बहुद्देशीय शिक्षण संस्थान, नागपुर | | 970,200.00 |
| 10. | श्रीमती नर्साबाई महिला मंडल, नांदेड़ | 452,700.00 | 497,250.00 |
| 11. | जिला परिवीक्षा एवं उत्तरवर्ती देखभाल परिसंघ, अहमदनगर | 513,337.00 | 518,850.00 |
| 12. | ज्योतिबा फुले सेवा ट्रस्ट, नांदेड़ | 526,950.00 | 521,775.00 |
| 13. | श्रीगणेश शिक्षक प्रसारक मंडल, लातूर | 497,250.00 | 229,050.00 |
| 14. | उन्नतिशील महिला मंडल, नांदेड़ | – | 936,050.00 |
| 15. | जयश्री सुशिक्षित बेरोजगार महिला मंडल, नागपुर | 172,125.00 | – |
| 16. | रोहिणी कल्याणकारी महिला मंडल, भंडारा | 329,719.00 | 241,500.00 |
| 17. | साकार (सोसाइटी फॉर एडाप्शन नॉलेज, अवेयरनेस एंड रिसोर्स), औरंगाबाद | 69,398.00 | 453,510.00 |
| | उप–योग | 6,674,362.00 | 7,805,908.00 |
| **मणिपुर** | | | |
| 1. | सोसल रिफार्मेशन एंड डेवलपमेंट आर्गनाइजेशन, लाइकई, इम्फाल (पूर्वी) | 479,700.00 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 2. | कम्यूनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सेंटर, थाउबल | 479,700.00 | 479,700.00 |
| 3. | टीयर फंड इंडिया कमेटी ऑन रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन सर्विस, चुडचंदपुर | 172,125.00 | 734,801.00 |
| 4. | इंटीग्रेटेड वीमेन एंड चिल्ड्रेन डेवलपमेंट सेंटर (डब्ल्यूसीडीसी), इम्फाल | 172,125.00 | 665,169.00 |
| | उप–योग | 1,303,650.00 | 1,879,670.00 |
| **मिजोरम** | | | |
| 1. | इंटरनेशनल पूल चिल्ड्रेन, आइजोल | 525,600.00 | 467,550.00 |
| | उप–योग | 525,600.00 | 467,550.00 |
| **उड़ीसा** | | | |
| 1. | सुभद्रा मेहताब सेवा सदन, खुर्दा | 241,200.00 | 482,400.00 |
| 2. | नीलांचल सेवा प्रतिष्ठान, पुरी | – | 1,480,500.00 |
| 3. | बनवासी सेवा समिति, कंधामल (फूलबनी) | 512,100.00 | 511,560.00 |
| 4. | लुथरन महिला समिति, केन्द्रपाड़ा | 504,000.00 | 486,450.00 |
| 5. | महर्षि दयानंद सर्विस मिशन, धेनकानल | 229,050.00 | 727,650.00 |
| 6. | अनाथ परित्यक्ता बालाश्रम, नयागढ़ | 418,725.00 | |
| | उप–योग | 1,905,075.00 | 3,688,560.00 |
| **राजस्थान** | | | |
| 1. | श्री करनी नगर विकास समिति, कोटा | 547,200.00 | 525,600.00 |
| 2. | मधु स्मृत महिला एंड बाल कल्याण उत्थान संस्थान, कोटा | 493,200.00 | 490,500.00 |
| | उप–योग | 1,040,400.00 | 1,016,100.00 |
| **तमिलनाडु** | | | |
| 1. | मलेशियन सोसल सर्विस, चेन्नई | 291,600.00 | – |
| | उप–योग | 291,600.00 | 0.00 |
| **त्रिपुरा** | | | |
| 1. | त्रिपुरा स्टेट काउंसिल फॉर चिल्ड्रेन, अगरतला | 266,850.00 | 514,800.00 |
| 2. | त्रिपुरा स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेल्फेयर नूतन नगर, अगरतला (पश्चिमी) | 69,038.00 | 468,900.00 |
| | उप–योग | 335,888.00 | 983,700.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| **पश्चिम बंगाल** | | | |
| 1. | स्कूटलेंस पॉवर्टी इरैडिकेशन सेंटर, कोलकाता | – | 253,877.00 |
| 2. | रामकृष्ण विवेकानंद मिशन, बराकपोर | 161,325.00 | – |
| 3. | विवेकानंद वेल्फेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी, कोलकाता | 69,488.00 | 479,700.00 |
| | उप–योग | 230,813.00 | 733,577.00 |
| | कुल योग | 16,042,717.00 | 21,291,190.00 |

**विवरण-II**

*सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की सामान्य सहायता अनुदान की योजना के अन्तर्गत दत्तक ग्रहण के लिए स्वैच्छिक समन्वय एजेंसियों को वित्तीय सहायता*

| क्र.सं. | बी.सी.ए. का नाम | वित्तीय वर्ष | |
|---|---|---|---|
| | | 2001–2002 | 2002–2003 |
| 1. | स्वैच्छिक समन्वय एजेंसी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश | 251,100.00 | 251,100.00 |
| 2. | समन्वयकारी स्वैच्छिक दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी सिविल लाइन, दिल्ली | 251,100.00 | 251,100.00 |
| 3. | समन्वयकारी स्वैच्छिक दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी, अहमदनगर, गुजरात | 283,500.00 | 283,500.00 |
| 4. | स्वैच्छिक समन्वय एजेंसी, बंगलौर, कर्नाटक | 103,900.00 | – |
| 5. | दत्तक ग्रहण के लिए स्वैच्छिक समन्वय एजेंसी, कलामसरी, केरल | – | 567,700.00 |
| 6. | स्वैच्छिक समन्वय एजेंसी, मुंबई, महाराष्ट्र | 136,160.00 | 283,500.00 |
| 7. | स्वैच्छिक समन्वय एजेंसी (विदर्भ क्षेत्र) नागपुर, महाराष्ट्र | – | 305,938.00 |
| 8 | स्वैच्छिक समन्वय एजेंसी (बच्चों के लिए शिशु गृह) पुणे, महाराष्ट्र | 216,715.00 | 210,212.00 |
| 9. | स्वैच्छिक समन्वय एजेंसी (शाहने कंसल्टेंट प्राइवेट लि.) पुणे, महाराष्ट्र | 195,943.00 | 220,490.00 |
| 10. | स्वैच्छिक समन्वय एजेंसी, संयोग, कटक, उड़ीसा | 283,500.00 | 283,500.00 |
| 11. | दत्तक ग्रहण के लिए स्वैच्छिक समन्वय एजेंसी, चेन्नई, तमिलनाडु | 283,500.00 | 276,075.00 |
| 12. | पश्चिम बंगाल के लिए दत्तक ग्रहण स्वैच्छिक समन्वय एजेंसी कोलकाता, पश्चिम बंगाल | 425,250.00 | 251,100.00 |
| | कुल | 2,430,668.00 | 3,183,515.00 |

**विवरण-III**

*शिशु गृह योजना के अंतर्गत अनियमितताओं के लिए गैर–सरकारी संगठनों के खिलाफ की गई कार्रवाई*

| क्र.सं. | संगठन का नाम | की गई कार्रवाई | जारी की तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | मद्रास सोसल सर्विस गिल्ड, चेन्नई, तमिलनाडु | परियोजना वापिस ली गई | 18.6.1999 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 2. | प्रियदर्शनी शिक्षण प्रसारक मंडल, चन्द्रपुर, महाराष्ट्र | परियोजना वापिस ली गई | 1.9.2000 |
| 3. | विकास परिषद एटी–कदपराखारीपाड़िया डाकघर–दाधिबामनपुर (42 मौजा) जिला, कटक, उड़ीसा | परियोजना वापिस ली गई | 10.04.2001 |
| 4. | इंडियन काउंसिल ऑफ सोसल वेल्फेयर हैदराबाद, आंध्र प्रदेश | परियोजना वापिस ली गई | 25.5.2001 |
| 5. | प्रियदर्शनी सर्विस आर्गनाइजेशन विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश | परियोजना वापिस ली गई | 25.5.2001 |
| 6. | सोसल एक्शन फॉर सोसल डेवलपमेंट, महबूब नगर, आंध्र प्रदेश | परियोजना वापिस ली गई | 25.6.2001 |
| 7. | कम्यूनिटी लीगल एक्शन एंड रिसर्च सेंटर, स्थान/पोस्ट ऑफिस–वेंसिया, वाया महिमगढ़ी जिला–धेनकनाल, उड़ीसा | परियोजना वापिस ली गई | 14.3.2002 |
| 8. | मलेशियन सोसल सर्विसेज, एच.ओ.नं. 6, सेनगुंथर स्ट्रीट, शेनॉय नगर, चेन्नई, तमिलनाडु | परियोजना वापिस ली गई | 03.4.2002 |
| 9. | जयंती ग्राम वीमेन एंड चिल्ड्रेन वेल्फेयर एसोसिएशन पी.बी. नं. 55, मल्लिकार्जुन ज्ञान योगाश्रम, बी.एल.डी.ई. रोड, बीजापुर, कर्नाटक | अनुदान रोका गया और मामला न्यायालय में लंबित है | 13.5.2002 |
| 10. | सोसल रिफार्मेशन एंड डेवलपमेंट आर्गनाइजेशन, इम्फाल, मणिपुर | अनुदान रोका गया और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है | 27.12.2002 |

**पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया को विश्व बैंक का ऋण**

**4850. श्री तूफानी सरोज** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (पीजीसीआईएल) ने हाल ही में आप्टीकल फाइबर बिछाने हेतु विश्व बैंक से ऋण लिया है;

(ख) यदि हां, तो ऋण राशि का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या कारपोरेशन ने पहले भी आप्टीकल फाइबर बिछाने का कार्य किया है;

(घ) यदि हां, तो पावर ग्रिड कारपोरेशन द्वारा अब तक बिछाए गए आप्टीकल फाइबर की किलोमीटर में लंबाई कितनी है;

(ङ) इस पर कितनी राशि व्यय की गई;

(च) क्या कारपोरेशन ने इस परियोजना से लाभ अर्जित किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता)** : (क) और (ख) पीजीसीआईएल ने बैकबोन टेलीकाम नेटवर्क की स्थापना से जुड़ी परियोजना सहित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 450 मिलियन अमरीकी डालर (पावर सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट–2) के ऋण के लिए विश्व बैंक के साथ करार पर 13 जून, 2001 को हस्ताक्षर किया था। यह ऋण 21.11.2001 से 30.6.2006 तक की अवधि के लिए है। एलआईबीओआर आधारित ब्याज दर से इस ऋण की अदायगी 15.12.2006 से शुरू होगी और 15 वर्ष की अवधि तक अदायगी जारी रहेगी।

(ग) और (घ) पावरग्रिड के लिए बैकबोन टेलीकाम नेटवर्क की स्थापना से जुड़ी परियोजना के लिए निवेश स्वीकृति 12.3.2003 को दी गई। इस परियोजना में देश के 60 से अधिक बड़े नगरों में लगभग 14,000 कि.मी. की ब्राडबैंड आप्टिक

फाइबर बैकबोन नेटवर्क की स्थापना का कार्य शामिल है। परियोजना का कार्य दिसम्बर, 2003 तक पूरा होना है। पावरग्रिड ने यूनिफाइड लोड डिस्पैच एण्ड कम्यूनिकेशन स्कीम की लाइन और दिल्ली–मुंबई टेलीकाम लाइन सहित 4,800 कि.मी. के आप्टिक फाइबर नेटवर्क की स्थापना पहले ही कर ली है।

(ङ) पावरग्रिड ने अब तक आप्टिकल फाइबर नेटवर्क कार्य पर 202 करोड़ रु. की राशि व्यय की है जिसमें यू. एल.डी.सी. परियोजनाओं में किए गए टेलीकाम निवेश अर्थात पारेषण लाइनों पर स्थापित आप्टिक फाइबर लिंक और दिल्ली–मुंबई टेलीकाम लिंक के अनुपात में लागत भी शामिल है।

(च) और (छ) पावरग्रिड की बैकबोन टेलीकाम नेटवर्क की स्थापना से जुड़ी परियोजना का कार्य दिसम्बर, 2003 तक पूरा होना निर्धारित है। पावरग्रिड को यद्यपि यूएलडीसी परियोजनाओं के तहत स्थापित आप्टिकल फाइबर लिंक्स और दिल्ली–मुम्बई टेलीकाम लिंक लाइन से आमदनी होनी शुरू हुई है, इस नेटवर्क से आय–अर्जन के फलस्वरूप लाभप्रदता की जानकारी परियोजना के पूरी तरह क्रियाशील होने पर ही प्राप्त हो सकेगी।

*[अनुवाद]*

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों द्वारा किसानों को जल**

**4851. श्री जी. एस. बसवराज : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपारंपरिक ऊर्जा/सौर प्रणाली के किसी तरीके के अन्तर्गत खेती हेतु किसानों को जल प्रदान करने हेतु कोई परियोजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सौर ऊर्जा प्रणाली के अन्तर्गत गांवों को जल प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन)** : (क) जी, हां। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय खेती के उद्देश्यों तथा कुछ अन्य प्रयोगों के लिए किसानों को जल उपलब्ध कराने के लिए सौर प्रकाशवोल्टीय जल पंपन प्रणालियों तथा जल पंपन पवन मिलों को स्थापित करने के संबंध में योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है।

(ख) इन योजनाओं के अन्तर्गत मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का विवरण संलग्न है। मंत्रालय के कार्यक्रमों के अन्तर्गत कृषि तथा अन्य अनुप्रयोगों के लिए देश के विभिन्न भागों में अब तक कुल 5,591 सौर प्रकाशवोल्टीय जल पंपन प्रणालियां और 888 जल पंपन पवन मिलों की स्थापना की गई है।

(ग) सौर पीवी जल पंपन प्रणाली पर मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत सामुदायिक पेयजल आपूर्ति के लिए प्रणालियों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है बशर्ते कि राज्य सरकार या उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा शेष निधियों का प्रबंध किया जाता है तथा संबंधित एजेंसी द्वारा जल के भंडारण और वितरण के लिए आवश्यक प्रबंध भी किए जाते हैं।

(घ) सामुदायिक पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए एसपीवी जल पंपन प्रणालियों को स्थापित करने के लिए मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का विवरण संलग्न है।

**विवरण**

**I. सौर प्रकाशवोल्टीय जल पंपन प्रणालियां**

| क्र.सं. | कार्यान्वयन व्यवस्था | केन्द्रीय वित्तीय सहायता | ऋण |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | विनिर्माताओं द्वारा प्रत्यक्ष मार्केटिंग, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) के माध्यम से सब्सिडी | उपयोग किए गए प्रकाशवोल्टीय (पीवी) ऐरे का 110 रु. प्रतिवाट जो प्रति प्रणाली अधिकतम 2.5 लाख रु. के अध्यधीन है | शेष बिना सब्सिडी वाले मूल्य के 90 प्रतिशत पर बिचौलियों और उपयोगकर्ताओं का क्रमशः 2.5 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की ब्याज दर पर उदार ऋण जिसे 1 वर्ष की विलंबन अवधि के साथ 10 वर्षों में चुकाया जाना है |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | 2. राज्यों द्वारा प्रत्यक्ष प्राप्ति | उपयोग किए गए प्रकाशवोल्टीय (पीवी) ऐरे का 135 रु. प्रतिवाट जो प्रति प्रणाली अधिकतम 2.5 लाख रु. के अध्यधीन है | इरेडा से ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं |
| | 3. पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा प्रत्यक्ष प्राप्ति | प्रणाली की अनुमोदित पूर्व–कार्य लागत का 99 प्रतिशत | –वही– |
| | 4. सामुदायिक पेयजल की आपूर्ति | उपयोग किए गए प्रकाशवोल्टीय (पीवी) ऐरे का 110 रु. प्रतिवाट जो प्रति प्रणाली अधिकतम 2.5 लाख रु. के अध्यधीन है | –वही– |

**II. जल पंपन पवन चक्कियां**

| क्र.सं. | जल पंपन पवन चक्की का प्रकार | केन्द्रीय वित्तीय सहायता |
|---|---|---|
| 1. | डायरेक्ट ड्राइव–मोडीफाइड 12 पीयू 500 टाइप | पवन चक्की की पूर्व कार्य–लागत का 50 प्रतिशत जो प्रति पवन चक्की 20,000 रुपये के अध्यधीन है |
| 2. | डायरेक्ट ड्राइव–ओरोविले एवी 55 टाइप | पवन चक्की की पूर्व कार्य–लागत का 50 प्रतिशत जो प्रति पवन चक्की 45,000 रुपये के अध्यधीन है |
| 3. | गियर टाइप | पवन चक्की की पूर्व कार्य–लागत का 50 प्रतिशत जो प्रति पवन चक्की 30,000 रुपये के अध्यधीन है |

**ए.सी.-3 टियर कम्पार्टमेंट का डिजाइन**

**4852. श्री ए. ब्रह्मनैया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए.सी.–3 टियर कम्पार्टमेंट का डिजाइन ठीक नहीं है;

(ख) क्या वृद्ध यात्री ऊपर के बर्थ पर जाने में असमर्थ होते हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार बेहतर डिजाइन और यात्री अनुकूल ए.सी.–3 टियर कम्पार्टमेंट शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ए.सी.–3 टियर कम्पार्टमेंट में और सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) जी, नहीं। यात्रियों की संरक्षा और आराम को ध्यान में रखकर ए.सी.–3 टियर सहित सभी डिब्बों को समुचित रूप से डिजाइन किया जाता है।

(ख) ए.सी. और गैर–ए.सी. सवारी डिब्बों में ऊपर की शायिकाओं पर चढ़ने की व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा, यथासंभव, कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली के सीट/शायिका आवंटन में वरिष्ठ नागरिक के आवंटन के लिए नीचे की शायिका को ध्यान में रखा जाता है।

(ग) से (ङ) रेलवे सवारी डिब्बों के डिजाइन एवं सभी किस्म की सुख–सुविधाओं में सुधार एक सतत प्रक्रिया है जिसे अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन तथा उत्पादन इकाइयों द्वारा किया जाता है।

*[हिन्दी]*

**परमवीर, महावीर और वीर चक्र पुरस्कार पाने वालों को निःशुल्क यात्रा सुविधा**

**4853. श्री रामपाल सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने हाल ही में शौर्य पुरस्कार पाने वालों को राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान करने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन नागरिकों को भी यह सुविधा प्रदान करने का है जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर वीरता पुरस्कार मिला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) जी, हां।

(ख) परमवीर चक्र, महावीर चक्र तथा वीर चक्र वीरता पुरस्कार विजेताओं को जारी प्रथम श्रेणी/वातानुकूल 2 टियर मानार्थ कार्ड/पासों को राजधानी की वातानुकूल 2 टियर/वातानुकूल 3 टियर और शताब्दी/जनशताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों के कुर्सीयान में यात्रा करने के लिए मान्य किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) रेल मंत्रालय की योजना के तहत रक्षा/पुलिस बलों के वीरता पुरस्कार विजेताओं को मानार्थ कार्ड पास जारी किए जाते हैं। वित्तीय तथा अन्य प्रतिक्रियाओं की वजह से इस योजना के क्षेत्र को असैनिक वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के लिए बढ़ाना संभवन नहीं हुआ है।

## केबिल तार द्वारा दूरदर्शन कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव

**4854. श्री रामदास आठवले** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में विशेषकर दिल्ली में दूरदर्शन एन्टिना के निकट निजी केबिल नेटवर्क आपरेटरों द्वारा केबिल बिछाने के कारण दूरदर्शन के दर्शक दूरदर्शन कार्यक्रमों का स्पष्ट प्रसारण देखने में असमर्थ हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त कार्रवाई द्वारा प्रभावित प्रसारण क्षमता बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)** : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दर्शकों के लिए दूरदर्शन के कार्यक्रमों की स्थलीय प्राप्ति बाधित हो सकती है यदि केबल आपरेटरों द्वारा इन कार्यक्रमों का वितरण विशिष्ट क्षेत्र में उसी आवृत्ति पर किया जाए जो कि उस क्षेत्र की दूरदर्शन क्षेत्रीय प्रसारण की आवृत्ति है। कार्यक्रमों की प्राप्ति तब भी बाधित हो सकती है, जबकि किसी दर्शक के अभिग्रहण एंटिना के नजदीक से गुजर रहे केबल आपरेटरों का तार उचित गुणवत्ता का नहीं है।

(ख) और (ग) केबल टीवी अधिनियम के अनुसार, देश के सभी केबल आपरेटरों के लिए यह अनिवार्य है कि वे विशिष्ट क्षेत्र में क्षेत्रीय प्रसारण की आवृत्तियों के अलावा किसी अन्य आवृत्ति पर प्राइम बैंड पर दूरदर्शन के दो स्थलीय चैनलों (डीडी 1 एवं डीडी 2) तथा राज्य के क्षेत्रीय चैनल के कार्यक्रमों का वितरण करें। दूरदर्शन केबल टीवी विनियमन अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए केबल आपरेटरों को मनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। दूरदर्शन केबल आपरेटरों से गुणवत्तात्मक सिगनल प्राप्त होने के अपने अधिकारों के बारे में दर्शकों को शिक्षित करने और उनके प्रति जागरूक बनाने के लिए कार्यक्रम भी प्रसारित करता आ रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

## उड़ीसा में रसोई गैस के विक्रय केन्द्र

**4855. श्री भर्तृहरि महताब** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल कंपनियों द्वारा उड़ीसा में रसोई गैस के विक्रय केन्द्रों में वृद्धि करने हेतु कोई बाजार सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)** : (क) और (ख) प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (एपीएम) की समाप्ति के परिणामस्वरूप तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) राज्यों में अपने वाणिज्यिक दृष्टिकोणों के अनुसार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करने

हेतु स्थानों का चयन करने के लिए स्वतन्त्र हैं। ओएमसीज द्वारा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना के लिए संभाव्य स्थलों की पहचान करना एक सतत प्रक्रिया है।

**मुनाफे की भागीदारी हेतु प्रस्ताव**

**4856. श्री बसुदेव आचार्य :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत भविष्य में गैस और तेल के दोहन हेतु केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य मुनाफे की भागीदारी के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वित्त मंत्रालय ने चल रही कोल बेड मीथेन परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार के साथ मुनाफे की भागीदारी के संबंध में उनके मंत्रालय के प्रस्ताव पर आपत्ति की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या बारहवें वित्त आयोग को यह मामला उसके सुझाव हेतु भेजा गया है; और

(च) यदि हां, तो इस पर और क्या प्रतिक्रिया हुई है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) :** (क) से (च) कुछ राज्य सरकारों ने नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) के तहत लाभ तेल हिस्सेदारी तथा सीबीएम नीति के तहत उत्पादन स्तरीय भुगतान (पीएलपी) तथा वाणिज्यिक खोज बोनस के लिए अनुरोध किया है। ये अनुरोध सरकार के विचाराधीन हैं तथा सरकार ने प्रस्ताव में शामिल सभी मुद्दों पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

**इंडियन आयल कारपोरेशन लि. की कुवैत पेट्रोलियम कारपोरेशन के साथ तेल शोधन परियोजनाएं**

**4857. श्री अनन्त नायक :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन लि. द्वारा कुवैत पेट्रोलियम कारपोरेशन के सहयोग से देश में कुछ तेल शोधन परियोजनाओं की स्थापना की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं के किस संभावित तारीख तक वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की संभावना है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) :** (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

**सौर ऊर्जा द्वारा घरेलू बिजली**

**4858. श्री दिलीप संघाणी : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौर ऊर्जा के माध्यम से घरेलू बिजली कार्यक्रम गुजरात राज्य में कार्यान्वयनाधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्यक्रम की वित्तपोषण की पद्धति क्या है?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) :** (क) से (ग) मंत्रालय अपने सौर प्रकाशवोल्टीय (एसपीवी) कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात सहित सभी राज्यों में सौर घरेलू प्रणालियों (घरेलू रोशनी प्रणालियों) की संस्थापना को सहायता दे रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार द्वारा सौर घरेलू प्रणालियों के गैर–वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं को सब्सिडी और कार्यक्रम कार्यान्वयन संगठनों को कुछ सेवा प्रभार राशि दी जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता वाली सौर घरेलू प्रणालियों के विभिन्न माडलों, केन्द्रीय वित्तीय सहायता और पात्र लाभार्थी श्रेणियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

गुजरात में एसपीवी कार्यक्रम का कार्यान्वयन, अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों के लिए राज्य नोडल एजेंसी अर्थात गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी (जीईडीए), वड़ोदरा के माध्यम से किया जा रहा है। जीईडीए से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार राज्य में 15 अप्रैल, 2003 तक कुल 3,351 सौर घरेलू प्रणालियां लगाई गई हैं। वर्ष 2002–2003 के एसपीवी कार्यक्रम के अन्तर्गत जीईडीए को 2,000 सौर घरेलू प्रणालियां आवंटित की गई हैं। ये प्रणालियां 31 मई, 2003 तक लगाई जानी हैं।

**विवरण**

*एसपीवी कार्यक्रम के अन्तर्गत सौर घरेलू प्रणालियों की संस्थापना के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता की पद्धति और पात्र लाभार्थी श्रेणियां*

**क. केन्द्रीय वित्तीय सहायता की पद्धति**

| सौर घरेलू प्रणाली | केन्द्रीय सब्सिडी | | सेवा प्रभार |
|---|---|---|---|
| | सामान्य क्षेत्रों के लिए पूर्व कार्य लागत का 50 प्रतिशत, जो अधिकतम निम्नलिखित के अध्यधीन है | पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पूर्व कार्य लागत का 90 प्रतिशत, जो अधिकतम निम्नलिखित के अध्यधीन है | |
| मॉडल 1 (18 वाट पीवी मॉडयूल, 1 रोशनी) | 3,000/– रुपये | 5,000/– रुपये | 200/– रुपये |
| मॉडल 2 (37 वाट पीवी मॉडयूल, 2 रोशनी) | 5,500/– रुपये | 10,000/– रुपये | 200/– रुपये |
| मॉडल 3 (37 वाट पीवी मॉडयूल, 1 रोशनी, 1 पंखा) | 5,500/– रुपये | 10,000/– रुपये | 200/– रुपये |
| मॉडल 4 (74 वाट पीवी मॉडयूल, 2 रोशनी, 1 पंखा) | 10,000/– रुपये | 18,000/– रुपये | 200/– रुपये |
| मॉडल 5 (74 वाट पीवी मॉडयूल, 4 रोशनी) | 10,000/– रुपये | 18,000/– रुपये | 200/– रुपये |

**ख. केन्द्रीय सब्सिडी के लिए पात्र लाभार्थी श्रेणियां**

1. सभी श्रेणियों के व्यक्तिगत लाभार्थी और गैर–लाभार्थी संस्थाएं/संगठन। किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक प्रणाली नहीं दी जाएगी।

2. पूंजी सब्सिडी योजना के अन्तर्गत वाणिज्यिक संगठन शामिल नहीं है।

**डीटीएच सेवा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश**

**4859. कुंवर अखिलेश सिंह : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीटीएच सेवा को लाइसेंस प्रदान करने से पूर्व सरकार ने इस बात की पूर्ण रूप से जांच की है कि क्या कोई विदेशी कंपनी किसी नकली भारतीय कंपनी को सामने रखकर प्रश्च द्वार से भारत में डीटीएच सेवा हेतु वास्तव में लाइसेंस ले रही है, जैसाकि स्टार टीवी ने अपने दो कर्मचारियों को स्पेस टीवी का प्रोमोटर बनाकर नकली भारतीय कंपनी स्पेस टीवी के माध्यम से डीटीएच लाइसेंस हेतु आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) डीटीएच सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन करने वाली कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार डीटीएच और समाचार अपलिंकिंग सेवाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की पुनः जांच करने का प्रयास कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) :** (क) और (ख) डीटीएच दिशानिर्देशों के अनुसार डीटीएच लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक कंपनी को कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत भारतीय कंपनी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। आवेदक कंपनी में एफडीआई/एनआरआई/ओसीबी/एफआईआई सहित कुल विदेशी इक्विटी धारिता 49 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। विदेशी इक्विटी के भीतर एफडीआई घटक 20 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। स्पेस टीवी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सूचित किया गया है कि स्टार टीवी ने स्पेस टीवी में इक्विटी शेयरधारिता में शामिल होने में रुचि दिखाई है। इस समय के लिए स्टार टीवी के कर्मचारियों ने व्यक्तिगत रूप से 10.01 करोड़ रु. की इक्विटी लगाई है। इसके आगे स्पेस टीवी डीटीएच परियोजना के निष्पादन और प्रबंधन में

स्पेस टीवी को समर्थन और सहयोग देगा तथा स्पेस टीवी के पे टीवी प्लेटफार्म के प्रबंधन में अपनी विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए भी सहमत हो गया है।

डीटीएच सेवा के लिए लाइसेंस केवल निर्धारित पात्रता प्रक्रिया पूरी करने तथा इस संबंध में निर्धारित विभिन्न निबंधनों और शर्तों को पूरा करने पर ही दिया जाएगा।

(ग) डीटीएच सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन करने वाली कंपनियां हैं : (1) स्पेस टीवी प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई (2) एएससी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (3) एस्सेल श्याम कम्युनिकेशन लिमिटेड।

(घ) और (ङ) इस समय डीटीएच सेवा में एफडीआई सीमा पर पुनर्विचार का कोई प्रस्ताव नहीं है। जहां तक समाचार अपलिंकिंग सेवा का संबंध है सरकार ने मार्च, 2003 में विदेशी स्वामित्व वाले समाचार चैनलों के अपलिंकिंग के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये अन्य बातों के साथ-साथ आवेदक कंपनी में कुल चुकता पूंजी के 26 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी धारिता की अनुमति देते हैं तथा कंपनी को कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत भारत में पंजीकृत होना अपेक्षित है और इसके अधिसंख्य निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और समाचार संपादक को भारत का निवासी होना चाहिए।

प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के बावजूद सीधे समाचार/विदेशी एकत्रीकरण और प्रसारण के लिए सुविधाओं/सूचनाओं के प्रयोग की अनुमति केवल उन चैनलों को दी जाएगी जो भारत से अपलिंक किए गए हैं तथा चैनल/कंपनी को सुनिश्चित करना होगा कि इसको समाचार और सम-सामयिक विषयों के प्रदाता पत्र सूचना कार्यालय से प्रत्यायित हैं।

### मैदानी क्षेत्रों में छोटे सिलिंडरों की आपूर्ति

**4860. श्री एस. मुरुगेसन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के दूरदराज/पहाड़ी क्षेत्रों के लिए लघु क्षमता वाले पांच कि.ग्रा. के रसोई गैस सिलिंडर शुरू किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी विस्तृत संभावना पर विचार करते हुए मैदानी क्षेत्रों में भी लघु क्षमता वाले सिलिंडरों की आपूर्ति की जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)** : (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने विभिन्न राज्यों में चुनिंदा ग्रामीण, शहरी-ग्रामीण तथा पर्वतीय बाजारों में 5 किलोग्राम वजन के एलपीजी सिलिंडरों की शुरूआत की है। इन बाजारों से प्राप्त अनुभव तथा फीड बैक के आधार पर ओएमसीज द्वारा 5 किलोग्राम वजन के सिलिंडरों की शुरूआत चरणबद्ध तरीके से अन्य बाजारों में भी की जाएगी।

### सौर ऊर्जा द्वारा संवर्धित विद्युत क्षमता

**4861. डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 2002 की स्थिति के अनुसार देश में सोलर फोटोवाल्टाइक सैल्स (एसपीवी) विद्युत कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्युत क्षमता में कुल कितनी वृद्धि की गई;

(ख) 31 दिसम्बर, 2002 की स्थिति के अनुसार सोलर फोटोवाल्टाइक की कितनी इकाइयां स्थापित की गईं और राज्यवार कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(ग) सरकार का विचार सोलर फोटोवाल्टाइक के उपयोग को लोकप्रिय बनाने हेतु क्या कदम उठाने का है?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन)** : (क) और (ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने के लिए एक देशव्यापी सौर प्रकाशवोल्टीय (एसपीवी) कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत रोशनी, जल पंपन तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने और दूरदराज के गांवों के विद्युतीकरण के लिए विभिन्न प्रकार की एसपीवी प्रणालियां, जैसे सौर घरेलू प्रणालियां, सड़क रोशनी प्रणालियां, जल पंपन प्रणालियां तथा विद्युत संयंत्रों आदि की स्थापना को सहायता दी जा रही है। इन प्रणालियों की स्थापना के लिए मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय सब्सिडी, उदार ऋण पैकेज तथा अन्य प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाते हैं। मंत्रालय का सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसियों, चुनिंदा गैर-सरकारी संगठनों तथा भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) लिमिटेड, के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।

ग्रामीण टेलीफोन, बैटरी चार्जिंग, सड़क तथा रेलवे सिग्नल देने के लिए और अन्य औद्योगिक एवं वाणिज्यिक अनुप्रयोगों

जैसे अनुप्रयोगों के लिए विद्युत प्रदान करने हेतु भी एसपीवी प्रणालियां प्रयोग की जा रही हैं।

31 दिसम्बर, 2002 की स्थिति के अनुसार विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए लगभग 10.3 लाख सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां और 61 मेगावाट पी समग्र एसपीवी क्षमता के विद्युत संयंत्रों को देश में स्थापित किए जाने का अनुमान लगाया गया है। इसके अतिरिक्त 46 मेगावाट पी क्षमता के एसपीवी उत्पादों का निर्यात किया गया।

31.12.2002 तक मंत्रालय के कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित की गई एसपीवी प्रणालियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है। इन प्रणालियों तथा विद्युत संयंत्रों की समग्र एसपीवी क्षमता लगभग 27.65 मेगावाट पी है।

वर्ष 2001–2002 एवं 2002–2003 (31 दिसम्बर, 2002 तक) के दौरान मंत्रालय के सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत जारी की गई राज्यवार वित्तीय सहायता संलग्न विवरण–II में दी गई है।

(ग) मंत्रालय ने एसपीवी प्रणालियों तथा विद्युत संयंत्रों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

1. मंत्रालय के कार्यक्रमों के अन्तर्गत नौवीं योजना अवधि के दौरान लगभग 14 मेगावाट पी की स्थापना की तुलना में दसवीं योजना अवधि के दौरान लगभग 56 मेगावाट पी समग्र क्षमता की एसपीवी प्रणालियों तथा विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए पूंजीगत तथा ब्याज सब्सिडी योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान करना।
2. दूरदराज के गांवों के विद्युतीकरण के लिए एक कार्यक्रम का कार्यान्वयन, दसवीं योजना के दौरान एसपीवी प्रणालियों के प्रयोग के माध्यम से लगभग 4,000 गांवों को विद्युतीकृत किए जाने की आशा है।
3. प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों के प्रयोग का विस्तार करने के लिए जनजातीय कल्याण, पेयजल आपूर्ति, एमपीएलएडी तथा एमएलएएलएडी योजनाओं आदि जैसे अन्य कार्यक्रमों से संसाधनों को जुटाना।
4. रियायती सीमा–शुल्क, उत्पाद शुल्क से छूट तथा त्वरित अवमूल्यन जैसे वित्तीय तथा राजकोषीय प्रोत्साहन, विनिर्माताओं तथा उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराना।
5. उत्पादों में सुधार और लागतों में कमी करने के उद्देश्य से अनुसंधान एवं विकास परियोजना के लिए सहायता।

**विवरण-I**

*31.12.2002 तक स्थापित की गई सौर प्रकाशवोल्टीय (एसपीवी) प्रणालियों का राज्यवार ब्यौरा*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/अन्य | सौर लालटेन (सं.) | घरेलू रोशनी प्रणालियां (सं.) | सड़क रोशनी प्रणालियां (सं.) | विद्युत संयंत्र एवं अन्य प्रणालियां (केडब्ल्यूपी) | जल पंपन प्रणालियां (सं.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 27707 | 1033 | 3520 | 296.66 | 603 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 4937 | 750 | 738 | 17.10 | 1 |
| 3. | असम | 541 | 2787 | 98 | 7.50 | 45 |
| 4. | बिहार | 28275 | 679 | 490 | – | 128 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 3192 | 3612 | 1237 | 76.65 | 5 |
| 6. | गोवा | 443 | 51 | 69 | 1.72 | 15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | गुजरात | 31603 | 2552 | 1764 | 24.90 | 43 |
| 8. | हरियाणा | 32727 | 9666 | 612 | 24.20 | 268 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 20697 | 10848 | 1319 | 1.50 | 6 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 9202 | 25317 | 389 | 40.00 | 18 |
| 11. | झारखंड | 16374 | 102 | 135 | – | 6 |
| 12. | कर्नाटक | 7334 | 4626 | 914 | 48.91 | 339 |
| 13. | केरल | 39681 | 18343 | 1065 | 69.74 | 737 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 8564 | 159 | 5714 | 361.40 | 78 |
| 15. | महाराष्ट्र | 8683 | 721 | 3388 | 191.40 | 189 |
| 16. | मणिपुर | 3883 | 650 | 370 | 11.00 | 12 |
| 17. | मेघालय | 4875 | 540 | 593 | 42.00 | 5 |
| 18. | मिजोरम | 5812 | 1645 | 317 | – | 37 |
| 19. | नागालैंड | 95 | 143 | 271 | 6.00 | – |
| 20. | उड़ीसा | 7484 | 2914 | 5665 | 36.52 | 4 |
| 21. | पंजाब | 14495 | 2520 | 1666 | 346.00 | 1119 |
| 22. | राजस्थान | 4716 | 34464 | 6473 | 75.80 | 268 |
| 23. | सिक्किम | 845 | 340 | 127 | – | – |
| 24. | तमिलनाडु | 12818 | 471 | 2272 | 237.00 | 760 |
| 25. | त्रिपुरा | 20805 | 2238 | 760 | 24.57 | 10 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 52815 | 50938 | 550 | 454.20 | 234 |
| 27. | उत्तरांचल | 27027 | 37854 | 250 | 80.03 | 10 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 3662 | 25916 | 1461 | 415.00 | 48 |
| 29. | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 796 | 405 | 358 | 217.00 | 5 |
| 30. | चंडीगढ़ | 1675 | 275 | – | – | 12 |
| 31. | दादरा व नगर हवेली | – | – | – | – | 1 |
| 32. | दिल्ली | 4753 | – | 301 | 15.00 | 86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | लक्षद्वीप | 8455 | – | 821 | 735.00 | – |
| 34. | पांडिचेरी | 637 | 13 | 62 | – | 21 |
| 35. | अन्य (गैर–सरकारी संगठन/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) | 28197 | 3295 | – | – | – |

**विवरण-II**

*वर्ष 2001–02 और 2002–03 (31 दिसम्बर, 2002 तक) के दौरान एसपीवी कार्यक्रम के अन्तर्गत रिलीज की गई राज्यवार वित्तीय सहायता*

(लाख रु. में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | रिलीज की गई वित्तीय सहायता | |
|---|---|---|---|
| | | 2001–02 | 2002–03 (31.12.2002 तक) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 239.41 | 40 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | – | – |
| 3. | असम | 1.25 | 42.5 |
| 4. | बिहार | – | – |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 249.8 | 44.3 |
| 6. | गोवा | – | – |
| 7. | गुजरात | 69.75 | 70 |
| 8. | हरियाणा | 170.81 | 96.75 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 133.94 | 99.5 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 771.66 | 19.75 |
| 11. | झारखंड | – | 18.78 |
| 12. | कर्नाटक | 106.97 | 139.77 |
| 13 | केरल | 838.28 | – |
| 14. | मध्य प्रदेश | 32.26 | 7.5 |
| 15. | महाराष्ट्र | 38.75 | 41.11 |
| 16. | मणिपुर | 44.75 | 44.75 |
| 17. | मेघालय | 0.6 | – |
| 18. | मिजोरम | 19.95 | 31.33 |
| 19. | नागालैंड | – | – |
| 20. | उड़ीसा | 61 | – |
| 21. | पंजाब | 157.4 | 100.51 |
| 22. | राजस्थान | 557.89 | 412.04 |
| 23. | सिक्किम | 36.92 | 20.9 |
| 24. | तमिलनाडु | 53.8 | – |
| 25. | त्रिपुरा | 205.4 | 285.1 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 775.4 | 226.92 |
| 27. | उत्तरांचल | 257.75 | 344.55 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 793.05 | 164.84 |
| 29. | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 60 | – |
| 30. | चंडीगढ़ | 10.53 | 4.33 |
| 31. | दिल्ली | 0.83 | – |
| 32. | लक्षद्वीप | 572.49 | 98 |
| 33. | पांडिचेरी | 3.78 | 1.67 |
| 34. | अन्य (गैर–सरकारी संगठन/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) | 281.3 | 32.60 |

**महाराष्ट्र और कर्नाटक में जल विद्युत परियोजना**

**4862. श्री रामशेठ ठाकुर :**
**श्री ए. वेंकटेश नायक :**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र और कर्नाटक में जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितने मेगावाट है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपर्युक्त राज्यों में कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं मंजूर की गईं;

(ग) इन परियोजनाओं में कौन सी भारतीय विदेशी फर्मों ने निवेश किया था;

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार से किन-किन जल विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव पर क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) उनके लंबित होने के क्या कारण हैं?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) :** (क) जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता (3 मेगावाट से अधिक) महाराष्ट्र में 2768.3 मेगावाट और कर्नाटक में 2909.4 मेगावाट है।

(ख) 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किसी जल विद्युत परियोजना को स्वीकृति नहीं दी गई है। कर्नाटक में इस योजनावधि के दौरान राज्य में क्रियान्वयन हेतु अलमाटी बांध विद्युत गृह स्कीम (1x15+5x55=290 मेगावाट) को स्वीकृति दी गई।

(ग) कर्नाटक में अलमाटी बांध विद्युत गृह स्कीम के क्रियान्वयन के लिए पावर फाइनेंस कारपोरेशन ने ऋण उपलब्ध कराया है।

(घ) से (च) महाराष्ट्र सरकार ने नौवीं योजना के दौरान केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु निम्नलिखित जल विद्युत स्कीमों की विस्तृत परियोजना प्रस्तुत की थी, किन्तु इन्हें इन स्कीमों के सम्मुख दर्शाए गए कारणों से वापस कर दिया गया था :

1. चिखलदारा पीएसएस (400 मेगावाट)-के.वि.प्रा. की स्वीकृति आवश्यक नहीं समझी गई क्योंकि अनुमानित लागत 1000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और स्कीम को प्रतिस्पर्धात्मक बोली के जरिए निजी निवेशकों को देना प्रस्तावित था।

2. मालशेज घाट पीएसएस (600 मेगावाट)-आवश्यक सूचनाओं/स्वीकृति का अनुपालन नहीं होना।

3. हमबरली पीएसएस (400 मेगावाट)-नहीं सुलझाए गए महत्वपूर्ण मामले निम्नलिखित हैं :

(क) विद्युत निकासी प्रबंध को अंतिम रूप देना

(ख) स्रोत वित्त पोषण

(ग) एमओईएफ की स्वीकृति

(घ) स्थल संबंधी स्वीकृति।

कर्नाटक सरकार से अलमाटी बांध स्कीम (290 मेगावाट) हेतु प्राप्त प्रस्ताव को राज्य क्षेत्र में क्रियान्वयन हेतु के.वि.प्रा. ने फरवरी, 2002 में स्वीकृति दे दी थी।

**सैनिकों को बर्फ पर चलने वाले जूतों की आपूर्ति**

**4863. श्री एन. जनार्दन रेड्डी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्यधिक ऊंचे स्थानों पर बर्फ-बारी वाले क्षेत्रों में तैनात सैनिक बर्फ पर चलने वाले जूतों और अन्य रक्षात्मक उपकरणों की उपयुक्त आपूर्ति न होने पर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उपकरणों के संबंध में करगिल युद्ध के दौरान देखी गई कमियां उपयुक्त आपूर्तियों के माध्यम से पूरी कर दी गई हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा सैनिकों के बर्फ पर चलने वाले जूतों और अन्य उपकरणों की आपूर्ति करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त)** : (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) जी, हां।

(घ) लागू नहीं होता।

(ङ) सैनिकों को बर्फ में पहने जाने वाले बूट तथा अन्य उपस्करों की ठीक समय पर तथा पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा सभी अपेक्षित कदम उठाए जाते हैं।

**पेट्रोल पम्पों पर अनियमितताएं**

**4864. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :**
**श्री बीर सिंह महतो :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष के दौरान अनियमितताओं के कारण कुछ पेट्रोल पम्प तीस दिन के लिए बंद कर दिए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तीस दिन के लिए पेट्रोल पम्प का बंद किया जाना पेट्रोल पम्प के मालिकों द्वारा की गई अनेक अनियमितताओं के लिए अपर्याप्त दंड है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कठोर कदम उठाए गए हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)** : (क) और (ख) पिछले वर्ष अर्थात 2002–2003 के दौरान अनियमितताओं के कारण 277 पेट्रोल पम्पों को 30 दिन के लिए बंद कर दिया गया था।

(ग) और (घ) दोषी डीलरों के विरुद्ध अनियमितता की प्रकृति के आधार पर दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है जिसमें विषणन अनुशासन दिशानिर्देशों और/अथवा डीलरशिप करार के तहत जुर्माने और डीलरशिप समाप्ति के साथ बिक्रियों और आपूर्तियों का निलंबन शामिल है।

*[हिन्दी]*

**गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं**

**4865. श्री प्रह्लाद सिंह पटेल** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिशा–निर्देशों और पर्यवेक्षण के तहत गैर–सरकारी संगठनों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकारों द्वारा योजनाओं को संस्तुत कराना गैर–सरकारी संगठनों के लिए अनिवार्य है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में (डा. संजय पासवान)** : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ख) और (ग) मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत नई परियोजना के लिए सहायता–अनुदान प्राप्त करने के आवेदन पर सबसे पहले राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के सिफारिश होनी चाहिए।

**विवरण**

मंत्रालय के दिशानिर्देश और पर्यवेक्षण में गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित योजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है :

| क्र.सं. | योजना का नाम |
|---|---|
| 1 | 2 |
| | **योजना** |
| 1. | विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देने संबंधी योजना |
| 2. | सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना |
| 3. | मद्यपान और पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग निवारण संबंधी योजना |
| 4. | समाज रक्षा के क्षेत्र में सहायता के लिए अनुदान कार्यक्रम |
| 5. | बेसहारा बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम |
| 6. | वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 7. | अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता |
| 8. | अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा–पूर्व कोचिंग की योजना |
| 9. | अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता |
| 10. | अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा–पूर्व कोचिंग की योजना |
| 11. | आर्थिक मानदंडों पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा–पूर्व कोचिंग की योजना |
| | **गैर-योजना** |
| 12. | वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धावस्था गृहों/बहु सेवा केन्द्रों के लिए निर्माण के लिए पंचायती राज संस्थाओं/स्वैच्छिक संगठनों/स्व–सहायता समूहों को सहायता। |

*[अनुवाद]*

**अमेरिका-इराक युद्ध के कारण तेल आयात बिल**

**4866. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अमेरिका–इराक युद्ध के कारण तेल आयात बिल के प्रबंध में किसी समस्या का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समस्या पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**राज्यों को किरोसीन कोटा**

**4867. श्री नागमणि : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य को विशेषकर झारखंड का आवंटित मासिक कोटा कितना है;

(ख) राज्यों को किरोसीन के आवंटन के लिए अपनाए गए मापदण्ड क्या हैं;

(ग) क्या उक्त कोटा राज्यों के लिए पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त कोटा बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)** : (क) वर्ष, 2003–2004 की प्रथम तिमाही के दौरान झारखंड समेत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण हेतु सरकारी द्वारा किए गए मासिक मिट्टी तेल के आवंटन के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) चूंकि एलपीजी तथा मिट्टी तेल दोनों के लिए एक ही ग्राहक को राजसहायता देने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए वर्ष 2003–2004 के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का मिट्टी तेल के आवंटन में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में दिसम्बर, 2001 से नवम्बर, 2002 तक जारी किए गए एल पी जी कनेक्शनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए कटौती की गई है।

(ग) और (घ) राज्यों से एल पी जी कनेक्शन रखने वाले राशन–कार्डधारकों को मिट्टी तेल के आवंटन का युक्तीकरण करने तथा अपनी जरूरतों को सरकार द्वारा किए गए आवंटन के अंतर्गत पूरा करने की अपेक्षा होती है।

**विवरण**

*वर्ष, 2003–2004 की प्रथम तिमाही के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार मिट्टी तेल का मासिक आवंटन*

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | प्रथम तिमाही अर्थात अप्रैल, मई तथा जून, 2003 के लिए प्रतिमाह मिट्टी तेल का आवंटन (एम टीज) |
|---|---|
| 1 | 2 |
| अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 492 |
| आंध्र प्रदेश | 44320 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| अरुणाचल प्रदेश | 787 |
| असम | 21177 |
| बिहार | 53102 |
| चंडीगढ़ | 1102 |
| छत्तीसगढ़ | 12087 |
| दादरा और नगर हवेली | 238 |
| दमन और दीव | 183 |
| दिल्ली | 14896 |
| गोवा | 1706 |
| गुजरात | 63378 |
| हरियाणा | 12238 |
| हिमाचल प्रदेश | 4428 |
| जम्मू और कश्मीर | 5301 |
| झारखंड | 17783 |
| कर्नाटक | 40013 |
| केरल | 18687 |
| लक्षद्वीप | 73 |
| मध्य प्रदेश | 40551 |
| महाराष्ट्र | 108398 |
| मणिपुर | 1686 |
| मेघालय | 1716 |
| मिजोरम | 538 |
| नागालैण्ड | 1074 |
| उड़ीसा | 25930 |
| पांडिचेरी | 1071 |
| पंजाब | 20860 |
| राजस्थान | 33846 |
| सिक्किम | 490 |
| तमिलनाडु | 46805 |
| त्रिपुरा | 2551 |
| उत्तर प्रदेश | 102719 |
| उत्तरांचल | 7779 |
| पश्चिम बंगाल | 63644 |
| अखिल भारत (योग) | 771649 |

*[अनुवाद]*

## शिशु गृह

**4868. श्रीमती हेमा गमांग :** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में देश के बच्चों को ही गोद लेने की प्रथा को बढ़ावा देने हेतु असिस्टेन्स दू होम्स (शिशु गृह) योजना के अंतर्गत आज तक स्थापित "शिशु गृहों" की संख्या कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई, राज्यवार बताएं; और

(ग) इस विचार योजना के अंतर्गत अगले वर्ष के दौरान कितने "शिशु गृहों" की स्थापना का विचार है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) :** (क) देश के भीतर दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के गृहों (शिशु गृह) को सहायता की योजना के अंतर्गत स्थापित शिशु गृहों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण–I संलग्न है।

(ख) वर्ष 2000–01, 2001–02 तथा 2002–03 के दौरान इस प्रयोजन के लिए राज्यवार प्रदान की गई धनराशि को दर्शाने वाला विवरण–II संलग्न है।

(ग) नए शिशु गृहों की संख्या राज्य सरकारों की सिफारिशों के साथ नए प्रस्तावों के प्राप्त होने तथा परियोजना मंजूरी समिति के अनुमोदन पर निर्भर करेगी।

**विवरण-I**

*वर्ष 2002-03 में बच्चों के लिए गृहों (शिशु गृह) को सहायता की योजना के अन्तर्गत शिशु गृहों की राज्यवार संख्या*

| | |
|---|---|
| अरुणाचल प्रदेश | 1 |
| असम | 1 |
| दिल्ली | 2 |
| गुजरात | 2 |
| हरियाणा | 2 |
| हिमाचल प्रदेश | 1 |
| केरल | 3 |
| मध्य प्रदेश | 1 |
| महाराष्ट्र | 14 |
| मणिपुर | 3 |
| मिजोरम | 1 |
| उड़ीसा | 5 |
| राजस्थान | 2 |
| त्रिपुरा | 2 |
| पश्चिम बंगाल | 2 |
| कुल | 42 |

**विवरण-I**

*वर्ष 2000–01, 2001–02 तथा 2002–03 के दौरान बच्चों के लिए गृहों (शिशु गृह) को सहायता की योजना के अंतर्गत शिशु गृहों की राज्यवार संख्या*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | निर्मुक्त राशि (रु. में) 2000–2001 | 2001–2002 | 2002–2003 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 550,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 583,200.00 | 533,700.00 | 490,500.00 |
| 3. | असम | 0.00 | 323,811.00 | 230,338.00 |
| 4. | दिल्ली | 177,314.00 | 466,650.00 | 1,237,824.00 |
| 5. | गुजरात | – | – | 824,400.00 |
| 6. | हरियाणा | 347,276.00 | 578,102.00 | 474,911.00 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 78,763.00 | 191,803.00 | 394,074.00 |
| 8. | कर्नाटक | 496,800.00 | 252,000.00 | – |
| 9. | केरल | 449,072.00 | 870,413.00 | 665,378.00 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 600,000.00 | 518,850.00 | 398,700.00 |
| 11. | महाराष्ट्र | 7,628,700.00 | 6,674,362.00 | 7,805,908.00 |
| 12. | मणिपुर | 456,300.00 | 1,303,650.00 | 1,879,670.00 |
| 13. | मिजोरम | 496,800.00 | 525,600.00 | 467,550.00 |
| 14. | उड़ीसा | 4,077,600.00 | 1,905,075.00 | 3,688,560.00 |
| 15. | राजस्थान | 1,387,800.00 | 1,040,400.00 | 1,016,100.00 |
| 16. | तमिलनाडु | 583,200.00 | 291,600.00 | 0.00 |
| 17. | त्रिपुरा | 583,200.00 | 335,888.00 | 983,700.00 |
| 18. | पश्चिम बंगाल | 0.00 | 230,813.00 | 733,577.00 |
| | कुल | 18,496,825.00 | 16,042,712.00 | 21,291,190.00 |

**रफीगंज में रेल दुर्घटना**

**4869. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर 2002 को रफीगंज में हुई राजधानी एक्सप्रेस दुर्घटना के कई घायलों और सदमे से बचे व्यक्तियों ने रेलवे दावा अधिकरण का सुनवाई का बहिष्कार किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) रफीगंज राजधानी एक्सप्रेस दुर्घटना से संबंधित कितने दावे रेलवे दावा अधिकरण में सुनवाई के लिए स्वीकृत हुए;

(घ) उक्त दुर्घटना से संबंधित कितने दावे 31 मार्च, 2003 तक निपटा दिए गए; और

(ङ) शेष दावों के लंबित होने क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राजधानी गाड़ी दुर्घटना के 237 दावा मामले रेल दावा अधिकरण के विभिन्न पीठों में दायर किए गए हैं।

(घ) 31.3.03 तक रेल दावा अधिकरण द्वारा 104 मामलों में डिगरी प्रदान की गई है। 95 मामलों में भुगतान की व्यवस्था की गई है। शेष 9 मामलों में भुगतान की प्रक्रिया जारी है।

(ङ) बाकी दावा मामले न्यायाधीन हैं।

*[हिन्दी]*

**रेलगाड़ियों और यात्रियों की संख्या में वृद्धि**

**4870. श्री सुरेश पाची** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए उनकी सुविधाओं हेतु नई दिल्ली/पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में अतिरिक्त बुकिंग काउंटर खोलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) से (ग) आवश्यकता के आधार पर स्टेशनों पर अतिरिक्त बुकिंग काउंटर खोले जाते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15.8.2002 से अनारक्षित टिकट जारी करने के लिए 9 अतिरिक्त बुकिंग काउंटर खोले गए थे।

*[अनुवाद]*

**कर्नाटक में कचरे और पवन से विद्युत उत्पादन**

**4871. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार** : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में कचरे और पवन से विद्युत उत्पन्न करने की विस्तृत संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा नौवीं योजना के दौरान दोहनित संभावनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा आवंटित धनराशि और उक्त अवधि के दौरान विद्युत तैयार करने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा खर्च वास्तविक धनराशि कितनी है?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन)** : (क) शहरी अपशिष्ट से लगभग 67 मेगावाट और पवन से लगभग 6620 मेगावट विद्युत उत्पादन की संभाव्यता का कर्नाटक राज्य के लिए अनुमान लगाया गया है।

(ख) देश के सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में शहरी तथा औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। नौवीं योजना अवधि के दौरान मद्यशाला अपशिष्ट पानी से उत्पादित बायोगैस से 1 मेगावाट विद्युत के उत्पादन के लिए एक परियोजना मैसर्स उगर शुगर वर्क्स, उगर, बेलगाम में स्थापित की गई। पवन से विद्युत के संबंध में कर्नाटक सरकार को 1654 मेगावाट की क्षमता के साथ 109 पवन विद्युत परियोजनाएं आवंटित की गई हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान लगभग 63 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ पवन विद्युत परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा पवन विद्युत कार्यक्रम के अंतर्गत अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 69.97 लाख रु. और विभिन्न सहायक गतिविधियों के लिए 14.34 लाख रु. प्रदान किए गए थे। इन निधियों का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया गया जिसके लिए जारी की गई थी।

**उत्तर प्रदेश में रेल परियोजनाएं**

**4872. श्रीमती रीना चौधरी :**
**डा. बलिराम :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई रेल परियोजनाओं से संबंधित प्रस्तुत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) उत्तर प्रदेश के नई/चालू/लंबित रेल परियोजनाओं और सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है और परियोजनावार वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) उन प्रत्येक परियोजना का आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है और उन पर अब तक हुए खर्च का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन परियोजनाओं के खर्च में भारी वृद्धि हुई है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इन परियोजनाओं के समाप्त होने की निर्धारित समय सीमा परियोजनावार क्या है बताएं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) और (ख) नई रेल परियोजनाओं के संबंध में पिछले 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत कुछ प्रस्तावों का ब्यौरा और उन पर की गई कारवाई का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

| क्र.सं. | प्रस्ताव | कार्रवाई |
|---|---|---|
| 1. | शाहजहांपुर–जलालाबाद–फर्रुखाबाद के बीच नई रेल लाइन | गोलागोकरकनाथ–शाहजहांपुर–जलालाबाद–फर्रुखाबाद के बीच रेल लाइन निर्माण का अद्यतन सर्वेक्षण 1999 में किया गया था। धन की तंगी और परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति के कारण, इस कार्य को शुरू करना संभव नहीं पाया गया। |
| 2. | सुलतानपुर के रास्ते लखनऊ–वाराणासी खण्ड का दोहरीकरण और विद्युतकरण | लखनऊ से उतरेतिया और जफराबाद से वाराणसी तक दोहरी लाइन पहले से ही मौजूद है। उतरेतिया और जफराबाद खंड के बीच कहीं–कहीं दोहरीकरण का कार्य शुरू हो गया है। मुगलसराय–वाराणसी–जफराबाद खंड के विद्युतीकरण के कार्य को मुगलसराय–लखनऊ परियोजना के चरण । के रूप में रेलवे बजट 1999–2000 में शामिल किया गया था बशर्ते कि प्रक्रियात्मक स्वीकृति प्राप्त हो। स्वीकृति अभी प्राप्त होनी है। |
| 3. | कानपुर–मंधाना–बिथोर रेल लाइन का कानपुर–उन्नाव–बालामाऊ रेल लाइन से संपर्क | धन की तंगी के कारण, इस लाइन का निर्माण करना व्यावहारिक नहीं है। |

(ग), (घ) और (छ) राज्य में नई/चालू परियेजनाओं का ब्यौरा, उनकी मौजूदा स्थिति, 31.3.2003 तक किए जाने वाले संभावित खर्च, 2003–04 के दौरान प्रस्तावित परिव्यय और लक्ष्य तिथि, जहां कहीं निर्धारित की गई है :

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | 31.3.2003 तक संभावित खर्च (करोड़ रु. में) | प्रस्तावित परिव्यय 2003–04 (करोड़ रु. में) | मौजूदा स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **नई लाइनें** | | | | |
| 1. | फतेहाबाद और बाह के रास्ते आगरा–इटावा | 27.53 | 20.00 | अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है। |
| 2. | इटावा–मैनपुरी | 3.9 | 10.00 | अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है। |
| 3. | गुना–इटावा | 316.04 | 40.00 | गुना–ग्वालियर और ग्वालियर–भिंड खंड पहले पूरे हो गए |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | हैं और चालू हो गए हैं। इस परियोजना के कार्य भिंड से इटावा तक का आखरी चरण प्रगति पर है। इस कार्य के 2004 तक पूरा होने का लक्ष्य है। |
| 4. | कटरा–फैजाबाद | 85–95 | 3.00 | लगभग पूरा हो गया है और रेल संरक्षा आयुक्त के निरीक्षण के बाद ही लाइन यातायात के लिए खोली जाएगी। |
| 5. | ललितपुर–सतना और रीवा–सिंगरोली | 34.00 | 32.45 | कार्य को चरणों में किया जा रहा है। ललितपुर–खजूराहो तथा महोबा–खजूराहो खंडों का अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है और जहां कहीं भूमि उपलब्ध है, कार्य शुरू किया गया है। सतना–खजूराहो और रीवा–सिंगरौली खंडों का अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है। |
| 6. | रामपुर–लालकुआं–काठगोदाम के राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क ऊपरी पुल | 0.07 | 0.01 | नक्शे और अनुमान तैयार करने जैसे आरंभिक प्रबंधन किए जा रहे हैं। |
| **आमान परिवर्तन** | | | | |
| 7. | आगरा–बांदीकुई | 39.38 | 40.00 | मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य, गिट्टी सप्लाई का कार्य और अन्य कार्य चल रहे हैं। बांदीकुई–भरतपुर के कार्य को 2003–04 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। |
| 8. | छपरा ओडिहार | 170.02 | 0.01 | पूरा हो गया है। अवशिष्ट कार्य/वित्तीय समायोजन का कार्य चल रहा है। |
| 9. | गोंडा–बहराइच–सीतापुर–लखनऊ चरण–I | 0.35 | 5.00 | मिट्टी संबंधी कार्य चल रहा है। |
| 10. | आनंद नगर–नौतनवा सहित गोंडा–गोरखपुर लूप | 2.00 | 20.00 | मिट्टी संबंधी कार्य और छोटे पुलों का कार्य शुरू किए गए हैं। |
| 11. | इन्डारा–फेफना | 33.57 | 0.01 | पूरा हो गया है। अवशिष्ट कार्य/वित्तीय समायोजन प्रगति पर है। |
| 12. | कानपुर–कासगंज–मथुरा–बरेली और बरेली से लालकुआं तक विस्तार | 114.84 | 23.20 | मिट्टी संबंधी कार्य और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। |
| 13. | कप्तानगंज–थाबे–सीवान–छपरा | 6.08 | 10.00 | मिट्टी संबंधी कार्य और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। |
| 14. | काशीपुर–लालकुआं | 102.74 | 0.01 | पूरा हो गया है। अवशिष्ट कार्य/वित्तीय समायोजन प्रगति पर है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 15. | खड्डा–गोरखपुर | 10.74 | 0.02 | पूरा हो गया है। अवशिष्ट कार्य/वित्तीय समायोजन प्रगति पर है। |
| 16. | मथुरा–अचनेरा | 0.11 | 0.01 | इस कार्य को कानपुर–कासगंज–मथुरा खंड के साथ पूरा करने की योजना है। |
| | **दोहरीकरण** | | | |
| 17. | अलीगढ़–गाजियाबाद तीसरी लाइन | – | 30.00 | नए कार्य को बजट 2003–04 में शामिल कर लिया गया है। संसद में बजट पारित होने के बाद ही कार्य शुरू किया जाएगा। |
| 18. | अमरोहा–कनकथर | 22.11 | 8.00 | मिट्टी संबंधी कार्य और छोटे पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। |
| 19. | अमरोहा–मुरादाबाद | 45.41 | 6.00 | मिट्टी संबंधी कार्य और छोटे पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। इस कार्य को वर्ष 2003–04 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है। |
| 20. | चौकी–लोहगरा | 0.5 | 6.00 | मिट्टी सबंधी कार्य, पुल संबंधी और गिट्टी संबंधी कार्य के लिए निविदाओं पर कार्रवाई चल रही है। |
| 21. | गाजियाबाद (हापुड़–मुरादाबाद चरण–I) | 65.38 | 0.10 | पूरा हो गया है। अवशिष्ट कार्य/वित्तीय समायोजन प्रगति पर है। |
| 22. | गोंडा–जरवल रोड | 74.77 | 0.50 | पूरा हो गया है। |
| 23. | गोरखपुर–शाहजनवा | 10.21 | 8.00 | इस कार्य को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया गया है। वर्ष 2003–04 के दौरान गोरखपुर–दोमिनगढ़ (6 कि.मी.) के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य है। |
| 24. | हापुड़–कनकाथर | – | 1.00 | नए कार्य को बजट 2003–04 में शामिल कर लिया गया है। संसद में बजट पारित होने के पश्चात ही कार्य शुरू किया जाएगा। |
| 25. | जरबाल रोड–बढ़वल | 8.4 | 10.00 | मिट्टी संबंधी कार्य और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना को 2003–04 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है। |
| 26. | कानुपर–चंदेरी | 0.5 | 1.17 | लक्ष्य और अनुमान तैयार करना शुरू हो गया है। |
| 27. | कानपुर–पनकी तीसरी लाइन | 49.44 | 5.50 | मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। |
| 28. | लोहगढ़ा–काठियाडंडी | – | 1.00 | इस नए को कार्य बजट 2003–04 में शामिल कर लिया गया है। संसद में बजट पारित होने के पश्चात ही कार्य शुरू किया जाएगा। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 29. | मणिकपुर–चनौकी, चरण I, मणिकपुर–काठियाडंडी का दोहरणीकरण | 12.93 | 10.00 | मिट्टी संबंधी, छोटे/बड़े पुलों का कार्य चल रहा है। |
| 30. | मथुरा–भूतेश्वर | 4.03 | 0.01 | पूरा हो गया है। अवशिष्ट कार्य/वित्तीय समायोजन प्रगति पर है। |
| 31. | मुरादनगर–मेरठ | 63.53 | 0.20 | पूरा हो गया है। अवशिष्ट कार्य/वित्तीय समायोजन प्रगति पर है। |
| 32. | नैनी संपर्क जंक्शन शंटिग नेक का विस्तार | – | 0.83 | नए कार्य को बजट 2003–04 में शामिल कर लिया गया है। संसद में बजट पारित हाने के पश्चात ही कार्य शुरू किया जाएगा। |
| 33. | साहिबाबाद–आनंद विहार तीसरी और चौथी लाइन | – | 10.00 | नए कार्य को बजट 2003–04 में शामिल कर लिया गया है। संसद में बजट पारित हाने के पश्चात ही कार्य शुरू किया जाएगा। |
| 34. | सोननगर–मुगलसराय | 248.65 | 0.01 | पूरा हो गया है। अवशिष्ट कार्य/वित्तीय समायोजन प्रगति पर है। |
| 35. | टूंडला–यमुना ब्रिज | 21.43 | 0.50 | दोहरी एकल लाइन के साथ टूंडला–इतमादपुर लाइन को 12.11.2001 से चालू कर दिया गया है। |
| 36. | उतरेतिया–चंदरौली और सुलतानपुर–बंधुकलां | 14.97 | 5.0 | मिट्टी संबंधी कार्य और छोटे पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। |
| 37. | जफराबाद–उतरेतिया चरण–II (जफराबाद–श्रीकृष्णनगर) | 10.32 | 5.00 | भूमि अधिग्रहण प्रगति पर है। मिट्टी, छोटे पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। |
| | **विद्युतीकरण** | | | |
| 38. | अंबाला–मुरादाबाद | 127.52 | 30.00 | अंबाला से सहारनपुर खंड का कार्य पूरा हो गया है। सहारनपुर–मुरादाबाद खंड का कार्य प्रगति पर है और इसको वर्ष 2004 में पूरा करने का लक्ष्य है। |
| 39. | उत्तर/पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत लखनऊ क्षेत्र के चारों तरफ सर्कुलर रेलवे | 26.23 | 2.00 | पूरा हो गया है। अवशिष्ट कार्य और वित्तीय समायोजन प्रगति पर है। |
| 40. | कानपुर–लखनऊ | 58.55 | 0.18 | पूरा हो गया है। अवशिष्ट कार्य और वित्तीय समायोजन प्रगति पर है। |
| 41. | खुर्जा–मेरठ–सहारनपुर | – | 0.01 | न्यूनतम परिचालनिक प्राथमिकता के कारण कार्य लंबित किया गया है। |
| 42. | मुरादाबाद–जफराबाद | – | 3.00 | आवश्यक स्वीकृतियों की प्रतीक्षा की जा रही है। |
| 43. | सीतारामपुर–दानापुर–मुगलसराय | 381.31 | 1.45 | पूरा हो गया है। अवशिष्ट कार्य/वित्तीय समायोजन प्रगति पर है। |

प्रगति पर सर्वेक्षणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

| क्र.सं. | सर्वेक्षण का नाम | कि.मी. |
|---|---|---|
| 1. | आनंद नगर से कप्तानगंज | 60 |
| 2. | पानियावाह ओर तामकुही रोड | 60 |

(ङ) और (च) धन उपलब्धता के अनुसार ही कार्य किया जा रहा है।

*[हिन्दी]*

**नई रोशनी, नई दिशाएं साप्ताहिक कार्यक्रम का प्रसारण**

**4873. श्री उत्तमराव ढिकले :**
**श्री गंता श्रीनिवास राव :**
**श्रीमती डी. एम. विजया कुमारी :**

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की कमी को ध्यान में रखते हुए उसके विकल्प के तौर पर सौर ऊर्जा, जल विद्युत जैव ऊर्जा जैसे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से संबंधित जानकारी के प्रचार के लिए "नई रोशनी नई दिशाएं" नामक साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम प्रारंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कार्यक्रम इसके उद्देश्य में पूर्णतया सफल और प्रभावी रहा है;

(ग) यदि हां, तो अचानक इस प्रसिद्ध कार्यक्रम के बंद हो जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन की वर्तमान आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसके प्रयोग के उचित तरीकों की सही जानकारी देने के लिए जागरूक कार्यक्रम के पुनः प्रसारण का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कब तक होने की संभावना है?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन)** : (क) से (ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने अपने सूचना एवं प्रसार जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों जैसे और जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि के प्रयोग के संबंध में विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) के माध्यम से 15 एपिसोड तैयार करवाए हैं और उनको 15 सप्ताहों में साप्ताहिक रूप से प्रसारित किया गया है। ये एपिसोड 22 दिसम्बर, 2002 से 30 मार्च, 2003 तक अखिल भारतीय रेडियो (एआईआर) के विभिन्न चैनलों से प्रसारित किए गए थे। डीएवीपी ने सूचित किया है कि इन एपिसोडों ने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के बारे में अनेक पूछताछ पैदा की हैं। ये एपिसोड 15 सप्ताह के लिए साप्ताहिक आधार पर प्रसारित हुए, जैसी परिकल्पना थी और कोई क्रम नहीं टूटा है।

(घ) और (ङ) वर्तमान में, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की इन एपिसोडों को पुनः प्रसारण की कोई योजना नहीं है।

*[अनुवाद]*

**मिग-23 की दुर्घटना दर**

**4874. श्री रघुनाथ झा :**
**श्री एन. जनार्दन रेड्डी :**
**श्री अशोक ना. मोहोल :**
**श्री रामजीवन सिंह :**
**श्री राम विलास पासवान :**
**श्री रामशेठ ठाकुर :**
**श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
**श्री चन्दनाथ सिंह :**
**श्रीमती निवेदिता माने :**
**श्री ए. वेंकटेश नायक :**

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि एक समिति ने 1990 में यह पाया कि मिग–23 की दुर्घटना दर उड़ान के प्रति 10,000 घंटे में भारतीय वायुसेना के विभिन्न प्रकार के लड़ाकू विमान बेड़े में सर्वाधिक हैं;

(ख) क्या पायलटों को पुराने लड़ाकू विमान चलाने पड़ रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और समिति की सिफारिशें पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान बेड़े में उन्नत एयरक्राफ्ट शामिल करने में काफी देरी हो रही है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और नए लड़ाकू विमान शामिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या भारतीय वायुसेना के 1990 से अब तक 350 एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं और उनमें 130 पायलटों ने अपनी जान गवां दी है;

(छ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान मिग–21, 23 और अन्य मिग प्रकार के वायुयानों की दुर्घटना हुई है;

(ज) प्रत्येक मामले में व्यक्तियों और सम्पदा की कितनी हानि हुई;

(झ) प्रत्येक मामले में बैठाई गई जांच का क्या परिणाम निकला है; और

(ञ) प्रत्येक मामले में पीड़ित कार्मिकों और नागरिकों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त)** : (क) जी, हां।

(ख) प्रत्येक वायुयान के उड़ान भरने के पूर्व उसे पूर्णतः उड़ान–योग्य प्रमाणित किया जाता है।

(ग) समिति की सभी सिफारिशों पर विचार किया गया है तथा ये कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

(घ) तकनीकी मूल्यांकन और लागत–लाभ विश्लेषण करने के पश्चात ही नए वायुयान शामिल किए जाते हैं और वायुयानों का स्तरोन्नयन किया जाता है ताकि उनकी युद्धक क्षमता बनी रहे।

(ङ) उन्नत जेट प्रशिक्षक वायुयानों के लिए प्रस्ताव संबंधी अनुरोध तीन अवसरों अर्थात 1986, 1992 तथा अंततः 1999 में दो चुनिंदा विक्रेताओं अर्थात हाक वायुयान के लिए मैसर्स बी ए ई तथा एल्फा जेट वायुयान के लिए मैसर्स दसाल्ट एविएशन को जारी किए गए थे। किसी भी संविदा को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। सरकार इस मामले को शीघ्र ही अंतिम रूप देने की इच्छुक है।

(च) वित्तीय वर्ष 1990–91 से श्रेणी–I के वायुयानों की कुल 303 दुर्घटनाएं हुई हैं। इस अवधि के दौरान 143 पायलट मारे गए थे।

(छ) मिग रूपांतरणों की दुर्घटनाओं की संख्या संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ज) से (ञ) सूचना संकलित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**विवरण**

मिग रूपांतरणों की दुर्घटनाओं की संख्या संबंधी ब्यौरे इस प्रकार हैं :

| | 2000–01 | 2001–02 | 2002–03 | 2003–04 (17.4.03 तक) |
|---|---|---|---|---|
| मिग–21 | 12 | 07 | 11 | 01 |
| मिग–23 | 02 | 04 | 01 | 01 |
| मिग–25 | – | 01 | – | – |
| मिग–27 | 03 | – | 02 | – |
| मिग–29 | – | 01 | 01 | – |

*[हिन्दी]*

**झुग्गी बस्तियों का हटाया जाना**

**4875. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल लाइनों के दोनों ओर बसी झुग्गी बस्तियों को हटाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कितना खर्च होने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) और (ख) रेलवे, रेलपथ के निकट की भूमि के साथ–साथ झुग्गियों सहित सभी प्रकार के अतिक्रमणों को हटाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। ऐसे अतिक्रमण सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम 1971 और रेल अधिनियम 1989 के प्रावधानों के अनुसार हटाए जाते हैं।

(ग) अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई संबंधित रेल कर्मचारियों/अधिकारियों की नेमी ड्यूटी के भाग के रूप में की जाती है और किया गया खर्च सामान्य राजस्व खर्च को प्रभारित किया जाता है इसका कोई अलग से लेखा–जोखा नहीं रखा जाता है।

*[अनुवाद]*

**सिग्नल प्रणाली का आधुनिकीकरण**

**4876. श्री खगेन दास :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1600 रेलवे स्टेशनों की सिग्नल प्रणाली अत्यंत दयनीय स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस प्रणाली को आधुनिकीकृत करने की सरकार की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) सिगनल-प्रणाली के आधुनिकीकरण का कार्य विशेष रेल संरक्षा निधि के अंतर्गत गतायु सिगलन संबंधी परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापना के निर्माण-कार्यों के अधीन 1494 स्टेशनों पर स्वीकृत किया गया है कार्य 2006-2007 तक पूरा किया जाएगा।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**पूर्वोत्तर क्षेत्र में एल.पी.जी. कनेक्शन**

**4877. श्री के. ए. सांगतम :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्वोत्तर में तेल कंपनियों ने एलपीजी के नए कनेक्शन देने बंद कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन राज्यों में काउंटर कनेक्शन शीघ्र बहाल करने के लिए तेल कंपनियों को कोई दिशानिर्देश दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पूर्वोत्तर की आम जनता को हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए वहां अपेक्षित संख्या में सिलिंडर और प्रेसर रेगुलेटर सुनिश्चित करने के लिए तेल कंपनियों द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) :** (क) से (ङ) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के असम तेल प्रभाग के कुछ डिस्ट्रीब्यूटर सिलेंडरों की कमी के कारण पूर्वोत्तर में मांग पर नए कनेक्शन जारी नहीं कर रहे हैं। आईओसीएल ने इस स्थिति से निपटने के लिए सिलेंडर प्राप्त करने हेतु नई निविदा जारी की हैं।

*[हिन्दी]*

**एलपीजी/पेट्रोल/डीजल की पंचायत स्तर पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप**

**4878. श्री प्रभुनाथ सिंह :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों (डीजल, एलपीजी, पेट्रोल) की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पंचायत स्तर पर इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन राज्यों में उक्त कार्यक्रम को शुरू किया जा चुका है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) :** (क) से (ग) 1 अप्रैल, 2002 से पेट्रोलियम क्षेत्र के अंतर्गत प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था (एपीएम) के समापन के पश्चात तेल कंपनियां ग्रामीण क्षेत्रों समेत देश के विभिन्न भागों में खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों/एसकेओ-एलडीओ डीलरशिपें/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने हेतु स्थान चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते की ऐसे स्थान वाणिज्यिक व्यवहार्यता तथा विद्यमान डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का अतिक्रमण न करने जैसे कतिपय मानकों को पूरा करते हों।

*[अनुवाद]*

**तमिलनाडु में पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र**

**4879. श्री पी. डी. एलानगोवन :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न तेल कंपनियों द्वारा चेन्नई और तमिलनाडु के अन्य सभी जिलों में आवंटित कितने पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र चल रहे हैं;

(ख) इन खुदरा बिक्री केन्द्रों में प्रत्येक केन्द्र पर पेट्रोल/डीजल की कुल कितनी मात्रा और कुल कितने मूल्य की वार्षिक बिक्री की जाती है;

(ग) क्या सरकार का तमिलनाडु में पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने के लिए निजी पेट्रो कंपनियों को अनुमति प्रदान करने का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो स्थान सहित तत्संबंधित ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)** : (क) तमिलनाडु राज्य के चेन्नई जिले में और सभी अन्य जिलों में क्रमशः 168 और 1537 खुदरा बिक्री केन्द्र कार्यरत हैं।

(ख) वर्ष 2002–2003 के दौरान तमिलनाडु राज्य में स्थित खुदरा बिक्री केन्द्रों में पेट्रोल और डीजल की कुल बिक्री क्रमशः लगभग 948985 कि.ली. और 2705583 कि.ली. थी। पेट्रोल/डीजल के मूल्य और वर्ष में बिक्री की गई मात्रा को सहसंबद्ध करना कठिन है क्योंकि पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में बारंबार संशोधन होता रहता है।

(ग) और (घ) सरकार ने मैसर्स रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड और एस्सार आयल लिमिटेड को देश के विभिन्न राज्यों में खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने की अनुमति पहले ही दे दी है।

*[हिन्दी]*

**जुबली खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओ) का खोला जाना**

**4880. श्री सुकदेव पासवान :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तेल कंपनियों द्वारा कितने जुबली खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओ) खोले जा रहे हैं;

(ख) क्या सभी खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओ) विपणन योजना के अंतर्गत रखे गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या तेल कंपनियां अपनी स्वयं की जरूरतों के मुताबिक जुबली बिक्री केन्द्रों का आवंटन कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)** : (क) से (ङ) जुबली खुदरा बिक्री केन्द्र (जेआरओज) स्थापित करने संबंधी योजना सरकार द्वारा बंद कर दी गई है।

*[अनुवाद]*

**इराक में युद्ध संबंधी घटनाओं का कवरेज**

**4881. श्री रामजीवन सिंह :**
**श्री राम विलास पासवान :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इराक में युद्ध संबंधी घटनाओं का विश्व के अन्य टीवी नेटवर्कों द्वारा किए गए कवरेज की तुलना में दूरदर्शन द्वारा दृश्य और समाचार दोनों ही रूप में किए गए कवरेज की गुणवत्ता के संबंध में सरकार द्वारा कोई आकलन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रिपोर्टिंग के उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें इराक की घटनाओं को कवर करने में दूरदर्शन की टीम में कमी पाई गई माना गया; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)** : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन के दल द्वारा इराक में युद्ध दृश्य और समाचारों की कवरेज की गुणवत्ता के संबंध में मूल्यांकल निरंतर किया जाता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट करने में दूरदर्शन के कवरेज की विशिष्ट भूमिका रही है।

(ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि इराक युद्ध पर 'वर्ल्ड न्यू इंडिया' नामक दूरदर्शन के कार्यक्रम ने गैर–केबल एवं उपग्रह तथा सभी टी.वी. घरों में डीडी–I की ओर अधिक संख्या में दर्शकों को आकर्षित किया है क्योंकि इसने अपनी कवरेज में भारतीय परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिलक्षित किया है जो कि अन्य चैनलों में लुप्त था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**कंप्यूटरीकृत फ्रेट टर्मिनल**

**4882. श्री ए. सी. जोस** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं योजना में सभी अलग–अलग रेलवे जोनों के लिए कई कंप्यूटरीकृत फ्रेट टर्मिनल बनाए गए हैं; और

(ख) आठवीं योजना की तुलना में नौवीं योजना में माल का संग्रहण ओर उसकी ढुलाई में इन कम्प्यूटरीकृत टर्मिनलों की क्या उपलब्धि रही है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य माल परिचालन सूचना प्रणाली (एफओआईएस) कंप्यूटरीकरण परियोजना के अंतर्गत माल टर्मिनलों के संवर्धन के बारे में जानना चाहते हैं।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक इस परियोजना के अंतर्गत किसी माल टर्मिनल को शामिल नहीं किया गया है।

एफओआईएस परियोजना के चरण–I के अंतर्गत भारतीय रेलों पर रेकों की निगरानी की सहूलियत के लिए 233 स्थानों को शामिल किया गया है जिनमें नियंत्रण कार्यालय, बड़े स्टेशन, रेलवे यार्ड इत्यादि शामिल हैं।

(ख) चूंकि माल टर्मिनलों को एफओआईएस के चरण–II की टर्मिनल प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस) में शामिल किया जा रहा है, इसलिए कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

*[हिन्दी]*

**मंत्रालय में खर्च की गई धनराशि**

**4883. श्री रघुवीर सिंह कौशल** : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उनके मंत्रालय ने जनवरी, 2002 तक अपने बजट की आधी राशि भी खर्च नहीं की थी और अब तक खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के खिलाफ क्या जवाबदेही तय की गई है और उनके खिलाफ क्या कार्य वाही की गई है?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन)** : (क) निधियों को जारी करना, योजनाओं/कार्यक्रमों में निहित प्रावधानों के अनुसार नियम और शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करता है। मंत्रालय ने कुल 582.35 करोड़ रु. की बजटीय सहायता (जीबीएस) के प्रति जनवरी, 2002 तक 293.01 करोड़ रु. खर्च किए थे जो बजट का आधे से भी अधिक था। वर्ष 2001–02 के दौरान कुल बजटीय सहायता 582.35 करोड़ रु. की राशि खर्च की थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात**

**4884. डा. वी. सरोजा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड का विचार वर्ष 2003–2004 में पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात का मार्ग प्रशस्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आईओसीएल के वर्ष 2003 और 2004 के दौरान लगभग 3 मिलियन टन अतिरिक्त पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात लक्ष्य के उद्देश्य क्या हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)** : (क) और (ख) आईओसीएल का पड़ोसी देशों में बाजार के माध्यम से 2003–2004 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करने का प्रस्ताव है।

(ग) उद्देश्य भारत में अधिशेष परिशोधन क्षमता का उपयोग करना और निर्यात बाजार का विकास करना भी है ताकि भारत में क्षमताओं में वृद्धि/सुदृढ़ीकरण के कारण परिकल्पित भावी अधिशेष का ध्यान रखा जा सके।

**तालचेर-गोपालपुर रेल लाइन का सर्वेक्षण**

**4885. श्री परशुराम माझी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में तालचेर से गोपालपुर तक नई रेल लाइन बनाने हेतु सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो यातायात संबंधी सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या सरकार के पास दसवीं योजना के दौरान इस प्रस्तावित लाइन का निर्माण कार्य शुरू कराने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) से (घ) तालचेर–गोपालपुर नई लाइन परियोजना के लिए 2001–02 में किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि प्रतिफल की अलाभप्रद प्रकृति के साथ इस 293 कि.मी. लम्बी लाइन के निर्माण की लागत लगभग 863.21 करोड़ रुपए होगी। तालचेर–कटक–पारादीप खंड के चल रहे दोहरीकरण कार्य के दृष्टिगत इस लाइन को यातायात की दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं समझा जाता है। उपरोक्त और संसाधनों की तंगी के दृष्टिगत इस नई लाइन का निर्माण शुरू करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

**पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत क्षेत्र के विकास में जर्मनी से सहायता**

**4886. श्री एम. के. सुब्बा** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या जर्मनी से आए प्रतिनिधिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों के अपने हाल के दौरे के दौरान वहां जल विद्युत क्षेत्र के विकास और पूर्वोत्तर क्षेत्र की आधारभूत संरचनाओं के विकास में सहायता प्रदान करने की जर्मनी सरकार की अभिरूचि का खुलासा किया था।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जल विद्युत के विकास के लिए जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के साथ कोई बातचीत हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या परिणाम निकले हैं?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवन्ती महेता)** : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**सिपत विद्युत परियोजना**

**4887. श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) की सिपत परियोजना उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में जून, 2001 से रुकी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचइएल) ने इस बीच इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एल्सटॉम के साथ समझौता किया है;

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए एल्सटॉम द्वारा भेल (बीएचइएल) को दी जाने वाली प्रौद्योगिकी सहायता की शर्तें क्या होंगी और इसकी लागत क्या होगी;

(घ) क्या किसी अन्य कंपनी ने भी वांछित प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करने की पेशकश की है;

(ङ) यदि हां, तो वे कौन–कौन सी कंपनियां हैं और उनके द्वारा क्या मूल्य उद्धृत किए गए हैं; और

(च) इस परियोजना के कब तक पूरी होने की संभावना है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता)** : (क) से (च) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) की सिपत विद्युत परियोजना के चरण–1 (3x600 मेगावाट) की विकास सुपर क्रिटीकल प्रौद्योगिकी अपनाते हुए किया जाना है। परियोजना के लिए उपस्करों के की आपूर्ति हेतु एनटीपीसी ने बोली आमंत्रित की है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने सूचित किया है कि परियोजना के लिए बोली लगाने हेतु एलस्टॉम के साथ समझौता किया गया है। परियोजना की पहली 660 मेगावाट की यूनिट को 10वीं योजना में चालू किया जाना है।

**एच.जे.टी.-36 को शामिल किया जाना**

**4888. श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच.जे.टी.–36 एक भारतीय उत्पादन है और

उसे हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड, बंगलौर द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सफल रहा है और इसने लगभग 30 वर्षों से सेवा में रहे भारतीय वायु सेना के लगभग 200 किरण विमानों का स्थान ले लिया है;

(ग) यदि हां, तो इसकी गति, गुणवत्ता और उपयोगिता से संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसे कब तक सशस्त्र सेनाओं को सौंप दिए जाने की संभावना है ताकि वे अपने विमान चालकों को प्रशिक्षित कर सकें?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल)** : (क) जी, हां।

(ख) एच.जे.टी.–36 एक मध्यवर्ती जेट प्रशिक्षक विमान है जिसे पायलटों के चरण–II के उड़ान प्रशिक्षण के लिए विकसित किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण अभी किरण विमान पर दिया जाता है। मध्यवर्ती जेट प्रशिक्षक विमान पुराने पड़ रहे किरण प्रशिक्षक विमानों का स्थान लेंगे।

(ग) मध्यवर्ती जेट प्रशिक्षक विमान कम ईंधन प्रयोग करने वाले इंजन, उन्नत वैमानिकी प्रणालियों तथा अधिक हथियार ले जाने की क्षमता वाला सब–सोनिक विमान है। इससे पायलटों के प्रशिक्षण की प्रभावकारिता में सुधार लाने में सहायता मिलेगी तथा इससे पायलटों को आधुनिक लड़ाकू विमानों पर उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त करने में आसानी होगी।

(घ) मध्यवर्ती जेट प्रशिक्षक विमान की प्रारंभिक संक्रियात्मक मंजूरी 2005–2006 तक प्राप्त होने की संभावना है तथा भारतीय वायु सेना को इनकी सुपुर्दगी उसी वर्ष से होने की संभावना है।

*[हिन्दी]*

## पेयजल की घटिया गुणवत्ता

**4889. श्री कैलाश मेघवाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को बेची जाने वाली खाद्य वस्तुओं, पेयजल और अन्य पेय पदार्थों की गुणवत्ता घटिया होती है और वे संदूषित होते हैं और उनका यात्रियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ख) क्या रेल मंत्रालय ने इन वस्तुओं की जांच करने के लिए कुछ प्रबंध किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान जांची गई खाद्य वस्तुओं/पेय पदार्थों के नमूनों, काली सूची में डाले गए व्यापारियों/विक्रेताओं की संख्या और उन व्यापारियों/विक्रेताओं की संख्या जिनके विरुद्ध अदालत में मामले दर्ज किए गए, का वर्षवार, वस्तुवार और संगठनवार ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय रेलों ने बेस किचन और रेलवे स्टेशनों से गाड़ियों में उनके द्वारा सप्लाई किए गए भोजन की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उपाय किए हैं।

इनमें से कुछ में गुणवत्तापरक कच्चा माल और ब्रांड वाले उत्पाद का प्रयोग, स्वास्थ्यकर और स्वच्छता के मानक का निर्धारण, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, बारंबार औचक जांच और निरीक्षण आदि शामिल हैं।

इसके अलावा गाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर खान–पान सेवाओं को उन्नत और व्यावसायिक बनाने के लिए रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल खान–पान एवं पर्यटन निगम की स्थापना की है।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[अनुवाद]*

## गैल और बोटस पेट्रोलियम पाइपलाइन कारपोरेशन के बीच समझौता

**4890. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैल और टर्की स्थित बोटस पेट्रोलियम पाइपलाइन कारपोरेशन ने क्रॉस कन्ट्री पाइपलाइन परियोजना और अन्य क्षेत्रों में संयुक्त भागीदारी के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोनों कंपनियों के बीच सहमत क्षेत्र पर कार्य कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)** : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल) और तुर्की की राष्ट्रीय तेल और

गैस कंपनी बीओटीएएस, ने एक सहयोग ज्ञापन (एमओसी) को अंतिम रूप दे दिया है और आद्याक्षरित कर दिया है। एमओसी का लक्ष्य निम्नलिखित क्षेत्रों का मूल्यांकन और क्रियान्वयन करना है;

(1) तुर्की, भारत और तृतीय देशों में खुदरा गैस विपणन के लिए सीएनजी और आवासीय संरचना के विकास की संभावना।

(2) प्रौद्योगिकीय–आर्थिक और विपणन पहलुओं आदि को शामिल करते हुए तुर्की और भारत में परिवहन क्षेत्र के लिए सीएनजी मूलभूत ढांचे की जरूरत की पहचान।

(3) तुर्की, भारत और तृतीय देशों में क्षेत्रपार पाइपलाइन परियोजनाओं में संयुक्त भागीदारी की संभावना।

(4) तुर्की, भारत और तृतीय देशों में गैस संक्रिया सुविधाओं के विकास की संभावना।

(5) संगठन और पद्धति सेवाएं।

(6) भूमिगत गैस भंडारण हेतु प्रौद्योगिकीय–आर्थिक अध्ययन।

(7) तुर्की और भारत में प्राकृतिक गैस क्षेत्र में अन्य अवसर।

(8) विशेषज्ञों का आदान–प्रदान और कार्मिकों का प्रशिक्षण।

(ग) एमओसी पर वर्ष 2003 के मध्य तक हस्ताक्षर किए जा सकते हैं जिसके उपरांत विभिन्न संभाव्य अवसरों का मूल्यांकन करने के लिए संयुक्त दलों का गठन किया जाएगा। संयुक्त दल संबंधित प्रबंधन को मूल्याकंन प्रस्तुत करेंगे और जिसके आधार पर दोनों कंपनियां ऐसी परियोजनाओं की पहचान करने का प्रयास करेंगी जिन्हें संयुक्त क्रियान्वयन के लिए हाथ में लिया जा सकता है। फिर ऐसी पहचान की गई परियोजनाओं के पृथक परियोजना विशिष्ट करार किए जाएंगे।

**समझौते से मुकर जाना**

**4891. डा. चरणदास महंत :**
**श्रीमती श्यामा सिंह :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया पेट्रोलियम ट्रेडर्स के सदस्यों/प्रतिनिधियों तथा सरकारी क्षेत्र के चार तेल उपक्रमों के विपणन निदेशकों के बीच पारस्परिक समझौता/करार पर 17 अगस्त, 2001 को हस्ताक्षर हुआ था जिसमें पेट्रोल पंप डीलरों की जांच और उन पर कार्रवाई शुरू करने संबंधी विभिन्न खंड/प्रक्रियाओं का जिक्र किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों के जांच प्राधिकारी/अधिकारी और सरकार उक्त करार में दिए गए खंडों तथा प्रक्रिया के अनुसार कार्य करने को बाध्य है;

(ग) यदि हां, तो क्या कुछ अधिकारियों द्वारा इस करार में उल्लिखित प्रक्रिया के विरुद्ध जानबूझ कर कार्य करने की कुछ रिपोर्टें हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या अधिकारी द्वारा इस करार के खंडों का उल्लंघन करने की स्थिति में जांच रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से पेट्रोल पंप डीलर मना करने को स्वतंत्र हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस करार का उल्लंघन करने वाले दोषी अधिकारियों के नाम और पदनाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)** : (क) जी, नहीं। तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) के निदेशक (विपणन) और अखिल भारत पेट्रोलियम व्यापारी संघ के प्रतिनिधियों के बीच 17.8.2001 को वार्ता हुई, जिसमें इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि एक संयुक्त समिति पेट्रोलियम उत्पादों की खुदरा बिक्री से संबंधित गुणवत्ता और मात्रा के मामलों के सभी पहलुओं की जांच करेगी। इसके अनुसरण में तेल विपणन कंपनियों के निदेशक (विपणन) और अखिल भारत पेट्रोलियम व्यापारी संघ के प्रतिनिधियों के बीच 21.10.2002 और 17.2.2003 को एक बैठक आयोजित की गई।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

**जॉइंट सिफर ब्यूरो का स्थानांतरण**

**4892. श्रीमती निवेदिता माने** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जॉइंट सिफर ब्यूरो (जेसीबी) को इसके वर्तमान स्थान से स्थानांतरित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या जेसीबी का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के साथ संबंध है/इसका भाग है जिनके लिए एक बहुमंजिला भवन परियोजना पहले ही आरंभ की जा चुकी है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या ब्यौरा है;

(च) प्रस्तावित स्थान पर जेसीबी को स्थानांतरित करने के पश्चात सुरक्षा, रख–रखाव आदि के कारण राजकोष द्वारा कितनी अतिरिक्त धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है; और

(छ) सरकार ने राजकोष के ऐसे अपव्यय को नियंत्रित करने और रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त)** : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) संयुक्त बीजलेख ब्यूरो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का हिस्सा नहीं है। यह रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के तहत कार्यरत एक अंतर सेवा संगठन है।

(च) अतिरिक्त व्यय की परिकल्पना नहीं की गई है।

(छ) भाग (च) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

**रेलवे स्टेशनों की सफाई के लिए निजी पार्टियों को ठेका**

**4893. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
**श्री अम्बरीश :**
**श्री सी. श्रीनिवासन :**
**श्री राम मोहन गाड्डे :**
**डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने रेलवे स्टेशनों की सफाई का ठेका कुछ निजी पार्टियों को दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रदान किए गए रेलवे स्टेशनों का जोनवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा ठेका देने अथवा स्टेशनों का चयन करने के लिए कोई मानदंड अपनाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) से (ङ) विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर सफाई का ठेका किसी विशेष स्थान पर आवश्यकता, व्यावहार्यता, सेवा प्रदान करने वालों की उपलब्धता आदि के आधार पर क्षेत्रीय रेलों द्वारा किया जाता है और यह हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। उन रेलवे स्टेशनों का ब्यौरा, जहां ऐसे ठेकों को दिया गया है संलग्न विवरण में दिया गया है।

**विवरण**

| क्र.सं. | क्षेत्रीय रेलवे | रेलवे स्टेशन का नाम |
|---|---|---|
| 1. | मध्य | लोकमान्य तिलक टर्मिनस |
| 2. | पूर्व | सियालदह, बारासत, सोनारपुर, हावड़ा |
| 3. | पूर्व मध्य | राजेन्द्र नगर और पटना |
| 4. | उत्तर | हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली और नई दिल्ली |
| 5. | पूर्वोत्तर | बरेली जंक्शन |
| 6. | पूर्वोत्तर सीमा | कोई नहीं |
| 7. | उत्तर पश्चिम | कोई नहीं |
| 8. | दक्षिण | बंगलौर सिटी, मंगलौर, मैसूर, तिरुवनंतपुरम सैन्ट्रल, त्रिचूर, एर्णाकुलम, आल्वे, चेंगान्नूर, कायमकुलम, एलेप्पी |
| 9. | दक्षिण मध्य | कोई नहीं |
| 10. | दक्षिण पूर्व | कोई नहीं |
| 11. | पश्चिम | दादर, बांद्रा अंधेरी, बोरीविली, सूरत, बिसलवास कलां, बारायला, चौरासी, रैला रोड, अत्तर और नागदा |

(31.3.2003 की स्थिति के अनुसार सूचना)

*[हिन्दी]*

**तहलका टेप मामले में जांच आयोग**

**4894. श्री रामजीलाल सुमन :**
**श्री नवल किशोर राय :**

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तहलका टेप कांड की एक जांच आयोग के माध्यम से जांच करा रही है जिससे भ्रष्टाचार में संलिप्त कतिपय राजनीतिज्ञ और उनके मंत्रालय के अधिकारियों का भंडा फोड़ हुआ है;

(ख) यदि हां, तो टेप संबंधी उक्त जांच कब शुरू की गई थी और जांच पूरा करने का क्या समय निर्धारित किया गया था;

(ग) क्या उक्त जांच निर्धारित समय–सीमा में पूरी नहीं की गई;

(घ) यदि हां, तो उक्त आयोग का कार्यकाल कब बढ़ाया गया और यह कार्यकाल कितनी अवधि के लिए बढ़ाया गया है; और

(ङ) जिन–जिन बिंदुओं पर आयोग को जांच करनी है उनका ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त)** : (क) से (ङ) 'आपरेशन वेस्ट एंड' के नाम से तहलका.कॉम द्वारा जारी किए गए वीडियोटेप और प्रतिलेखों में लगाए गए कतिपय आरोपों के बाद सरकार ने 24 मार्च, 2001 की अधिसूचना के तहत जस्टिस के. वेंकटस्वामी जांच आयोग गठित किया गया था। आयोग ने 30 मार्च, 2001 से कार्य करना शुरू किया और आरंभ में, जांच का कार्य 23 जुलाई, 2001 तक पूरा किया जाना था।

आयोग का कार्यकाल नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए ब्यौरे के अनुसार बढ़ाया गया है।

| किस तारीख को कार्यकाल बढ़ाया गया | जिस अवधि के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 23.7.2001 | 4 माह अर्थात 23.11.2001 तक |
| 23.11.2001 | 4 माह अर्थात 23.3.2002 तक |
| 20.3.2002 | 6 माह अर्थात 23.9.2002 तक |
| 21.9.2002 | 23.9.2002 से आगे और 31.1.2003 तक |
| 4.1.2003 | 4.1.2003 से 6 माह के लिए अर्थात 3.7.2003 तक |

जस्टिस एस. एन. फुकन को 4 जनवरी, 2003 की सरकारी अधिसूचना के तहत आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

आयोग के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :

(क) यह जांच करना कि क्या उक्त वीडियोटेपों और प्रतिलेखों में बताए गए रक्षा और अन्य अधिप्राप्तियों से संबंधित लेनदेन विहित प्रक्रियाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताओं के संदर्भ में किए गए थे;

(ख) यह जांच करना कि क्या उपर्युक्त किसी अधिप्राप्ति सौदे में सरकारी कार्यालय में व्यक्तियों, संबंधित व्यक्तियों और किसी अन्य संगठन द्वारा अनुचित लाभ उठाया गया है, जैसाकि आरोप लगाया है, और यदि हां, तो किस सीमा तक;

(ग) कार्रवाई का सुझाव देना जो उन व्यक्तियों के विरुद्ध की जाए जिन्हें उपर्युक्त उपखंड (क) में निर्दिष्ट सौदों की बाबत उनकी लोप और/या करण त्रुटि के लिए आयोग द्वारा जिम्मेदार पाया जाए;

(घ) इन आरोपों को लगाने और प्रकाशित करने संबंधी सभी पहलुओं और किसी अन्य मामले की जांच करना जो उपर्युक्त उपखंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट किसी कृत्य, चूक या लेनदेन से पैदा हुआ हो या उससे संबंधित या उसका सहवर्ती हो।

*[अनुवाद]*

**सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में श्रमिकों के बकायों को मंजूरी न देना**

**4895. श्री सुरेश रामराव जाधव :** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, विशेषकर एच.सी.एल. लिमिटेड सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया के लाखों

श्रमिकों को लम्बे समय से उनका वेतन, बोनस, कर्मचारी भविष्य निधि और अन्य बकायों का भुगतान नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो श्रमिकों का कुल बकाया कितना है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा गठित की गई समिति की सिफारिशें क्या हैं;

(घ) क्या सरकार के पास श्रमिकों के सभी बकायों को यथाशीघ्र मंजूरी देने संबंधी कोई कार्य योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) से (ङ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार 30.6.2002 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 66 उद्यमों, जिनमें हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड तथा सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. भी शामिल हैं, में वेमतन, मजूरी व सांविधिक देनदारियों से संबंधित कुल बकाया राशि 2082.23 करोड़ रुपए की थी। उद्यमवार विवरण संलग्न है। सरकार कुछेक सरकारी उपक्रमों को अंतरिम वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि वे कर्मचारियों की देनदारियों का भुगतान कर सकें। बकाया राशि के परिसमापन के तौर–तरीकों के बारे में सुझाव देने के लिए मंत्रियों के जिस दल का गठन किया था, उसने अभी अपनी अंतिम अनुशंसाएं प्रस्तुत नहीं की हैं। बहरहाल, दल के सुझावों के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालयों को यह सलाह दी गई है कि वे अपने नियंत्रणाधीन उद्यमों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन शीघ्र ही करें और यह स्पष्ट करें कि बकाया सांविधिक देयताओं को चुकता करने के लिए कितनी बजटीय सहायता की जरूरत है तथा यह भी बताएं कि कितने उद्यम अपने आंतरिक संसाधनों से अथवा अपनी अनिष्पादित परिसंपत्तियों की बिक्री से व्यय का वहन कर पाने में समर्थ हैं।

**विवरण**

| क्र.सं. | केन्द्रीय सरकारी उपक्रम का नाम | बकाया सांविधिक देनदारियां | वेतन/मजूरी संबंधी बकाया | कुल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | एण्ड्रयु यूले एण्ड कंपनी | 725.05 | 1164.13 | 1889.18 |
| 2. | बंगाल इम्यूनिटी लि. | 508 | – | 508 |
| 3. | भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लि. | 78.76 | – | 78.76 |
| 4. | भारत कोकिंग कोल लि. | 48995 | – | 48995 |
| 5. | भारत अर्थ मूवर्स लि. | 2.93 | – | 2.93 |
| 6. | भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. | 49.69 | 0.91 | 50.60 |
| 7. | भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लि. | 1110.15 | – | 1110.15 |
| 8. | भारत पम्पस एण्ड कंप्रेशर्स | 1284.37 | – | 1284.37 |
| 9. | भारत रिफ्रेक्ट्रीज लि. | 4687.65 | 2593.83 | 7281.48 |
| 10. | भारत ऑप्थैल्मिक ग्लास लि. | 74.72 | 315 | 389.72 |
| 11. | भारत वेगन एण्ड इंजी. | 516.89 | 360 | 876.89 |
| 12. | बर्ड्स, जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लि. | 115 | – | 115 |
| 13. | ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लि. | 321.11 | – | 321.11 |
| 14. | ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि. | 596 | – | 596 |
| 15. | बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि. | 5391.52 | 145 | 5536.52 |
| 16. | सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. | 1288.57 | 747.74 | 2036.31 |
| 17. | सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. | 317 | – | 317 |
| 18. | हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन | 9755 | 681 | 10436 |
| 19. | हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि. | 1700 | – | 1700 |
| 20. | हिन्दुस्तान केबल्स लि. | 4324.31 | 2347.95 | 6672.26 |
| 21. | हिन्दुस्तान कॉपर लि. | 2059 | 793 | 2852 |
| 22. | हिन्दुस्तान फोटोफिल्म मैन्यु. | 815.93 | 1299.17 | 2115.10 |
| 23. | हिन्दुस्तान साल्ट्स लि. | 108.32 | 38.97 | 147.29 |
| 24. | हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन | 7918 | 13079.56 | 20997.56 |
| 25. | हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल कारपो. | 1220 | – | 1220 |
| 26. | एचएमटी लि. | 426.14 | – | 426.14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 27. | एचएमटी (मशीन टूल्स) | 2259.43 | 275.95 | 2535.38 |
| 28. | एचएमटी (वाचेज) | 1953 | 639 | 2592 |
| 29. | एचएमटी (चिनार वाचेज) | 171.84 | 232.92 | 404.76 |
| 30. | हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजी. लि. | 35.00 | 242.00 | 277.00 |
| 31. | हास्पिटल सर्विसिज कंसल. लि. | 0.76 | – | 0.76 |
| 32. | इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मा. लि. | 7858 | – | 7585 |
| 33. | इंडियन आयरन एण्ड स्टील कं. लि. | 4502 | – | 4502 |
| 34. | इंस्ट्रूमेंटेशन लि. | 628.65 | 213 | 841.65 |
| 35. | जेसप एण्ड कंपनी लि. | 1586.45 | 198.20 | 1784.65 |
| 36. | मझगांव डॉक लि. | 26.64 | 0.97 | 27.61 |
| 37. | नेशनल एल्युमिनियम कं. लि. | 2.38 | – | 2.38 |
| 38. | राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम | 125.05 | 231.33 | 356.38 |
| 39. | राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम | 62 | 386 | 448 |
| 40. | नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि. | 243.95 | 887.97 | 1131.92 |
| 41. | नेशनल जूट मैन्यु. कारपो. लि. | 13057 | – | 13057 |
| 42. | राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि. | 4259 | 1527 | 5786 |
| 43. | राष्ट्रीय बीज निगम लि. | 338.69 | 189.23 | 527.92 |
| 44. | नेपा लि. | – | 1416.35 | 1416.35 |
| 45–53. | नेटेका की सहायक कंपनियां | 35564 | – | 35564 |
| 54. | प्रागा टूल्स लि. | 505 | 335 | 840 |
| 55. | प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया | 1936 | – | 1936 |
| 56. | रेरोल बर्न लि. | 52.79 | 60.65 | 113.44 |
| 57. | रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि. | 257.40 | 470.69 | 728.09 |
| 58. | सांभर साल्ट्स लि. | 3.86 | 36.41 | 40.27 |
| 59. | स्कूटर्स इंडिया लि. | 16.08 | – | 16.08 |
| 60. | स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एंड फार्मा. | 91 | – | 91 |
| 61. | राज्य फार्म्स निगम लि. | 2538 | 250 | 2788 |
| 62. | चाय व्यापार निगम | 872.29 | 1029.52 | 1901.81 |
| 63. | त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि. | 796.48 | 678 | 1474.48 |
| 64. | तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि. | 194 | 223 | 417 |
| 65. | टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. | 933.66 | 6119.99 | 1053.65 |
| 66. | वेबर्ड इंडिया लि. | 27.02 | – | 27.02 |
| | जोड़ | 175013.53 | 33209.44 | 208222.97 |
| | करोड़ के तुल्य | 1750.14 | 332.09 | 2082.23 |

*[हिन्दी]*

**अ.पि.व. को पेट्रोल पंपों का आवंटन**

**4896. डा. मदन प्रसाद जायसवाल :**
**श्री राम टहल चौधरी :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पेट्रोल पंपों और रसोई गैस एजेंसियों के आवंटन में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)** : (क) से (ग) 1.4.2002 से पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था की समाप्ति के परिणाम-स्वरूप देश में विभिन्न स्थानों पर खुदरा बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल पंपों), एसकेओएलडीओ डीलरशिपों और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा स्वयं, अपने द्वारा अपनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, किया जाएगा।

*[अनुवाद]*

**पूर्व मध्य रेलवे में कर्मचारियों और स्थान की कमी**

**4897. श्री के. येरननायडू :**
**श्री कालवा श्रीनिवासुलु :**

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे जोन पूरी तरह चालू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो पूर्व मध्य रेलवे के कई अधिकारी पटना से कार्य संचालित कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या हाजीपुर में कर्मचारियों तथा स्थान की कमी पूर्व मध्य रेलवे के उपयुक्त कार्यकरण में आड़े आ रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका सुचारू कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) जी, हां। मध्य रेलवे 01.10.2002 से पूरी तरह से परिचालन में गई है।

(ख) ऑफ लाइन गतिविधियों के लिए हाजीपुर और पटना में पट्टे पर अस्थाई स्थान की व्यवस्था की गई है।

(ग) कार्यालय इमारत का विस्तार किया जा रहा है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**डी.डी.-I पर क्षेत्रीय कार्यक्रम**

**4898. श्री पी. सी. थामस :**
**श्री मनसुखभाई डी. वसावा :**
**श्री शिवराजसिंह चौहान :**
**श्री अब्दुल रशीद शाहीन :**
**श्री बीर सिंह महतो :**
**श्री लक्ष्मण गिलुवा :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी.डी.-I पर क्षेत्रीय केन्द्रों के प्रायोजित कार्यक्रमों को अवसर प्रदान किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या डी.डी.-I के माध्यम से, जहां स्लॉट उपलब्ध हैं, क्षेत्रीय चैनलों के सफल कार्यक्रमों को अवसर प्रदान किया जा सकता है;

(ग) क्या क्षेत्रीय कार्यक्रमों को उचित मान्यता प्रदान की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या डी.डी. के पास सभी केन्द्रों के कार्यक्रमों की गुणवत्ता की तुलना निजी चैनलों के समान कार्यक्रमों से करने की कोई सुविधा है ताकि ऐसे कार्यक्रमों की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(छ) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)** : (क) जी, हां। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि क्षेत्रीय केन्द्रों के प्रायोजित कार्यक्रमों को संबंधित क्षेत्रीय भाषा में उनकी डी.डी.-1 की स्थलीय विंडो (संलग्न विवरण के अनुसार) पर प्रसारित किया जाता है।

(ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि अधिकांश केन्द्र डी.डी.-1 (क्षेत्रीय विंडो) पर क्षेत्रीय उपग्रह चैनलों के सफल कार्यक्रमों को इन कार्यक्रमों को क्षेत्रीय उपग्रह चैनलों और डी.डी.-1 पर भी एक साथ प्रसारित करके अत्यधिक संख्या में दर्शक जुटाने का अवसर प्रदान कर रहे हैं।

(ग) और (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि क्षेत्रीय

केन्द्र क्षेत्र की भाषा में कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए अपना प्रसारण समय आवंटित करते हैं।

(ङ) से (छ) प्रसार भारती ने ने सूचित किया है कि दूरदर्शन चैनलों पर अच्छे स्तर के कार्यक्रमों का प्रसारण करना एक सतत कार्यकलाप है और अधिक संख्या में दर्शकों को बनाए रखने के लिए कार्यक्रमों की गुणवत्ता की मानीटरिंग करना एक नियमित कार्य है।

सार्वजनिक सेवा प्रसारक के रूप में अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए प्रतिस्पर्द्धा का सामना करने के लिए दूरदर्शन अपनी कार्यक्रम संरचना में सुधार करता आ रहा है और नीतिगत परिवर्तन करता आ रहा है। दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता और विषयवस्तु में सुधार करने के लिए विशेषज्ञ सलाहकार दलों के गठन, कार्यक्रम प्रणाली में पारदर्शिता एवं विषयपरकता लाने के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित करने, प्रसारण की गुणवत्ता में सुधार करने और उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार जैसे विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

**विवरण**

1. क्षेत्रीय केन्द्रों के लिए डीडी–I पर स्लॉट

रविवार :

(i) 0800 से 0830 घंटे

(ii) 1600 से 2000 घंटे

सोमवार से शुक्रवार :

(i) 1030 से 1100 घंटे (ईटीवी)

(ii) 1430 से 1700 घंटे (हिन्दी क्षेत्र के अलावा)

(iii) 1700 से 2000 घंटे (बुधवार 1930 से 2000 घंटे)

शनिवार :

1830 से 2000 घंटे

2. हिन्दी क्षेत्र केन्द्र

रविवार :

(i) 1300 से 1330 घंटे (डीडी के, लखनऊ/भोपाल/जालंधर के अलावा)

(ii) 1330 से 1400 घंटे (डीडी के लखनऊ/भोपाल/जालंधर/एन एण्ड सी ए के अलावा)

सोमवार से शुक्रवार :

1430 से 1700 घंटे (लखनऊ के अलावा)

शनिवार :

1930 से 2000 घंटे (जालंधर के अलावा)

*[अनुवाद]*

**केबल टी.वी. वितरण अधिकार के लिए संयुक्त उपक्रम की स्थापना**

**4899. श्री सुशील कुमार इन्दौरा :**
**श्री रामजीलाल सुमन :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में केबल टीवी वितरण अधिकार के लिए संयुक्त उपक्रम की स्थापना हेतु प्रसार भारती को अनुमोदन प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संयुक्त उपक्रम में किन संगठनों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)** : (क) प्रसार भारती से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**तालचेर-बिमलागढ़ रेल लाइन**

**4900. श्री के. पी. सिंह देव :**
**श्री त्रिलोचन कानूनगो :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में तलचेर बिमलागढ़ तक रेल लाइन के निर्माण संबंधी प्रस्ताव काफी समय से लंबित है;

(ख) क्या दसवीं योजना के दौरान इस रेल लाइन के निर्माण का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इसके लिए कोष संबंधी क्या प्रावधान किया गया है; और

(घ) उस रेल लाइन के निर्माण के कार्य में तेजी लाने हेतु उठाए गए कदमों को ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) से (घ) तालचेर-बिमलागढ़ नई लाइन परियोजना के लिए 2001-02 में किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि प्रतिफल की अलाभप्रद प्रकृति के साथ इस 154 कि.मी. लंबी लाइन के निर्माण की लागत 606.60 करोड़ रुपए होगी। इस नई लाइन का निर्माण करना यातायात की दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं समझा जाता है। उपरोक्त और संसाधनों की अत्यधिक तंगी के दृष्टिगत इस नई लाइन का निर्माण शुरू करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

**जाली साख पत्र**

**4901. श्रीमती श्यामा सिंह :**
**श्री भास्कर राव पाटील :**
**डा. चरणदास महंत :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 मार्च, 2003 को "दि स्टेट्समैन" में "रेक फॉर रेंट रकैम बस्टेड बाइ रेलवेज" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खाद्यान्न निर्यातक रेलवे और भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों की मिली भगत से जाली साख पत्रों और बैंक पृष्ठांकनों का प्रयोग करके माल डिब्बों का आवंटन कराते हैं;

(घ) यदि हां, तो इस घोटाले में क्या तरीका अपनाया गया है; और

(ङ) सरकार ऐसे घोटालों को रोकने और संलिप्त रेल अधिकारियों को दंडित करने हेतु क्या निवारक कदम उठाने का विचार कर रही है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) जी, हां।

(ख) समाचार पत्र में जाली नामों के अंतर्गत बंगलादेश को खाद्यान्न के निर्यात के लिए कतिपय रेल और एफसीआई के प्राधिकारियों के साथ मिलीभगत से जाली साख पत्र और बैंक पृष्ठांकन के आधार पर रेकों की बुकिंग के बारे बताया गया है।

(ग) रेल सतर्कता द्वारा की गई जांच के दौरान निर्यातक बैंक से 49 बैंक प्रमाण पत्र उनके द्वारा सत्यापित साख पत्र जाली पाए गए थे। बहरहाल, रेल कर्मचारियों की इन पार्टियों जिन्होंने जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, के साथ कोई मिली भगत नहीं थी।

(घ) कार्य प्रणाली निर्यातक बैंक द्वारा प्रस्तुत जाली प्रमाण पत्रों से मांग पत्रों का पंजीयन कराने की थी। इन जाली प्रमाण पत्रों से परेषिती रेलवे रेकों के आवंटन में कुछ प्राथमिकता प्राप्त करने में सफल होते थे।

(ङ) निवारक जांचों को तेज करने के साथ-साथ वाणिज्य मंत्रालय और एफसीआई के परामार्श से निर्यात यातायात के लिए मांग पत्रों के पंजीयन की प्रक्रिया में आशोधन कर दिया गया है। संशोधित प्रक्रिया में बंगलादेश को निर्यात किए जाने वाले खाद्यान्न के मांग पत्रों के साथ एफसीआई द्वारा जारी रिलीज आदेश होना अपेक्षित होता है और साख पत्र के आधार पर आवंटन में कोई प्राथमिका नहीं दी जाती है।

**स्क्रैप की बिक्री**

**4902. श्री चन्द्रनाथ सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देशभर में रेल पटरियों के दोनों ओर बिखरे पड़े स्क्रैप को एकत्रित करने हेतु कोई कार्रवाई की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2002-03 के दौरान और आज की तिथि तक रेलवे द्वारा बेचे गए कुल स्क्रैप का जोनवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस स्क्रैप की बिक्री से कुल कितनी धनराशि जुटाई गई?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) और (ख) विनिर्मुक्त रेलपथ सामग्री की मात्रा और वर्गीकरण का निर्धारण विद्यमान प्रावधानों और समय-समय पर जारी संबंधित अनुदेशों के अनुसार किया जाता है। निपटान से पूर्व स्क्रैप रेलपथ सामग्री का लाइनों/डिपुओं के साथ-साथ सुविधा-जनक स्थानों पर पृथक ढेर लगाया जाता है। दुर्घटनाग्रस्त

चल स्टाक जिनकी मरम्मत किफायती तौर पर नहीं की जा सकती और गाड़ियों पर नहीं ढोया जा सकता, का अधिकांशतः दुर्घटना स्थलों पर ही निपटान कर दिया जाता है।

(ग) और (घ) 2002–2003 (अप्रैल, 2002 से मार्च, 2003) के दौरान रेलों (जोनवार) द्वारा बेचे गए कुल स्क्रैप और उससे प्राप्त कुल राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है :

| रेलवे | पटरियों सहित लौह स्क्रैप (मीट्रिक टन में) | अलौह (मीट्रिक टन में) | माल डिब्बे (चौपहिया इकाइयों में) | सवारी डिब्बे (अदद में) | रेल इंजन (अदद में) | वसूली गई राशि (करोड़ रु. में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मध्य | 166459 | 1281 | 4208 | 124 | 9 | 193 |
| पूर्व | 95468 | 1938 | 1807 | 128 | 50 | 118 |
| उत्तर | 153939 | 512 | 2702 | 107 | 6 | 171. |
| पूर्वोत्तर | 47343 | 866 | 351 | 251 | 10 | 44 |
| पूर्वो. सीमा | 19887 | 71 | 250 | 37 | 2 | 16 |
| दक्षिण | 103393 | 3139 | 529 | 248 | 2 | 103 |
| दक्षिण मध्य | 115773 | 657 | 631 | 84 | 0 | 105 |
| दक्षिण पूर्व | 197692 | 992 | 2418 | 45 | 12 | 192 |
| पश्चिम | 69080 | 1939 | 1358 | 102 | 3 | 84 |
| उत्तर पश्चिम रेलवे | 16933 | 306 | 486 | 29 | 8 | 40 |
| सभी उत्पादन इकाइयां | 42617 | 749 | | | | 45 |
| जोड़ | 1038564 | 12450 | 14788 | 1135 | 102 | 1111 |

**बड़ी रेल परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक ऋण**

**4903. श्री वाई. वी. राव :**
**श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
**श्री चन्द्रनाथ सिंह :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने वृहत रेल परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता राशि की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए सहायता राशि की मांग की गई है;

(ग) क्या समझौता तय हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी नियम और शर्तें क्या हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) विश्व बैंक मुंबई शहरी परिवहन परियोजना चरण–I का वित्त पोषण कर रहा है, जिसमें सड़क व रेल घटक दोनों शामिल हैं और इसमें इंटरनेशनल बैंक फार रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट से 483 मिलियन अमरीकी डालर (रेल घटक के लिए 305 मिलियन अमरीकी डालर सहित) इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन से 79 मिलियन अमरीकी डालर (रेल घटक के लिए 60 मिलियन अमरीकी डालर सहित) के ऋण शामिल हैं, इस परियोजना में रेल घटक की कुल अनुमानित लागत 3125 करोड़ रुपए है। महाराष्ट्र सरकार और रेल मंत्रालय द्वारा बराबर–बराबर लागत वहन की जा रही है।

राष्ट्रीय रेल विकास योजना के अंतर्गत कुछ और परियोजनाओं और संरक्षा संवर्धन कार्यों हेतु वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक के साथ विचार–विमर्श किया जा रहा है।

(ख) मुंबई शहरी परिवहन परियोजना चरण–I के रेल घटक के अंतर्गत परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। जहां तक राष्ट्रीय रेल विकास योजना के अंतर्गत परियोजनाओं और संरक्षा संवर्धन कार्यों का संबंध है, उन्हें अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ग) मुंबई शहरी परिवहन परियोजना के लिए ऋण 6 नवम्बर, 2002 से प्रभावी हो गया है। राष्ट्रीय रेलवे विकास योजना और संरक्षा संवर्धन कार्यों के लिए ऋण पर विचार–विमर्श चल रहा है।

(घ) मुंबई शहरी परिवहन परियोजना के लिए आईडीए ऋण अदायगी 10 वर्षों के विलम्बन–काल सहित 35 वर्षों में करनी है। मुंबई शहरी परिवहन परियोजना के लिए आईबीआर ऋण की अदायगी 5 वर्षों के विलम्बन काल सहित 20 वर्षों में करनी है। आईडीए के ऋण पर आईडीए के ऋण में 0.75 प्रतिशत वार्षिक दर पर सेवा प्रभार और आईबीआरडी के ऋण पर एलआईबीओआर की (लंदन इंटर–बैंक प्रस्तावित दर) मूल दर जमा एलआईबीओआर के कुल प्रसार के समान भिन्न–भिन्न ब्याज दर शामिल हैं।

**विवरण**

*मुंबई शहरी परिवहन परियोजना चरण–I के रेल घटक के अंतर्गत शामिल किए गए कार्य*

| कार्य का नाम | अनुमानित लागत (करोड़ रु. में) |
|---|---|
| 1 | 2 |
| महीम में पलाई ओवर में आशोधन सहित पश्चिमी रेलवे में पांचवीं लाइन | 59.00 |
| कुर्ला–थाणे पांचवीं और छठी लाइन | 166.00 |
| बोरीविली–भ्यांदर रेलपथ चौहरीकरण | 509.00 |
| पश्चिम रेलवे–बढ़ाई गई गाड़ी बारम्बारता और रेक आकार का अधिकतम उपयोग | 50.10 |
| मध्य रेलवे–बढ़ाई गई गाड़ी बारम्बारता और रेक आकार का अधिकतम उपयोग | 99.50 |
| हार्बर लाइन–बढ़ाई गई गाड़ी बारम्बारता और रेक आकार का अधिकतम उपयोग | 19.70 |
| डीसी का एसी में परिवर्तन | 380.40 |
| ईएमयू कोच का पुनर्निर्माण | 1359.20 |
| पुनर्वास और पुनर्स्थापन | 290.00 |
| ईएमयू अनुरक्षण सुविधाएं | 64.30 |
| ईएमयू के लिए स्टेबलिंग लाइनें | 48.50 |
| रेलपथ मशीनों की खरीद | 31.30 |
| संस्थागत सुदृढ़ीकरण और तकनीकी सहायता | 48.20 |
| जोड़ | 3125.20 |

**पंजाब में सौर ऊर्जा योजना के लिए धनराशि**

**4904. श्री जे. एस. बराड़** : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पंजाब में किसी सौर ऊर्जा योजना को कोई सहायता या अनुदान दे रही है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत पंजाब को कितनी धनराशि जारी की गई और वर्ष 2003–04 के दौरान कितनी धनराशि जारी करने का प्रस्ताव है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान उक्त राज्य में उत्पादित और उपयोग में लाई गई सौर ऊर्जा का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2003–2004 के दौरान सौर ऊर्जा के उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन)** : (क) और (ख) मंत्रालय पंजाब राज्य सहित संपूर्ण देश में सौर प्रकाशवोल्टीय (एसपीवी) प्रदर्शन एवं उपयोगिता कार्यक्रम, एसपीवी ग्रिड इंटरएक्टिव विद्युत कार्यक्रम, एसपीवी जल पंपन कार्यक्रम, सौर तापीय विस्तार कार्यक्रम तथा सौर कुकर कार्यक्रम जैसे विभिन्न सौर ऊर्जा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

कर रहा है। ये कार्यक्रम राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसियों, चयनित गैर-सरकारी संगठनों, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) लिमि. तथा कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

इन कार्यक्रमों के अंतर्गत सौर घरेलू प्रणालियों, सड़क रोशनी प्रणालियों, विद्युत संयंत्रों, जल पंपन प्रणालियों, सौर जल तापन प्रणालियों, सौर कुकरों आदि जैसी सौर ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सब्सिडी, उदार ऋण पैकेजों और अन्य प्रोत्साहनों के माध्यम से सहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय देश के चुनिंदा शहरों में आदित्य सौर दुकानों की स्थापना को सहायता प्रदान कर रहा है।

पंजाब में सौर ऊर्जा कार्यक्रमों का कार्यन्वयन पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (पेडा), चंडीगढ़ के माध्यम से किया जा रहा है। पिछले दो वर्षों अर्थात 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान पेडा ने निम्नलिखित ऊर्जा प्रणालियां स्थापित की हैं :

(i) 1200 सौर जल पंपन प्रणालियां

(ii) गांव खटकर कलां, जिला नवाशहर में एक 200 कि.ग्रा. पी. ग्रिड ईंटरएक्टिव एसपीवी विद्युत संयंत्र

(iii) 750 सौर घरेलू प्रणालियां

(iv) 350 सौर सड़क रोशनी प्रणालियां

(v) 1,500 सौर लालटेन

(vi) 250 बॉक्स टाइप सौर कुकर

(vii) 100 डिश टाइप सौर कुकर

(viii) 12,500 लीटर प्रतिदिन की समग्र क्षमता के साथ सौर जल तापन प्रणालियां।

मंत्रालय ने सौर ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत पेडा को वर्ष 2001-02 के दौरान 650.56 लाख रु. तथा वर्ष 2002-03 के दौरान 1043.57 लाख रु. की केन्द्रीय अनुदान सहायता जारी की। सौर ऊर्जा कार्यक्रमो के अंतर्गत वर्ष 2003-04 के दौरान राज्यवार वित्तीय आवंटन और रिलीज अभी किए जाने हैं।

(ग) और (घ) यह अनुमान लगाया जाता है कि पंजाब में स्थापित सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों और विद्युत संयंत्रों से वर्ष 2001-02 और 2002-03 के दौरान क्रमशः 2.08 और 2.92 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया है।

मंत्रालय के सौर ऊर्जा कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष 2003-04 के लिए राज्यवार लक्ष्य अभी आवंटित किए जाने हैं। इस संबंध में विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों को संकलित किया जा रहा है।

*[हिन्दी]*

## अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यकों आदि के लिए कल्याणकारी योजनाएं

**4905. श्री राजो सिंह** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अल्प-संख्यकों/विधवाओं और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेषकर बिहार के शेखपुरा, लखीसराय, जमुई और बेगुसराय जिलों में चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत योजनावार कितनी धनराशि आवंटित की गई/धनराशि व्यय हुई; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बिहार और अन्य राज्यों में इन योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न समूहों के कितने परिवार और व्यक्ति लाभान्वित हुए?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान)** : (क) और (ख) राज्यवार कोई आवंटन नहीं किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान शेखपुरा, लखीसराय, जमुई और बेगुसराय जिलों सहित बिहार राज्य में कल्याण योजनाओं के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

**विवरण**

*बिहार राज्य में विभिन्न योजनाओं को निधियों की निर्मुक्ति*

(रु. लाख में)

| क्र.सं. | योजना | निर्मुक्ति | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2000–01 | 2001–02 | 2002–03 |
| **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय** | | | | |
| 1. | अस्वच्छ व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति | 20.00 | 15.47 | 20.00 |
| 2. | अनुसूचित जातियों के लिए पुस्तक बैंक | 7.38 | 0.00 | 10.00 |
| 3. | सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातीय (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन | 34.03 | 0.00 | 65.00 |
| 4. | अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान | 46.68 | 89.61 | 96.47 |
| 5. | अनुसूचित जाति के लिए कोचिंग तथा सम्बद्ध योजना | 0 | 0.00 | 6.00 |
| | **अन्य पिछड़े वर्ग** | | | |
| 6. | अन्य पिछड़े वर्ग के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावासों का निर्माण | 0.00 | 149.58 | 0.00 |
| 7. | विदेश में अध्ययन करने के लिए अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 8. | अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता | 0.00 | 5.13 | 0.00 |
| | **अल्पसंख्यक** | | | |
| 9. | आर्थिक मानदंडों पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग | 50.82 | 53.82 | 37.50 |
| | **विकलांगों का कल्याण** | | | |
| 10. | विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देने संबंधी योजना | 162.47 | 225.42 | 194.60 |
| 11. | सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना | 22.16 | 63.31 | 74.65 |
| 12. | विकलांग* व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम | 322.25 | 251.75 | – |
| **जनजातीय कार्य मंत्रालय** | | | | |
| 1. | जनजातीय उप–योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता | 1711.06 | 556.56 | 556.56 |
| 2. | कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर | 0.00 | 0.00 | 0.30 |

*राज्यों को स्थानांतरित।

*[अनुवाद]*

**आंध्र प्रदेश में आईओसीएल द्वारा पेट्रोल पंपों की स्थापना**

**4906. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने इंडियन आयल कारपोरेशन को आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में पेट्रोल पंपों की स्थापना का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या आईओसी ने बिना किसी योजना के और बाजार की स्थिति पर ध्यान दिए बगैर पेट्रोल पंपों की स्थापना के लिए पूर्वी गोदावरी, विशाखापत्तनम और पश्चिमी गोदावरी जिलों का चयन किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार के निर्देशों के प्रत्युत्तर में आईओसी की वाणिज्यिक गतिविधि का पूर्ण ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) :** (क) से (घ) जी, नहीं। 1.4.2002 से पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था की समाप्ति के परिणामस्वरूप देश में विभिन्न स्थानों पर खुदरा बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल पंपों), एसकेओ–एलडीओ डीलरशिपों और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए डिलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा स्वयं, अपने द्वारा अपनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, किया जाएगा।

**तमिलनाडु में रेल लाइनों हेतु सर्वेक्षण**

**4907. श्री वी. वेत्रिसेलयन :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तमिलनाडु में ऐसी रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है जिनको फिर से चालू करने/उनके उन्नयन हेतु सर्वेक्षण किया गया था, लेकिन विभिन्न कारणों से उक्त कार्यों को नहीं किया जा सका था;

(ख) क्या तमिलनाडु के जनप्रतिनिधियों ने उक्त लाइनों के लिए नए सिरे से सर्वेक्षण कराए जाने के लिए सरकार से अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) :** (क) हाल ही में तमिलनाडु में कोई रेल लाइन बंद नहीं की गई है इसलिए रेल लाइन को पुनः खोलने के लिए किसी सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल, बोदीनायकानूर–मदुरै–विरुदनगर–मानामदुरै और डिंडीगुल–पोलाच्ची–पालघाट के आमान परिवर्तन के लिए नौवीं योजना के दौरान सर्वेक्षण किया गया था परन्तु कार्य आरम्भ नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) इन लाइनों के आमान परिवर्तन के कार्य को शुरू करने की मांग की गई है, बहरहाल, नए सर्वेक्षण के लिए कोई मांग लंबित नहीं है।

**जनवरी, 2002 से रेलगाड़ियों की पटरी से उतरने की घटनाएं**

**4908. श्री अनन्त गुढे :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 2002 से देश में रेल गाड़ियों की पटरियों से उतरने की जोनवार कितनी घटनाएं हुईं जिनसे ट्रेन सेवाएं बाधित हुईं;

(ख) किन कारणों से पटरी से उतरने की घटनाएं घटीं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान रेल यातायात में आई बाधा से सरकार को कुल कितना घाटा हुआ; और

(घ) सरकार का रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने संबंधी घटनाओं को रोकने हेतु क्या उपाय करने का प्रस्ताव है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) :** (क) और (ख) जनवरी, 2002 से मार्च, 2003 तक भारतीय रेलों के पटरी से उतरने की घटनाओं की जोनवार संख्या (आंकड़े अनंतिम हैं) इस प्रकार है :

| क्र.सं. | रेलवे | गाड़ी के पटरी से उतरने की घटनाओं की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | मध्य | 31 |
| 2. | पूर्व | 40 |
| 3. | पूर्व मध्य | 11 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 4. | उत्तर | 34 |
| 5. | पूर्वोत्तर | 20 |
| 6. | पूर्वोत्तर सीमा | 40 |
| 7. | उत्तर पश्चिम | 4 |
| 8. | दक्षिण | 22 |
| 9. | दक्षिण मध्य | 29 |
| 10. | दक्षिण पूर्व | 29 |
| 11. | पश्चिम | 18 |
| 12. | कोंकण | 2 |
| | कुल | 280 |

गाड़ी के पटरी से उतरने की घटनाएं होने के कई कारण होते हैं जिनमें मोटेतौर पर रेलवे कर्मचारियों की गलती, उपस्कर की खराबी तथा तोड़फोड आदि शामिल होते हैं।

(ग) दुर्घटनाओं के कारण होने वाली अप्रत्यक्ष हानि के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। बहरहाल, जनवरी, 2002 से जनवरी, 2003 की अवधि में गाड़ी के पटरी से उतरने की घटनाओं के कारण 29.81 करोड़ रुपए (अनंतिम) की प्रत्यक्ष हानि होने का अनुमान है।

(घ) गाड़ी के पटरी से उतरने की घटनाओं को रोकने तथा उनके प्रभाव को कम करने के लिए उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं :

(i) गतायु परिसंपत्तियों के नवीकरण तथा संरक्षा संवर्धन कार्यों के लिए 17,000/– करोड़ रुपए की नॉन लेप्सेबल रेल संरक्षा विशेष निधि की स्थापना की गई है।

(ii) सभी उत्पादन इकाइयों, अधिकांश मरम्मत कारखानों और बड़ी संख्या में शेडों और डिपो ने अपनी गुणवत्ता प्रणाली के लिए आईएसओ–9002 प्रमाणन प्राप्त कर लिया है।

(iii) मल्टी रिसेटिंग सतर्कता नियंत्रण उपकरण, कंप्यूटर नियंत्रित ब्रेक प्रणाली, संवर्धित डाएनेमिक ब्रेक व क्रीप कंट्रोल जैसी बेहतर संरक्षा विशेषताओं वाले नई पीढ़ी के डीजल रेल इंजनों की खरीद ताकि पहिया न फिसले।

(iv) गाड़ी की गति पर नजर रखने के लिए माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोल स्पीड रिकार्डर की व्यवस्था।

(v) रनिंग कर्मचारियों के प्रशिक्षण में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण उपकरण के रूप में सिमुलेटरों की खरीद की जाती है।

(vi) चालन के समय धुरा/जर्नल्स की टूटन को रोकने के लिए हॉट बाक्सों के अलग हो जाने का समय पर पता लगाने के लिए गंध एवं धुआं देने वाले (ओडौर–कम–फ्यूम टाइप) हॉट बाक्स डिटेक्टर का प्रयोगशाला में परीक्षण किया जा रहा है।

(vii) प्रणाली में शामिल किए जा रहे नए मालडिब्बे अधिक विश्वसनीय कैसनब बोगियों और एयर ब्रेक प्रणाली से युक्त हैं। मालडिब्बों पर बोगी माउंटेड ब्रेक प्रणाली का भी विकास किया गया है। मालडिब्बों में संयुक्त ब्रेक ब्लाकों का भी धीरे–धीरे उपयोग बढ़ाया जा रहा है।

(viii) दुर्घटना के प्रभाव को कम करने और परिणाम–स्वरूप हताहतों की संख्या को कम करने के लिए चल स्टाक के अभिकल्प में सुधार करना।

(ix) रेलपथ अनुरक्षण के लिए टाई–टैपिंग और गिट्टी–सफाई मशीनों के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। रेलपथ–नवीकरण गाड़ियों का उपयोग भी किया जा रहा है।

(x) रेलपथ ज्यामिति और रेलपथ की चालन विशेषताओं पर निगरानी रखने के लिए परिष्कृत रेलपथ अभिलेखन कारों, दोलनलेखी कारों और सुवाह्य त्वरणमापियों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

(xi) पटरियों में दरारों/वेल्डिंग में विफलताओं का पता लगाने के लिए पर्याप्त संख्या में दोहरी पटरी पराश्रव्य दोष–संसूचकों की खरीद की जा चुकी है। स्वनोदित पराश्रव्य पटरी परीक्षण यानों की खरीद की जा रही है।

(xii) विभिन्न स्तरों पर रेलपथ का नियमित निरीक्षण किया जाता है।

(xiii) रेल कर्मचारियों की भर्ती के तत्काल बाद उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है उसके बाद उनके ज्ञान को आवधिक तौर पर अद्यतन कराया जाता है। रेलपथ कर्मचारियों के ज्ञान में वृद्धि करने और उसे अद्यतन करने के लिए समय-समय पर गोष्ठियों/कार्यशालाओं/फील्ड प्रदर्शनों का आयोजन किया जाता है।

(xiv) मानसून, गर्मी और जाड़े के दौरान भेद्य खंडों में गैंगमेनों द्वारा रेलपथ पर गश्त लगाना।

(xv) रेल स्टील की विशिष्टियों का अपग्रेड किया गया है और यह इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे (यूआईसी) की विशिष्टयों के अनुरूप है।

(xvi) रेलपथ संरचना को योजनागत आधार पर समुन्नत बनाया जा रहा है।

(xvii) रेलपथ को सही हालत में रखने के लिए यथा समय रेलपथ नवीकरण किया जाता है, बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

(xviii) अधिक दुर्घटना की संभावना वाले चौपहिया मालडिब्बों (सीआरटी मालडिब्बों) को सेवा से हटाया जा रहा है।

(xix) रेपलथ और पुलों पर अपराध की रोकथाम के लिए जब कभी अपेक्षित होता है राज्यों के पुलिस विभागों के साथ निकट संपर्क रखा जा रहा है।

(xx) जहां कहीं व्यावहारिक हो, फिश प्लेट वाले ज्वाइंटों की संख्या कम करने और भेद्य समझे जाने वाले खण्डों में स्थित ज्वाइंटों में दो फिश बोल्टों की प्रत्येक पटरी पर एक-बरिंग के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

(xxi) चोरी ना किए जा सकने वाले इलास्टिक रेल क्लिप और फिश बोल्ट फास्टविंग को विकसित किया जा रहा है।

(xxii) जिन कर्मचारियों की वजह से गंभीर दुर्घटना होती है उनके खिलाफ सेवा से हटाए जाने/बर्खास्तगी तक की कड़ी कार्रवाई की जाती है।

*[हिन्दी]*

**दूरदर्शन पर हिंसक दृश्यों वाले एपीसोड**

**4909. श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर प्रसारित हिंसक दृश्यों वाले एपीसोड बच्चों में हिंसक प्रवृत्ति को जन्म दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे एपीसोडों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) :** (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन चैनलों पर प्रसारित कार्यक्रमों संहिता द्वारा विनियंत्रित किया जाता है। दूरदर्शन यह सुनिश्चित करता है कि हिंसा को भड़काने वाले कार्यक्रम/कथाक्रम प्रसारित न किए जाएं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

*[अनुवाद]*

**सरकारी तेल कंपनियों द्वारा जम्मू और कश्मीर को अशांत क्षेत्र मानना**

**4910. श्रीमती श्यामा सिंह :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी तेल कंपनियों द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य में जम्मू क्षेत्र अशांत और आतंकवाद से प्रभावित नहीं माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस शहर में तैनात सरकारी तेल कंपनियों के अधिकारियों को वही लाभ दिए जाते हैं जो आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों को दिए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो जम्मू में तैनात अधिकारियों के साथ भेदभाव के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार संपूर्ण जम्मू को अशांत और आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र घोषित करने का है; और

(च) यदि हां, तो जम्मू में तैनात तेल कंपनियों के अधिकारियों को वे लाभ कब मिलेंगे जो अशांत और आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र में तैनात अधिकारियों को उपलब्ध हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)** : (क) से (च) जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार ने जम्मू जिले को अगस्त, 2001 में अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों ने जम्मू में तैनात अपने कर्मचारियों को कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया है। पर इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने श्रीनगर घाटी में अपने कर्मचारियों द्वारा अनुभव की जा रही समस्याओं और कठिनाइयों को देखते हुए उन्हें वर्ष 1991 से कुछ विशेष रियायतें प्रदान की हैं। अनुभव की जा रही समस्या और कठिनाई के आधार पर संबंधित तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अपने कर्मचारियों को विशेष लाभ प्रदान करने पर विचार करते हैं।

## सौर ऊर्जा

**4911. श्री ए. नरेन्द्र** : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जल और ताप विद्युत की तुलना में सौर ऊर्जा को प्राथमिकता देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा ताप, जल और सौर ऊर्जा के अतिरिक्त अन्य संसाधनों से और विद्युत प्राप्त करने हेतु कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन)** : (क) और (ख) सरकार पारंपरिक स्रोतों जैसे हाइड्रो तथा थर्मल के साथ-साथ सौर सहित गैर-पारंपरिक स्रोतों दोनों को एक दूसरे के पूरक बनाने के उद्देश्य से तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता/व्यावहार्यता पर निर्भर करते हुए सभी देशी ऊर्जा संसाधनों का संवर्धन कर रही है। तथापि सौर ऊर्जा व्यापक पैमाने पर विद्युत उत्पादन के लिए विशेषकर जहां दूर-दराज तथा पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोगी और व्यवहार्य है। लगभग कुल 2,56,673 घरेलू रोशनी प्रणालियों, 47,969 सड़क रोशनी, 5,09,894 सौर लालटेनों, 5591 जल पंपों, जल तापन के लिए 7,00,000 वर्गमीटर संग्राहक क्षेत्र, 5,30,500 सौर कुकरों और 3.14 मेगावाट क्षमता के विद्युत संयंत्रों की स्थापना की गई। 31.3.2003 तक सौर ऊर्जा के माध्यम से 800 गांवों को विद्युतीकृत किया गया। चालू वर्ष के दौरान अन्य 53000 घरेलू रोशनी प्रणालियों, 600 सौर जनरेटरों, 1600 जल पंपों, जल तापन के लिए 5500 वर्गमीटर का संग्राहक क्षेत्र, 35,000 सौर कुकरों और सड़क रोशनी सहित 1.2 मेगावाट क्षमता के विद्युत संयंत्रों की स्थापना का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त सौर ऊर्जा के माध्यम से 850 गांवों को विद्युतीकृत किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) अपारंपरिक ऊर्जा के अन्य स्रोतों में पवन, लघु पनबिजली, बायोमास, शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट, भू-तापीय और महासागरीय ऊर्जा शामिल है। मंत्रालय तथा विभिन्न अन्य संस्थानों द्वारा तैयार किए गए अध्ययनों तथा अनुमानों से पता चलता है कि देश में पवन से 45,000 मेगावाट, लघु पनबिजली से 15,000 मेगावाट, बायोमास से 19,500 मेगावाट, शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्टों से 2,500 मेगावाट, भू-तापीय से 10,000 मेगावाट तथा महासागरीय ज्वारों से लगभग 15,000 मेगावाट के उत्पादन की संभाव्यता है।

*[हिन्दी]*

## रेल अधिकारियों द्वारा यात्रियों से दुर्व्यवहार

**4912. डा. अशोक पटेल** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यात्रियों द्वारा एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों में यात्रा के दौरान घटिया गुणवत्ता का भोजन परोसने और उन्हें शिकायत पुस्तिका उपलब्ध न कराने हेतु आपत्ति उठाने के संबंध में यात्रियों से दुर्व्यवहार करने और उन्हें दी जाने वाली सेवाओं की उपेक्षा करने के लिए रेल अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) और (ख) विभागीय कार्रवाई उन आधिकारियों के विरुद्ध की जाती है जिनके संबंध में शिकायतें प्रमाणित की जाती हैं।

*[अनुवाद]*

## जल विद्युत उत्पादन

**4913. श्री रमेश चेन्नितला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल विद्युत के उत्पादन में कम लागत आती है और यह जीवाश्म ईंधन जैसे आयातित ईंधन निर्भरता आदि से संबद्ध समस्याओं से मुक्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत बीस वर्षों में जल विद्युत उत्पादन 38 से घटकर 25 प्रतिशत हो गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत उत्पादन का हिस्सा केवल 14 प्रतिशत है;

(घ) यदि हां, तो क्या विपुल जल विद्युत संभावनाओं का अभी दोहन किया जाना शेष है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा जल विद्युत उत्पादन का दोहन करने और उसे बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता)** : (क) से (घ) जी, हां।

(ङ) 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार ग्रिड की संयोजित कुल 1,07,973 मे.वा. संस्थापित क्षमता में से जल विद्युत स्थापित क्षमता 26,910 मे.वा. क्षमता थी। 10वीं योजना के दौरान जल विद्युत परियोजनाओं से 14,393 मे.वा. क्षमता की अभिवृद्धि की जानी है। विद्युत मंत्रालय ने देश की जल क्षमता के दोहन के लिए समुचित कार्यनीति तैयार की है और इसके विकास को उच्च प्राथमिकता देता है। इस संबंध में मुख्य कार्यनीति के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 2001 में प्रारंभिक दर्जा–निर्धारण के जरिए बेसिन बार विकास को सुगम बनाना शामिल है। राज्य सरकारों के साथ विचार–विमर्श के पश्चात पूर्व–व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने हेतु लगभग 50,000 मे.वा. की संस्थापित क्षमता तक की 162 स्कीमें चुनी गई हैं।

निवेश नीति को समय–समय पर और अधिक आकर्षक बनाया गया है इसमें निम्न प्रावधान किया गया है, (i) ऋण इक्विटी के लिए 4 : 1 का अनुपात (ii) 100 प्रतिशत विदेशी इक्विटी की भागीदारी (iii) परिसंपत्तियों के संबंध में मूल्य ह्रास की उदारीकृत दरें (iv) रियायती सीमा शुल्क पर विद्युत परियोजनाओं के उपस्कर का आयात (v) इक्विटी पर 16 प्रतिशत को प्रतिफल दर (vi) विद्युत उत्पादक कंपनियां उपयुक्त निमित्त टू–पार्ट टैरिफ के आधार पर विद्युत की बिक्री कर सकती हैं। एक पार्ट में अस्थाई लागतें शामिल होंगी और दूसरे पार्ट में कार्य निष्पादन के निर्धारित स्तर पर परिवर्तनीय लागतें शामिल होंगी।

चूंकि जल विद्युत परियोजनाओं की आंतरिक प्रतिफल दर ताप एवं गैस आधारित परियोजनाओं की तुलना में कम होती है इसलिए सरकार ने प्रोत्साहन के लिए नए मानक अधिसूचित किए हैं, जहां कि उपलब्धता घटक की शुरूआत 90 प्रतिशत से घटाकर 85 प्रतिशत की गई। इसी प्रकार गौण ऊर्जा बिक्री की दर प्राथमिक ऊर्जा की दर के समान अधिसूचित की गई है।

विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 की धारा 29 के प्रावधानों के अनुसार तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति की सीमा जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बढ़ाई गई है। राज्य सरकार से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और राज्य सरकार से निजी क्षेत्र को स्वीकृतियों के हस्तांतरण से संबंधित प्रक्रिया को सरल बना दिया है।

जल विद्युत परियोजनाओं में अतिरिक्त समय व लागत कम करने के उद्देश्य से, जहां कि पहुंच सड़कों और भूमि संबंधी अवसंरचना की अनुपलब्धता है और जांच कार्य अपर्याप्त है, सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र में नई जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए त्रि–स्तरीय स्वीकृति प्रक्रिया आरंभ की है।

*[हिन्दी]*

**बी.एच.ई.एल. के लिए क्रयादेश**

**4914. श्री अरूण कुमार** : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के पास पर्याप्त क्रयादेश हैं;

(ख) यदि हां, तो ये क्रयादेश कितने वर्षों के लिए हैं तथा और क्रयादेश प्राप्त करने हेतु क्या लक्ष्य नियत किए गए हैं; और

(ग) कंपनी द्वारा अपने उत्पादों का विविधिकरण करने के क्या परिणाम निकले?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) और (ख) 1.4.2003 की स्थिति के अनुसार, भेल के पास लगभग 15,000 करोड़ रुपए का बकाया क्रयादेश था जो लगभग 4 वर्षों की अवधि के लिए प्रगतिशील डिलीवरी हेतु सूचीबद्ध है। इससे भेल का पर्याप्त व्यवसाय अनुमान पूरा होना प्रतीत होता है।

वर्ष 2003–2004 के दौरान और अधिक क्रयादेश प्राप्त करने का लक्ष्य लगभग 11,000 करोड़ रुपए का है।

(ग) भेल बदलते हुए आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, कंपनी की वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए सतत रूप से विविधिकरण कर रहा है। इसने धात्विक और प्रोसेस उद्योग, तेल तथा गैस, विद्युत ट्रांसमीशन, ट्रांसपोटेशन, अपरम्परागत ऊर्जा प्रणाली इत्यादि में सफलतापूर्वक विविधिकरण किया है। कंपनी ने नए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी पहुंच बनाई है।

वर्ष 2002–2003 के दौरान, उद्योग क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन ने भेल के कुल कारोबार में क्रमशः 26.7 प्रतिशत और 8.8 प्रतिशत का योगदान किया है।

*[अनुवाद]*

**सिरपुर-कागजनगर-भाग्यनगर एक्सप्रेस का विस्तार**

**4915. श्री नरेश पुगलिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें संसद सदस्यों और अन्य व्यक्तियों से 7233/7234 सिकन्दराबाद–सिरपुर–कागजनगर–भाग्यनगर एक्सप्रेस को बल्हारशाह तक बढ़ाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उपर्युक्त अनुरोध पर क्या निर्णय लिया गया है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) से (ग) जी, हां। 7233/7234 सिकंदराबाद–सिरपुर–कागजनगर–भाग्यनगर एक्सप्रेस/फास्ट पैसेंजर के बल्हारशाह तक बढ़ाने के संबंध में श्री नरेश पुगलिया के अभ्यावेदन सहित कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इनकी जांच की गई है लेकिन परिचालनिक तंगियों के कारण इन्हें व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

*[हिन्दी]*

**टिहरी बांध से विस्थापित लोगों का पुनर्वास**

**4916. श्री वाई. जी. महाजन :**
**श्री राम सिंह कस्वां :**
**योगी आदित्यनाथ :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिहरी बांध परियोजना के कारण विस्थापित हुए लोगों का आज तक पूरी तरह से पुनर्वास नहीं हो पाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे कितने लोग हैं जिनका अभी पुनर्वास किया जाना शेष है; और

(घ) इन विस्थापित व्यक्तियों का कब तक पुनर्वास कर दिए जाने की संभावना है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता)** : (क) जी, नहीं।

(ख) टिहरी बांध के कारण विस्थापित लोगों के पुनर्वास का काम बांध के निर्माण एवं इसके जलाशय के भराव के साथ–साथ किया जा रहा है। पुनर्वास कार्य उत्तरांचल सरकार द्वारा किया जा रहा है।

(ग) और (घ) प्रभावित सभी 5291 शहरी परिवारों को पुनर्वास लाभ की पेशकश की गई है। पूरी तरह प्रभावित 5429 ग्रामीण परिवारों में से 4011 ग्रामीण परिवारों का भूमि आवंटन/नकद क्षतिपूर्ति के जरिए पुनर्वास कर दिया गया है। सूचनानुसार लगभग 250 परिवार अभी भी पुराने टिहरी शहर में रह रहे हैं। हालांकि उन्हें पुनर्वास का लाभ पहले ही दिया जा चुका है। शेष ग्रामीण परिवारों का पुनर्वास मार्च, 2004 तक कर लिए जाने की संभावना है।

*[अनुवाद]*

**बायोमास परियोजनाओं हेतु अनुदान**

**4917. श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी** : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश विशेष रूप से महबूब नगर जिले के लिए बायोमास परियोजना हेतु अनुदान जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जारी की गई धनराशि पिछले वर्ष जारी की गई राशि से अधिक है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन)** : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में बायोमास विद्युत

और सह-उत्पादन परियोजनाओं के लिए वर्ष 2002-03 के दौरान ब्याज सब्सिडी के रूप में 10.40 करोड़ रु. की राशि की केन्द्रीय वित्तीय सहायता जारी की गई थी। इसमें महबूब नगर जिले में एक बायोमास विद्युत परियोजना के लिए 51.84 लाख रु. भी शामिल है।

(ग) जी, हां। पिछले वर्ष 2001-02 के दौरान आंध्र प्रदेश में परियोजनाओं के लिए 9.61 करोड़ रु. की राशि जारी की गई थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**खंडवा-पूर्णा आमान परिवर्तन कार्य**

**4918. श्री हरीभाऊ शंकर महाले** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खंडवा-पूर्णा आमान परिवर्तन कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या उक्त परियोजना का कार्य समयानुसार चल रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस परियोजना को समय पर पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) वर्तमान में खंडवा-पूर्णा मीटर लाइन के पूर्णा-अकोला खंड का आमान परिवर्तन ही स्वीकृत कार्य है जिसके लिए विस्तृत अनुमान स्वीकृत कर दिए गए हैं। पूर्णा-हिंगोली खंड पर मिट्टी और पुल संबंधी कार्य चल रहे हैं।

(ख) से (घ) अभी कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है। परियोजना संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षों में प्रगति करेगी और पूरी कर ली जाएगी।

*[अनुवाद]*

**आमान परिवर्तन**

**4919. डा. जसवन्तसिंह यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवीं, आठवीं और नौवीं योजना के दौरान देश में क्षेत्रवार/राज्यवार कितनी लंबी रेल लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया गया?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : सातवीं, आठवीं और नौवीं योजना के दौरान देश में बड़ी लाइन में बदली गई रेल लाइन की राज्यवार लंबाई इस प्रकार है :

| क्र.सं. | राज्य | कि.मी. बदली गई |
|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 765 |
| 2. | पूर्वोत्तर क्षेत्र | 829 |
| 3. | बिहार | 397 |
| 4. | दिल्ली | 27 |
| 5. | गोवा | 75 |
| 6. | गुजरात | 349 |
| 7. | हरियाणा | 380 |
| 8. | कर्नाटक | 1756 |
| 9. | मध्य प्रदेश | 78 |
| 10. | महाराष्ट्र | 784 |
| 11. | पंजाब | 103 |
| 12. | राजस्थान | 1918 |
| 13. | तमिलनाडु | 883 |
| 14. | उत्तर प्रदेश | 888 |
| 15. | उत्तरांचल | 60 |
| 16. | पश्चिम बंगाल | 35 |

*[हिन्दी]*

**पिपरवार में रेलवे साइडिंग परियोजना**

**4920. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखंड में बोकारो जिले के अंतर्गत पिपरवार में रेलवे साइडिंग परियोजना पर अभी तक कितनी राशि खर्च की गई, अभी तक कितनी लंबी रेल लाइन बिछाई गई, कितने रेल पुलों का निर्माण किया जाना है और उनमें से कितने रेल पुलों का अभी तक निर्माण कर लिया गया है;

(ख) उक्त परियोजना के अभी तक पूरा न होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त परियोजना के पूरा होने में विलम्ब से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त रेल परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) से (ङ) पिपरवार साइडिंग, जो कि 27.35 किलोमीटर लंबी है पर निर्माण कार्य मै. इरकॉन द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य का ठेका वर्ष 1990 और 1995 में दो चरणों में साइडिंग के स्वामी मै. सैन्ट्रल कोल फील्ड लि. (मै. सी.सी.एल) द्वार मै. इरकॉन को दिया गया था। रेलवे (पूर्व मध्य रेलवे) मैक क्ल्यूस्कीगंज रेलवे स्टेशन जिसमें दो लूप लाइनों का निर्माण और मैक क्ल्यूस्कीगंज रेलवे स्टेशन के निकट फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य शामिल है, पर जंक्शन व्यवस्था का कार्य ही कर रही है। मै. इरकॉन को दिए गए कार्य की संशोधित लागत 141.48 करोड़ रुपए है जबकि रेलवे के हिस्से की लागत लगभग 10 करोड़ रुपए है।

रेलवे द्वारा किए जा रहे कार्य के भाग के लिए खर्च की गई राशि 8.12 करोड़ रुपए है और मै. इरकॉन द्वारा किए जा रहे कार्य के लिए खर्च की गई राशि 85.40 करोड़ रुपए है। रेलवे अपने हिस्से (2.6 कि.मी) में पूरा रेलपथ बिछा चुकी है और मै. इरकॉन 13.275 किलोमीटर लंबाई में रेलपथ बिछा चुका है। जहां तक पुल संबंधी कार्य का संबंध है सभी चारों पुलों पर रेलवे के हिस्से का कार्य पूरा हो गया है। मैक क्ल्यूस्कीगंज रेलवे स्टेशन के निकट फ्लाई ओवर का कार्य प्रगति पर है और 30.6.2003 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है। मै. इरकॉन कुल 48 में से 43 पुलों का कार्य पूरा कर चुका है।

बहरहाल, यह परियोजना कार्य संविदात्मक संबंधी मामलों में गंभीर कानून और व्यवस्था हालातों से गुजर रहा है और बाधारहित भूमि के अधिग्रहण में मुश्किलातें आ रही हैं।

**अनुसंधान और विकास परियोजनाओं पर किया गया व्यय**

**4921. श्री तूफानी सरोज : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उद्यम अनुसंधान और विकास परियोजनाओं पर धन व्यय कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के ऐसे उद्यम कौन-कौन से हैं और इस संबंध में उनके द्वारा कितनी धनराशि व्यय की जा रही है;

(ग) क्या निजी क्षेत्र कंपनियां भी अनुसंधान और विकास परियोजनाओं पर कार्य कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस प्रयोजन हेतु उनके द्वारा व्यय की गई धनराशि का प्रतिशत कितना है;

(च) क्या सरकार ने विश्व से प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ बनाने के लिए निजी कंपनियों को 'अनुसंधान और विकास' पर नियत धनराशि व्यय को जारी रखने के कोई आदेश जारी किए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 3.3.2003 को संसद में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2001-02 के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों पर 832.73 करोड़ रुपए की राशि का व्यय किया था, जिसका ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण के खंड-I के विवरण-15 में उपलब्ध है।

(ग) जी, हां।

(घ) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रकाशित अनुसंधान एवं विकास आंकड़ों (मई, 2002) के अनुसार वर्ष 1998-99 के दौरान 968 गैर-सरकारी कंपनियों ने अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्यय 1872.66 करोड़ रुपए है।

(ङ) वर्ष 1998-99 में 968 गैर-सरकारी कंपनियों ने अनुसंधान एवं विकास पर अपने बिक्री कारोबार का 0.70 प्रतिशत व्यय किया।

(च) और (छ) अनुसंधान एवं विकास में औद्योगिक निवेश में वृद्धि करने तथा प्रोत्साहन करने के लिए सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए भी समय-समय पर विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन तथा अन्य सहायता उपाय लागू किए हैं।

*[अनुवाद]*

**कर्नाटक में सौर ऊर्जा संयंत्र**

**4922. श्री जी. एस. बसवराज :** क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में स्थापित किए जा रहे सौर ऊर्जा संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक इस पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) इन संयंत्रों में से प्रत्येक संयंत्र को कब तक चालू किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कर्नाटक के तुमकुर जिले में ऐसे सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) :** (क) से (ग) मंत्रालय कर्नाटक राज्य सहित समूचे देश में अपने सौर ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत सौर प्रकाशवोल्टीय (एसपीवी) विद्युत संयंत्रों की स्थापना को सहायता दे रहा है। कर्नाटक में सौर ऊर्जा विकास लि. (केआरईडीएल) बंगलौर के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।

बंगलौर में केआरईडीएल के कार्यालय भवन में एक 10.50 किवा.पी. एसपीवी विद्युत संयंत्र वर्तमान स्थापनाधीन है। इस विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए केआरईडीएल को अनुमानित केन्द्रीय वित्तीय सहायता 18.90 लाख रुपए है। इस परियोजना के लिए केआरईडीएल को अब तक 9.45 लाख रु. की राशि जारी की गई है। विद्युत संयंत्र को आगामी तीन महीनों के अंदर शुरू किए जाने की संभावना है।

(घ) और (ङ) मंत्रालय को राज्य नोडल एजेंसी से कर्नाटक के तुमकुर जिले में सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

**वातानुकूलित डिब्बों के सुरक्षा पहलू**

**4923. श्री ए. ब्रह्मनैया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने दुर्घटनाओं और रेलगाड़ी के पटरी से उतर जाने के दौरान वातानुकूलित डिब्बों के सुरक्षा पहलुओं की जांच की है;

(ख) क्या डिब्बों को रात में बंद भी किया जाता है;

(ग) ऐसे सीलबंद डिब्बों में से बाहर निकलने के लिए यात्रियों को चाबी कहां से प्राप्त होगी;

(घ) क्या रेलवे का विचार अनुसंधान संस्थाओं से एक समय सीमा के अन्दर सुरक्षित वातानुकूलित डिब्बे तैयार करने को कहने का है; और

(ङ) रेलवे द्वारा उपयोग में लाए जा रहे वातानुकूलित डिब्बों की सुरक्षा क्षमता में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) :** (क) यात्रियों की संरक्षा करना रेलवे का उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। समय-समय पर वातानुकूलित सवारी डिब्बों में बेहतर विश्वसनीयता, संरक्षा और आरामदायक जैसे कई सुधार किए गए हैं।

(ख) साधारणतया रात्रि के दौरान वातानुकूलित सवारी डिब्बे भीतर से ताला लगाकर रखे जाते हैं।

(ग) ये दरवाजे दुर्घटनाओं सहित किसी आपातकालीन मामले में भीतर से खोले जा सकते हैं। अतः इस प्रयोजन के लिए किसी चाबी की आवश्यकता नहीं होती है।

(घ) स्वदेशी विकास के द्वारा वातानुकूलित और गैर-वातानुकूलित सवारी डिब्बों के अभिकल्प में नियमित रूप से उपयुक्त सुधार किए जाते हैं।

(ङ) बेहतर संरक्षा के लिए मुख्य विशेषताएं, जो नए अभिकल्प के अनुसार निर्मित वातानुकूलित सवारी डिब्बों सहित सवारी डिब्बों में स्थापित की जाएंगी, इस प्रकार हैं :

(i) कोच के पैसेंजर क्षेत्र में क्षति और प्रभाव को कम करने के लिए पैसेंजर कोचों में क्रैशवर्दी विशेषताएं।

(ii) दुर्घटनाओं के समय कोचों की पाइलिंग अप से बचने के लिए सैंटर बफर कपलिंग वाली एन्टी क्लाइविंग विशेषताएं।

(iii) अग्नि रोधक अपहोलस्ट्री और आग को फैलने से रोकने के लिए फर्नीशिंग।

(iv) बेहतर ब्रेकिंग के लिए मॉर्डन डिस्क टाइप, माइक्रोप्रोसेसर नियंत्रित ब्रेक प्रणाली।

(v) दुर्घटनाओं के मामले में बाहर निकलने की व्यवस्था हेतु आपातकाल में खुलने वाली खिड़कियां।

*[हिन्दी]*

**प्रादेशिक समाचार का प्रसारण**

**4924. श्री श्रीचन्द कृपलानी : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय दूरदर्शन केन्द्रों को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हेतु चौबीस घंटे के समय में कितना समय आवंटित है और क्या इन प्रसारणों में से प्रादेशिक समाचार एवं राष्ट्रीय समाचार हेतु कोई प्रतिशत निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन हेतु निर्धारित प्रतिशत का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दृश्य सामग्री हेतु कोई अनुपात/प्रतिशत एवं दिशा–निर्देश निर्धारित किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश के क्षेत्रीय दूरदर्शन केन्द्रों को आवंटित दिनवार अथवा सप्ताहवार प्रसारण समय कितना है; और

(च) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)** : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन के क्षेत्रीय केन्द्र प्रत्येक केन्द्र के कार्यक्रम के अनुसार अलग–अलग घंटों में समाचार बुलेटिन प्रसारित कर रहे हैं। प्रसार भारती ने आगे सूचित किया है कि इन प्रसारणों में से क्षेत्रीय समाचारों एवं राष्ट्रीय समाचारों के लिए कोई प्रतिशत नियत नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दृश्य सामग्री के लिए कोई अनुपात/प्रतिशत नियत नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) क्षेत्रीय सेवा स्लॉट/हिन्दी क्षेत्र के समय का ब्यौरा दर्शाने वाली सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

**विवरण**

राष्ट्रीय चैनल (डीडी–1) पर क्षेत्रीय विंडो राष्ट्रीय चैनल (डीडी–1) पर क्षेत्रीय सेवा स्लॉट/हिन्दी क्षेत्र के लिए समाचार प्रसारण का ब्यौरा।

**क्षेत्रीय**

| | |
|---|---|
| रविवार | (i) 0800 से 0830 घंटे |
| | (ii) 1600 से 2000 घंटे |
| सोमवार से शुक्रवार | (i) 1030 से 1100 घंटे (ईटीवी) |
| | (ii) 1430 से 1700 घंटे (सिवाय हिंदी क्षेत्र) |
| | (iii) 1700 से 2000 घंटे (सिवाय बुधवार 1930–2000) |
| शनिवार | 1830 से 2000 घंटे |

**हिन्दी क्षेत्र**

| | |
|---|---|
| रविवार | (i) 1300 से 1330 घंटे (सिवाय डीडीके लखनऊ/भोपाल/जालंधर) |
| | (ii) 1330 से 1400 घंटे डी ओ/एन एंड सी ए |
| सोमवार से शुक्रवार | 1430 से 1700 घंटे (सिवाय लखनऊ) |
| शुक्रवार | 1430 से 2000 घंटे (सिवाय जालंधर) |

**अल्पसंख्यकों के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम को नया रूप देना।**

**4925. श्री रामदास आठवले : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अल्पसंख्यकों हेतु 15–सूत्री कार्यक्रम को नया रूप देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसको कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है; और

(ग) 15–सूत्री कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान)** : (क) और (ख) 15–सूत्रीय कार्यक्रम का पुनर्निर्माण सरकार के विचाराधीन है।

(ग) 15–सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन की मानिटरिंग मंत्रालय द्वारा की जाती है। कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निदेश जारी किए गए हैं।

*[अनुवाद]*

**केन्दीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थिति पर श्वेत पत्र**

**4926. श्री बसुदेव आचार्य** : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और श्वेत पत्र को शीघ्र जारी करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) और (ख) भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थिति पर एक श्वेत पत्र (व्हाइट पेपर) अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

**विदेशी चैनलों को अपलिंकिंग की अनुमति**

**4927. कुंवर अखिलेश सिंह :**
**श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :**

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ विदेशी टेलीविजन समाचार चैनलों को अपलिंकिंग की अनुमति दे रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय सुरक्षा पहलू पर गौर किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में दिशानिर्देशों की घोषणा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) ये चैनल कौन से हैं और इनके मालिक कौन हैं जिन पर भारत से और बाहर से प्रसारित टेलीविजन समाचार चैनलों हेतु दिशानिर्देशों के लागू होने की संभावना है;

(च) इन दिशानिर्देशों को जारी करने के पश्चात सरकार और दर्शकों को क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है; और

(छ) नए चैनलों को नियंत्रित करने में इन दिशानिर्देशों के किस सीमा तक सहायक होने की संभावना है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)** : (क) से (घ) सुरक्षा संबंधी चिंताओं सहित सभी चिन्ताओं को ध्यान में रखते हुए भारत से विदेशी समाचार चैनलों की अपलिंकिंग संबंधी दिशानिर्देश दिनांक 26 मार्च, 2003 को जारी किए थे। ये दिशानिर्देश अन्य बातों के साथ–साथ आवेदक कंपनी में कुल चुकता पूंजी के 26 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी धारिता की अनुमति देते हैं तथा कंपनी को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत भारत में पंजीकृत होना अपेक्षित है और इसके अधिसंख्य निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और समाचार संपादक को भारत का निवासी होना चाहिए।

प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के बावजूद सीधे समाचार/विदेशी एकत्रीकरण और प्रसारण के लिए सुविधाओं/सूचनाओं के प्रयोग की अनुमति केवल उन चैनलों को दी जाएगी जो भारत से अपलिंक किए गए हैं तथा चैनल/कंपनी को सुनिश्चित करना होगा कि इसको समाचार और सम–सामयिक विषयों के प्रदाता पत्र सूचना कार्यालय से प्रत्यायित हैं।

(ङ) मैसर्स जी टेलीफिल्म लिमिटेड को एक साल के अन्दर नई प्रणाली का अनुपालन करना है। मैसर्स स्टार न्यूज ब्राडकास्टिंग लिमिटेड और बी.बी.सी जो कि 100 प्रतिशत विदेशी कंपनी है, को संशोधित दिशानिर्देशों के उपबंधों के अनुसार नए सिरे से आवेदन करने की सलाह दे दी गई है।

(च) और (छ) जन–मत को प्रभावित करने में टेलीविजन अगर अधिक नहीं तो प्रिंट मीडिया के समान शक्तिशाली है। देश के निश्चित सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेश में और राज्य की संरक्षा और सुरक्षा के बृहत हितों में भारत से समाचारों और सम–सामयिक विषयक कार्यक्रमों को अपलिंक करने हेतु एक विदेशी स्वामित्व तथा प्रबंध वाली कंपनी को अनुमति देना वांछनीय नहीं है।

**केबल/दूरदर्शन पर अश्लील एलबम का प्रसारण**

**4928. डा. एन. वेंकटस्वामी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि कई हिन्दी निजी संगीत वीडियो एलबमों में महिलाओं का चित्रण अश्लील एवं अर्द्धनग्न रूप में किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने निजी एवं दूरदर्शन चैनलों पर ऐसे एलबमों के प्रसारण को रोकने के आदेश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इन एलबमों के निर्माताओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या इन एलबमों को प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सेंसर बोर्ड से कोई स्पष्टीकरण मांगा गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)** : (क) से (ग) टी.वी. चैनलों पर प्रसारित कार्यक्रमों के बारे में चिंता व्यक्त करने वाली शिकायतें/सुझाव समय-समय पर प्राप्त होते रहते हैं। उपग्रह चैनलों के कार्यक्रमों को जब केबल नेटवर्क के जरिए प्रसारित/पुनःप्रसारित किया जाता है तो उन्हें केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम संहिता तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का पालन करना अपेक्षित होता है। कार्यक्रम संहिता, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान है कि केबल सेवा में ऐसे किसी कार्यक्रम का प्रसारण न किया जाए जो अच्छी रुचि का न हो और शालीनता को आघात पहुंचाता हो, महिलाओं का अपमान करता हो, जिनमें कोई अश्लीलता हो और जो अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त न हो। संहिता के उल्लंघन में हिन्दी गानों के प्रसारण के लिए दो निजी टीवी चैनलों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। संहिता के उल्लंघन में केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा "व्यस्क" प्रमाणित एक हिन्दी फिल्म से गाने प्रसारित करने के लिए भी हाल ही में टीवी चैनलों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

(घ) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**किसानों को रियायती दर पर डीजल/पेट्रोल की आपूर्ति**

**4929. श्री रामशेठ ठाकुर :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को रियायती दर पर डीजल/पेट्रोल की आपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या योजना तैयार की गई है;

(ग) क्या सरकार के पास किसानों द्वारा डीजल/पेट्रोल की खपत के संबंध में कोई आंकड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान संस्वीकृत किए गए डीजल/पेट्रोल की मात्रा कितनी है और किसानों द्वारा कितनी खपत की गई है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)** : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) 1999-2000 से 2001-2002 की अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र को डीजल की अनुमानित बिक्री निम्नानुसार थी :

आंकड़े टीएमटी में*

| वर्ष | अनुमानित बिक्री |
|---|---|
| 1999-2000 | 7592 |
| 2000-2001 | 7497 |
| 2001-2002 | 7227 |

(*हजार मीट्रिक टन)

पेट्रोल का उपयोग मुख्य रूप से वाहनों में किया जाता है, जिनका कृषि के अलावा उपयोग किया जाता है।

**पटरी के नवीकरण हेतु धन**

**4930. श्री एन. जनार्दन रेड्डी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटरी के नवीकरण के कार्य हेतु आवंटित

धन के वर्तमान स्तर से आज विद्यमान खराब एवं पुरानी पटरियों का कार्य पूरा करने में सैकड़ों वर्ष लगेंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन हेतु वित्त के अन्य संसाधनों का दोहन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार समय सीमा निर्धारित करने का विचार कर रही है जिसके अंतर्गत नवीकरण के कार्य को पूरा किया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) रेलपथ सहित बकाया परिसम्पत्ति के नवीकरण के लिए 2001–02 में विशेष रेल संरक्षा निधि (एसआरएसएफ) की स्थापना की गई। यह कार्यक्रम है कि विशेष रेल संरक्षा निधि (एसआरएसएफ) से 1.04.01 को नवीकरण के लिए बकाया रेलपथ का 31.3.07 तक नवीकरण कर दिया जाएगा।

बहरहाल, नियमित रेलपथ अनुरक्षण की तरह रेलपथ नवीकरण एक सतत प्रक्रिया है और इसके लिए कोई समय–सीमा तक नहीं की जा सकती है।

**मध्य प्रदेश में विद्युत संयंत्रों की स्थापना**

**4931. श्री वीरेन्द्र कुमार** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय सहायता से मध्य प्रदेश राज्य में कोई विद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे प्रस्तावों को मंजूरी देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयबंती महेता)** : (क) से (ग) जर्मनी ने राज्य में विद्युत उत्पादन सुविधाओं द्वारा मध्य प्रदेश में विद्युत क्षेत्र में सुधार कार्यों के लिए के.एफ.डब्ल्यू. के माध्यम से वित्त प्रबंध किए जाने का वचन दिया है।

**रेलवे कर्मचारियों की छंटनी**

**4932. श्री नागमणि** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने उनके मंत्रालय को लगभग चार लाख कर्मचारियों की छंटनी का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक ने इसके उक्त निर्णय हेतु क्या कारण दिए हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

**तेल कंपनियों द्वारा लाभांश**

**4933. श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने सरकार के विशाल वित्तीय घाटे को पाटने के लिए सहायता हेतु अंतरिम लाभांश के माध्यम से दिए जाने हेतु तेल कंपनियों से 2,500 करोड़ रुपए की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस धनराशि को बजट से पूर्व दिया जाना था;

(ग) यदि हां, तो क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम, इंडियन आयल, गेल तथा भारत पेट्रोलियम के बोर्डों ने अपने अंतरिम लाभांश की घोषणा कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो इस धनराशि से सरकार को किस सीमा तक सहायता मिलेगी?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)** : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) वित्तीय वर्ष 2002–03 के दौरान लाभों के अनुमानित उच्चतर प्रोद्भवन को देखते हुए आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन, इंडियन आयल कारपोरेशन, गेल (इंडिया) लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन सहित छह तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने अपने शेयरधारकों के लिए अंतरिम

लाभांश घोषित किया। राजकोषीय वर्ष 2002–03 के लिए तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से अंतरिम लाभांश के रूप में केन्द्रीय सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां 2687.42 करोड़ रुपए थीं।

**एच.ए.एल. की विस्तार योजना**

**4934. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा कौन–कौन से विभिन्न विस्तार, आधुनिकीकरण तथा अवसंरचनात्मक उन्नयन कार्यक्रमों को कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) एच. ए. एल. द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) एच. ए. एल. द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) :** (क) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपने हाथ में लिए जाने वाली प्रमुख परियोजनाएं/कार्यक्रम निम्नवत हैं :

(i) सुखोई 30 एम के–I विमान, इसके इंजन एवं सहायक उपकरणों का लाइसेंस के तहत विनिर्माण;

(ii) हल्के लड़ाकू विमान का सीमित शृंखला उत्पादन;

(iii) मध्यवर्ती जेट प्रशिक्षक विमान का सीमित शृंखला उत्पादन;

(iv) विमान/हेलिकॉप्टरों का उन्नयन कार्यक्रम; और

(v) मशीन के उत्कृष्ट केन्द्र का विकास करना।

उपर्युक्त कार्यक्रमों के लिए हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड में संयंत्र तथा मशीनरी, सिविल निर्माण कार्य तथा अन्य सुविधाएं स्थापित किए जाने की योजना है।

उत्पादकता तथा बाहरी स्रोतों से प्राप्ति में वृद्धि के माध्यम से बिक्री में वृद्धि की जाएगी। अपनी निर्यात क्षमता बढ़ाने के अलावा, हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के उत्पादों को विश्व स्तर पर प्रतियोगी बनाने में सहायता करने के लिए सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उठाए गए कदमों तथा विभिन्न कार्यक्रमों की वर्तमान प्रगति निम्नवत है :

(i) सुखोई 30 एम के–I विमान, इसके इंजन तथा संघटकों के विनिर्माण के लिए 4 अक्तूबर, 2002 को रूसी पक्ष के साथ अन्तरसरकारी करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। तदोपरंत, हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड ने 28 दिसंबर, 2000 को रूसी एजेंसी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ एक सामान्य संविदा पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें रूसी आपूर्ति/सहायता से संबंधित शर्तों और निबंधनों का उल्लेख किया गया था। सरकार ने इस परियोजना के लिए मंजूरी 17 जनवरी, 2001 को दी थी।

एयरफ्रेम इंजन तथा सहायक उपकरणों हेतु सुविधाओं की स्थापना का कार्य हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के विभिन्न प्रभागों में चल रहा है। सिविल निर्माण कार्य तथा अन्य अधिप्राप्ति कार्रवाइयां चल रही हैं।

(ii) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड में हल्के लड़ाकू विमानों के उत्पादन हेतु सुविधाओं की स्थापना के लिए हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड ने एरोनाटिकल डिवलपमेंट एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एसेंबली हैंगरों के लिए विनिर्देशन तैयार करने संबंधी कार्य प्रगति पर है। औजार डिजाइन तथा औजार गढ़ाई कार्य प्रगति पर है।

(iii) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड में आईजेटी के उत्पादनीकरण हेतु प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है

(iv) जगुआर, मिग–27 एम तथा उन्नत हल्के हेलिकॉप्टर पर लगने वाली हथियार प्रणाली संघटन के उन्नयन पर विकास कार्य चल रहा है तथा आदिरूप विकास के बाद शृंखलाबद्ध आधुनिकीकरण की परिकल्पना की गई है। परीक्षण सुविधाओं आदि की स्थापना हेतु अतिरिक्त गतिविधियों पर कार्य किया जा रहा है।

(v) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड की विभिन्न परियोजनाओं के सहयोग के लिए एक मशीनीकरण उत्कृष्टता केन्द्र की परिकल्पना की गई है। मशीन

तथा संयंत्र की रूप रेखा का विनिर्देशन तैयार करने के संबंध में कार्य चल रहा है।

(ग) इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित निधियों की व्यवस्था पारस्परिक सहमति के अनुसार ग्राहकों तथा हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के अपने संसाधनों से किए जाने का प्रस्ताव है।

**हिमाचल प्रदेश की विद्युत परियोजनाओं में निवेश**

**4935. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य :** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश में विद्युत परियोजनाओं में कोई निवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान परियोजनावार कितना निवेश किया गया है; और

(घ) इसमें राज्य सरकार का हिस्सा कितना है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) :** (क) जी, हां।

(ख) से (घ) पिछले दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा किए गए निवेश के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

| परियोजना का नाम | वर्ष 2000–01 के दौरान निवेश (करोड़ रुपए) | वर्ष 2001–02 के दौरान निवेश (करोड़ रुपए) |
|---|---|---|
| नाथपा झाकरी एचईपी (एसजेवीएन) | 794.57 | 1169.11 |
| चमेरा–II (एनएचपीसी) | 334.58 | 420.80 |
| पार्बती–II (एनएचपीसी) | 52.19 | 72.68 |
| कोलडैम (एनटीपीसी) | 6.52 | 121.45 |

हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार, भारत सरकार के साथ के संयुक्त उद्यम की सतलज जल विद्युत निगम द्वारा संचालित नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना मात्र के मामले में ही इक्विटी भागीदारी/योगदान किया जा रहा है। इसमें भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार की भागीदारी का अनुपात 3:1 है। सतलज जल विद्युत निगम में इक्विटी योगदान/भागीदारी के वर्ष 2000–01 और 2001–02 के ब्यौरे निम्नवत हैं :

(करोड़ रुपए में)

| | 2000–01 | 2001–02 |
|---|---|---|
| भारत सरकार इक्विटी | 435.00 | 658.35 |
| हिमाचल प्रदेश सरकार इक्विटी | 41.00 | 69.0 |

*[हिन्दी]*

**दिल्ली में रेल पुल का निर्माण**

**4936. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में नए रेलवे पुल के निर्माण पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार द्वारा कितनी धनराशि व्यय किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस पुल का निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) :** (क) से (घ) जी, नहीं। बहरहाल, शाहदरा और दिल्ली मेन रेलवे स्टेशन के बीच यमुना पर मौजूदा रेलवे पुल सं. 249 के लिए 67.11 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर एक कार्य स्वीकृत किया गया है जिसके अगले तीन वर्षों में पूरा किए जाने की संभावना है।

*[अनुवाद]*

**बारबिल रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म को ऊपर उठाना**

**4937. श्री अनन्त नायक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्योंझर जिले के बारबिल रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म को ऊपर उठाने का प्रस्ताव लंबे समय से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त प्लेटफार्म को कब तक उठाए जाने की संभावना है; और

(घ) इस स्टेशन पर यात्रियों हेतु अन्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) बारबिल एक "ई" कोटि का स्टेशन है और इस स्टेशन पर एक बुकिंग खिड़की और एक शौचालय को छोड़कर निर्धारित न्यूनतम आवश्यक सुविधा मानदण्डों के अनुसार यात्री सुविधाएं विद्यमान हैं। इन दोनों सुविधाओं को पूरा करने की लक्ष्य तिथि सितम्बर, 2003 है।

## ईंधन लागत में वृद्धि

**4938. श्री सईदुज्जमा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 30 प्रतिशत ईंधन लागत में वृद्धि से उद्योगों और यात्रा उद्योग गंभीर रूप से प्रभावित होगा–जैसाकि दिनांक 27 मार्च, 2003 के इकॉनामिक टाइम्स' में समाचार प्रकशित हुआ है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)** : (क) और (ख) 1 अप्रैल, 2002 से पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था (एपीएम) की समाप्ति के बाद सा.वि.प्र. के मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी के अलावा सभी पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्यनिर्धारण नियंत्रणमुक्त कर दिया गया है। तेल विपणन कंपनियां अब विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य नियत कर रही है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में अंतर का प्रभाव पेट्रोलियम उत्पादों के घरेलू मूल्यों में प्रतिबिम्बित होने की संभावना है।

अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में कमी को देखते हुए तेल कंपनियों ने अप्रैल, 2003 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के बिक्री मूल्यों में कमी कर दी है। 16.4.2003 की स्थिति के अनुसार मुंबई में कुछ पेट्रोलियम उत्पादों के बिक्री मूल्यों की 16.3.2003 की स्थिति के साथ तुलना नीचे दी गई है :

(रुपए/लीटर)

| निम्न तारीख को मूल्य | पेट्रोल | डीजल | नाफ्था (रु./कि.ग्रा.) | भट्ठी तेल |
|---|---|---|---|---|
| 16.4.2003 | 37.52 | 26.70 | 18.87 | 13.50 |
| 16.3.2003 | 38.59 | 27.88 | 26.29 | 16.01 |

## ए.पी.डी.आर.पी. के अंतर्गत धनराशि

**4939. श्री एम. के. सुब्बा** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्र और राज्य की बीच 90 तथा 10 प्रतिशत लागत हिस्सेदारी के अंतर्गत गुवाहाटी जाने में विद्युत वितरण को सुधारने के लिए त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत 70 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के कार्यान्वयन हेतु उचित निगरानी और समय पर इसे पूरा करने के लिए क्या–क्या कदम उठाए गए हैं?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता)** : (क) जी, हां।

(ख) वित्तीय वर्ष 2002–03 के दौरान त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अंतर्गत गुवाहाटी में उप–पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु 70.21 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। उपर्युक्त परियोजनाओं की कुल लागत का वहन एपीडीआरपी के जरिए राज्य सरकार को देय अनुदान और ऋण के रूप में 90:10 के अनुपात में किया जाएगा। इसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) विद्युत मंत्रालय द्वारा असम राज्य विद्युत बोर्ड के साथ हस्ताक्षरित करार ज्ञापन (एमओए) के अनुसार एक राज्य स्तरीय वितरण सुधार समिति गठित की जानी है, जिसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधि, राज्य विद्युत बोर्डों के प्रमुख, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन या पावर ग्रिड आफ इंडिया लि. के प्रतिनिधि और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण या विद्युत मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होंगे। समिति की दो महीनों में एक बार बैठक होगी और इसमें एपीडीआरपी परियोजना क्रियान्वयन की प्रगति तथा

करार ज्ञापन के शर्तों के अनुपालन की समीक्षा की जाएगी। असम राज्य विद्युत बोर्ड ने 27 जुलाई, 2002 को करार ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। असम राज्य विद्युत बोर्ड ने सुधार समिति गठित कर ली है और अब यह कार्य कर रही है।

असम में परियोजनाओं के निरूपण एवं मानीटरिंग को पूरा करने के लिए पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लि. (पीजीसीआईएल) प्रमुख सलाहकार–सह–परामर्शी है।

**विवरण**

| क्र.सं. | स्कीम का नाम | गुवाहाटी–1 | गुवाहाटी–2 | कुल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 33 के.वी. मीटरिंग | 43.17 | 15.16 | 78.33 |
| | 11 के.वी. मीटरिंग | 14.12 | 17.10 | 31.22 |
| | डाटा लॉगर्स, | 53.20 | 24.00 | 77.2 |
| | उपकेन्द्रों का आर एंड एम | | 210.18 | 210.18 |
| 2. | कम्प्यूटरीकृत बिलिंग प्रणाली | 63.20 | 95.00 | 158 |
| | मैपिंग एंड इंडैक्सिंग | 40.00 | | 40.00 |
| 3. | उपभोक्ता मीटरिंग | | 281.82 | |
| 4. | डी.टी.आर. मीटरिंग | | 128.50 | |
| | डी.टी.आर. का नवीकरण | 333.85 | 186.57 | 1122.59 |
| | नए डी.टी.आर. | | 191.85 | |
| 5. | 11 के.वी. फीडर संवर्धन पोल प्रतिस्थान | | 102.68 | 102.68 |
| | 33 के.वी. फीडर संवर्धन | | 131.76 | 131.76 |
| 6. | विद्युत अंतरण सवंर्धन | | 77.06 | 77.06 |
| 7. | नए उपकेन्द्र | | 116.88 | 116.88 |
| 8. | एमटीआई संवर्धन | | 183.09 | 183.09 |
| 9. | ऑयल फिल्टर मैचिंग और ऑयल टैस्टिग किट | | 13.05 | 13.05 |
| 10. | नए 33/11 के.वी. के उपकेन्द्रों का निर्माण | 4076.81 | | 4076.81 |
| | उपकेन्द्र क्षमता का संवर्धन, नई 33 के.वी. लाइन, अतिरिक्त डीटीआर, 11 के.वी. फीडर की रि–कंडक्टरिंग | | | |
| | सिंगल फेज को तीन चरण एलटी लाइन में बदलना, कैपिसिटर बैंक की संस्थापना ऑटो रि–क्लोजर | | | |
| 11. | 33 के.वी. और 11 के.वी. का संवर्धन, पीटीआर का संवर्धन, सिविल कार्यों का उप विभाजन, ऑयल फिल्टिरिंग मशीन तथा ऑयल टेस्टिंग किट, टूल और प्लांट आदि | 613.90 | | 613.90 |
| | कुल | 5238.25 | 1783.10 | 7021.35 |

**तेल कंपनियों द्वारा डीजल और पेट्रोल का आयात**

**4940. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या नई निर्यात आयात नीति में तेल विपणन कंपनियों को पेट्रोल और डीजल के सीधे आयात करने की अनुमति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पेट्रोल और डीजल के सीधे आयात हेतु कितनी कंपनियों ने आवेदन किया है;

(घ) क्या सरकार के इस कदम से देश में विपणन क्षेत्र में कोई प्रतिस्पर्द्धा आने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार के इस कदम से उपभोक्ताओं को किस सीमा तक लाभान्वित होने की संभावना है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)** : (क) और (ख) वर्तमान निर्यात–आयात नीति के अनुसार, राज्य व्यापार उद्यम के रूप में इंडियन कारपोरेशन लिमिटेड तथा वे कंपनियां, जिन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दिनांक 8 मार्च, 2002 के संकल्प संख्या पी–23015/1/2001 की शर्तों के अनुसार परिवहन ईंधनों के विपणन के लिए अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं, परिवहन ईंधन आयात कर सकती है।

(ग) मैसर्स एस्सार आयल लिमिटेड, जिन्हें सरकार द्वारा परिवहन ईंधनों के लिए विपणन अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं, ने देश में पेट्रोल तथा डीजल आयात करने की अनुमति मांगी है।

(घ) जी, हां।

(ङ) पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन में प्रतिस्पर्द्धा से उपभोक्ताओं को लाभ होने की संभावना है।

**मानार्थ पास सुविधा**

**4941. श्रीमती निवेदिता माने :**
**श्री चन्द्रनाथ सिंह :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मानार्थ पास सुविधा किन–किन श्रेणी के लोगों को प्रदान की जाती है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इन श्रेणियों से मानार्थ पास की सुविधा को वापस ले लिया गया है या लिए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस सुविधा को वापस लिए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) उक्त सुविधा को कब तक पुनः बहाल किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या रेलवे द्वारा प्रदान किए गए मानार्थ पासों का लाभ उठाने हेतु कतिपय श्रेणियों के संबंध में कोई प्रतिपूर्ति की जाती है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा मानार्थ पासों के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं। बहरहाल, 15.11.1999 से रेल मंत्री की विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत मानार्थ कार्ड पास जारी करना पूर्णतः बंद (मितव्ययता और किफायत के दृष्टिगत) कर दिया गया है। फिलहाल, मौजूदा नीति में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) स्वतंत्रता सेनानी मानार्थ कार्ड पासों की लागत गृह मंत्रालय द्वारा वहन की जाती है तथा इन पासों की लागत की प्रतिपूर्ति रेल मंत्रालय को की जाती है।

(च) मानार्थ कार्ड पासों के दुरुपयोग के मामलों का पता लगने पर तत्काल ऐसे मामलों पर समुचित कार्रवाई की जाती है।

**विवरण**

फिलहाल, मानार्थ पास समय–समय पर घोषित योजनाओं के अनुसार निम्नलिखित कोटियों के अंतर्गत जारी किए जाते हैं :

| क्र.सं. | कोटि |
|---|---|
| 1 | 2 |
| I | **कार्ड पास** |
| 1. | स्वतंत्रता सेनानियों |
| 2. | अर्जुन पुरस्कार विजेताओं/ओलम्पिक पदक विजेताओं/एशियाई और राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक विजेताओं/द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं। |
| 3. | चक्र शृंखला के वीरता पुरस्कार के विजेताओं (रक्षा) |
| 4. | वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक एवं वीरता (पुलिस) के लिए पुलिस पदक विजेताओं |
| 5. | रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के गैर–सरकारी सदस्यों |
| 6. | भूतपूर्व रेलमंत्री/रेल राज्य मंत्री/रेल उप मंत्री |

| 1 | 2 |
|---|---|
| II चैक पास | |
| 1. लाइसेंसशुदा पोर्टरों | |
| 2. रेल मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार, रेल मंत्री, रेल राज्य मंत्री और रेलवे बोर्ड की विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, खेलकूद और कल्याण गतिविधियों में सक्रिय व्यक्तियों और संगठनों। | |

**टेलीविजन पर आपत्तिजनक गाने**

**4942. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया डेमोक्रेटिक वूमैन्स एसोशिएशन तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एलआईसी के पुत्री की शादी तथा पुत्र की शिक्षा तथा आईसीआईसीआई के उस विज्ञापन जिसमें आदमी अपनी पत्नी के सिंदूर 'सुरक्षा' शब्द के साथ लगाता है जो कि महिलाओं को अपनी देखभाल करने की अपमानित असमर्थता दर्शाता है संबंधी विज्ञापनों के संबंध में कुछ टी.वी. चैनलों के विरुद्ध प्रदर्शन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे आपत्तिजनक विज्ञापनों तथा अश्लील गानों पर प्रतिबंध लगाएगी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उपग्रह चैनलों पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों और विज्ञापनों को केबल नेटवर्क के जरिए प्रसारित/पुनः प्रसारित किए जाने पर केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का पालन करना अपेक्षित होता है। ये संहिताएं अन्य बातों के साथ–साथ, ऐसे कार्यक्रमों/विज्ञापनों के प्रसारण का निषेध करती हैं जो महिलाओं के प्रति अपमानजनक हों या अश्लील/अभद्र हों। सरकार ने कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के उल्लंघन की जांच करने के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 20 के तहत दो अंतरमंत्रालयीय समितियों का गठन किया है। इन समितियों की सिफारिशों पर संहिताओं के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए टी.वी. चैनलों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है।

**राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएससीएफडीसी) द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता**

**4943. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएससीएफडीसी) द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत योजनावार कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) इस अवधि के दौरान एनएससीएफडीसी देयों की योजना–वार संचित वसूली की स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा नियमित योजनाओं तथा माइक्रो–क्रेडिट वित्त हेतु एनएससीएफडीसी की वसूलियों को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान)** : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान एनएस एफडीसी द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता के योजनावार और राज्यवार ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ख) 31 मार्च की स्थिति के अनुसार पिछले तीन वर्षों की संचयी वसूली राज्यवार स्थिति निम्नलिखित है :

| | नियमित | एमसीएफ (माइको) क्रेडिट वित्त योजना |
|---|---|---|
| 31.3.2001 | 80.55 प्रतिशत | 1.77 प्रतिशत* |
| 31.3.2002 | 88.25 प्रतिशत | 85.51 प्रतिशत |
| 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार | 88.44 प्रतिशत | 88.13 प्रतिशत |

*एमसीएफ योजना अभी जून, 2000 से आरंभ हुई।

(ग) एनएससीएफडीसी के बकाए की वसूली में सुधार लाने के लिए की गई कार्रवाई में निम्न शामिल हैं :

(क) सभी चूककर्ता राज्य माध्यम एजेंसियों को तिमाही मांग सूचनाएं तथा आवधिक अनुस्मारक भेजना।

(ख) प्रमुख चूककर्ता राज्यों के राज्य सरकारों के साथ बैठकें।

(ग) प्रमुख चूककर्ता निगमों के संवितरण को पर्याप्त रूप से धीमा करना।

**विवरण**

*राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम*

*पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई राज्यवार वित्तीय सहायता (रु. करोड़ में)*

| क्र.सं. | राज्य | 2000–2001 | | | 2001–2002 | | | 2002–2003 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | नियमित योजना | एमसीएफ | कुल | नियमित योजना | एमसीएफ | कुल | नियमित योजना | एमसीएफ | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | अंडमान व निकोबार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 17.47 | 3.84 | 21.31 | 17.17 | 6.00 | 23.17 | 27.98 | 11.11 | 39.09 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | असम | 5.56 | 0.36 | 5.92 | 7.26 | 1.92 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | बिहार | 1.05 | 5.56 | 1.05 | 6.80 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | चंडीगढ़ | 0.58 | 5.56 | 0.58 | 0.90 | 0.04 | 0.94 | 0.28 | 0.00 | 0.28 |
| 7. | छत्तीसगढ़ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 2.61 | 5.97 | 0.34 | 6.31 |
| 8. | दादरा व नगर हवेली, दमन और दीव | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | दिल्ली | 0.33 | 0.10 | 0 43 | 3.88 | 0.00 | 3.88 | 2.30 | 0.00 | 2.30 |
| 10. | गोवा | 0.22 | 0.01 | 0.23 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.15 | 0.01 | 0.16 |
| 11. | गुजरात | 21.82 | 1.37 | 23.18 | 2.97 | 3.55 | 6.52 | 4.56 | 2.25 | 6.81 |
| 12. | हरियाणा | 2.56 | 0.00 | 2.56 | 1.65 | 0.00 | 1.65 | 2.61 | 0.00 | 2.61 |
| 13. | हिमाचल प्रदेश | 3.44 | 0.00 | 3.44 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | 3.05 | 1.50 | 4.55 |
| 14. | जम्मू कश्मीर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 0.20 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15. | झारखंड | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 2.97 | 3.03 | 0.00 | 3.03 |
| 16. | कर्नाटक | 9.48 | 2.39 | 11.87 | 15.82 | 5.00 | 20.82 | 9.33 | 3.00 | 12.33 |
| 17. | केरल | 4.38 | 0.19 | 4.57 | 0.26 | 0.20 | 0.46 | 1.80 | 1.00 | 2.80 |
| 18. | लक्षद्वीप | 0.27 | 0.5 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19. | मध्य प्रदेश | 4.92 | 1.00 | 5.92 | 12.67 | 0.50 | 13.17 | 14.69 | 1.50 | 16.19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | महाराष्ट्र | 3.52 | 0.17 | 3.69 | 11.54 | 0.50 | 12.04 | 13.34 | 0.00 | 13.34 |
| 21. | मणिपुर | 0.67 | 0.10 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.98 |
| 22. | मेघालय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23. | मिजोरम | 1.32 | 2.08 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 |
| 24. | नागालैंड | 2.33 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25. | उड़ीसा | 6.89 | 0.00 | 6.89 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.66 | 0.75 | 1.41 |
| 26. | पांडिचेरी | 2.14 | 0.00 | 2.14 | 1.58 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27. | पंजाब | 1.18 | 0.00 | 1.18 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 28. | राजस्थान | 2.15 | 0.06 | 2.22 | 2.53 | 0.23 | 2.75 | 3.06 | 0.07 | 3.12 |
| 29. | सिक्किम | 1.27 | 0.05 | 1.32 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 30. | तमिलनाडु | 0.82 | 0.00 | 0.82 | 4.67 | 0.19 | 4.86 | 2.76 | 0.00 | 2.76 |
| 31. | त्रिपुरा | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 3.54 | 0.00 | 3.54 | 3.01 | 0.00 | 3.01 |
| 32. | उत्तर प्रदेश | 11.08 | 3.28 | 14.35 | 20.22 | 4.95 | 25.16 | 20.07 | 5.40 | 25.47 |
| 33. | उत्तरांचल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.31 | 0.17 | 2.48 | 4.68 | 0.26 | 4.94 |
| 34. | पं. बंगाल | 9.36 | 0.00 | 9.69 | 19.34 | 0.75 | 20.09 | 6.00 | 1.50 | 7.50 |
| | सर्वयोग | 117.48 | 15.03 | 132.51 | 149.65 | 24.19 | 173.84 | 131.33 | 28.74 | 160.07 |

*माइक्रो क्रेडिट वित्त योजना।

**बिना चौकीदार वाले रेलवे समपारों पर दुर्घटनाएं**

**4944. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में बिना चौकीदार वाले रेलवे समपारों पर हुई दुर्घटनाओं का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान 31 मार्च, 2003 तक प्रत्येक दुर्घटना में कितने लोगों की मृत्यु हुई अथवा कितने लोग घायल हुए;

(ग) क्या दुर्घटना स्थल पर तत्काल चिकित्सा और अन्य राहत कार्य शुरू हो गया था;

(घ) यदि नहीं, तो दुर्घटना स्थल पर रेलवे द्वारा तेजी से राहत कार्य शुरू करने में कितना समय लगा;

(ङ) क्या दुर्घटना के पश्चात रेलवे बोर्ड राहत कार्यों की निगरानी करता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) और (ख) भारतीय रेलों पर विभिन्न दुर्घटनाओं के आंकड़े राज्यवार नहीं अपितु जोनवार रखे जाते हैं, क्योंकि रेलवे परिचालनों की इकाई एक जोन है न कि राज्य। पिछले तीन वर्षों में मारे गए और घायल हुए व्यक्तियों के आंकड़ों सहित बिना चौकीदार वाले रेलवे समपारों पर दुर्घटनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :

| रेलवे | 2000–01 | | | 2001–02 | | | 2002–03* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | दुर्घटनाओं की संख्या | मारे गए | घायल हुए | दुर्घटनाओं की संख्या | मारे गए | घायल हुए | दुर्घटनाओं की संख्या | मारे गए | घायल हुए |
| मध्य | 5 | 6 | 9 | 6 | 14 | 11 | 1 | 1 | 3 |
| पूर्व | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 |
| पूर्व मध्य | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 |
| उत्तर | 25 | 43 | 52 | 27 | 58 | 44 | 31 | 50 | 53 |
| पूर्वोत्तर | 13 | 20 | 8 | 15 | 49 | 60 | 14 | 27 | 45 |
| पू.सी. | 5 | 16 | 10 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 11 |
| उत्तर पश्चिम | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 14 |
| दक्षिण | 6 | 6 | 22 | 9 | 9 | 29 | 7 | 9 | 19 |
| दक्षिण मध्य | 12 | 23 | 26 | 10 | 14 | 17 | 11 | 26 | 43 |
| दक्षिण पूर्व | 5 | 12 | 19 | 8 | 12 | 26 | 2 | 0 | 4 |
| पश्चिम | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 27 | 16 |
| कोंकण रेल निगम | 1 | 10 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| जोड़ | 73 | 138 | 152 | 80 | 163 | 197 | 83 | 148 | 201 |

*2002-2003 के आंकड़े अनंतिम हैं।

(ग) और (घ) जब कभी अपेक्षित होता है निकटतम स्थान पर उपलब्ध रेलवे तथा अन्य स्थानीय स्रोतों का उपयोग करके तत्काल चिकित्सा सहायता और राहत कार्यों की व्यवस्था की जाती है।

(ङ) और (च) कारणों का पता लगाने, दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी निर्धारित करने और राहत तथा पुनर्स्थापन से संबंधित पहलुओं का पता लगाने के लिए विस्तृत जांचें की जाती हैं। जहां कहीं अपेक्षित होता है, शोधक कार्रवाई की जाती है।

**इस्पात कलपुर्जों का प्रयोग करना**

**4945. श्री वाई. वी. राव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का अपने सभी कलपुर्जों में मिश्र धातुओं की अपेक्षा इस्पात का प्रयोग करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस्पात के प्रयोग से सुरक्षा घटक में कितनी वृद्धि होने और दुर्घटनाओं में कितनी कमी आने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**गोंदिया-नगभीर-नागपुर रेल लाइन का आमान परिवर्तन**

**4946. श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा चंद्रपुर–गोंदिया–नगभीर–नागपुर रेल लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करने का कार्य कराया गया था।

(ख) क्या चन्द्रपुर से गोंदिया तक लगभग 242 किमी. के कार्य का एक भाग लगभग तीन वर्ष पूर्व पूरा कर लिया गया था;

(ग) क्या नगभीर–नागपुर क्षेत्र के लगभग 120 किमी. के शेष हिस्से पर कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान नगभीर से नागपुर तक के शेष भाग पर आमान परिवर्तन का कार्य शुरू न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस क्षेत्र पर कार्य कब तक शुरू और पूरा किए जाने का प्रस्ताव है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) और (ख) पूर्ववर्ती गोंडिया–नगभीर–चांदा फोर्ट छोटी लाइन खंड को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य ही शुरू किया गया था और वह पूरा हो गया है तथा उसे 1998–99 में चालू कर दिया गया है।

(ग) नागपुर--नगभीर छोटी लाइन खंड का आमान परिवर्तन का कार्य स्वीकृत नहीं है। बहरहाल, इस खंड को छोटी लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तन करने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

## आंध्र प्रदेश में एचपीसीएल द्वारा खुदरा बिक्री केंद्रों का आधुनिकीकरण

**4947. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एचपीसीएल की आंध्र प्रदेश में अपने खुदरा पेट्रोल और डीजल बिक्री केंद्रों को बढ़िया किस्म का बनाने और उनका आधुनिकीकरण करने की कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एचपीसीएल द्वारा आधुनिकीकरण किए जाने हेतु कितने बिक्री केंद्रों का चयन किया गया?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)** : (क) और (ख) एचपीसीएल ने आंध्र प्रदेश राज्य सहित पूरे देश के लिए अपने खुदरा बिक्री केंद्रों का उन्नयन और आधुनिकीकरण करने की नीति बनाई है। डीलरशिपों की विभिन्न श्रेणियों के लिए नीति निम्नानुसार है :

(1) डीलर के स्वामित्व वाले बिक्री केंद्र : पहचान में समरूपता लाने के लिए एचपीसीएल उन्नयन नीति के तहत प्रकाशयुक्त पट्टियों और आंतरिका शब्द संकेतों पर निवेश करती है।

(2) कंपनी के नियंत्रण वाले बिक्री केंद्र : उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए एचपीसीएल 'केनोपी ड्राइव वेज' और यार्ड पर प्रकाश' आदि जैसी सुविधाओं पर निवेश करती है। आधुनिकीकरण नीति की आवश्यकताओं के तहत सुविधाओं के प्रकार का निर्णय करने में नीतिगत आवश्यकताओं और बिक्री संभाव्यता पर भी विचार किया जाता है।

(3) कंपनी के स्वामित्व वाले बिक्री केंद्र : बिक्री केंद्रों की इस श्रेणी में एचपीसीएल बिक्री भवन, केनोपी,, ड्राइव–वे और यार्ड पर प्रकाश आदि जैसी बुनियादी आवश्यकताएं और सुविधाएं प्रदान करने में पूर्ण निवेश करती है। मुख्य पुनर्निर्माण/ आधुनिकीकरण नीति के तहत सुविधा के प्रकार का निर्णय करने में आवश्यकताओं और बिक्री संभाव्यता पर भी विचार किया जाता है।

(ग) वर्ष 2003–2004 के दौरान एचपीसीएल ने आंध्र प्रदेश राज्य में लगभग 35 कंपनी नियंत्रित खुदरा बिक्री केंद्रों के आधुनिकीकरण की योजना बनाई है।

## अ.ज./अ.ज.जा. के कल्याण में लगे गैर-सरकारी संगठन

**4948. श्री कैलाश मेघवाल :**
**श्री हरिभाई चौधरी :**
**श्री मानसिंह पटेल :**
**श्री बीर सिंह महतो :**
**श्री राजो सिंह :**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अ.जा. और अ.ज.जा. तथा अन्य कमजोर

वर्गों के कल्याण में राज्य–वार कितने गैर–सरकारी संगठन लगे हुए हैं;

(ख) क्या कुछ कल्याणकारी परियोजनाएं इस समय मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास लंबित हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने गुजरात और पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों में गैर–सरकारी संगठनों के कार्यकरण का मूल्यांकन किया है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रस्तावों की खामियों में सुधार करने हेतु कितने प्रस्ताव राजस्थान सरकार के पास भेजे गए हैं;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान केंद्र सरकार को राजस्थान सरकार से खामियों में सुधार करने के पश्चात कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(छ) 2003–2004 के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्ग के कल्याण हेतु विभिन्न गैर–सरकारी संगठनों/राज्य सरकारों द्वारा कितनी वित्तीय सहायता की धनराशि मांगी गई है;

(ज) केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को कितनी सहायता दी गई; और

(झ) केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान)** : (क) राज्य वार ब्यौरे संलग्न विवरण–I में हैं।

(ख) और (ग) 1331 प्रस्तावों पर आवेदित योजना में विनिर्दिष्ट आवश्यक दस्तावेजों, राज्य सरकारों से निरीक्षण रिपोर्टों/ गैर–सरकारी संगठनों से स्पष्टीकरणों के अभाव में अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा है। गैर–सरकारी संगठनों तथा राज्य सरकारों से आवश्यक सूचना प्रस्तुत करने के आग्रह किए जा रहे हैं ताकि आवेदनों पर उपयुक्त निर्णय लिए जा सकें। राज्य–वार ब्यौरे संलग्न विवरण–II में हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) पिछले तीन वर्ष के दौरान त्रुटियों के शुद्धिकर/ स्पष्टीकरणों की मांग के लिए राजस्थान सरकार को 17 प्रस्ताव भेजे गए हैं।

(च) 17 प्रस्तावों में से 15 के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण/त्रुटियों के शुद्धिकरण प्राप्त हो गए हैं।

(छ) चूंकि वित्त वर्ष अभी शुरू ही हुआ है अभी तक शायद ही कोई मामले प्राप्त हुए हैं।

(ज) अभी तक कोई धनराशि निर्मुक्त नहीं की गई है।

(झ) प्रश्न नहीं उठता।

**विवरण-I**

*अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण में शामिल योजनाओं के अंतर्गत 2002–2003 के दौरान राज्यवार सहायता प्राप्त गैर–सरकारी संगठनों की संख्या*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | 2002–03 के दौरान सहायता प्राप्त गैर–सरकारी संगठनों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 154 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 16 |
| 3. | असम | 31 |
| 4. | बिहार | 20 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 6 |
| 6. | दिल्ली | 56 |
| 7. | गुजरात | 65 |
| 8. | हरियाणा | 12 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 7 |
| 10. | झारखंड | 12 |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | 8 |
| 12. | कर्नाटक | 65 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 13. | केरल | 13 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 125 |
| 15. | महाराष्ट्र | 129 |
| 16. | मणिपुर | 73 |
| 17. | मेघालय | 4 |
| 18. | मिजोरम | 17 |
| 19. | नागालैंड | 37 |
| 20. | उड़ीसा | 143 |
| 21. | पांडिचेरी | 1 |
| 22. | राजस्थान | 86 |
| 23. | सिक्किम | 3 |
| 24. | तमिलनाडु | 15 |
| 25. | त्रिपुरा | 5 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 109 |
| 27. | उत्तरांचल | 11 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 45 |
| 29. | दादरा और नगर हवेली | 3 |
| | कुल | 1271 |

**विवरण-II**

*अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के संबंध में 20.4.2003 की स्थिति के अनुसार गैर-सरकारी संगठन के लंबित प्रस्ताय की राज्यवार सूची*

| क्र.सं. | राज्य का नाम | लंबित प्रस्तावों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 03 |
| 2. | असम | 20 |
| 3. | छत्तीसगढ़ | 01 |
| 4. | दिल्ली | 18 |
| 5. | गुजरात | 85 |
| 6. | हरियाणा | 02 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 04 |
| 8. | जम्मू और कश्मीर | 01 |
| 9. | झारखंड | 04 |
| 10. | कर्नाटक | 20 |
| 11. | मध्य प्रदेश | 17 |
| 12. | महाराष्ट्र | 990 |
| 13. | मणिपुर | 21 |
| 14. | उड़ीसा | 29 |
| 15. | पंजाब | 03 |
| 16. | राजस्थान | 37 |
| 17. | सिक्किम | 01 |
| 18. | तमिलनाडु | 09 |
| 19. | त्रिपुरा | 03 |
| 20. | उत्तर प्रदेश | 46 |
| 21. | उत्तरांचल | 11 |
| 22. | पश्चिम बंगाल | 06 |
| | कुल | 1331 |

**विद्युत प्रशुल्क को युक्तिसंगत बनाना**

**4949. श्री अनन्त गुढे :** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एनटीपीसी राज्य विद्युत बोर्डों को 1.80 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत देती है जबकि राज्य विद्युत बोर्ड कोल इंडिया लि. से 4.50 रुपये प्रति यूनिट की दर वसूलते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार विद्युत प्रशुल्क को युक्तियुक्त बनाने और राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा राज–सहायता को रोकने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या कोल इंडिया लि. में कोयला क्षेत्र को प्रतिस्पर्धात्मक और किफायती बनाने हेतु रेलवे द्वारा मालभाड़े से संबंधित प्रभारों को युक्तियुक्त बनाने की मांग की है; और

(घ) इस संबंध में की गई कार्यवाही/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और सुधारों की वर्तमान स्थिति क्या है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) :** (क) से (घ) वर्ष 2001–02 के एनटीपीसी के विद्युत टैरिफ का औसत 1.43 पैसे प्रति केएफडब्ल्यूएच था। भारी उद्योग कनैक्शन वाले उपभोक्ताओं पर विभिन्न रा.वि. बोर्डों द्वारा प्रभारित टैरिफ, जो इस अवधि के लिए भी मान्य होना चाहिए था, में 164.70 पैसे प्रति केएचडब्ल्यू से 518.21 पैसे प्रति केडब्ल्यूएच तक की भिन्नता है।

विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 29(2) (सी) के अनुसार राज्य आयोग से यह अपेक्षित है कि अन्य बातों के साथ–साथ यह सुनिश्चित करें कि टैरिफ में दक्षता में भी पर्याप्त सुधार के स्तर पर विद्युत आपूर्ति की लागत की प्रगामी झलक मिले।

रेल द्वारा कोयले की ढुलाई भाड़े को युक्तिसंगत बनाने का सुझाव दिया गया है।

*[हिन्दी]*

### टारपीडो का प्रक्षेपण

**4950. डा. अशोक पटेल :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने हाल ही में टारपीडो का प्रक्षेपण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त हथियार को पूर्णतया देश में ही विकसित किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उसके उत्पादन की अनुमानित लागत कितनी है?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) :** (क) जी, हां।

(ख) उन्नत परीक्षणात्मक टारपीडो नामक हल्के वजन के टारपीडो को सफलतापूर्वक दागा जा चुका है।

(ग) जी, हां। उन्नत परीक्षणात्मक टारपीडो का स्वदेश में ही विकास किया गया है।

(घ) इस टारपीडो का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रयोगशाला नौसेना विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, विशाखापत्तनम द्वारा डिजाइन तथा विकास किया गया है तथा इसका उत्पादन मैसर्स भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा किया जा रहा है।

(ङ) एक टारपीडो के डिजाइन तथा इंजीनियरी मॉडल के उत्पादन की अनुमानित लागत 210 लाख रुपये है।

### दानापुर में शैक्षिक संस्थाएं

**4951. श्री अरुण कुमार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल प्रशासन द्वारा रेल कर्मचारियों को सुविधा देने हेतु पूर्व रेल के दानापुर मंडल में कितनी शैक्षिक संस्थाएं स्थापित की गई हैं।

(ख) कितनी संस्थाओं को उनके विकास हेतु सहायता प्रदान की गई है;

(ग) कितनी संस्थाओं के संबंध में प्रस्ताव लंबित हैं; और

(घ) इन प्रस्तावों को मंजूर करने में क्या कठिनाई आ रही है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) :** (क) और (ख) 14 अदद।

(ग) कोई नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

### सुबई में फ्लैग/हाल्ट स्टेशन खोलना

**4952. श्री नरेश पुगलिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न फर्मों से सिकंदराबाद मंडल के काजीपेट–बल्हारशाह खंड पर सुबई गांव में फ्लैग/हाल्ट स्टेशन खोलने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) और (ख) दक्षिण मध्य रेलवे के विरुर और माकुडी स्टेशनों के बीच सुबई ग्राम में हाल्ट स्टेशन खोलने के बारे में निम्नलिखित से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं :

(i) श्री प्रभाकर, मामुलकर, भूतपूर्व विधायक तथा अध्यक्ष विशेष कार्य योजना समिति, राजूरा, महाराष्ट्र।

(ii) श्री नरेश पुगलिया, सांसद, और

(iii) श्री आनंद राव केशव राव कटनाके, अध्यक्ष, पंचायत समिति, राजूरा, चंद्रापुर जिला, महाराष्ट्र।

(ग) अंतर्निहित भारी लागत तथा प्रत्याशा से कम यात्री यातायात के मद्देनजर इस हाल्ट को खोलना वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं समझा जाता है।

*[हिन्दी]*

**अरुणाचल प्रदेश में नई विद्युत परियोजनाएं**

**4953. श्री हरीभाऊ शंकर महाले** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव अरुणाचल प्रदेश में नई विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार और सरकारी क्षेत्र की भागीदारी का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता)**: (क) जी, हां।

(ख) से (घ) केंद्रीय क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन सामान्यतः त्रिचरणीय स्वीकृति प्रक्रिया के तहत होता है जिसके तहत निवेश स्वीकृति 3 चरण में दी जाती है; यथा–

(i) सर्वेक्षण और जांच कार्य तथा/व्यवहार्यता रिपोर्ट की तैयारी के लिए (चरण–1)।

(ii) विस्तृत जांच, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी करने और भूमि अधिग्रहण सहित निर्माण–पूर्व कार्यों के लिए (चरण–2) और

(iii) परियोजना से जुड़े मुख्य कार्यों का संचालन (चरण–3)।

इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन कई कारकों पर निर्भर करेगा जिसमें सभी सांविधिक स्वीकृतियां वित्तीय प्रबंध से जुड़े पहलू, परियोजना से विद्युत के पारेषण/निकासी की व्यवस्था और विद्युत विक्रय संबंधी वाणिज्यिक करार शामिल हैं।

त्रिचरणीय स्वीकृति प्रक्रिया के तहत दो परियोजनाओं के लिए द्वितीय चरण की स्वीकृति दे दी गई है।

(i) अरुणाचल प्रदेश स्थित कामेंग जल विद्युत परियोजना (600 मे.वा.) के लिए 94.54 करोड़ रु. लागत की द्वितीय चरण की स्वीकृति दी गई है जिसका कार्यान्वयन नीपको द्वारा किया जाना है। इस परियोजना के इसकी निवेश स्वीकृति की तारीख लगभग वर्ष में शुरू होने की संभावना है।

(ii) एनएचपीसी द्वारा कार्यान्वित अरुणाचल प्रदेश स्थित 2000 मे.वा. क्षमता की लोअर सुबंसिकी जल विद्युत परियोजना के लिए भी द्वितीय चरण की स्वीकृति त्रिचरणीय स्वीकृति प्रक्रिया के तहत दी गई है। इस परियोजना के भी इसके निवेश स्वीकृति की तारीख से लगभग 7 वर्ष में चालू होने की संभावना है।

**विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास योजनाएं**

**4954. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखंड सहित देश में आज की तिथि के अनुसार विकलांग व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा शुरू की गई पुनर्वास योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक उक्त योजना के अंतर्गत झारखंड सहित विभिन्न राज्यों को कितनी राशि का आवंटन किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को दैनिक समस्याओं का सामना करने में समर्थ बनाने हेतु विशेष सहायता देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान)** : (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) ने जुलाई–दिसंबर, 1991 के दौरान विकलांग व्यक्तियों की संख्या के बारे में सूचना का संग्रह करने के लिए 47वें दौर का एक सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण ने अनुमान किया कि जनसंख्या का 1.9 प्रतिशत किसी न किसी प्रकार की शारीरिक विकलांगता से पीड़ित है। 1991 के सर्वेक्षण के अनुसार विकलांग व्यक्तियों की राज्यवार जनसंख्या के विवरण को दर्शाने वाला विवरण–I संलग्न है। उनके द्वारा जुलाई–दिसंबर, 1991 के दौरान सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में विलंब से मानसिक विकास वाले बच्चों (0–14 वर्ष) का एक अलग सर्वेक्षण (रिपोर्ट सं. 391) भी किया गया है। सर्वेक्षण से बच्चों में लगभग 3 प्रतिशत के मानसिक मंदता के संभावित स्तर का पता चला है।

(ख) से (घ) ब्यौरा विवरण–II के रूप में संलग्न है।

**विवरण-I**

*1991 में एनएसएसओ द्वारा संचालित सर्वेक्षण के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का राज्यवार ब्यौरा*

| क्र.सं. | राज्य का नाम | विकलांग व्यक्तियों की अनुमानित सं. (लाख में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 15.72 |
| 2. | असम | 2.71 |
| 3. | बिहार | 13.61 |
| 4. | गुजरात | 6.95 |
| 5. | हरियाणा | 3.04 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 1.40 |
| 7. | कर्नाटक | 8.76 |
| 8. | केरल | 5.56 |
| 9. | मध्य प्रदेश | 12.87 |
| 10. | महाराष्ट्र | 18.19 |
| 11. | उड़ीसा | 7.20 |
| 12. | पंजाब | 5.31 |
| 13. | राजस्थान | 7.23 |
| 14. | तमिलनाडु | 12.36 |
| 15. | उत्तर प्रदेश | 25.50 |
| 16. | पश्चिम बंगाल | 11.79 |
| | अखिल भारतीय | 161.54 |

नोट 1. आंकडे में (1) दृष्टि (2) श्रवण (3) वाणी और (4) चलन संबंधी विकलांगता शामिल है।

2. शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए परिणाम प्रस्तुत नहीं किए गए क्योंकि विश्वसनीय अनुमान देने के लिए नमूना आकार को पर्याप्त नहीं समझा गया था। तथापि, अखिल भारतीय स्तर पर प्रस्तुत परिणामों में सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शामिल है। लगभग 2–3 प्रतिशत बच्चे मानसिक मंदता से ग्रस्त हैं। मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों से संबंधित आंकडे ज्ञात नहीं हैं।

3. झारखंड राज्य वर्ष 2000 में सृजित हुआ।

**विवरण-II**

(ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय विकलांगता के प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र में स्थापित छः राष्ट्रीय संस्थानों/शीर्ष स्तरीय संस्थाओं को सहायता दे रहा है जो अन्य बातों के साथ–साथ दीर्घावधि और अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जनशक्ति विकास के लिए कार्य करते हैं, पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध करते हैं और कार्यात्मक अनुसंधान आदि करते हैं। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एमिम्को) जो इस मंत्रालय के तत्वावधान में एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, विकलांग व्यक्तियों को गुणवत्ता वाले सहायक यंत्रों और उपकरणों का निर्माण करता है और उनकी उपलब्धता, आपूर्ति और वितरण को बढ़ावा देता है। वर्ष 1997 में स्थापित राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी) स्व–रोजगार तथा आय सृजक कार्यकलापों के लिए आसान शर्तों पर विकलांग व्यक्तियों

को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता देने के लिए योजनाएं भी कार्यान्वयनाधीन हैं।

(ग) विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत झारखंड सहित सभी राज्यों को निर्मुक्त की गई राशि नीचे दी गई है :

(रुपये लाख में)

| योजनाएं | वर्ष | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2000–01 | | 2001–02 | | 2002–03 | |
| | सभी राज्य | जिनमें से झारखंड | सभी राज्य | जिनमें से झारखंड | सभी राज्य | जिनमें से झारखंड |
| विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देने की योजना | 6213.10 | शून्य | 6081.91 | 7.00 | 7553.70 | 20.94 |
| सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद और फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना | 2910.74 | शून्य | 4357.60 | 1.00 | 5700.00 | 4.00 |
| विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम | 5551.95 | 210.85 | 4361.20 | 156.05 | शून्य | शून्य |

*योजना को 10वीं पंचवर्षीय योजना से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्थानांतरित कर दिया है।

(घ) सरकार ने विकलांग व्यक्तियों की अधिक व्यापक कवरेज और सम्यक पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए हैं। पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से एक सौ तीस जिलों की पहचान की गई है। संयुक्त पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए संयुक्त क्षेत्रीय केंद्रों तथा मेरूदंड चोटग्रस्त तथा अन्य अस्थि विकलांगताओं वाले व्यक्तियों के लिए क्षेत्रीय पुनर्वास केंद्रों की स्थापना करने के लिए योजनाएं भी विधाराधीन हैं। इसके अतिरिक्त, विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम की योजना को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य/जिला/ब्लॉक तथा ग्राम पंचायत स्तर पर अवसंरचना के सृजन के लिए राज्य सेक्टर में अनुमोदित किया गया है। उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और गुणवत्ता वाले सहायक यंत्रों और उपकरणों की आसान उपलब्धता के लिए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) के चार सहायक उत्पादन केंद्रों की स्थापना के लिए एक योजना भी अनुमोदित की गई है। वर्ष 2000 में स्थापित ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता तथा बहु–विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास विकलांग व्यक्तियों के परिवार में संकट की अवधि के दौरान आवश्यकता आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए पंजीकृत संगठनों को सहायता प्रदान करता है और इन व्यक्तियों की देखभाल एवं संरक्षण के उपायों को भी, उनके माता–पिता तथा अभिभावकों की मृत्यु होने की दशा में, बढ़ावा देता है। निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 विकलांग व्यक्तियों के शैक्षिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सभी सरकारी शैक्षिक संस्थाओं तथा सरकार से सहायता प्राप्त कर रहे अन्य शैक्षिक संस्थाओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए सीटों में 3 प्रतिशत के आरक्षण तथा सरकारी प्रतिष्ठानों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अभिज्ञात पदों में 3 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करता है।

*[अनुवाद]*

**निजी और सरकारी क्षेत्र में तेलशोधक कारखाने**

**4955. श्री जी. एस. बसवराज : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में विभिन्न तेल कंपनियों के पास कितने तेलशोधक कारखाने हैं;

(ख) आज की तिथि के अनुसार प्रत्येक तेलशोधक कारखाने की स्थिति और क्षमता क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन तेलशोधक कारखानों के प्रबंधन के पुनर्गठन का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)** : (क) वर्तमान में देश में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में 18 रिफाइनरियां प्रचालन कर रही हैं।

(ख) सभी 18 रिफाइनरियां प्रचालन की स्थिति में हैं। 1.4.2003 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक रिफाइनरी की क्षमता संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**विवरण**

*1.4.2003 की स्थिति के अनुसार रिफाइनरियों की क्षमता*

| क्र.सं. | कंपनी का नाम | स्थान | क्षमता (एमएमटीपीए) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. (आईओसीएल) | डिग्बोई | 0.65 |
| 2. | आईओसीएल | गुवाहाटी | 1.00 |
| 3. | आईओसीएल | बरौनी | 6.00 |
| 4. | आईओसीएल | कोयाली | 13.70 |
| 5. | आईओसीएल | हल्दिया | 4.60 |
| 6. | आईओसीएल | मथुरा | 8.00 |
| 7. | आईओसीएल | पानीपत | 6.00 |
| 8. | चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (सीपीसीएल) | चेन्नई | 6.50 |
| 9. | सीपीसीएल | नागापट्टिनम | 1.00 |
| 10. | बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लि. | बोंगाईगांव | 2.35 |
| 11. | हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (एचपीसीएल) | मुंबई | 5.50 |
| 12. | एचपीसीएल | विसाख | 7.50 |
| 13. | भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. | मुंबई | 6.90 |
| 14. | कोच्चि रिफाइनरीज लि. | कोच्चि | 7.50 |
| 15. | नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि. | नुमालीगढ़ | 3.00 |
| 16. | आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. | तातीपाका | 0.078 |
| 17. | मंगलौर रिफाइरी एंड पेट्रो–केमिकल्स लि. | मंगलौर | 9.69 |
| | उप जोड़ (सा. क्षे.उ.) | | 89.97 |
| 18. | रिलायंस इंडिया लि. | जामनगर | 27.00 |
| | उप जोड़ (निजी) | | 27.00 |
| | कुल शोधन क्षमता | | 116.97 |

एमएमटीपीए : मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष

**वरिष्ठ नागरिकों को निचली बर्थ**

**4956. श्री ए. ब्रह्मनैया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ऐसी प्रणाली पर विचार कर रही है जिससे 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सभी आरक्षित डिब्बों में निचली बर्थ प्राप्त करेंगे;

(ख) यदि हां, तो 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को बर्थ आवंटन के लिए वर्तमान प्रणाली क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा डिब्बों में परिवर्तन लाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है जिससे 60 वर्ष से अधिक आयु के यात्री आसानी से उपरी बर्थ तक पहुंच सकें?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) और (ख) कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली में बुकिंग के समय स्थान उपलब्ध होने पर 60 वर्ष और उससे अधिक के पुरुष यात्रियों और 45 वर्ष और उससे अधिक की महिला यात्रियों को स्वतः ही निचली शायिका देने का प्रावधान पहले से ही है। इसके अलावा, गाड़ी के कंडक्टर/चल टिकट परीक्षक द्वारा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों को यात्रियों के न आने के कारण गाडी में रिक्त निचली शायिका

का आवंटन करने के लिए अनुदेश पहले ही हैं। ये प्रबंध पर्याप्त समझे जाते हैं।

(ग) इस प्रकृति का कोई आशोधन नहीं किया जा रहा है।

*[हिन्दी]*

**दूरदर्शन पर अश्लील फिल्मों/कार्यक्रमों पर प्रतिबंध**

**4957. श्री श्रीचन्द कृपलानी :**
**श्री सुन्दर लाल तिवारी :**
**श्री अशोक ना. मोहोल :**
**श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत दो वर्षों के दौरान दूरदर्शन के कार्यक्रमों के गिरते हुए स्तर के विषय में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन पर अश्लील फिल्मों और अन्य इस प्रकार के कार्यक्रमों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)** : (क) से (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन को कार्यक्रमों में सुधार संबंधी सुझाव निरंतर प्राप्त होते रहते हैं।

(घ) से (च) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन पर अश्लील फिल्मों और अन्य ऐसे कार्यक्रमों को प्रसारित नहीं किया जाता है। दूरदर्शन पर प्रसारित फीचर फिल्में केवल केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा 'अवयस्क' प्रमाणित फिल्में होती हैं और पारिवारिक दर्शन के लिए उनकी उपयुक्तता को सुनिश्चित करने के लिए उनका पूर्वदर्शन भी किया जाता है।

**अ.जा./अ.ज.जा. के व्यक्तियों को पट्टे पर रेल भूमि का आवंटन**

**4958. श्री रामदास आठवले** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार देश के विभिन्न रेल जोनों में रेल लाइनों के पास खाली पड़ी जमीनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार उक्त भूमि को अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को पट्टे पर आवंटित करने का विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) रेलों के पास रेलवे लाइनों, स्टेशनों और रेलवे कालोनियों के निकट लगभग 20,000 हेक्टेयर खाली भूमि है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

*[अनुवाद]*

**संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र का विस्तार**

**4959. श्री वीरेन्द्र कुमार** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मध्य प्रदेश में संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र के विस्तार का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो विस्तार के बाद कितने अतिरिक्त मेगावाट विद्युत का उत्पादन होने की संभावना है; और

(ग) इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता)** : (क) से (ग) मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड 500 मेगावाट की एक नई यूनिट जोड़ने के माध्यम से अपने संजय गांधी थर्मल पावर संयंत्र का विस्तार कर रहा है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण से तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने परियोजना को टर्न–की आधार पर पूरा

करने के लिए 10 मार्च, 2003 को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. को लैटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) जारी किया है। परियोजना 10वीं योजना में आरंभ होनी है।

**विदेशों में संचालन से ओएनजीसी को आय**

**4960. श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस निगम को अपने विदेशी संचालन से लगभग 1250 मिलियन डालर के राजस्व की प्राप्ति की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या ओएनजीसी को वियतनाम गैस परियोजना से अपने निवेश पर चालू वित्त वर्ष से ही राजस्व की प्राप्ति शुरू हो जाएगी;

(ग) यदि हां, तो वियतनाम में इन परियोजनाओं से कुल कितने राजस्व की संभावना है; और

(घ) वर्ष 2003 के दौरान किन अन्य परियोजनाओं से राजस्व मिलेगा?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)** : (क) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओएनजीसी) को दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि अर्थात 2002–2007 के दौरान अपने विदेशी प्रचालनों से लगभग 1,250 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 6,000 करोड़ रुपये) के राजस्व का अनुमान है।

(ख) और (ग) ओएनजीसी–विदेश लि. (ओवीएल), जो ओएनजीसी के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, के वियतनाम परियोजना में निवेश के परिणामस्वरूप राजकोषीय वर्ष 2002–2003 से राजस्व की प्राप्ति आरंभ हो गई है। ओवीएल के हिस्से के लिए उपर्युक्त अवधि के दौरान वियतनाम परियोजना से कुल बिक्री राजस्व 2.07 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 99.35 करोड़ रुपये) दर्ज हुआ है।

(घ) वियतनाम परियोजना के अलावा, 2002–03 के दौरान ग्रेटर नील तेल परियोजना (जीएनओपी), सूडान से ओवीएल की राजस्व उगाही ओएनजीसी नील गंगा, जो एमस्टर्डम में पंजीकृत इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, के माध्यम से 18 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 86.4 करोड़ रुपये) थी।

**नए जोन**

**4961. श्री के. पी. सिंह देव** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल 2003 से संचालन में आ रहे प्रस्तावित नए रेल जोनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये सभी जोन विशेषतः पूर्व तट रेल जोन पूर्णतः चालू हो गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विशेषतः पूर्व तट रेल जोन में की गई निर्माण गतिविधियां और शुरू किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन सभी जोनों को पूर्णतः प्रचालनात्मक बनाने के लिए सरकार द्वारा कया कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) और (ख) 1.4.2003 से पूर्व तट रेलवे/भुवनेश्वर, उत्तर मध्य रेलवे/इलाहाबाद, दक्षिण पश्चिम रेलवे/हुबली, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे/बिलासपुर और पश्चिम मध्य रेलवे/जबलपुर पांच नए रेलवे जोनों ने पूरी तरह काम करना शुरू कर दिया है।

(ग) सभी नए जोनों पर अवसंरचना के सृजन के कार्य शुरू कर दिए गए हैं। जहां तक भुवनेश्वर में पूर्व तट रेल जोन का संबंध है, निम्नलिखित कार्य पूरे कर लिए गए हैं

**पूरे किए गए कार्य**

(i) टाइप I–32 यूनिट, टाइप II–24 यूनिट, III–20 यूनिट, टाइप IV–12 क्वार्टर और बिजली संबंधी उप स्टेशन।

(ii) नए जोन के विभिन्न कार्यालयों की स्थापना और अधिकारियों के लिए ट्रांजिट आवास के लिए चक्रधरपुर में मौजूदा आवासीय इमारत में आशोधन।

**शुरू किए गए कार्य**

(i) क्षेत्रीय कार्यालय इमारत का निर्माण।

(ii) नए जोन के विभिन्न कार्यालयों के लिए आवास की व्यवस्था हेतु मानचेश्वर में मौजूदा एस एण्ड टी इमारत में आशोधन।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) 1.4.2003 से इन जोनों के काम करना शुरू करने के लिए विभिन्न आवश्यक कदम जैसे राजपत्र में अधिसूचना जारी करना, अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती, आधारभूत अवसंरचना की व्यवस्था आदि, उठाए गए थे। 1.4.2003 से विशेष कार्य अधिकारियों के पदनाम को भी अब महाप्रबंधक के रूप में कर दिया गया है।

**ओएनजीसी द्वारा खोजे गए भंडार**

**4962. श्री एन. जनार्दन रेड्डी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओएनजीसी ने पश्चिमी और पूर्वी तटों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में अप्रैल, 2003 के आरंभ में छह नए तेल और गैस क्षेत्रों की खोज की है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक क्षेत्र में गैस और तेल का अनुमानित भंडार कितना है;

(ग) इन खोजों से देश के तेल आयात बिल को कम करने में कितनी मदद मिलेगी;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में तेल और प्राकृतिक गैस का पता लगाने के लिए कितने सर्वेक्षण किए गए; और

(ङ) भारत में तेल भंडार का पता लगाने के लिए ओएनजीसी का किन देशों के साथ संयुक्त उपक्रम है और उनकी सफलता दर क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)** : (क) अप्रैल, 2003 में आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओएनजीसी) ने वर्ष 2002–03 के दौरान की गई छः हाइड्रोकार्बन खोजों की घोषणा की थी। इन छः में से पूर्वी अपतट तथा राजस्थान प्रत्येक में एक–एक एवं पूर्वी अपतट तथा असम राज्य प्रत्येक में दो–दो खोजें हैं।

(ख) और (ग) किसी नए क्षेत्र में अन्वेषण तथा संसाधनों का आकलन एक सतत एवं जारी रहने वाली प्रक्रिया है तथा लाभ संचय करने एवं हाइड्रोकार्बनों का उत्पाद करने हेतु इस प्रकार विभिन्न खोजों से प्राप्त की गई जानकारी पर आगे कार्यवाही करनी होती है, जिसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान ओएनजीसी द्वारा किए गए भूकंपीय सर्वेक्षण निम्नवत हैं :

| वर्ष | 2डी (जीएलके/एलके) | 3डी (वर्ग किमी.) |
|---|---|---|
| 2000–01 | 16,895 | 4,980 |
| 2001–02 | 32,973 | 8,076 |
| 2002–03 | 21,058 | 8,636 |

2डी : द्विआयामी
3डी : त्रिआयामी
जीएलके : ग्राउंड लाइन किमी.
एलके : लाइन किमी.

(ङ) ओएनजीसी का भारत में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण के लिए किसी देश के साथ कोई संयुक्त उद्यम नहीं है।

**जापान द्वारा विद्युत क्षेत्र को आसान शर्तों पर ऋण**

**4963. श्री रामशेठ ठाकुर :**
**श्री सनत कुमार मंडल :**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्यार सरकार ने हाल ही में जापान के साथ देश में विशेषतः बंगाल में कतिपय विद्युत परियोजनाओं के लिए आसान शर्तों पर ऋण के रूप में भारत को शासकीय विकास सहायता के एक बड़े पैकेज के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार के ऋणों की नियम और शर्तें क्या हैं;

(ग) इस प्रकार की ऋण सहायता के लिए चिह्नित विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता)** : (क) से (घ) जापान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2002 ऋण पैकेज के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र में निम्नांकित परियोजनाओं के लिए जेबीआईसी ऋण सहायता प्रदान की है।

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | ऋण राशि (मिलियन येन में) |
|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश में सिम्हाद्री थर्मल पावर स्टेशन परियोजना (4)। परियोजना के अंतर्गत 500 मेगावाट की दोनों यूनिटें चालू हो गई हैं। | 5684 |
| 2. | पश्चिम बंगाल में बक्रेश्वर थर्मल पावर स्टेशन (यूनिट विस्तार परियोजना) परियोजना अनुबंध पत्र मिलने से 33 माह की अवधि के भीतर पूर्ण होनी है। | 36771 |

**विद्युत सुधार**

**4964. श्री एम. के. सुब्बा** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य राज्यों की सरकारों ने क्षेत्र में संबद्ध राज्य विद्युत बोर्डों के विभाजन और उनके निजीकरण सहित विद्युत सुधार का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता)** : (क) से (ग) राज्यों में विद्युत बोर्डों के विभाजन अथवा निजीकरण समेत विद्युत क्षेत्र सुधार का दायित्व राज्य सरकारों का है।

भारत सरकार सुधारों हेतु राज्यों को प्रोत्साहित कर रही है ताकि विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिति में सुधार किया जा सके। इसी उद्देश्य से भारत सरकार केंद्र और राज्यों की संयुक्त रूप से प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर रही है ताकि सुधारों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके। समझौता ज्ञापनों को अधिक सुस्पष्ट और प्रामाणिक बनाने की दृष्टि से समझौता करारों में परिवर्तित किया जा रहा है। मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों ने भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन/करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

केंद्र सरकार ने आमूल-चूल परिवर्तन हेतु अभिनिर्धारित वितरण सर्किलों में परियोजनाओं के क्रियान्वयन के निमित्त त्वरित विद्युत विकास तथा सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को 2002-03 में 143 करोड़ रुपये और 2000-01 में 43.20 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

*[हिन्दी]*

**वयोवृद्ध व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं**

**4965. श्रीमती निवेदिता माने** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वयोवृद्ध व्यक्तियों के लिए कार्यान्वित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं की संख्या और ब्यौरा क्या है तथा किन-किन तिथियों से इन योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) वर्ष 2001-02 के दौरान प्रत्येक योजना पर कितना व्यय हुआ है और इन योजनाओं से संबंधित लक्ष्य किस हद तक प्राप्त किए जा चुके हैं; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन योजनाओं हेतु कितनी निधियां आवंटित की गई हैं?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान)** : (क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्ध व्यक्तियों के लिए दो कल्याण योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं अर्थात (1) वृद्ध व्यक्तियों के लिए एक समेकित कार्यक्रम : यह एक योजना स्कीम है जिसके अंतर्गत उन पात्र गैर सरकारी संगठनों को सहायतानुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान ही जाती है जिनके प्रस्ताव वृद्धाश्रमों, दिवा देखभाल केंद्रों, सचल चिकित्सा देखभाल यूनिटों तथा गैर संस्थागत सेवा केंद्रों के संचालन के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा संस्तुत किए जाते हैं। यह योजना 1992-93 से कार्यान्वित की जा रही है। (2) वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रमों/बहुसेवा केंद्रों के निर्माणार्थ पंचायती राज संस्थाओं/स्वैच्छिक संगठनों/स्व-सहायता सूमहों को सहायता : इस गैर योजना स्कीम के अंतर्गत वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रमों/बहुसेवा केंद्रों के निर्माण के लिए उन पात्र गैरज्सरकारी संगठनों को सहायतानुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिनके प्रस्ताव संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा संस्तुत किए जाते हैं। यह योजना वर्ष 1998-97 से कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) और (ग) ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

| क्र.सं. | योजना | वर्ष 2001–02* के दौरान किया गया व्यय | वर्ष 2001–02 के दौरान लाभग्राहियों की संख्या | वर्ष 2003–04 के लिए आवंटित निधियां |
|---|---|---|---|---|
| 1. | वृद्ध व्यक्तियों के लिए एक समेकित कार्यक्रम ( योजना स्कीम) | 14.61 | 64482 | 17.80 |
| 2. | वृद्धाश्रमों आदि के निर्माण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता (गैर–योजना स्कीम) | 1.14 | 425 | 1.14 |

*उपर्युक्त योजनाओं के संबंध में कोई वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि, इन दोनों योजनाओं में वर्ष 2001-02 के दौरान 100 प्रतिशत बजट आवंटन का उपयोग किया गया।

*[अनुवाद]*

**विमान वाहक पोतों की आवश्यकता**

**4966. श्री सुरेश रामराव जाधव :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसैनिक बेड़े में लघु पोतों के वर्चस्व के चलते भारतीय नौसेना की पहुंच सीमित होकर रह जाती है;

(ख) भारतीय नौसेना को कितने विमान वाहक पोतों की आवश्यकता है तथा भारतीय नौसेना के पास इस समय कितने विमान वाहक पोत हैं; और

(ग) भारतीय नौसेना को उपेक्षित सेवा (सिंड्रेला सर्विस) समझे जाने के क्या कारण हैं?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) :** (क) छोटे पोतों की सहनशक्ति कम होने के कारण इनसे भारतीय नौसेना की पहुंच सीमित होती है।

(ख) दो संक्रियात्मक विमान वाहक पोतों की जरूरत के स्थान पर भारतीय नौसेना की सेवा में विराट नामक अकेला विमान वाहक पोत है।

(ग) नौसेना को उपेक्षित सेवा 'सिंड्रेला सर्विस' नहीं समझा जाता तथा इसकी वास्तविक जरूरतों को पूरा किया जाता है।

**अप्रयुक्त धनराशि**

**4967. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :**
**श्री टी. एम. सेल्वागनपति :**
**श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :**
**डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :**
**कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :**
**श्रीमती रेणूका चौधरी :**
**श्री राम मोहन गाड्डे :**
**श्री एन. जनार्दन रेड्डी :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों/विनियोग के तहत नियमित अप्रयुक्त बजटीय आवंटनों पर ध्यान दिया है;

(ख) क्या यह सच है कि अनुदानों/विनियोग के तहत अप्रयुक्त निधियां वर्ष 1996–97 के 449.59 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2000–2001 के दौरान बढ़कर 8,7970.62 करोड़ हो गई है;

(ग) क्या वर्ष 2000–2001 के दौरान रक्षा मंत्रालय की अप्रयुक्त अनुदान राशि बजट आवंटन का 14.6 प्रतिशत बैठती है और वर्ष 2002–2003 के बजटीय आवंटन के दौरान यह 30 प्रतिशत बैठती है जो खस्ता वित्तीय व्यवस्था को दर्शाता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) भविष्य में जरूरत से अधिक मांगों के प्राक्कलन से बचने और आवंटित अनुदानों की समुचित व्यवस्था करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) :** (क) और (ख) जी, हां।

(ग) रक्षा मंत्रालय के लिए वर्ष 2000–2001 के दौरान बजटीय आवंटन का 14.6 प्रतिशत अनुदान खर्च नहीं हो पाया था। तथापि, वर्ष 2002–2003 के वार्षिक लेखे अभी बंद नहीं हुए हैं।

(घ) बजटीय आवंटन तथा वास्तविक व्यय के बीच अंतर का खुलासा संसद में प्रस्तुत संबंधित वर्ष के विनियोजन लेखे में किया गया है।

(ङ) निधियों को वास्तविक रूप से दर्शाया जाना सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं। आवंटित अनुदान का पूरा उपयोग करने के लिए रक्षा व्यय में प्रगति तथा विभिन्न अधिप्राप्ति प्रस्तावों की स्थिति की निरंतर समीक्षा की जाती है तथा जरूरत के अनुसार अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। रक्षा सेवाओं के लिए पूंजीगत लेखे से प्राप्तियों की देखरेख के लिए एक नया अधिप्राप्ति संगठन भी स्थापित किया गया है।

**पेट्रोलियम क्षेत्र को नियंत्रण मुक्त करना**

**4968. श्री वाई. वी. राव :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम क्षेत्र को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकार के तत्कालीन निर्धारित मूल्य तंत्र में अभी भी समस्याएं विद्यमान हैं; और

(ग) यदि हां, तो नियंत्रण मुक्त करने हेतु नीतिगत ढांचे तथा रेगुलेटर के बीच तालमेल बैठाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) :** (क) से (ग) पेट्रोलियम क्षेत्र के अंतर्गत प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था 1 अप्रैल, 2002 से समाप्त कर दी गई है। इस संबंध में लिए गए निर्णयों के ब्यौरे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दिनांक 28 मार्च, 2002 के संकल्प संख्या पी–20029/22/2201–पीपी में सन्निविष्ट है।

पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड विधेयक, 2002, जिसमें पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड की स्थापना के लिए व्यवस्था है, संसद में प्रस्तुत कर दिया गया है। विधेयक पेट्रोलियम एवं रसायन संबंधी स्थाई समिति को भेज दिया गया है।

**निराश्रित बच्चों के कल्याण हेतु योजनाएं**

**4969. श्री कैलाश मेघवाल :** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने निराश्रित बच्चों के कल्याण हेतु कुछ योजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये निराश्रित बच्चे इन योजनाओं के तहत स्वयंसेवी संगठनों को दी जाने वाली अनुदान सहायता से लाभान्वित होते हैं;

(घ) यदि हां, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केंद्र सरकार से अनुदान सहायता प्राप्त करने वाले स्वयंसेवी संगठनों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त योजनावधि के दौरान राजस्थान में कितने बच्चे इससे लाभान्वित हुए?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) :** (क) और (ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय बेसहारा बच्चों के कल्याण के लिए "बेसहारा बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम" नामक योजना स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत, बेसहारा बच्चों को आश्रय, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं मनोरंजन सुविधाएं प्रदान करने तथा सड़कों के जीवन से उनकी वापसी को आसान बनाने के लिए गैर–सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ग) जी, हां।

(घ) "बेसहारा बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम" के अंतर्गत नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गैर–सरकारी संगठनों को राज्यवार प्रदान की गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) "बेसहारा बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम" के अंतर्गत नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में लाभान्वित बच्चों की संख्या निम्नलिखित है :

| क्र.सं. | वर्ष | लाभान्वित बच्चों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | 1997–1998 | 600 |
| 2. | 1998–1999 | 600 |
| 3. | 1999–2000 | 800 |
| 4. | 2000–2001 | 800 |
| 5. | 2001–2002 | 800 |
| | कुल | 3600 |

**विवरण**

*बेसहारा बच्चों के कल्याण के लिए "बेसहारा बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम" के अंतर्गत नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सहायता प्राप्त गैर–सरकारी संगठनों प्रथा उन्हें प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा*

(रु. लाख में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | वर्षवार निर्मुक्त अनुदान | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1997–98 | | 1998–99 | | 1999–2000 | | 2000–01 | | 2001–02 | |
| | | गैर–सरकारी संगठन की संख्या | निर्मुक्त राशि | गैर–सरकारी संगठन की संख्या | निर्मुक्त राशि | गैर–सरकारी संगठन की संख्या | निर्मुक्त राशि | गैर–सरकारी संगठन की संख्या | निर्मुक्त राशि | गैर–सरकारी संगठन की संख्या | निर्मुक्त राशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 2 | 14.06 | 10 | 50.81 | 18 | 103.75 | 7 | 29.62 | 18 | 86.08 |
| 2. | असम | 1 | 6.1 | 1 | 5.58 | 2 | 5.71 | 2 | 15.87 | 2 | 12.26 |
| 3. | बिहार | 0 | 0 | 2 | 1.99 | 1 | 1.83 | 2 | 3.89 | 1 | 4.74 |
| 4. | गोवा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.3 | 3 | 4.12 |
| 5. | गुजरात | 5 | 25.73 | 10 | 55.74 | 14 | 91.41 | 11 | 76.06 | 18 | 77.78 |
| 6. | हरियाणा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| 7. | जम्मू व कश्मीर | 0 | 0 | 1 | 2.16 | 1 | 7.75 | 1 | 5.37 | 1 | 5.96 |
| 8. | झारखंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.07 |
| 9. | कर्नाटक | 1 | 3.37 | 1 | 7.19 | 4 | 12.37 | 3 | 27.85 | 5 | 29.98 |
| 10. | केरल | 2 | 12.91 | 2 | 6.56 | 2 | 14 | 4 | 8.29 | 6 | 20.25 |
| 11. | मध्य प्रदेश | 0 | 0 | 2 | 6.7 | 3 | 7.77 | 2 | 4.13 | 4 | 11.2 |
| 12. | महाराष्ट्र | 3 | 13.61 | 10 | 47.36 | 20 | 53.17 | 16 | 106.62 | 18 | 69.4 |
| 13. | मणिपुर | 1 | 7.05 | 1 | 3.53 | 1 | 8.06 | 1 | 11.6 | 0 | 0 |
| 14. | मेघालय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.29 |
| 15. | मिजोरम | 1 | 6.74 | 0 | 0 | 1 | 1.79 | 1 | 1.06 | 0 | 0 |
| 16. | उड़ीसा | 1 | 5.67 | 2 | 5.1 | 1 | 7.93 | 5 | 14.3 | 4 | 15.54 |
| 17. | पंजाब | 0 | 0 | 1 | 7.05 | 2 | 8.55 | 1 | 6.38 | 2 | 23.28 |
| 18. | राजस्थान | 2 | 17.63 | 2 | 14.78 | 6 | 25.67 | 6 | 17.68 | 5 | 37.92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | तमिलनाडु | 6 | 44.57 | 9 | 66.55 | 12 | 83.46 | 11 | 66.8 | 12 | 53.76 |
| 20. | त्रिपुरा | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 5.69 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 3 | 14.41 | 8 | 35.62 | 9 | 74.28 | 10 | 74.4 | 13 | 79.19 |
| 22. | पं. बंगाल | 18 | 126.17 | 24 | 148.55 | 26 | 195.62 | 24 | 167.52 | 28 | 198.69 |
| 23. | चंडीगढ़ | 0 | 0 | 1 | 1.85 | 1 | 8.59 | 1 | 9 | 2 | 1.88 |
| 24. | दिल्ली | 6 | 28.19 | 9 | 48.66 | 9 | 71.66 | 6 | 76.26 | 8 | 65.61 |
| | कुल | 52 | 326.21 | 96 | 515.78 | 134 | 783.87 | 117 | 726 | 156 | 805.85 |

**सेना द्वारा जब्त हथियार**

**4970. श्री अनन्त गुढे** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2002–2003 के दौरान आज तक सेना द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों से जब्त किए गए हथियारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उनके उपयोग/निपटान हेतु क्या तरीका अपनाया जाता है; और

(ग) इन हथियारों का समुचित नियंत्रण सुनिश्चित करने और उनके दुरुपयोग को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त)** : (क) सेना मुख्यालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार सेना मुख्यालय और उसे संक्रियात्मक नियंत्रण के अंतर्गत आपने वाले बलों द्वारा जम्मू–कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में 2002–2003 के दौरान विद्रोह–रोधी कार्रवाइयों में बरामद/जब्त किए गए शस्त्रों की संख्या इस प्रकार है :

(i) जम्मू–कश्मीर – 2533 शस्त्र

(ii) पूर्वोत्तर – 974 शस्त्र

(ख) कानून के प्रावधानों के अनुसार, जब्त किया गया गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री पुलिस को सौंपे जाने होते हैं। लेकिन अगस्त, 2001 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया था कि जब्त किए गए शस्त्र/गोलाबारूद पुलिस की ओर से सेना की अभिरक्षा में रखे जा सकते हैं लेकिन आवश्यकता पड़ने पर सेना प्राधिकारियों द्वारा उन्हें न्यायालय में पेश करना होगा। केस निबट जाने पर, संगत अनुदेशों के अनुसार शस्त्रों की सेना कर्मिकों सहित विभिन्न प्राधिकृत एजेंसियों/व्यक्तियों को बिक्री/आवंटन द्वारा उनका इस्तेमाल/निपटान किया जाता है।

(ग) प्रत्येक शस्त्र के लिए 'सीजर मेमो' और 'हिस्टरी शीट्स' तैयार करके आतंकवादियों से जब्त/बरामद किए गए शस्त्रों का समुचित हिसाब–किताब रखे जाने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। स्टॉक किए गए शस्त्रों के लिए कड़ी लेखाकरण प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं और अक्सर जांच भी की जाती है।

*[हिन्दी]*

**बिहार में पवनचक्की परियोजनाएं**

**4971. श्री अरुण कुमार** : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण बिहार में सिंचाई हेतु गैर–पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग को बढ़ाने हेतु वहां अब तक कितनी पवनचक्कियां स्थापित की गई हैं; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी पवन चक्कियों को स्थापित करने का प्रस्ताव है?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन)** : (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने वर्ष 1993–94 के दौरान सिंचाई, पेयजल और अन्य प्रयोगों के लिए जल उपलब्ध कराने के लिए जल पंपन पवन चक्कियों की

स्थापना करने के संबंध में एक संशोधित योजना प्रारंभ की है। मंत्रालय की इस योजना के अंतर्गत बिहार में अब तक कुल 38 जल पंपन पवन चक्कियों को स्थापित किया गया है। सभी पवन चक्कियां बिहार के दक्षिण जिलों में स्थापित की गई हैं।

(ख) वर्ष 2002–2003 के दौरान बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (ब्रेडा) को बिहार में लगाने के लिए कुल 75 जल पंपन पवन चक्कियां स्वीकृत की गई थीं। आशा की जाती है कि ब्रेडा उनकी स्थापना का कार्य 2003–04 के दौरान पूर्ण कर लेगी। वर्ष 2003–04 के दौरान जल पंपन पवन मिलों को लगाने के लिए अभी तक बिहार से कोई अन्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*[अनुवाद]*

**चालक रहित लक्ष्यभेदी विमान (पी.टी.ए.) का उत्पादन**

**4972. श्री हरीभाऊ शंकर महाले :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एचएएल द्वारा भारी संख्या में चालक रहित लक्ष्यभेदी विमानों (पीटीए) का उत्पादन करने में विलंब के क्या कारण हैं;

(ख) उत्पादन कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ग) टरबाइन डिस्क हेतु ब्लॉक कॉस्टिंग के स्वदेशी विकास की स्थिति क्या है?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) :** (क) और (ख) विदेशी विक्रेताओं से आयातित निवेश ढलाई की अनियमित और अनिश्चित आपूर्ति के कारण चालक रहित लक्ष्यभेदी विमान के इंजन के विकास चरण में विलंब हुआ था। अतः हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा रक्षा धातुकर्मीय अनुसंधान प्रयोगशाला की सहायता से ढलाई के स्वदेशीकरण का कार्य शुरू किया गया था। जिसमें कुछ समय लग गया।

चालक रहित लक्ष्यभेदी विमान के शृंखलाबद्ध उत्पादन के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा ग्राहकों के साथ मूल्यवार्ता पूरी कर ली गई है। ग्राहकों द्वारा आर्डर दिए जाने के उपरांत चालक रहित लक्ष्यभेदी विमान की सुपुर्दगी 14 माह के भीतर आरंभ होगी।

(ग) चालक रहित लक्ष्यभेदी विमान के इंजन (पीटीएई–7) के टरबाइन रोटर और स्टेटर कास्टिंग्स (ब्लेड समेत) के स्वदेशी विकास का कार्य रक्षा धातुकर्मीय अनुसंधान प्रयोगशाला के माध्यम से शुरू दिया गया है। रक्षा धातुकर्मीय अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा टरबाइन रोटर कास्टिंग्स का विकास कर लिया गया है और उनका पीटीएई–7 के उड़ान–परीक्षणों में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा चुका है। टरबाइन स्टेटर कास्टिंग्स का विकास कार्य प्रगति पर है और रक्षा धातुकर्मीय अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा जून, 2003 तक इसकी आपूर्ति किए जाने की संभावना है।

*[हिन्दी]*

**बायो-गैस संयंत्र**

**4973. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य विशेषकर मध्य प्रदेश और झारखंड में कितने बायो–गैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) उनमें से उन संयंत्रों की स्थानवार संख्या कितनी है जो चालू स्थिति में हैं और जो बंद पड़े हैं;

(ग) क्या बाजार में बायो–गैस चूल्हे उपलब्ध हैं, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्थापित किए जाने वाले बायो–गैस संयंत्रों का ब्यौरा क्या है और इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या उक्त अवधि के दौरान डिजाइनों और प्रौद्योगिकी में कोई बड़ा सुधार किया गया है; और

(च) इन बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के पश्चात वार्षिक रूप से बचने वाली ईंधन–लकड़ी का ब्यौरा क्या है और इनकी विशेषकर गांवों हेतु बड़े सामुदायिक संयंत्रों की वर्तमान संख्या बढ़ाने हेतु सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) :** (क) दो राज्यों के संबंध में सूचना नीचे दी गई

है और अन्य राज्यों के संबंध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है :

| राज्य | वर्ष 2001–02 और 2002–03 के दौरान स्थापित किए गए परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों की संख्या |
|---|---|
| मध्य प्रदेश | 23,310 |
| झारखंड | 605 |

(ख) बायोगैस संयंत्रों के संबंध में, उनकी कार्यशीलता और बंद पड़े संयंत्रों पर सूचना सहित, स्थानवार विवरणों को सामान्यतया राज्य नोडल विभगों/एजेंसियों द्वारा ब्लॉक/जिला स्तर पर; खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के राज्य कार्यालयों और संबंधित गैर–सरकारी संगठनों के मुख्यालय में रखा जाता है। वर्ष 2002–03 में चार स्वतंत्र संगठनों द्वारा 26 राज्यों में लगभग 9480 संयंत्रों के नमूनों पर की गई समवर्ती मॉनीटरिंग से संकेत मिलता चला है कि लगभग 79 प्रतिशत संयंत्र कार्य कर रहे थे। शेष 21 प्रतिशत संयंत्र या तो पूर्ण होने/शुरू होने के अंतर्गत थे या विभिन्न कारणों से बंद पड़े थे जैसे कि निर्माण की निम्न गुणवत्ता; गोबर के साथ मिलाए जाने वाले पानी को प्राप्त करने में कठिनाई; गैस वितरण पाइप लाइन को गलत ढंग से बिछाना; आदि।

(ग) भारतीय मानक ब्यूरो की गुणवत्ता विशिष्टियों के अंतर्गत निर्मित किए गए बायोगैस बर्नर (चूल्हे) आसानी से बाजार में उपलब्ध हैं।

(घ) चालू वित्त वर्ष 2003–04 के लिए 1.5 लाख परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लक्ष्य को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है।

(ङ) पिछले दो वर्षों के दौरान डिजाइनों और प्रौद्योगिकी में किए गए सुधारों में शामिल हैं (1) स्वस्थाने निर्माण तकनीक वाले फैरो–सीमेंट और (2) पूर्व निर्मित प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के बने हुए नए स्थिर डोम मॉडलों का विकास और संवर्धन; पत्तीदार बायोमास से बायोगैस के उत्पादन के लिए ईंट गारे से बने प्लग फ्लो डाईजेस्टर का कार्यक्षेत्र परीक्षण; और फाइबर प्रबलित प्लास्टिक के बने हुए एक इनसुलेटेड डाईजेस्टर में गोबर से बायोगैस के उत्पादन के लिए 10° सेल्सियस तापमान पर अनुकूलित माइक्रोबियल किस्मों के इस्तेमाल पर अध्ययन।

(च) पिछले दो वर्षों के दौरान स्थापित किए गए संयंत्रों के फलस्वरूप प्रतिवर्ष 2.75 लाख टन जलावन लकड़ी के बराबर बचत होने का अनुमान है। सरकार ने दसवीं योजना (2002–07) के दौरान लगभग 10 लाख से अधिक परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों को स्थापित करने के लक्ष्य की योजना बनाई है। एक पृथक योजना के अंतर्गत मुख्यतया वर्ष 1994–95 तक गांवों में बड़े सामुदायिक बायोगैस संयंत्रों को प्रोत्साहन दिया गया। किंतु ऐसे अधिकांश संयंत्रों ने मुख्यतया प्रबंधन और प्रचालन समस्याओं के कारण सतत आधार पर कार्य नहीं किया।

**विवरण**

*केंद्र प्रायोजित योजना–राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना (एनबीपीडी), जिसे अब राष्ट्रीय बायोगैस और खाद प्रबंधन कार्यक्रम (एनबीएमएमपी) कहा जाता है, के अंतर्गत पिछले दो वर्षों अर्थात 2001–02 और 2002–03 (अप्रैल, 2002 से फरवरी, 2003) के दौरान स्थापित किए गए परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों की राज्यवार संख्या*

| राज्य | स्थापित किए गए संयंत्रों की संख्या |
|---|---|
| 1 | 2 |
| आंध्र प्रदेश | 40,502 |
| अरुणाचल प्रदेश | 511 |
| असम | 5,886 |
| बिहार | 4,403 |
| छत्तीसगढ़ | 6,912 |
| गुजरात | 12,468 |
| गोवा | 141 |
| हरियाणा | 3,135 |
| हिमाचल प्रदेश | 801 |
| कर्नाटक | 52,323 |
| केरल | 13,887 |
| महाराष्ट्र | 23,665 |
| मेघालय | 562 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| मिजोरम | 577 |
| नागालैंड | 301 |
| उड़ीसा | 21,561 |
| पंजाब | 9,029 |
| राजस्थान | 715 |
| सिक्किम | 1,057 |
| तमिलनाडु | 4,664 |
| त्रिपुरा | 377 |
| उत्तर प्रदेश | 23,157 |
| उत्तरांचल | 2435 |
| पश्चिम बंगाल | 30,738 |
| अन्य | 130 |

*[अनुवाद]*

**वातानुकूलित कुर्सीयान हेतु नाजायज किराया**

**4974. श्री ए. ब्रह्मनैया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने कम दूरी की यात्रा हेतु वातानुकूलित कुर्सीयान के लिए नाजायज किराया निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो कम दूरी की यात्रा हेतु वातानुकूलित कुर्सीयानों के लिए समुचित किराया निर्धारित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या रेलवे ने वातानुकूलित कुर्सीयानों के लिए अत्यधिक किराया रखने की लागत/लाभ पहलुओं का अध्ययन किया है;

(घ) क्या कम दूरी की यात्राओं जैसे राजामुंद्री और विशाखापत्तनम के बीच अथवा आंध्र प्रदेश में अन्य क्षेत्रों हेतु प्रयोग के तौर पर किराये में कोई कटौती की जाएगी; और

(ङ) और अधिक आय प्राप्त करने हेतु ऐसे किरायों को तर्कसंगत बनाने हेतु क्या कदम उठाए जाने के प्रस्ताव हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

*[हिन्दी]*

**दूरदर्शन पर कार्यक्रम शुरू करना**

**4975. श्री श्रीचन्द कृपलानी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन दूरदर्शन प्रसारण केंद्रों के नाम क्या हैं जहां से वर्तमान में दूरदर्शन द्वारा कमीशन अथवा रायल्टी आधार पर कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है;

(ख) किस दर पर भुगतान किए जा रहे हैं; और

(ग) कमीशन अथवा रायल्टी भुगतान की दर का ब्यौरा क्या है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)** : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन के रिले केंद्र केवल प्रमुख दूरदर्शन केंद्रों और कार्यक्रम निर्माण केंद्रों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों को ही रिले करते हैं और वह रायल्टी अथवा कमीशंड आधार पर कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए आने आप निर्णय नहीं लेते हैं।

(ख) और (ग) कार्यक्रमों की शैली और इन कार्यक्रमों को प्रसारित करने वाले चैनलों पर निर्भर करते हुए दूरदर्शन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार कार्यक्रम रायल्टी प्राप्त किए जाते हैं विभिन्न श्रेणियों के कार्यक्रमों के लिए रायल्टी दर संलग्न विवरण में दी गई है।

कमीशंड कार्यक्रमों के लिए दरें प्रसार भारती बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार लागत निर्धारण समिति द्वारा तय की जाती हैं।

**विवरण**

*दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों पर रॉयल्टी आधार पर वृत्तचित्र, फिल्मों और अन्य श्रेणी के कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु दर ढांचा*

(रुपये में)

| क्र.सं. | कार्यक्रम की श्रेणी (30 मिनट की अवधि) | डीडी 1, डीडी 2 और डीडी 3 के लिए रॉयल्टी दर | उपग्रह चैनलों सहित दिल्ली और अन्य राजधानी केंद्रों के लिए रॉयल्टी दर | अन्य केंद्रों/डीडी 2 पर सिगनल मैट्रो के लिए रॉयल्टी दर |
|---|---|---|---|---|
| 1. | राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त वृत्तचित्र | 1,50,000/– | 75,000/– | 45,000/– |
| 2. | अन्य वृत्तचित्र | 75,000/– | 38,000/– | 23,000/– |
| 3. | एनीमेशन फिल्म | 80,000/– | 40,000/– | 24,000/– |
| 4. | नाटक/ओपेरा/बैलेट/संगीत फीचर | 75,000/– | 38,000/– | 23,000/– |
| 5. | क्विज | 70,000/– | 35,000/– | 21,000/– |
| 6. | सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों पर फीचर्स/ लघु फिल्में | 68,000/– | 34,000/– | 20,000/– |
| 7. | स्पोर्ट्स | 60,000/– | 30,000/– | 18,000/– |
| 8. | प्रकाश संगीत, शास्त्रीय संगीत और नृत्य | 53,000/– | 27,000/– | 16,000/– |
| 9. | साक्षात्कार आधारित कार्यक्रम/साक्षात्कार/परिचर्चा | 30,000/– | 15,000/– | 9,000/– |

(क) 30 मिनट से कम/अधिक अवधि वाले वृत्तचित्र/ कार्यक्रमों के लिए भुगतान आनुपातिक रूप से कम/अधिक होगा।

(ख) उपरोक्त पैरा (क) के प्रावधान के अधीन श्याम एवं श्वेत वृत्तचित्र/कार्यक्रम के लिए दर उपरोक्त दरों से 30 प्रतिशत कम होगी।

(ग) उपरोक्त दरें फिल्म प्रभाग/सार्वजनिक क्षेत्र/उपक्रम केंद्र सरकार के विभागों/राज्य सरकारों द्वारा निर्मित/फिल्मों/वृत्तचित्र कार्यक्रमों पर लागू नहीं है।

(घ) पुनः प्रसारण के लिए हर मामले में भुगतान उपरोक्त दरों का आधा (50 प्रतिशत) होगा।

**पावर ग्रिड स्टेशन स्थापित करना**

**4976. श्री रामदास आठवले :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार का देश में कुछ नए पावर ग्रिड स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त स्टेशनों को किन–किन स्थानों पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) इनमें से प्रत्येक स्टेशन को स्थापित करने पर कितनी राशि खर्च किए जाने की संभावना है;

(घ) उक्त स्टेशनों के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ङ) इन स्टेशनों को स्थापित करने के बाद दिल्ली में विद्युत आपूर्ति में किस सीमा तक सुधार होने की संभावना है;

(च) क्या इस संबंध में केंद्र सरकार को अभी तक दिल्ली सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और इन पावर ग्रिड स्टेशनों को स्थापित करने में विलंब के क्या कारण हैं?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता)**: (क) से (घ) पावरग्रिड ने केंद्रीय क्षेत्र की विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के संबद्ध पारेषण प्रणाली तथा प्रणाली सुदृढ़ीकरण स्कीम के भाग के रूप में पूरे देश में विभिन्न उप–केंद्रों को स्थापित करने की योजना बनाई है। अगले पांच वर्षों में पावरग्रिड द्वारा क्रियान्वयन हेतु तैयार उप–केंद्रों की सूची, उनका स्थापना स्थल, अनुमानित लागत और जिस समय तक यह कार्य पूरा होगा, इन सबके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) से (छ) मेरठ, भिवाड़ी और बहादुरगढ़ (जो दिल्ली के बिल्कुल नजदीक हैं और 400 के.वी. लाइन के जरिए दिल्ली प्रणाली से जुड़े हुए हैं) में 440/220 के.वी. के उप–केंद्रों के चालू होने से दिल्ली को विस्थापन माध्यम से, इन उप–केंद्रों से सीधे उत्तरी क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं से बिजली प्राप्त होना संभव होगा। पावरग्रिड द्वारा ताला पारेषण प्रणाली के भाग के रूप में क्रियान्वयन हेतु निर्धारित महारानी बाग स्थित 440/220 के.वी. के उप–केंद्र से दिल्ली के लिए पूर्वी क्षेत्र तथा ताला एचईपी की अतिरिक्त बिजली प्राप्त करना संभव हो जाएगा।

पावरग्रिड द्वारा किसी अन्य उप–केंद्र की स्थापना के लिए दिल्ली सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

**विवरण**

**1. उत्तरी क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले पावरग्रिड उप-केंद्र**

| क्र.सं. | उप–केंद्र का नाम | वोल्टेज स्तर (के.वी.) | एस.एस. की क्षमता (एमवीए) | समय सीमा# | अनुमानित लागत (करोड़ रु.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | मैनपुरी | 440/220 | 2x315 | 2004–05 | 57.79 |
| 2. | पटियाला | 400/220 | 2x315 | 2004–05 | 51.06 |
| 3. | कैथल | 400/220 | 2x315 | 2004–05 | 47.35 |
| 4. | न्यू लखनऊ | 400/220 | 2x315 | 2004–05 | 47.27 |
| 5. | महारानी बाग | 400/220 | 2x315 | 2004–05 | 77.15 |
| 6. | अमृतसर | 400/220 | 2x315 | 2004–05 | 22.84 |
| 7. | बहादुरगढ़ | 400/220 | 2x315 | 2004–05 | 26.21 |
| 8. | गोरखपुर | 400/220 | 2x315 | 2004–05 | 50.44 |
| 9. | लुधियाना | 400/220 | 2x315 | 2007–08 | 50.00 |
| 10. | भिवाडी | 400/220 | 2x315 | 2003–04 | 82.11 |
| 11. | मेरठ | 400/220 | 2x315 | 2003–04 | 66.94 |

**2. पश्चिमी क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले पावरग्रिड उप-केंद्र**

| क्र.सं. | उप–केंद्र का नाम | वोल्टेज स्तर (के.वी.) | एस.एस. की क्षमता (एमवीए) | समय सीमा# | अनुमानित लागत (करोड़ रु.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | पोंडा (मापुसा) | 400/220 | 630 | 2002–03* | 47.0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | बोइसार | 400/220 | 630 | 2004–05 | 42.0 |
| 3. | वापी | 400/220 | 630 | 2004–05 | 42.0 |
| 4. | खंडवा | 400/220 | 630 | 2004–05 | 50.0 |
| 5. | सिओनी | 765/400 | 2000 | 2005–06 | 198.0 |
| | | 400/220 | 630 | | |
| 6. | रायगढ़ | 400/220 | 630 | 2007–08 | 49.0 |
| 7. | मालनपुर | 400/220 | 630 | 2006–07 | 60.0 |
| 8. | भातपाड़ा | 400/220 | 630 | 2006–07 | 45.0 |
| 9. | रायगढ़ | 400/220 | 630 | 2006–07 | 58.0 |
| 10. | बिना | 400/220 | 630 | 2006–07 | 66.0 |

*चालू

**3. दक्षिणी क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले पावरग्रिड उप-केंद्र**

| क्र.सं. | उप–केंद्र का नाम | वोल्टेज स्तर (के.वी.) | एस.एस. की क्षमता (एमवीए) | समय सीमा# | अनुमानित लागत (करोड़ रु.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कोलार | 400/220 | 500 | 2002–03* | 55.0 |
| 2. | होसुर | 400/220 | 630 | 2002–03* | 45.0 |
| 3. | तिरूअनन्तपुरम | 400/220 | 630 | 2003–04 | 45.0 |
| 4. | नरेन्द्रा | 400/220 | 630 | 2004–05 | 61.0 |
| 5. | मैसूर | 400/220 | 630 | 2005–06 | 60.0 |
| 6. | कोजीकोड | 400/220 | 630 | 2005–06 | 60.0 |
| 7. | मेलाकोटैयुर | 400/220 | 630 | 2005–06 | 60.0 |
| 8. | पुगालुर | 400/220 | 630 | 2005–06 | 60.0 |
| 9. | अरासुर | 400/220 | 630 | 2006–07 | 60.0 |
| 10. | पांडिचेरी | 400/220 | 630 | 2006–07 | 60.0 |

*पूर्ण

**4. पूर्वी क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले पावरग्रिड उप-केंद्र**

| क्र.सं. | उप–केंद्र का नाम | वोल्टेज स्तर (के.वी.) | एस.एस. की क्षमता (एमवीए) | समय सीमा# | अनुमानित लागत (करोड़ रु.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | सिलिगुड़ी | 400/220 | 630 | 2003–04* | 47.0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | पूर्णिया | 400/220 | 630 | 2004–05 | 46.0 |
| 3. | बारीपदा | 400/220/132 | 315 | 2004–05 | 39.0 |
| 4. | मुजफ्फरपुर | 400/220 | 630 | 2004–05 | 56.53 |
| 5. | सुभाषग्राम | 400/220 | 630 | 2005–06 | 46.76 |
| 6. | मालदा एक्सटें. | 400/220 | 630 | 2003–04* | 9.45 |
| 7. | फरक्का एक्सटें. | 400 एलबी | – | 2003–04* | 9.83 |
| 8. | जेयपोर एक्सटें. | 400/220 | 315 | 2003–04* | 8.76 |
| 9. | बिहारशरीफ एक्सटें. | 400/220 | 315 | 2004–05 | 13.0 |
| 10. | सासाराम | 400/220 | 630 | 2004–05 | 47.0 |

*चालू

**5. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले पावरग्रिड उप-केंद्र**

| क्र.सं. | उप–केंद्र का नाम | वोल्टेज स्तर (के.वी.) | एस.एस. की क्षमता (एमवीए) | समय सीमा# | अनुमानित लागत (करोड़ रु.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बदरपुर/सिलचर | 220/132 | 250 | 2006–07 | 25.0 |
| 2. | कोपिलि | 220/132 | 100 | 2006–07 | 18.0 |
| 3. | एजवाल | 220/132 | 100 | 2007–08 | 18.0 |

#क्रियान्वयन हेतु संभावित समय–सीमा। वास्तविक आरंभन विभिन्न कारकों समेत भार वृद्धि, विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का आरंभन, पारेषण लाइन आदि पर निर्भर करेगा।

*[अनुवाद]*

**मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन इकाइयां**

**4977. श्री दलपत सिंह परस्ते :** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितनी विद्युत उत्पादन इकाइयां कार्य कर रही हैं और उनकी वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है तथा ये कहां–कहां स्थिति हैं;

(ख) क्या सभी इकाइयां सही ढंग से कार्य कर रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) :** (क) मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन यूनिटों का ब्यौरा निम्नवत है :

| राज्य क्षेत्र | थर्मल | (यूनिटों की संख्या x रेटिंग मेगावाट), क्षमता (मे.वा.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | सतपुड़ा | 5x62.5+1x200+3x210 = 1142.5 |
| 2. | अमरकंटक | 1x30+1x20+50=00 |
| 3. | अमरकंटक विस्तार | 2x120=240.00 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 4. | संजय गांधी (बीरसिंहपुर) | 4x210=840–00 |
| केंद्रीय क्षेत्र | | |
| 1.एनएच पीसी | विंध्याचल एसटीपीएस | 6x210+2x500=2260 |

| राज्य क्षेत्र | हाइड्रो | (यूनिटों की संख्या x रेटिंग मेगावाट), क्षमता (मे.वा.) |
|---|---|---|
| 1. | गांधी सागर | 5x23=115 |
| 2. | बारगी | 2x45=90 |
| 3. | पेंच | 2x80=160 |
| 4. | राजघाट | 3x15=45 |
| 5. | बाणसागर–I | 3x105=315 |
| 6. | बाणसागर–II | 2x15=30 |
| 7. | बाणसागर–III | 3x20=60 |
| 8. | बीरसिंहपुर | 1x20=20 |

(ख) और (ग) वर्ष 2002–03 के दौरान मध्य प्रदेश में ताप विद्युत उत्पादन 79.3 प्रतिशत संयंत्र भार घटक के साथ लक्ष्य का 102.4 प्रतिशत रहा था। तथापि, वर्ष के दौरान जल विद्युत उत्पादन कम जलाशय स्तर/पानी की कमी उपलब्धता के कारण लक्ष्य का 70.8 प्रतिशत था।

### गहरे पानी में खोज के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम द्वारा निवेश

**4978. श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ने अगले पांच वर्षों में भंडार बनाने हेतु गहरे पानी में खोज किए जाने हेतु 3700 करोड़ रु. के निवेश की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई ठोस कार्य योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)** : (क) दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2002–07) के दौरान आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओएनजीसी) की संकल्पना अन्वेषण के लिए 8,650 करोड़ रुपये के परिव्यय की है जिसमें गहरे समुद्री क्षेत्रों में अन्वेषण के लिए 2,322 करोड़ रुपये शामिल हैं। फिर भी, यदि अतिरिक्त कूप हाथ में लिए जाते हैं तो गहरे समुद्री क्षेत्रों में अन्वेषण पर निवेश बढ़ सकता है।

(ख) और (ग) ओएनजीसी की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परिकल्पित गहरे समुद्री क्षेत्रों में अन्वेषण क्रियाकलापों के घटकों में 14,000 लाइन किलोमीटर (एलके) 2डी भूकंपीय आंकड़ों, 17,900 वर्ग किलोमीटर 3डी भूकंपीय आंकड़ों का अर्जन और 34 अन्वेषणात्मक कूपों का वेधन शामिल है। इन उपर्युक्त घटकों में निवेशों में वृद्धि करने के प्रावधान सहित नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) के तहत किए गए ब्लाकों में अन्वेषण शामिल है।

### रंगिया रेल डिवीजन

**4979. श्री एम. के. सुब्बा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रंगिया रेल डिवीजन ने पूर्ण डिवीजन के रूप में काम करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका एक डिवीजन के रूप में उन्नयन करने के लिए रंगिया स्टेशन तथा डिवीजन क्षेत्र के आस–पास आधारभूत संरचना में नए परिवर्तन कर लिए गए हैं तथा इस पर कितना व्यय हुआ है;

(ग) क्या आधारभूत संरचना में और अधिक वृद्धि करने के लिए लोगों, उनके प्रतिनिधियों तथा राज्य विधानमंडल से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसकी अनुमानित लागत दर्शाते हुए विचाराधीन अथवा अध्ययनाधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। रंगिया में मौजूदा रनिंग रूम रेलवे संस्थान, पर्यवेक्षक के कार्यालय और गुड्स शेड तथा आवासीय क्वार्टरों से संबंधित कार्यों, विविध सेवा इमारत, मंडल रेल प्रबंधक का कार्यालय कम्पलेक्स के संवर्धन एवं परिवर्तन के कार्य शुरू

हो गए हैं। 31 मार्च, 03 तक इन पर 1.06 करोड़ रु. खर्च हुए हैं।

(ग) जी, हां। कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) अभ्यावेदनों में सुझाव गए मंडलों आदि के अनुरूप रंगिया स्टेशन के आधारभूत ढांचे में सुधार किए जाने जैसे सामान्य प्रकृति का था। रंगिया मडल के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन कार्य के लिए 16 करोड़ रु. की अनुमानित लागत के कार्य शुरू किए गए हैं। रंगिया में चालू कार्यों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(i) 15 लाख रुपये की लागत पर रंगिया स्टेशन के प्लेटफार्म सं. 1 पर हैवी ड्यूटी टाइलों की व्यवस्था करने का कार्य करना।

(ii) 14 लाख रुपये की लागत से 6 यूनिट विश्रामालय का प्रावधान करना।

(iii) 9 लाख रुपये की लागत से मुख्य मालगाड़ी पर्यवेक्षक के कार्यालय का प्रावधान।

(iv) 11 लाख रुपये की लागत से एक्सचेंज इमारत की व्यवस्था।

(v) 9 लाख रुपये की लागत से रनिंग रूम और रेलवे संस्थान के सुधार का कार्य।

**प्रसार भारती बोर्ड में रिक्त पद**

**4980. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रसार भारती बोर्ड में मौजूदा रिक्त पदों की संख्या क्या है;

(ख) बोर्ड में लंबे समय से रिक्त पड़े पदों को भरने में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा सभी रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इन रिक्त पदों के कब तक भरने की संभावना है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)** : (क) प्रसार भारती बोर्ड में सदस्य (कार्मिक), महानिदेशक, आकाशवाणी (पदेन) और निगम के कर्मचारियों के दो प्रतिनिधियों की 4 रिक्तियां हैं।

(ख) से (घ) रिक्तियों का भरना एक सतत प्रक्रिया है। सदस्य (कार्मिक) के संबंध में चयन समिति की सिफारिश मंत्रालय में प्राप्त हो गई है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। प्रसार भारती ने दिनांक 28.02.2002 को रिक्त हुए महानिदेशक, आकाशवाणी के पद को भरने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके अतिरिक्त प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हैं और उनकी सेवाएं निगम में स्थानांतरित किए जाने तक उनके प्रतिनिधियों के लिए चुनाव नहीं कराया जा सकता है।

**गुंटूर रेलवे स्टेशन पर पेयजल की आपूर्ति**

**4981. श्री वाई. वी. राव** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुंटूर रेलवे स्टेशन पर पेयजल की आपूर्ति करने के लिए कोई जल स्रोत नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या कृष्णा नदी अथवा इसकी नहरों से सीधी पाइपलाइन के द्वारा स्टेशन पर पेयजल प्रदान करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्तावित कार्रवाई क्या है; और

(घ) उक्त पाइप लाइन के कब तक डाल दिए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) गुंटूर रेलवे स्टेशन पर पीने के पानी की आपूर्ति का स्रोत वंकयालापाडु एनएस नहर है। बहरहाल, यह भावी मांग को पूरा करने में अपर्याप्त सिद्ध हो रही है।

(ख) से (घ) इस संबंध में कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है।

**विद्युत की मांग और पूर्ति**

**4982. श्री कैलाश मेघवाल** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में विद्युत की कुल मांग और पूर्ति का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में विद्युत की आवश्यकता का मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान नए विद्युत संयंत्र की संस्थापना तथा मौजूदा विद्युत संयंत्रों का उन्नयन करने से अलग-अलग विद्युत उत्पादन क्षमता में राज्यवार किस सीमा तक वृद्धि होने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का विद्युत की मांग और पूर्ति के अंतर को पूरा करने के लिए विद्युत आयात करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) :** (क) से (च) सूचना संकलित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[हिन्दी]*

**समाचारपत्रों के परिचालन का सत्यापन**

**4983. श्री श्रीचन्द कृपलानी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में एबीसी प्रमाणित समाचारपत्रों की संख्या कितनी है जिनकी मूल्यांकित परिचालन संख्या को आर.एन.आई. द्वारा सत्यापित किया गया है और उन समाचार पत्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने मानदंडों का पालन नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्ययार ब्यौरा क्या है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) :** (क) और (ख) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय तथा भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक दोनों ही ऐसे समाचार पत्रों का कोई रिकार्ड नहीं रखते जो एबीसी के सदस्य हैं लेकिन जिनके प्रसार को भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक द्वारा भी सत्यापित किया गया था। भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक केवल विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के अनुरोध पर ही विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय में सूचीबद्ध समाचार पत्रों के प्रसार सत्यापन का कार्य करता है।

**सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों की स्वामित्व नीति**

**4984. डा. बलिराम :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों को अपने स्वामित्व अधिकारों में संशोधन करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उपरोक्त कदम इस घोषित नीति से विपरीत है कि उसका सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के दैनिक कार्यकरण से कोई लेना-देना नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता। परंतु जहां तक नीति संबंधी मामलों का प्रश्न है, यह सुनिश्चित किया जाना होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा सरकारी नीतियों का पालन किया जाए।

*[अनुवाद]*

**पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की क्षमता**

**4985. श्री दलपत सिंह परस्ते :**
**श्री माणिकराव होडल्या गावित :**

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने हाल ही में पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की क्षमता क्या है; और

(घ) इस प्रक्षेपास्त्र को कब तक शामिल किए जाने की संभावना है?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) :** (क) जी, हां।

(ख) जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल

प्रणाली पृथ्वी का, उत्पदनाधीन भाग से, मार्च, 2003 में उड़ान परीक्षण किया गया था।

(ग) पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है तथा इसकी मारक क्षमता 150 किमी. से अधिक है।

(घ) इस मिसाइल को भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है।

**पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें**

**4986. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें आयात–समानता स्तर से नीचे रखने वाली तेल कंपनियों को राजस्व की हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो अब तक हुई हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल उद्योग उत्पाद की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की अपेक्षा कम कीमतें रख रहा है;

(घ) क्या तेल उद्योग ने केंद्र सरकार से शुल्क संरचना में आवश्यक परिवर्तन करने अथवा इस प्रकार के उतार–चढ़ाव के प्रभाव को कम करने के लिए एक तंत्र बनाने का आग्रह किया था; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)** : (क) से (ग) 1.4.2002 से प्रभावी, पेट्रोलियम क्षेत्र के अंतर्गत प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था के समापन के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले मिट्टी तेल तथा घरेलू एलपीजी, जो राजसहायता प्राप्त उत्पाद है, के सिवाय सभी पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्यनिर्धारण बाजार निर्धारित हो गया है। पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य अब तेल कंपनियों के द्वारा नियत किए जा रहे हैं। किसी तेल कंपनी के द्वारा लाभ कमाना अथवा हानि उठाना अन्य बातों के साथ–साथ कच्चे तेल एवं पेट्रोलियम उत्पादों के प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, उत्पादन की लागत तथा वितरण, मांग, विपणन कार्यनीति इत्यादि जैसे कारकों पर निर्भर करेगा। किसी तेल कंपनी का लाभ अथवा उसकी हानि की जानकारी वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात ही हो पाएगी।

(घ) और (ङ) शुल्क संरचना का युक्तिकरण एक सतत प्रक्रिया है तथा समय–समय पर शुल्क संरचना में सरकार द्वारा उचित परिवर्तन किए जाते हैं।

**सहायक साधनों और उपकरणों की प्रदर्शनी**

**4987. श्री एम. के. सुब्बा : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में गुवाहाटी मेडिकल कालेज में निःशक्त व्यक्तियों के लिए सहायक साधनों और उपकरणों, शिक्षण किटों और बाधा रहित स्वरूप वाली वस्तुओं से संबंधित एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था और इस प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस प्रदर्शनी की मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य क्या थे; और

(ग) इसे किस हद तक सफलता प्राप्त हुई?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान)** : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रदर्शनी का उद्देश्य निःशक्त व्यक्तियों के लिए उपलब्ध योजनाओं/सुविधाओं और साथ ही नवीनतम सहायक साधनों के बारे में जागरूकता का विकास और सूचना का प्रसार करना था। प्रदर्शनी में प्रयोक्ताओं और सहायक साधनों के निर्माताओं और इस क्षेत्र में कार्यरत पुनर्वास व्यावसायिकों के बीच सूचना के दो तरफा विनिमय का मौका मिल पाया। इसके अलावा, निःशक्त व्यक्तियों को प्रदर्शनी के स्थल पर आयोजित पुनर्वास शिविर में सहायक साधन प्राप्त करने और निःशुल्क परामर्श प्राप्त करने का अवसर मिला।

(ग) यह प्रदर्शनी पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी थी। इस प्रदर्शनी में निःशक्त व्यक्तियों, उनके माता–पिताओं, डाक्टरों, अर्ध चिकित्सा कर्मियों और अन्य व्यवसायिकों, पुनर्वास के क्षेत्र में कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों को देश में उपलब्ध अनेक तरह के सहायक यंत्रों और उपकरणों को जानने का अनूठा अवसर प्राप्त हुआ।

कुल मिलाकर सहायक साधनों के 67 निर्माताओं/फैबरिकेटरों, मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थानों, अन्य सरकारी निकायों और निःशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित गैर–सरकारी संगठनों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया और अपने उत्पादों को प्रदर्शित

कर आगंतुकों को अपनी सेवाओं के बारे में जानकारी दी। इस प्रदर्शनी को 10 हजार से अधिक ने देखा। पुनर्वास शिविर की गतिविधियों में 6511 लोगों ने अपना पंजीकरण कराया। निःशक्त व्यक्तियों में 217 तिपहिया साइकिलों, 128 व्हील चेयरों, 278 श्रवण सहायक यंत्रों, ब्रेल उपकरणों की 92 मदों और 137 सहायक यंत्रों और उपकरणों का वितरण किया गया।

समग्र रूप में जनसाधारण, निःशक्त व्यक्तियों के परिवारों, पुनर्वास व्यावसायिकों, डाक्टरों और सरकारी अधिकारियों में निःशक्तता से संबंधित मुद्दों के बारे में इस प्रदर्शनी ने पर्याप्त रुचि और जागरूकता पैदा की।

*[हिन्दी]*

**लंबित पनबिजली परियोजनाएं**

**4988. श्री अरूण कुमार** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "दैनिक जागरण" के दिनांक 10 मार्च, 2003 के अंक में शीर्षक "लेट लतीफ पनबिजली परियोजनाओं में चलते सैकड़ों करोड़ बरबाद" के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इनके कब तक पूरा होने की संभावना है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवन्ती महेता)** : (क) जी हां।

(ख) से (घ) विलंबित एवं निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित ब्यौरे उनके पूरा होने में विलंब के कारणों तथा चालू होने की संभावित तिथि संलग्न विवरण में है।

**विवरण**

*विलंबित एवं निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं*

| परियोजना का नाम | राज्य | क्षमता मेगावाट | प्रारंभ होने की तिथि वास्तविक/ अद्यतन | अनुमानित लागत/अद्यतन (मूल्य स्तर) (करोड़ रु.) | विलंब के कारण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| धौलीगंगा (एनएचपीसी) | उत्तरांचल | 280.00 | 1998–99/ 2004–05 | 601.98 (12/98)/ 1578.31 (8/99) | वित्तीय प्रबंध करार, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास की समस्या। |
| दुलहस्ती (एनएचपीसी) | जम्मू और कश्मीर | 390.00 | जुलाई, 1994/ दिसंबर, 2003 | 1262.97 (10/88)/ 3559.77 (11/96) | कानून और व्यवस्था की समस्या, फ्रेंच कंसोर्टियम की निकासी, हेड रेस टनेल (अपस्ट्रीम) और रॉक बस्ट में एन–काउंटर किए गए स्थान की स्थिति ठीक न होने के कारण टनेल बोरिंग मशीन में आग लगी। |
| पुरुलिया पीएसएस | पश्चिम बंगाल | 900.00 | 2002–03/ 2006–07 | 1456.56 (6/91),/ 3188.90 (4/94) | बोली कर्ताओं द्वारा रिट याचिका दायर किए जाने के फलस्वरूप कानूनी अड़चन तथा वन भूमि को पुरुलिया पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए विपथित |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | किए जाने में विलंब, एलओटी–4 के मुख्य सिविल कार्य के शुरूआत में विलंब। |
| नाथपा झाकरी (एनजेपीसी) | हिमाचल प्रदेश | 1500.00 | दिसंबर, 01 से मार्च, 02/ मार्च, 03 से दिसंबर, 03 | 1578.02 (12/88) 7666.31 (6/98) | भूस्खलन और रॉक को स्थिर करने की जरूरत, जुलाई/अगस्त, 2000 में फ्लैस फ्लड्स, मई, 2000 में डिसिल्टिंग चैंबर नं. 3 और 4 में रॉक फाल और सितंबर–अक्टूबर, 2002 में डिसिल्टिंग चैंबर नं. 4 में शाट क्रेट/रॉक फाल्स। सुरक्षा के अतिरिक्त उपाय किए जाने थे। |
| टिहरी चरण–1 (टीएचडीसी) | उत्तरांचल | 1000.00 | 1997–99/ Dec. 2004 | 3391.40 (3/93)/ 5690.64 (8/99) | पुनर्वास की समस्या। |
| लारजी | हिमाचल प्रदेश | 126.00 | 2002–03/ 2004–05 | 796.98 (3/99)/ 908.64 (8/01) | कंट्रेक्ट पैकेज की सुपुर्दगी में विलंब पीएच क्षेत्र में रॉक फाल। |
| सरदार सरोवर | गुजरात/ मध्य प्रदेश/ महाराष्ट्र | 1450.00 | 1994–96/ 2003–07 | 1551.86 (86–87)/ 3267.25 (96–97) | पुनर्वास की समस्याएं, उपद्रव, न्यायालयीन मामले और विश्व बैंक द्वारा वित्तीय प्रबंध से पीछे हटना। |
| बानसागर टोंस पीएच–4 | मध्य प्रदेश | 20.00 | 1996–97/ 2005–06 | 51.06 (9/90)/ 84.97 (2000) | वित्तीय अड़चनें, कार्यकारी एजेंसी के निर्धारण में विलंब तथा राहत एवं पुनर्वास की समस्याएं। |
| घाटघर पीएसएस | महाराष्ट्र | 250.00 | 1995–96/ 2004–05 | 485.966 (1992)/ 1184.60 (99–00) | भूमि अधिग्रहण और मुख्य कार्यों को सुपुर्दगी आदि में विलंब। |
| श्रीसंलम एलबीपीएच | आंध्र प्रदेश | 900.00 | 1993–95/ 2002–03 | 418.00 (85–86)/ 2620.00 (01–02) | 750 मे.वा. क्षमता का संयंत्र चालू, सिविल कार्यों की सुपुर्दगी और धीमी कार्य प्रगति आदि। |
| पायकारा अलटीमेट | तमिलनाडु | 150.00 | 1994–95/ 2003–04 | 70.16(87–88)/ 373.06 (98–99) | सिविल और यांत्रिक कार्यों की सुपुर्दगी में विलंब। |
| कार्बी लंगपी (लोअर बोरपानी) | असम | 100.00 | 1985–86/ 2004–05 | 36.37 (1979)/ 470.86 | कार्यकारी एजेंसियों को बार–बार बदलते रहने और वित्तीय अड़चनों के कारण विलंब। |
| बासपा चरण–2 | हिमाचल प्रदेश | 300.00 | 2001–02/ 2002–03 | 949.23 (12/93)/ Under revision | यूनिट 1 और 2 को क्रमशः 24.1.03 और 8.2.03 को सफलतापूर्वक चालू (रोटेट) किया गया। जुलाई/अगस्त, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2000 में फ्लेस फ्लड्स के कारण विलंब। |
| महेश्वर | मध्य प्रदेश | 400.00 | 2001–02/ 2005–07 | 1569.27 (96–97)/ 1673.00 (4/00) | परियोजनाओं के विकास कार्य से जुड़े प्रामोटरी द्वारा पीछे हटने के कारण विलंब। नए सिरे से वित्तीय बंदी अपेक्षित। |

*[अनुवाद]*

**संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडी) के अन्तर्गत बिना चौकीदार वाले समपारों के लिए धनराशि**

**4989. श्री ए. सी. जोस** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन संसद सदस्यों के अपने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की निधियों से मुहैया कराए गए धनराशि से गत तीन वर्षों के दौरान देश में कितने बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीचार की व्यवस्था की गई है; और

(ख) चौकीदार रहित समपारों को चौकीदार सहित बनाए जाने के लिए, 31 मार्च, 2003 तक लंबित प्रस्तावों की संख्या कितनी है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) एमपीएलएडी योजना के अंतर्गत संसद सदस्यों द्वारा अपने एमपीएलएडी से मुहैया कराई गई निधियों से 1999–00 से 2001–02 के दौरान 12 बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार तैनात किए गए हैं।

(ख) एमपीएलएडी योजना के वित्तपोषित कार्य की प्रगति माननीय संसद सदस्य/राज्य सरकार द्वारा कार्य के लिए निधियां जारी करने पर निर्भर करती हैं। 8 समपारों पर चौकीदार तैनात करने के लिए निधियां पूर्ण/आंशिक रूप से प्राप्त हो गई हैं और चौकीदार तैनात करने का कार्य चल रहा है।

*[हिन्दी]*

**महिला गैंगमैन**

**4990. श्री रघुबीर सिंह कौशल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में गैंगमेन के पद पर महिलाओं को नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महिला गैंगमेनों ने रेलवे प्रशासन से वैकल्पिक उपयुक्त कार्य सौंपे जाने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में प्रत्येक रेलवे जोन में डिवीजन–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेलवे इन महिलाओं को असुविधाजनक और असुरक्षित कार्य से मुक्त करने के लिए उन्हें कोई वैकल्पिक कार्य उपलब्ध कराएगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) से (च) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[अनुवाद]*

**मुम्बई में रक्षा आयुध संग्रहालय की स्थापना**

**4991. श्री किरीट सोमैया** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उनके मंत्रालय को मुम्बई नगर निगम से मुम्बई में रक्षा आयुध संग्रहालय स्थापित किए जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त)** : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

**रेल में यात्रा करने वाले मरीजों को रियायत**

**4992. श्री परसुराम माझी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेल में यात्रा करने वाले और विभिन्न राज्यों के अस्पतालों में उपचार के लिए जाने वाले मरीजों को रियायत देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी रेलों में और सभी श्रेणियों में रियायत दी जाएगी;

(ग) यदि हां, तो दिए जाने वाले प्रस्तावित रियायतों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसे किस तिथि से लागू किया जाएगा?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) इस समय कुछ शर्तों के अध्यधीन कैंसर, टीबी, थैलेसीमिया, असंक्रामक लेप्रोसी, दिल तथा किडनी के रोगियों को गाड़ी के किराए में रियायतें दी जाती हैं। रियायतें देने का कोई अन्य प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

**रेल लाइनों के प्रतिफल की दर**

**4993. श्री त्रिलोचन कानूनगो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान निर्माणाधीन नई लाइनों के नाम और नवीनतम सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक नई लाइन पर प्रतिफल की दर क्या है;

(ख) वे नई लाइनें कौन सी हैं जिनके प्रतिफल की दर पांच प्रतिशत से अधिक है परंतु उनका निर्माण शुरू नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे प्रमुख राज्य (गैर–विशिष्ट–श्रेणी) कौन से हैं जिनका प्रति हजार वर्ग किमी. रेलवे रूट लंबाई औसत राष्ट्रीय औसत से कम है और प्रत्येक राज्य जिनमें विशिष्ट श्रेणी के राज्य भी शामिल हैं में प्रति हजार किमी. रूट लंबाई क्या है; और

(घ) दसवीं योजना के दौरान इन पिछड़े राज्यों को राष्ट्रीय औसत के स्तर तक लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) किसी परियोजना के प्रतिफल की दर सर्वेक्षण के समय निकाली जाती है। परियोजना को बजट में शामिल किए जाने पर ही अद्यतन किया जाता है। इसलिए अंतिम सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रतिफल की दर उपलब्ध नहीं है।

(ख) उन नई रेल लाइनों का नाम जिनके लिए सर्वेक्षण पिछले तीन वर्षों में पूरे हो गए हैं और जिनकी प्रतिफल की दर 5 प्रतिशत से अधिक है परंतु निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है, निम्नलिखितानुसार है :

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | कि.मी. |
|---|---|---|
| 1. | सहनेवाल–लाडोवल | 31 |
| 2. | निपानी – रैबाग बरास्ता चिकोडी | 97 |
| 3. | तालचेर/हिंडोल रोड से बहरामपुर/गोपालपुर | 293 |
| 4. | गिमलगढ़ से तालचेर | 154 |

चालू परियोजनाओं के भारी थ्रोफार्वर्ड और संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण उपर्युक्त परियोजनाओं पर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका।

(ग) 31.3.02 की स्थिति के अनुसार क्षेत्र के प्रति 1000 वर्ग किमी. मार्ग किमी. का राष्ट्रीय औसत 19.22 है। वे राज्य जिनका राष्ट्रीय औसत कम है, इस प्रकार हैं :

| क्र.सं. | राज्य | क्षेत्र का प्रति 1000 वर्ग कि.मी. मार्ग किलोमीटर |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 18.89 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0.02 |
| 3. | छत्तीसगढ़ | 8.73 |
| 4. | गोवा | 18.72 |
| 5. | हिमाचल प्रदेश | 4.83 |
| 6. | जम्मू और कश्मीर | 0.43 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 7. | कर्नाटक | 15.51 |
| 8. | मध्य प्रदेश | 15.73 |
| 9. | महाराष्ट्र | 17.74 |
| 10. | मणिपुर | 0.06 |
| 11. | मेघालय | 0.0 |
| 12. | मिजोरम | 0.07 |
| 13. | नागालैंड | 0.78 |
| 14. | उड़ीसा | 14.90 |
| 15. | राजस्थान | 17.22 |
| 16. | सिक्किम | 0 |
| 17. | त्रिपुरा | 4.26 |
| 18. | उत्तरांचल | 6.65 |

(घ) विभिन्न राज्यों में बहुत सी नई लाइन परियोजनाओं पर कार्य हो रहा है। बहरहाल, जहां तक क्षेत्र के प्रति 1000 वर्ग किमी. मार्ग–लंबाई का संबंध है, राष्ट्रीय औसत के बराबर सभी राज्यों को लाने के लिए कोई विशिष्ट नीति नहीं है।

**जम्मू और कश्मीर में रेल उपरि पुल और रेल अंडरब्रिज परियोजनाएं**

**4994. श्री अब्दुल रशीद शाहीन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में निर्माणाधीन उपरि पुल/अंडरब्रिज का ब्यौरा क्या है;

(ख) जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान उपरि पुलों/अंडर ब्रिजों के निर्माण के लिए भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन पर सरकार द्वारा क्या–क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन पुलों के निर्माण के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) पठानकोट–जम्मूतवी खंड के विजयपुर जम्मू रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे की लागत पर दो निचले सड़क पुल अर्थात एक किमी. 72/3–4 पर समपार सं. सी–50 के स्थान पर और दूसरा किमी. 78/2–3 पर समपार सं. 52–सी के स्थान पर निर्मित किए जा रहे हैं।

(ख) कुछ नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

**ईदापल्ली-गुरूवायूर रेल लाइन**

**4995. श्री जी. एम. बनातवाला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के ईदापल्ली–गुरूवायूर के बीच नई लाइन के लिए आवश्यक मंजूरी और स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त लाइन के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) नई लाइन के निर्माण का कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है; और

(घ) इसके निर्माण में कितनी लागत आएगी?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

*[हिन्दी]*

**भारत नेपाल के बीच रेल संपर्क**

**4996. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत–नेपाल अंतर–सरकारी समिति ने दोनों देशों के बीच रेल संपर्क की स्थापना किए जाने के लिए अपनी स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दोनों देशों के बीच रेल संपर्क कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) से (ग) भारत और नेपाल के बीच मालगाड़ी सेवाएं शुरू करने के लिए रेल सेवा समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

**मितव्ययता संबंधी उपाय**

**4997. श्री रामदास आठवले** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन विभिन्न और उपक्रमों द्वारा विभिन्न मदों पर गत तीन वर्षों के दौरान व्यय की गई धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केंद्र सरकार का प्रचार, विज्ञापन, मनोरंजन, खान–पान, उद्घाटन कार्यक्रमों, सेमीनारों, देश और विदेश के दौरों और एस.टी.डी. तथा आई.एस.डी. बिलों के भुगतान, बिजली बिलों विशेषकर एयरकंडीशनरों और कूलरों के बिलों और अन्य इस प्रकार के खर्चों पर व्यय को कम करने के लिए कोई मितव्ययता अभियान चलाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता)** : (क) गत तीन वर्षों के दौरान सन 2001–02 तक विद्युत मंत्रालय के नियंत्रणाधीन विभिन्न विभागों और उपक्रमों द्वारा विभिन्न शीर्षों पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) वित्त मंत्रालय द्वारा प्रचार, विज्ञापन, मनोरंजन, खान–पान, उद्घाटन कार्यक्रमों, सेमीनारों, देश और विदेश के दौरों और एसटीडी तथा आईएसडी बिलों के भुगतान, बिजली बिलों विशेषकर एयरकंडीशनरों और कूलरों के बिलों और अन्य इस प्रकार के खर्चों पर व्यय को कम करने के लिए जारी दिशा–निर्देशों का विद्युत मंत्रालय में अनुपालन किया जाता है।

**विवरण**

*विगत तीन वर्षों के दौरान खर्च की गई राशि का वर्ष–वार विस्तृत विवरण*

| विवरण | वास्तविक 1999–2000 | | वास्तविक 2000–01 | | वास्तविक 2001–02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | योजना | गैर–योजना | योजना | गैर–योजना | योजना | गैर–योजना |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| वेतन | 14340 | 323277 | 13444 | 344236 | 13739 | 350153 |
| भत्ते | 0 | 627 | 0 | 321 | 0 | 296 |
| ओटीए | 178 | 1244 | 181 | 1263 | 184 | 1119 |
| डीटीई | 5353 | 7857 | 3115 | 8180 | 4746 | 8204 |
| एफटीई | 9174 | 4552 | 1199 | 3746 | 10397 | 3369 |
| कार्यालय व्यय | 10774 | 41211 | 8481 | 40625 | 23560 | 59870 |
| किराया, दर और कर | 0 | 17297 | 0 | 16576 | 0 | 16306 |
| पब्लिकेशंस | 0 | 617 | 0 | 703 | 0 | 480 |
| अन्य प्रशासनिक व्यय | 0 | 1418 | 0 | 1881 | 0 | 1207 |
| विज्ञापन एवं प्रचार | 0 | 91 | 0 | 59 | 0 | 161 |
| लघु कार्य | 3303 | 131 | 3424 | 162 | 4246 | 153 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| व्यवसायिक सेवाएं | 906 | 537 | 1867 | 8512 | 24632 | 2593 |
| अनुबंधात्मक सेवाएं | 0 | 7632100 | 0 | 8836123 | 0 | 9807783 |
| अनुदान सहायता | 748692 | 47000 | 1312213 | 49400 | 4119744 | 46200 |
| अंशदान | 0 | 32 | 0 | 25 | 0 | 21 |
| सब्सिडी | 2953300 | 24 | 2950000 | 6 | 3450000 | 237173 |
| एकमुश्त प्रावधान | 0 | 0 | 0 | 0 | 431327 | 0 |
| सस्पेंस | 0 | 20000 | 0 | 16500 | 0 | 20000 |
| ब्याज | 0 | 206899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अन्य प्रभाव | 9778 | 21244 | 5309 | 21284 | 135 | 4890 |
| मशीनरी एवं उपस्कर | 4061 | 15025 | 5030 | 16747 | 2892 | 55500 |
| प्रमुख कार्य | 17186 | 0 | 15355 | 0 | 10281 | 0 |
| निवेश | 12426900 | 0 | 12820000 | 0 | 19341817 | 0 |
| ऋण एवं अग्रिम | 15199132 | 0 | 10776399 | 0 | 3180149 | 0 |
| अन्य पूंजीगत व्यय | 293466 | 0 | 445323 | 0 | 273070 | 0 |
| अंतर लेखा अंतरण | 0 | 141515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल जोड़ | 31695953 | 8482698 | 28361340 | 9363949 | 30890919 | 10615478 |

*[अनुवाद]*

**रेलवे में दूरसंचार प्रणाली का आधुनिकीकरण**

**4998. श्री दलपत सिंह परस्ते :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे में दूरसंचार प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) नौवीं और दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इसके लिए कितनी निधि निर्धारित की गई है; और

(घ) क्या इस संबंध में निजी क्षेत्र को भी आमंत्रित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो किस हद तक?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) :** (क) (i) दूरसंचार प्रणाली का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है। रेल मंत्रालय दूरसंचार प्रणाली के अद्यतन/आधुनिकीकरण हेतु निम्नलिखित प्रणाली शुरू कर रहा है :

– ऑप्टिकल फाइबर केबल

– डिजिटल इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज

– डिजिटल माइक्रोवेव

– सेटेलाइट टेलीफोन

(ii) इसके अलावा, रेल मंत्रालय ने गाड़ी नियंत्रण, परिचालन और संरक्षा के लिए रेलवे संचार प्रणाली के आधुनिकीकरण

में तेजी लाने के उद्देश्य से अपने प्रशासनिक नियंत्रण में भारतीय रेलटेल निगम लि. (रेलटेल) नामक निगम की स्थापना की है। रेलटेल देशव्यापी ब्रोडबैंड टेलीकॉम और मल्टीमीडिया नेटवर्क के सृजन हेतु रेलवे के मार्गाधिकार का प्रयोग करते हुए रेलपथ के साथ-साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रणाली बिछाने की प्रक्रिया में है। वर्ष 2003-04 के दौरान रेलटेल की ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा 150 महत्वपूर्ण शहरों और 1500 स्टेशनों को जोड़ने की योजना है। इसके अलावा, चालू वित्त वर्ष के दौरान रेलटेल की पायलट परियोजना के रूप में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इंटरनेट किओस्क और चुनिंदा गाड़ियों में इंटरनेट सेवाएं मुहैया कराने की योजना भी है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) सिगनल और दूरसंचार के लिए निधि संयुक्त रूप से निर्धारित की जाती है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नियोजित सिगनल और दूरसंचार गतिविधियों पर 1,665.80 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विशेष रेल संरक्षा निधि (एसआरएसएफ) सहित सिगनल और दूरसंचार के लिए 3,190 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**विवरण**

| रेलवे | ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रणाली (मार्ग कि.मी.) | डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज (लाइनें) | डिजिटल माइक्रोवेव संपर्क (मार्ग कि.मी.) | सेटेलाइट फोन (अदद) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| मध्य | 1739 | 41888 | 721 | 9 |
| पूर्व | 1130 | 17657 | 967 | 8 |
| उत्तर | 1016 | 39779 | 1475 | 9 |
| पूर्वोत्तर | 23 | 11370 | 624 | 6 |
| पू.सी. | 561 | 6750 | 0 | 5 |
| दक्षिण | 1265 | 23043 | 1191 | 8 |
| दक्षिण मध्य | 0 | 17110 | 557 | 2 |
| दक्षिण पूर्व | 3352 | 15192 | 397 | 9 |
| पश्चिम | 849 | 48271 | 1389 | 9 |
| कुल | 9935 | 221060 | 7341 | 65 |

**नोट** : स्थिति में नवसृजित जोन की टेलीकॉम प्रणाली शामिल है जो पहले 9 जोनों के भाग थे।

**दुर्गापुर रेलवे स्टेशन के नजदीक सड़क ऊपरि पुल का निर्माण**

**4999. श्री सुनील खां** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर रेलवे स्टेशन के समीप सड़क ऊपरि पुल, जिसकी मंजूरी वर्ष 2000-2001 के दौरान दी गई थी, के निर्माण पर आने वाली अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) राज्य सरकार द्वारा इसमें से कुल कितनी लागत का भार वहन किया जाएगा;

(ग) क्या रेलवे और राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए अपनी हिस्सेदारी प्रस्तुत की है; और

(घ) यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक हो जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) और (ख) दुर्गापुर के निकट समपार सं. 113 बी/टी के स्थान पर 791.44 लाख रु. की अनुमानित लागत पर 2000-2001 में ऊपरी सड़क पुल स्वीकृत किया गया है जिसमें रेलवे का हिस्सा 286.71 लाख रु. और राज्य सरकार का हिस्सा 504.73 लाख रु. है।

(ग) रेलवे ने 2003-04 के दौरान 10 लाख रु. की व्यवस्था कर दी है परंतु राज्य सरकार ने इस कार्य की लागत में भागीदारी के लिए अपनी रजामंदी अभी नहीं दी है।

(घ) ऊपरी/निचले सड़क पुल का निर्माण रेलवे और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है, रेलें पुल खास (रेलपथ के ऊपर) का और राज्य सरकार पंहुच मार्गों का निर्माण करती हैं। रेलवे द्वारा अपने हिस्से का कार्य राज्य सरकार द्वारा पंहुच मार्गों के निर्माण से पहले या उसके साथ-साथ करने का प्रयास किया जाता है।

**ट्रेनों के लिए आई.एस.ओ. प्रमाण पत्र**

**5000. श्री सुबोध मोहिते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी ट्रेनों को अब तक आईएसओ 9002 प्रमाण पत्र मिल चुका है;

(ख) किसी भी ट्रेन द्वारा आईएसओ 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने के लिए निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने और अधिक ट्रेनों के लिए यह मानक प्राप्त करने के संबंध में योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) गाड़ी सं. 2155/2156 भोपाल एक्सप्रेस देश में पहली आईएसओ प्रमाणित गाड़ी बन गई है।

(ख) "सेवा की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए मध्यवर्ती रेलवे ठहरावों सहित हबीबगंज और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों के बीच वातानुकूलित और गैर-वातानुकूलित सवारी डिब्बों में रेलवे द्वारा सदाशयी यात्रियों के परिवहन के लिए प्रमाणन प्राप्त होने की संभावना है।"

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

**पुणे-मिराज सेक्शन पर रेलवे क्रॉसिंग संबंधी प्रस्ताव**

**5001. श्री श्रीनिवास पाटील** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुणे-मिराज सेक्शन पर दक्षिण/मध्य रेलवे के पास कितने रेलवे क्रॉरिंग प्रस्ताव लंबित हैं;

(ख) क्या कसाड तहसील में रेलवे क्रॉसिंग प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिलने के कारण अनेक एकड़ भूमि सिंचित नहीं की जा सकी है;

(ग) यदि हां, तो इन प्रस्तावों को मंजूरी देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या पुणे-कोल्हापुर सेक्शन को मध्य रेलवे में मिलाए जाने के कारण दक्षिण-मध्य रेलवे के अधिकारी इस सेक्शन पर समस्याओं का समाधान करने के इच्छुक नहीं हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) दक्षिण मध्य रेल के पुणे-मिरज खंड पर केनाल क्रासिंग के 14 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) मौजूदा नियमों के तहत सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाने पर प्रस्ताव स्वीकृत किए जाते हैं।

(ग) रेलवे ने कैनाल क्रासिंग का एक प्रस्ताव स्वीकृत किया है। कार्य प्रगति पर है। राज्य सरकार के सिंचाई विभाग से क्रासिंगों के विस्तृत अनुमान स्वीकृति के लिए प्राप्त हुए हैं और स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा, सिंचाई विभाग से 2 अन्य प्रस्तावों के विस्तृत अनुमानों की स्वीकृति की प्रतीक्षा है। सिंचाई विभाग से कैनाल क्रासिंगों के 8 प्रस्तावों के ब्यौरे मांगे गए हैं जिनकी प्रतीक्षा है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**ऑटो उद्योग के संबंध में कर प्रणाली**

**5002. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन** : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान कर प्रणाली को ऑटो उद्योग के पूर्ण विकास में बड़ी बाधा के रूप में देखा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो कर प्रणाली संबंधी ब्यौरा क्या है और कर की उच्च दरों के क्या कारण हैं; और

(ग) इस उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) यह उद्योग भारत में अपने क्षेत्र के विकास को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए बढ़ते हुए कर को कम करने तथा मूल्य वर्द्धित कर प्रणाली को लागू करने के पक्ष में प्रयास करती रही है।

(ख) विभिन्न प्रकार के वाहनों पर शुल्क के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(i) उत्पाद शुल्क

| क्र.सं. | मद | शुल्क दर |
|---|---|---|
| 1. | कार तथा बहुपयोगी वाहन (एमयूवी) | 24% |
| 2. | अन्य वाहन | 16% |
| 3. | बस और ट्रक का चेसिस | 16%+10,000/– रु. प्रति चेसिस |
| 4. | अन्य पुर्जे | 16% |

(ii) सीमा शुल्क

| क्र.सं. | मद | शुल्क दर |
|---|---|---|
| 1. | पुरानी कार तथा दोपहिए वाहन | 105% |
| 2. | उपरोक्त पूर्ण निर्मित वाहन (सीबीयू) | 60% |
| 3. | सेमी नोक्ड डाउन (सीकेडो) | 60% |
| 4. | पूर्णतः नोक्ड डाउन (सीकेडो) तथा पुर्जे | 25% |
| 5. | अन्य वाहन | 25% |

उत्पाद तथा सीमा शुल्क के अलावा मामले के अनुसार, भारत में बिक्री किए गए वाहन से पंजीकरण तथा बीमा शुल्क के साथ–साथ केंद्रीय एवं राज्य सरकार का बिक्री कर, स्थानीय कर, पथ कर भी प्राप्त होता है। सीमा शुल्क के मामले में नये तथा पुरानी कारों पर कर देश में पर्याप्त मूल्य वर्द्धन प्रोत्साहन के उद्देश्य से लगाया जाता है। विगत दो वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में वृद्धि दर क्रमशः 12.54% तथा 14.80% है।

(ग) ऑटो उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में किए गए उपायों में मार्च, 2002 में ऑटो नीति की घोषणा करना, कर प्रणाली का धीरे–धीरे युक्तिकरण करना, इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए बजटीय आवंटन को बढ़ाना तथा वर्किंग पार्टी 29 जो हार्मोनाइजेशन ऑफ स्टेंडर्ड (डब्ल्यूपी–29) पर एक यूनाइटेड नेशन का आउटफिट है, में ऑवजर्वर मेंबर के रूप में भारत का प्रवेश शामिल है।

**बिहार में सड़क ऊपरि पुल/रोड अंडरब्रिज संबंधी परियोजनाएं**

**5003. डा मदन प्रसाद जायसवाल : क्या रेल मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में नई/चालू/लंबित ऊपरि पुल/अंडरब्रिज परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान समपारों पर ऊपरि पुलों/अंडर ब्रिज के निर्माण के संबंध में सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे पुलों के निर्माण के लिए कितनी निधियां आवंटित की गई हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) से (घ) बिहार में ऊपरी/निचले सड़क पुलों के 49 चालू और 2 नए पुलों का प्रस्ताव है। बहरहाल, फरवरी, 2002 में राज्य सरकार द्वारा 71 प्रस्ताव प्रायोजित किए गए थे जिनमें से लागत में भागीदारी के आधार पर शुरू करने के लिए एक लाख से अधिक टीवीयू वाले अहंक 28 प्रस्ताव 2002–03 के दौरान पूरक कार्यों में स्वीकृत किए गए थे और 2 कार्य नियमित बजट के दौरान स्वीकृत किए गए थे। ये सभी कार्य योजना और निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्यों के लिए किया गया आवंटन नीचे दिया गया है :

| वर्ष | आबंटन |
|---|---|
| 2001–02 | 11.83 करोड़ रु. |
| 2002–03 | 17.00 करोड़ रु. |
| 2003–04 | 44.71 करोड़ रु. |

*[हिन्दी]*

**उपनगरीय/शहरी परिवहन परियोजना**

**5004. श्री मोहन रावले : क्या रेल मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई के लिए कोई उपनगरीय शहरी परिवहन परियोजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपर्युक्त परियोजना के कब तक शुरू होने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) और (ख) जी, हां। रेल मंत्रालय ने मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना चरण–II (एमयूटीपी) के अंतर्गत शामिल की जाने वाली परियोजनाओं की पहचान की है। एमयूटीपी चरण–II की अनुमानित लागत 3502 करोड़ रुपये है। एमयूटीपी–II के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य शामिल हैं :

| क्र.सं. | परियोजना का नाम |
|---|---|
| 1. | कुर्ला–छत्रपति शिवाजी टर्मिनल (छ.शि.ट.) : 5वीं और 6ठी लाइनें |
| 2. | मुम्बई सेंट्रल–सांताक्रुज–बोरीविली 6ठी लाइन |
| 3. | बांद्रा–कुर्ला : पूर्व पश्चिम संपर्क |
| 4. | दीवा–कल्याण : लाइनों की अतिरिक्त जोड़ी |
| 5. | दीवा–थाणे : लाइनों की अतिरिक्त जोड़ी |
| 6. | थाणे से अंधेरी से गारेगांव तक हार्बर लाइन तक विस्तार |
| 7. | थाणे से छ.शि.ट. तक डीसी से एसी में परिवर्तन |
| 8. | हैडवे में सुधार करने के लिए स्थानीय लाइनों पर एस एण्ड टी अपग्रेड |
| 9. | ईएमयू अनुरक्षण सुविधाएं |
| 10. | ईएमयू के लिए स्टैबलिंग लाइनें |
| 11. | ईएमयू प्रापण/विनिर्माण/रिट्रोफिटमेंट |

मुम्बई रेल विकास निगम को एमयूटीपी चरण–II की लागत का 50 प्रतिशत वहन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार की सहमति प्राप्त करने के लिए कहा गया है। महाराष्ट्र सरकार की 50 प्रतिशत लागत में भागीदारी की सहमति प्राप्त होते ही परियोजना का वित्त पोषण वित्त मंत्रालय के माध्यम से विश्व बैंक द्वारा कराए जाने की योजना है। कार्य शुरू करने की कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

*[हिन्दी]*

**निजी कंपनियों द्वारा रसोई गैस की अपूर्ति**

**5005. श्री रमेश चेन्नितला** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिकतर ग्रामीण लोग निजी रसोई गैस कंपनियों द्वारा आपूर्ति की जा रही रसोई गैस पर निर्भर हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या निजी रसोई गैस कंपनियां समान क्षमता के लिए सरकारी एजेंसियों की तुलना में अधिक शुल्क वसूल करती हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)** : (क) निजी कंपनियों द्वारा पंजीकृत किए गए घरेलू एलपीजी ग्राहकों की संख्या सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) की तुलना में महत्व नहीं रखती।

(ख) और (ग) ओएमसीज द्वारा विपणन की गई घरेलू एलपीजी के लिए राजसहायता प्रदान की जाती है।

**अ.जा./अ.ज.जा., शारीरिक रूप से नि:शक्त तथा अ.पि.व. के लिए समाज कल्याण योजना**

**5006. मोहम्मद अनवारूल हक :**
**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अ.जा/अ.ज.जा. शारीरिक रूप से नि:शक्त और अन्य पिछड़े लोगों के कल्याण के लिए चलाई गई योजनाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार की प्रचार पद्धति को अपनाया जा रहा है;

(ख) क्या योजनाओं का विशेषकर साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रमों और जिंगल्स/स्पोट्र्स के माध्यम से पर्याप्त प्रचार किया जा रहा है ताकि उस संबंध में अशिक्षित लाभार्थियों के बीच जागरूकता उत्पन्न की जा सके; और

(ग) वर्तमान में प्रसारित किए जा रहे और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रसारण हेतु निर्धारित रेडियो प्रायोजित कार्यक्रमों, जिंगल्स, स्पोट्र्स आदि का ब्यौरा क्या है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजय पासवान)** : (क) से (ग) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अपनी सभी योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति पूरे देश में सामाजिक जागरूकता लाने के लिए मीडिया

के विभिन्न रूपों अर्थात इलैक्ट्रानिक मीडिया, समाचार पत्रों, आउटडोर मीडिया पारंपरिक लोक और इंटरपर्सनल मीडिया के भी माध्यम से इनका प्रचार कर रहा है।

मंत्रालय की योजनाओं का विज्ञापनों, मुद्रित प्रचार सामग्री, होर्डिंग्स, किओस्क, बस पैनलों, डांस और ड्रामा शो, इंटरपर्सनल संचार सत्रों और अलग-अलग समय पर प्रसारित रेडियो जिंगल्स और स्पॉट्स और पूर्वोत्तर राज्यों में साप्ताहिक प्रायोजित रेडियो कार्यक्रम "संवरती जाएं, जीवन की राहें" के प्रसारण द्वारा व्यापक तौर पर प्रचार किया जाता है।

*[हिन्दी]*

**सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना**

**5007. श्री वाई. जी. महाजन** : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कितने सोलर फोटोवोल्टाइक पावर संयंत्र स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है और इन्हें किन राज्यों में स्थापित किया जाना है;

(ख) इन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा कितनी राशि व्यय की गई है;

(ग) इनमें से कितने ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण कर लिया गया है अथवा निर्माण पूरा होने वाला है; और

(घ) शेष ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन)** : (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों अर्थात 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के दौरान मंत्रालय द्वारा मंजूर किए गए सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्रों का राज्यवार विवरण, मंत्रालय द्वारा जारी की गई निधियां और परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति को संलग्न विवरण में दिया गया है।

**विवरण**

*वर्ष 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के दौरान मंजूर किए गए सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्रों का राज्यवार विवरण, जारी की गई निधियां और परियोजनाओं की कार्यान्वयन स्थिति*

**2000-01**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | स्थान | सं. एवं क्षमता (किवा.पी.) | | रिलीज गई निधियां | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | सं | केडब्ल्यूपी | (लाख रु. में) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | अरुणाचल प्रदेश | कंबांग गांव<br>पश्चिम सियांग जिला<br>न्यू एलोप गांव<br>बुलांग वैली जिला<br>न्यू अलोनी गांव<br>दुलांग वैली जिला | 3 | .50, 2.50 एवं 2.20 | 31.65 | स्थापित और आरंभ की गई |
| 2. | असम | उमानंद द्वीप गुवाहाटी, जवाहर नवोदय विद्यालय एवं हॉस्टल सोनितपुर जिला | 3 | 3x1.50 | 3.94 | स्थापित और आरंभ की गई |
| 3. | दिल्ली | तलवार रिसर्च फाउंडेशन दिल्ली | 1 | 10 | 17.25 | स्थापित और आरंभ की गई |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | कर्नाटक | कर्नाटक में 5 स्थानों पर पूर्ण प्रजना स्कूल | 5 | 5x1.184 | 11.84 | स्थापित और आरंभ की गई |
| 5. | केरल | इदुक्की में 11 दूरदराज की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कॉलोनियां, एमपीएम, पालक्कड टीसीआर, तिरूअनंतपुरम जिला | 11 | 40.04 कुल | 81.18 | स्थापित और आरंभ की गई |
| 6. | मेघालय | दक्षिण गारो पहाड़ियां, पूर्व गारो पहाड़ियां, पश्चिम गारो पहाड़ियां रि–भोई जयंतिया पहाडियां, पश्चिमी खासी पहाड़ियां, पूर्व खासी पहाड़ी जिलों में 14 जनजातीय एवं दूरदराज के गांव | 14 | 35.5 कुल | 10.10 | 14 संयंत्रों को मंजूरी दी गई, केवल एक संयंत्र स्थापित किया गया, अन्य संयंत्रों को स्थापित नहीं किया जाना |
| 7. | मिजोरम | सिविल हॉस्पीटल, आइजोल डि–ऐडिक्शन–कम रिहैबीलिटेशन सेंटर, सिलोम सेंटर टीएनटी कलवारी हॉस्पीटल जुवांगतुई; मैटरनिटी सेंटर कुलीकवान | 4 | 4x25 | 130.60 | जून 2003 तथा स्थापित किए जाने की संभावना है |
| 8. | पंजाब | गांव खटकरकलां जिला नवाशहर | 1 | 200 | 288.75 | स्थापित और आरंभ की गई |
| 9. | राजस्थान | राज्य सचिवालय भवन, जयपुर | 1 | 25 | 46.67 | स्थापित और आरंभ की गई |
| | | न्यू राजस्थान विधान भवन जयपुर | 1 | 25 | 46.67 | स्थापित और आरंभ की गई |
| 10. | लक्षद्वीप द्वीपसमूह | बित्रा द्वीप | – | 25 क्षमता संयोजन | 64.00 | जून 2003 तक स्थापित किए जाने की संभावना है |
| | | बंगाराम द्वीप | – | 40 क्षमता संयोजन | | |
| | | अगाती द्वीप | 1 | 100 | 930.74 | स्थापित और आरंभ की गई |
| | | अमिनी द्वीप | 1 | 100 | | दिसंबर 2003 तक स्थापित किए जाने की संभावना है |
| | | अंद्रोत द्वीप | 1 | 100 | | स्थापित और आरंभ की गई |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | चेतलत द्वीप | 1 | 100 | | दिसंबर 2003 तक स्थापित किए जाने की संभावना है |
| | | कडमात द्वीप | 1 | 150 | | स्थापित और आरंभ की गई |
| | | कालपेनी द्वीप | 1 | 100 | | दिसंबर 2003 तक स्थापित किए जाने की संभावना है |
| | | कावारत्ती द्वीप | 1 | 100 | | स्थापित और आरंभ की गई |

**2001-02**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | स्थान | सं. एवं क्षमता (किवा.पी.) | | रिलीज गई निधियां | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | सं | केडब्ल्यूपी | (लाख रु. में) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | छत्तीसगढ़ | 30 गांवों का विद्युतीकरण | 30 | 76.65 | 71.00 | स्थापित और आरंभ की गई |
| 2. | दिल्ली | विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, नई दिल्ली | 1 | 10 | – | दिसंबर 2003 तक स्थापित किए जाने की संभावना है |
| 3. | हरियाणा | गुड़गांव में ब्रह्मकुमारी आश्रम का ओम शांति काम्प्लैक्स | 1 | 200 | – | दिसंबर 2003 तक स्थापित किए जाने की संभावना है |
| 4. | सिक्किम | (1) सिंगाताम जिला हॉस्पीटल<br>(2) एसटीडी भवन, गंगटोक | 2 | 5.7<br>9.0 | 25.00 | जून 2003 तक स्थापित किए जाने की संभावना है |
| 5. | त्रिपुरा | त्रिपुरा में 10 गांवों का विद्युतीकरण | 10 | 36 | 64.00 | दिसंबर 2003 तक स्थापित किए जाने की संभावना है |
| 6. | उत्तर प्रदेश | उत्तर प्रदेश में 14 गांवों का विद्युतीकरण | 14 | 220 | 199.40 | दिसंबर 2003 तक स्थापित किए जाने की संभावना है |
| | | ताजमहल काम्प्लेक्स (एएसआई लैब), आगरा | 1 | 30 | 54.00 | स्थापित और आरंभ की गई |
| 7. | पश्चिम बंगाल | मौसानी द्वीप, सुदरबन (फेज–II) | 1 | 110 | 82.60 | स्थापित और आरंभ की गई |
| | | सुंदरबन में ब्रजबल्लभपुर और इंदापुर गांव | 2 | 200 (2x100) | 150.00 | दिसंबर 2003 तक स्थापित किए जाने की संभावना है |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह | हैवलोक द्वीप | 2 | 100 (2x50) | 71.11 | एक 50 किवा. पी. विद्युत संयंत्र को दिसंबर, 2003 तक स्थापित किए जाने की संभावना है |

**2002-03**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | स्थान | सं. एवं क्षमता (किवा.पी.) | | रिलीज गई निधियां | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | सं | केडब्ल्यूपी | (लाख रु. में) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | आदिलाबाद जिले में 14 गांवों का विद्युतीकरण | 14 | 119 | 108.50 | मार्च, 2004 तक स्थापित किए जाने की संभावना है |
| 2. | छत्तीसगढ़ | छत्तीसगढ़ में 200 गांवों का विद्युतीकरण | 200 | 630.45 | 568.00 | मार्च, 2004 तक स्थापित किए जाने की संभावना है |
| 3. | हरियाणा | शक्ति भवन पंचकुला | 1 | 25 | 5.00 | दिसंबर, 2003 तक स्थापित किए जाने की संभावना है |
| | | पंचकुला जिले में धानी | 1 | 2 | 1.90 | मार्च, 2004 तक स्थापित किए जाने की संभावना है |
| 4. | जम्मू एवं कश्मीर | लेह जिले में दुरबुक ब्लॉक | 2 | 80 (2x40) | 72.00 | मार्च, 2004 तक स्थापित किए जाने की संभावना है |
| 5. | कर्नाटक | केआरईडीएल बिल्डिंग बंगलौर | 1 | 10.45 | 9.45 | जुलाई, 2003 तक स्थापित किए जाने की संभावना है |
| 6. | मध्य प्रदेश | इंदौर में एक गांव का विद्युतीकरण | 1 | 5.00 | 4.60 | दिसंबर, 2003 तक स्थापित किए जाने की संभावना है |
| 7. | मेघालय | मेघालय में 23 गांवों का विद्युतीकरण | 23 | 183 | 322.55 | मार्च, 2004 तक स्थापित किए जाने की संभावना है |
| 8. | राजस्थान | गांव–गोरिर जिला–झुंझुनू | 1 | 100 | 19.00 | मार्च, 2004 तक स्थापित किए जाने की संभावना है |
| 9. | तमिलनाडु | पीएमसीटीडब्ल्यू तंजावूर | 1 | 4.05 | 3.00 | दिसंबर, 2003 तक स्थापित किए जाने की संभावना है |
| 10. | उत्तर प्रदेश | आईआरईपी परीक्षण केंद्र लखनऊ | 1 | 25 | 5.00 | जनवरी, 2004 तक स्थापित किए जाने की संभावना है |
| | | आईआईटी, कानपुर | 1 | 3.00 | 3.76 | सितम्बर, 2003 तक स्थापित किए जाने की संभावना है |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | उत्तरांचल | विधान भवन देहरादून | 1 | 25 | 5.00 | मार्च, 2004 तक स्थापित किए जाने की संभावना है |
| | | सचिवालय देहरादून | 1 | 25 | 5.00 | मार्च, 2004 तक स्थापित किए जाने की संभावना है |
| 12. | पश्चिम बंगाल | बंकुरा जिले में बारिकुल ग्राम पंचायत | 1 | 5.00 | – | जून, 2003 तक स्थापित किए जाने की संभावना है |
| 13. | चंडीगढ़ | एस एंड टी बिल्डिंग चंडीगढ़ | 1 | 25 | 5.00 | मार्च, 2004 तक स्थापित किए जाने की संभावना है |
| 14. | पांडिचेरी | एल.जी. सचिवालय पांडिचेरी | 1 | 25 | 5.00 | मार्च, 2004 तक स्थापित किए जाने की संभावना है |

इसके अतिरिक्त प्रत्येक 2.5 किवा. पी. की एसपीवी क्षमता के 10 विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए एक परियोजना गैर–सरकारी संगठन अर्थात सोसल वर्क एंड रिसर्च सैंटर, तिलोनिया, राजस्थान को विभिन्न राज्यों में उनकी क्षेत्रीय कार्यशालाओं में स्थापना के लिए स्वीकृत की गई है। मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए पहले ही 29.62 लाख रु. एसडब्ल्यू आरसी को जारी किए हैं। विद्युत संयंत्रों को दिसंबर, 2003 तक स्थापित और प्रारंभ किया जाना है।

**बिहार में अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में जातियों को शामिल करना**

**5008. श्री राजो सिंह** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में अन्य पिछड़ा वर्गों में किन जातियों को शामिल किया गया है;

(ख) क्या कुछ जातियों ने भी स्वयं को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किए जाने के संबंध में आवेदन दिया है;

(ग) अन्य पिछड़ा वर्गों की सूची में अन्य जातियों को शामिल करने संबंधी नियमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केंद्र सरकार का प्रस्ताव उन जातियों को अन्य पिछड़ा वर्गों की सूची में शामिल करने का है जिन्हें अन्य राज्यों द्वारा अन्य पिछड़ा वर्गों की सूची में शामिल किया गया है;

(ङ) इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा कब तक कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान)** : (क) नागर समुदाय को (मैथिली ब्राह्मणों तथा अन्य राज्यों के प्रवासी नागरों (बनियों) को छोड़कर) दिनांक 04.04.2000 की राजपत्र अधिसूचना सं.–71 के द्वारा बिहार के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में शामिल किया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्गों की केंद्रीय सूचियों में किसी जाति/समुदाय को शामिल करने के अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं जिसमें पिछड़ेपन के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पहलुओं के मानदंड शामिल हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) चूंकि प्रत्येक जाति/समुदाय की स्थिति अलग–अलग राज्य में भिन्न है, इसलिए अन्य राज्यों द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में समावेश के आधार पर अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में किसी जाति/समुदाय को शामिल करना संभव नहीं है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 की धारा 9(1)

के तहत प्रावधान के अनुसार, आयोग इस संबंध में आयोग द्वारा तैयार दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूचियों में किसी जाति/समुदाय को शामिल करने के अभ्यावेदनों पर स्वतंत्र रूप से जांच करता है तथा शामिल करने या अन्यथा के लिए अपना विचार रखता है। इसलिए अन्य पिछड़े वर्गों की राज्य सूचियों में शामिल जाति/समुदाय अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूचियों में आवश्यक रूप से स्थान नहीं पा सकते।

*[अनुवाद]*

**रेल समय सारणी/समाचार-पत्रों के लिए व्यवस्था**

**5009. श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर, नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर यात्रियों की सुविधा के लिए रात्रि के दौरान अर्थात 2200 बजे से 0005 बजे तक रेल समय सारणी, समाचार पत्र, पुस्तकें आदि की उपलब्धता के लिए व्यवस्था करने हेतु वर्तमान बुकस्टाल ठेकेदार को कोई निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) और (ख) बुक स्टाल ठेकेदारों को उनके साथ किए गए समझौते के अनुसार चौबीसों घंटे समाचार पत्र/रेलवे समय, सारणी, पुस्तक आदि बेचना अपेक्षित होता है।

**बुकस्टालों का ठेका**

**5010. मोहम्मद शहाबुद्दीन :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रेलवे स्टेशनों के नाम क्या हैं जहां बुकस्टालों ने ठेके ए.एच. व्हीलर एंड कम्पनी और हिग्गीन बोथम्स लिमिटेड, सर्व सेवा संघ प्रकाशन और गीता प्रेस, गोरखपुर के पास हैं; और

(ख) तत्संबंधी स्टेशनवार ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय)** : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**रक्षा बलों के संबंध में अमरीकी रिपोर्ट**

**5011. डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :**
**श्री राम मोहन गाड्डे :**
**श्री ए. वेंकटेश नायक :**

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने अपनी नवीनतम विश्व मानवाधिकार रिपोर्ट में भारतीय सुरक्षा बलों पर जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर में उग्रवाद का मुकाबला करते हुए ताकत के अधिक प्रयोग का आरोप लगाया है जैसा कि 2 अप्रैल, 2003 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है और हमारे देश के संबंध में उसमें क्या अन्य मुद्दे उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार उक्त रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों से सहमत हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त)** : (क) जी, हां।

(ख) इस रिपोर्ट में जम्मू-कश्मीर तथा पूर्वोत्तर में सुरक्षा बलों द्वारा हिरासत में मृत्यु, नकली मुठभेड़, यातना, अपहरण, बलात्कार तथा मनमाने ढंग से बंदी बनाए जाने का आरोप लगाया गया है। इस रिपोर्ट में इन क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की जवाबदेही न होने का भी आरोप लगाया गया है।

(ग) सरकार इस रिपोर्ट को अमरीकी कांग्रेस द्वारा अधिदेशित अमरीकी प्रशासन की आंतरिक कवायद मानती है। सरकार इस प्रकार की सभी हस्तक्षेप करने वाली रिपोर्टों तथा इसमें उल्लिखित आकलनों को खारिज करती है।

(घ) भारत सरकार अमरीकी सरकार को जम्मू-कश्मीर तथा पूर्वोत्तर में आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के दौरान ज्यादतियों को रोकने के लिए मौजूद व्यापक संवैधानिक, न्यायिक तथा वैधानिक सुरक्षा उपचयों के बारे में समय-समय पर अवगत कराती रहती है।

**पेट्रोलियम फेडरेशन ऑफ इंडिया को मान्यता**

**5012. श्री चन्दनाथ सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोलियम फेडरेशन ऑफ इंडिया को सरकार द्वारा किस प्रकार की मान्यता प्रदान की गई है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार अथवा सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों को पेट्रोलियम फेडेरशन ऑफ इंडिया में सेवा करने की अनुमति प्रदान की गई है?

(ग) यदि हां, तो क्या इन अधिकारियों को पेट्रोलियम फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यालय में सेवा प्रदान करने से पहले अपने नियोक्ताओं से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना अपेक्षित है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)** : (क) पेट्रोलियम फेडरेशन ऑफ इंडिया (पेट्रोफेड) सोसायटी अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत एक स्वैछिक 'अलाभ' निकाय है, जिसकी स्थापना कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित मुख्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोलियम उद्योग के हित को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।

(ख) और (ग) पेट्रोफेड आवश्यकता होने पर अवैतनिक क्षमता में अंशकालिक आधार केन्द्रीय सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अधिकारियों की विशेषज्ञ सेवाएं संबंधित नियोक्ताओं के पूर्व अनुमोदन से प्राप्त करती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

---

**मध्याह्न 12.00 बजे**

*[हिन्दी]*

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया)** : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अनुसूचति जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 21 की उपधारा (4) के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के वर्ष 2001 के कार्यकरण के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7408/2003]

*[अनुवाद]*

**रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार)** : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 की धारा 2 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 731 (अ) जो 12 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय केन्द्रीय सरकार की सभी शक्तियां और कृत्य रेलवे बोर्ड में निहित किया जाना है।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा–पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7409/2003]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय रेल खान–पान और पर्यटन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2001–2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(5) भारतीय रेल वित्त निगम और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2003–2004 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7410/2003]

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) मार्च, 2002 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2003 की संख्या 1)-सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-लेखाओं की समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7411/2003]

(दो) मार्च, 2002 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2003 की संख्या 2)-सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-लेखाओं की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7412/2003]

(तीन) मार्च, 2002 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2003 की संख्या 3)-सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-लेखाओं की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7413/2003]

(चार) मार्च, 2002 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2003 की संख्या 4)-सरकारी क्षेत्र के चुनिंदा उपक्रमों के कुछ कार्यकलापों की समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7414/2003]

(2) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारत यंत्र निगम लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियों के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत यंत्र निगम लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियों का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7415/2003]

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन)** : अध्यक्ष महोदय, मै. इंडियन रिन्युएबल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के बीच 2003-2004 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7416/2003]

*[हिन्दी]*

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)** : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7417/2003]

(दो) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7418/2003]

(तीन) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

के बीच वर्ष 2003–2004 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7419/2003]

(चार) गेल (इंडिया) तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2003–2004 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7420/2003]

(पांच) बामेर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2003–2004 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7421/2003]

(2) तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 की धारा 10 के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (संशोधन) नियम, 2003 जो 1 अप्रैल, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 295 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7422/2003]

---

**अपराह्न 12.03 बजे**

*[अनुवाद]*

## राज्य सभा से संदेश

**महासचिव** : अध्यक्ष महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(1) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमों के नियम 186 के उप–नियम (6) के उप–नियम (8) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (रेल) संख्यांक–3 विधेयक, 2003 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 21 अप्रैल, 2003 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(2) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 23 अप्रैल, 2003 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 8 अप्रैल, 2003 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए राष्ट्र–गौरव अपमान–निवारण (संशोधन) विधेयक, 2003 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

---

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मद संख्या 8, प्राक्कलन समिति के पंद्रहवें प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया जाना।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु–उपस्थित नहीं।

श्री एन. एन. कृष्णदास–उपस्थित नहीं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर भी चर्चा होनी है। लेकिन उससे पहले श्री राम विलास पासवान द्वारा दी गई विशेषाधिकार सूचना पर चर्चा करेंगे।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : हम नियमों के अनुसार कार्य कर रहे हैं।

---

**अपराह्न 12.04 बजे**

*[हिन्दी]*

## अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

### विशेषाधिकार का प्रश्न

**श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर)** : अध्यक्ष महोदय, मैंने आज से करीब 10–15 दिन पहले आपको गुजरात के स्टेट होम मिनिस्टर के खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया था। इस संबंध में मेरे पास पूरी फाइल है। मैंने पार्लियामेंट के भी सारे कागजात मंगवा लिए हैं। मैंने आपको लिखकर दिया है कि मेरे द्वारा पार्लियामेंट में कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठाया गया जिस प्रश्न में हमने यह कहा हो कि क्रिश्चियन्स लोगों का सर्वे करवाया जाए। लेकिन राज्य सरकार जिनकी नियत साफ नहीं है, वहां के होम मिनिस्टर बार–बार कहते हैं कि मेरे प्रश्न के जवाब में सर्वे कराया है। वे सर्वे करवा रहे हैं। उस सर्वे से जो अकलियत के लोग हैं, क्रिश्चियन्स लोग हैं, वे तबाह हो रहे हैं। मेरे पास इस संबंध में पूरी फाइल है। उसमें एक बार नहीं सौ बार कहा है कि श्री राम विलास

पासवान ने पार्लियामेंट में प्रश्न किया है इसलिए हम यह सर्वे करवा रहे हैं। मेरे पास कोर्ट का एफीडेविट है। गुजरात सरकार ने 5 अप्रैल को कोर्ट में एक एफीडेविट दिया था। उस एफीडेविट में उन्होंने कहा था कि :

*[अनुवाद]*

"श्री राम विलास पासवान ने राज्य सरकार की राय जाननी चाही थी..."

*[हिन्दी]*

इसलिए मैंने आपसे आग्रह किया था। आपने सदन को कहा था कि हम इस संबंध में राज्य सरकार से फैक्ट्स मंगवा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वे फैक्ट्स आए हैं या नहीं? राज्य सरकार को किसी भी मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट को मेलाईन करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हम स्टेट असेम्बली में जाकर अपना पक्ष नहीं रख सकते हैं। वहां के होम मिनिस्टर ने बार-बार कहा है। मैं कहना चाहता हूं कि किसी मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट की जो सेक्युलर क्रेडिबिलिटी है, उसके ऊपर प्रश्न उठाना उसे मेलाईन करना है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस पर अपनी रूलिंग दीजिए जिससे जनता के सामने हमारी इमेज साफ रहे। यदि हमने कोई क्वैश्चन किया है तो हम दोषी हैं लेकिन यदि हमने क्वैश्चन नहीं किया है तो फिर राज्य सरकार के मंत्री के खिलाफ आप प्रिविलेज मोशन का मामला बनाइए।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस विषय पर रूलिंग दे रहा हूं।

"मुझे गुजरात सरकार के गृह मंत्री द्वारा आपके विरुद्ध प्रैस में दिए गए तथाकथित गुमराह करने वाले वक्तव्य के संबंध में, आपकी दिनांक 7 और 24 अप्रैल, 2003 की विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

जैसा कि सदन को ज्ञात है, गुजरात के गृह मंत्री, जिनके विरुद्ध विशेषाधिकार प्रश्न की सूचनाएं दी गई हैं, गुजरात विधान सभा के सदस्य हैं।

यह सुस्थापित परम्परा है कि एक सदन, दूसरे सदन के किसी सदस्य पर अपने अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।

कौल और शकधर के अनुसर, '....जब संसद के किसी सदस्य द्वारा राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य के विरुद्ध अथवा राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा संसद के किसी सदस्य अथवा दूसरे राज्य के विधानमंडल के सदस्य के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग अथवा अवमानना की जाती है, तो इस संबंध में परिपाटी यह है कि जब किसी सभा में विशेषाधिकार भंग अथवा अवमानना का ऐसा प्रश्न उठाया जाता है, जिसमें दूसरी सभा का सदस्य अन्तर्ग्रस्त होता है, तो पीठासीन अधिकारी ऐसे मामले को उस विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी के पास भेज देता है जिसका वह सदस्य होता है तथा वह मामले का निपटान उसी प्रकार से करता है जैसे कि वह उसी सभा के सदस्य के विशेषाधिकार भंग का मामला हो।'

तदनुसार, मैंने इस मामले को गुजरात विधान सभा के माननीय अध्यक्ष को समुचित कार्यवाही के लिए भेज दिया है और उनसे, इस संबंध में की गई कार्यवाही से हमें सूचित करने के लिए भी कहा है।"

*(व्यवधान)*

अब हम बसुदेव आचार्य के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.)** : अध्यक्ष महोदय, मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज)** : महोदय, स्थगन प्रस्ताव का मामला भी है...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद)** : अध्यक्ष महोदय, एच.पी.सी.एल., बी.पी.सी.एल. आदि का मामला बहुत गंभीर है ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : उस पर हम 'शून्यकाल' के दौरान चर्चा करेंगे।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया मेरी बात सुनें।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : हमारा जो प्रोसीजर है, मैं उस प्रोसीजर के मुताबिक काम कर रहा हूं, मैं प्रोसीजर के बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहता। आप सब लोग जानते हैं कि...

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप प्लीज बैठिए।

**श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज)** : अध्यक्ष महोदय, हमने प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री रघुनाथ जी, आपका विशेषाधिकार का नोटिस अध्यक्ष के विचाराधीन है, और जो भी तिथि मैं तय करूंगा आपको तब बोलने की अनुमति होगी।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : इसलिए मैं चाहता हूं कि जीरो आवर में आप अपने प्रश्न जरूर उठाइए लेकिन जीरो आवर से पहले हम कालिंग अटैंशन लेते हैं। कालिंग अटैंशन नोटिस होने के बाद जीरो आवर शुरू हो जाएगा।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : आपका विषय पीठासीन अधिकारी के विचाराधीन है, श्री रघुनाथ झा।

**श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर)** : महोदय, जिस मंत्री ने यह वक्तव्य दिया है उसने यह वक्तव्य गुजरात विधान सभा के सदस्य के रूप में नहीं दिया है। सभा से बाहर अगर कोई व्यक्ति वक्तव्य देता है तो इस सभा के प्रति उत्तर देना भी उसका उत्तरदायित्व होना चाहिए।

अगर मंत्री, सदस्य, इस सभा की प्रतिष्ठा को धक्का पहुचाएंगे, पीठासीन आधिकारी या सदन के सदस्यों की मान मर्यादा कम करेंगे तो महोदय कठिनाई हो जाएगी।

अगर उन्होंने उस सदन में कोई वक्तव्य दिया था और अगर श्री राम विलासव पासवान जी ने उस पर कोई आपत्ति जताई थी तो ठीक है। लेकिन उन्होंने वक्तव्य सदन के बाहर दिया है और वे मंत्री हैं।

हम उन्हें उस विधान सभा के सदस्य के रूप में यहां बुलाना नहीं चाहते। हम उन्हें एक व्यक्ति के रूप में यहां बुलाना चाहते हैं, जिसने सदन के सदस्य की बात को तोड़-मरोड़ कर और लोगों को गलत जानकारी देकर सदस्य की प्रतिष्ठा के विरुद्ध वक्तव्य दिया है।

मैं यही कहना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री शिवराज पाटील ने जो कहा है, मैंने उसको बड़े ध्यान से सुना है। व्यक्तिगत तौर पर मैं चाहता हूं कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जो मैं जरूर दूंगा।

मैंने पूर्वनिर्णयों का अध्ययन किया है। अगर सदन के बाहर भी वक्तव्य दिया जाता है तो उस सदन की जिम्मेवारी होती है कि विशेषाधिकार के प्रश्न को देखें। मैं केवल पूर्वनिर्णयों की बात कर रहा हूं। चूंकि आपने इस विषय को उठाया है, मैं इस पर पुनः विचार करूंगा।

ध्यानार्कषण प्रस्ताव पर अब श्री बसुदेव आचार्य बोलेंगे...

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री रघुनाथ झा** : अध्यक्ष महोदय, हमारे मामले का क्या हुआ?...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने आपसे पहले कहा लेकिन अब मैं हिन्दी में कहूंगा। आपने जो नोटिस दिया था, उसके बारे में हम सोच रहे हैं और जिस दिन मैं तय करूंगा, उस दिन आप बोल सकते हैं।

**कुंवर अखिलेश सिंह** : मान्यवर, एक मिनट इनकी बात सुन लीजिए। यह गंभीर मामला है।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप सभी की ऐडवोकेसी मत कीजिए। आप बैठिए।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : आप उनके अधिवक्ता नियुक्त नहीं किए गए हैं। आप कृपया अपना आसन ग्रहण कीजिए।

*(व्यवधान)*

---

**अपराह्न 12.09 बजे**

*[अनुवाद]*

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

### एमएमटीसी द्वारा एमआईसीए डिवीजन के 350 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी किए जाने के निर्णय से उत्पन्न स्थिति

**श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा)** : महोदय, मैं वाणिज्य और उद्योग मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें।

"एमएमटीसी द्वारा एमआईसीए डिवीजन के 350 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी किए जाने के निर्णय से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में।"

***विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) ने खनिज और धातु व्यापार निगम (एमएमटीसी) के पूर्ण स्वामित्वाधीन एक सहायक कंपनी मै. माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन लि. (एमआईटीसीओ) के लिए पुनरुद्धार–सह–एकीकरण/विलय की एक स्कीम दिनांक 8.4.1996 को स्वीकृत की थी। बाद में उनके दिनांक 21 अप्रैल, 1997 के आदेश द्वारा एमआईटीसीओ का एमएमटीसी के साथ विलय कर दिया गया था और यह दिनांक 1.4.1994 के पूर्वप्रभाव से इसका एक प्रभाग बन गया था।

एमएमटीसी ने बीआईएफआर द्वारा निर्णीत एमआईटीसीओ के पुनरुद्धार पैकेज को उचित गंभीरता के साथ कार्यान्वित किया है। अलाभकारी कार्यालयों को बन्द करने, भण्डार सूची के माल का निपटान करने, राष्ट्रीय नवीकरण निधि (एनआरएफ) से सहायता प्राप्त करने, भारतीय स्टेट बैंक (एबीआई) को कार्यशील पूंजी ऋण का वापस भुगतान करने, एमएमटीसी को भूमि का हस्तांतरण करने, एमएमटीसी द्वारा एमआईटीसीओ के शेयरों के जरिए किए गए निवेश का समायोजन करने और बीआईएफआर द्वारा अनुशंति रूप रेखाओं पर प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने के लिए कार्यवाही की गई है। वस्तुतः बीआईएफआर ने वर्ष 1997–98 तक अभ्रक (माइका) स्क्रैप के सरणीकरण को जारी रखने की सिफारिश की थी परन्तु यह काफी देर बाद (मार्च 2002) तक जारी रहा। इन सभी कार्यों के बावजूद अभ्रक प्रभाग (तत्कालीन एमआईटीसीओ) की वित्तीय स्थिति बहुत अधिक खराब हो गई है। अभ्रक प्रभाग के घाटे वर्ष 1999–2000 में लगभग 43 लाख से बढ़कर वर्ष 2001–2002 के दौरान 3 करोड़ से अधिक हो गए हैं। पिछले वर्ष (2002–2003) का असंपरीक्षित घाटा लगभग 4 करोड़ रुपए है।

अभ्रक प्रभाग का बिक्री कारोबार वर्ष 1999–2000 में लगभगब 13 करोड़ रुपए से घटकर वर्ष 2001–2002 में लगभग 3 करोड़ रुपए और वर्ष 2002–2003 में 22 लाख रुपए रह गया है। इसके कारण निम्नलिखित है :

(क) दिनांक 1 अप्रैल, 2002 से अभ्रक स्क्रैप के निर्यात का असरणीकरण किया जाना। यह नोट किया जाए कि वर्ष 1999–2000 में 13 करोड़ रुपए के बिक्री कारोबार में से 12.7 करोड़ केवल अभ्रक स्क्रैप के सरणीकृत निर्यात के हिस्से के थे।

(ख) अभ्रक प्रभाग के उत्पाद अब लागत के रूप में प्रतिस्पर्धी नहीं हो रहे हैं और सस्ते प्रतिस्थापकों के उपलब्ध होने के कारण लुप्तप्राय हो गए हैं। उदहारण के तौर पर माइकानाइट (सिलिकॉन बांडेड रेजिन की परत चढ़ाया हुआ माइका पत्रक) के स्थान पर सस्ता सिरामिक प्रतिस्थापक आ गया है।

बीआरएफआर ने भी एमएमटीसी को 1.1.1996 की स्थिति के अनुसार तत्कालीन एमआईटीसीओ की जनशक्ति को 531 से घटाकर 220 करने की आवश्यकता जताई थी। एमएमटीसी ने अनेक बार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की पेशकश की थी, लेकिन जनशक्ति को वर्तमान 377 की संख्या से कम नहीं किया जा सका।

एमएमटीसी ने सर्वप्रथम 2002 के आरंभ में संयंत्र और मशीनों को पट्टे पर देने के प्रयास किए थे, किन्तु इसके लिए 15 लाख रुपए प्रति वर्ष की कवेल एक पेशकश प्राप्त हुई थी जिसे कम होने के कारण अस्वीकार कर दिया था। तत्पश्चात, मई, 2002 में इस संयंत्र की सीधी बिक्री हेतु विज्ञापन दिया गया था। इसके लिए तीन बोलियां प्राप्त हुई थीं जिनमें हुडको द्वारा किए गए 10.55 करोड़ रुपए के मूल्यांकन की तुलना में सर्वाधिक बोली 1.5 करोड़ रुपए की थी। इसे अस्वीकार कर दिया गया और सितम्बर, 2002 में एक अन्य निविदा जारी की गई थी। दो बोलियां प्राप्त हुईं जिनमें से अधिक बोली 2.75 करोड़ रुपए की थी। तत्पश्चात दिसम्बर, 2002 में एक

*[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 7423/2003]

[श्री अरूण जेटली]

और निविदा जारी की गई और दो बोलियां प्राप्त हुईं। सर्वाधिक बोली 3 करोड़ रुपए की थी।

एमएमटीसी बोर्ड ने 28, जनवरी, 2003 को इस मामले पर विचार किया। उपर्युक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इसके पुनरुद्धार पर खर्च किए गए समस्त धन के बावजूद यह प्रभाग वाणिज्यिक रूप से कार्यक्षम नहीं है। बोर्ड ने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत उचित सरकार को इसे बन्द किए जाने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। 9 अप्रैल, 2003 को श्रम सचिव को एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें एमएमटीसी के अभ्रक प्रभाग को बन्द करने की अनुमति मांगी गई थी। जिन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की जानी थीं उनकी संख्या आवेदन में 327 दर्शाई गई थी, क्योंकि 50 अधिकारी इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। यह उल्लेख किया जा सकता है कि बीआईएफआर के दिनांक 8.4.96 के आदेश के अनुबंध–I के पैरा–6 पुनरुद्धार स्कीम में तत्कालीन एमआईटीसीओ के कर्मचारियों की छंटनी किए जाने के लिए प्रतिबाधक नहीं है। इस तथ्य का उन्हीं माननीय सदस्य द्वारा पूछे एक अल्पकालिक सूचना (शार्ट नोटिस) प्रश्न सं. 2 के 17 मई, 2002 को दिए गए उत्तर में भी खुलासा किया गया था।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री बसुदेव आचार्य, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी बात संक्षेप में रखें।

**श्री बसुदेव आचार्य** : हां, महोदय, मैं संक्षेप में ही बात रखूंगा। यह 327 श्रमिकों की रोजी–रोटी और जीवन से जुड़ा मामला है।

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज)** : महोदय, जब श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने इस इकाई के विकास के लिए विशेष धनराशि उपलब्ध कराई थी। तब यह इकाई लाभ अर्जित करती थी और अपने उत्पाद को बड़े पैमाने पर जापान को निर्यात करती थी। लेकिन अब इसकी यह दशा हो गई है।

**श्री बसुदेव आचार्य** : यह इस सरकार का श्रमिक वर्ग के विरुद्ध निर्णय लेने का एक और उदहारण है।

1997 से पहले, एमआईटीसीओ (मिटको) एमएमटीसी की एक सहायक कंपनी थी। 1993 में यह रुग्ण इकाइयों की श्रेणी में आ गई और इस मामले को बीआईएफआर के पास भेज दिया गया। तब बीआईएफआर ने इसे एमएमटीसी के साथ विलय करने का आदेश दिया। 1997 में एमआईटीसीओ का एमएमटीसी के साथ विलय कर दिया गया और यह उसके एक प्रभाग के रूप में कार्य करने लगी।

महोदय, एमएमटीसी के कई प्रभाग हैं। एमआईसीए, एमएमटीसी के प्रभागों में से एक है। यह कोई अलग कंपनी नहीं है। यह भी सच है कि बीआईएफआर ने कर्मचारियों की संख्या घटाने का आदेश दिया है। लेकिन इसने एमआईसीए प्रभाग के संपूर्ण स्टाफ की छंटनी का आदेश कभी नहीं दिया। बीआईएफआर ने इसकी बहाली का आदेश भी दिया है।

मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि बीआईएफआर के निर्णयानुसार एमएमटीसी ने पूर्व की एमआईटीसीओ और अब एमएमटीसी के एक प्रभाग के लिए पूरी गंभीरता से पुनर्वास पैकेज कार्यान्वित किया है। मिटको का 1997 में एमएमटीसी के साथ विलय कर दिया गया था और तब से यह उसका एक प्रभाग बन गया। लेकिन, भी मीका प्रभाग की बहाली और आधुनिकीकरण का कार्य कब शुरू हुआ था? यह 2000 में तब शुरू हुआ जब लोक सभा की याचिका समिति ने मीका प्रभाग के कर्मचारियों के लिए वेतन समानता और वेतनमान की पुनरीक्षा किए जाने की सिफारिश की थी। समिति द्वारा यह सिफारिश भी की गई थी कि मीका प्रभाग को आधुनिकीकृत किया जाना चाहिए और इस अर्थक्षम्य बनाया जाना चाहिए। जब यह सिफारिश की गई तो एमएमटीसी ने मीका का आधुनिकीकरण शुरू किया।

वर्ष 2000 में ही नई मशीनें लगाई गईं। एमएमटीसी ने तीन वर्षों तक प्रतीक्षा की। लेकिन मीका प्रभाग की बहाली के लिए बीआईएफआर द्वारा की गई सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। मंत्री जी ने बताया है कि बीआईएफआर ने अधिकतर श्रमिकों की छंटनी करने और उनकी संख्या घटाकर 220 करने को कहा है। महोदय, बड़ी संख्या में श्रमिकों ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना को अपना लिया है। जब मिटको का एमएमटीसी में विलय हुआ था, तब श्रमिकों की संख्या 500 थी और दो वर्षों के अंदर यह घटकर 357 रह गई है। इन 357 श्रमिकों में से 60 से अधिक श्रमिक एमएमटीसी द्वारा अपने विभिन्न प्रभागों में काम पर लगा दिए गए हैं। यदि एमएमटीसी इसे बहाल करने और इसे लाभार्जक बनाने के लिए वास्तव में गंभीर है तो...*(व्यवधान)* मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। यह बहुत ही गंभीर मामला है।

**अध्यक्ष महोदय** : नियम के अनुसार केवल प्रश्न पूछने की ही अनुमति है। आप भाषण नहीं दे सकते।

**श्री बसुदेव आचार्य** : एमएमटीसी के दूसरे प्रभागों में 60 से अधिक श्रमिकों को पुनः नौकरी में लिया जा सकता था। लेकिन ऐसा करने की बजाय, एमएमटीसी ने अब झारखंड के पिछड़े क्षेत्र में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की एक इकाई को बंद करने और 327 श्रमिकों की छंटनी करने का निश्चय किया है। मैंने इस फैक्टरी का दौरा किया और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज ये श्रमिक हमारे देश में निम्नतम मजदूरी पाने वाले श्रमिकों में से हैं। इन्हें केवल 300 रुपए प्रतिमाह मिल रहे हैं। आपको यह जानकर अचरज होगा कि 1987 से इनके वेतन की समीक्षा नहीं हुई है।

इस बारे में वाणिज्य मंत्रालय तथा एमएमटीसी का तर्क यह है कि बीआईएफआर का आदेश यह था कि पूर्व के मिटको कर्मचारियों के वेतन की ही संरक्षा की जाए। उनका वेतन उससे कम नहीं होना चाहिए जो वह इसके विलय के समय प्राप्त कर रहे थे। वे 1987 में जो वेतन पा रहे थे उसी दर पर वेतन पा रहे हैं। वर्षों से उनकी मजदूरी में बढ़ोतरी नहीं हुई है। और अब एमएमटीसी ने मीका प्रभाग को बंद करने और उसके संपूर्ण कर्मचारियों की छंटनी करने का निर्णय लिया है।

महोदय, एमएमटीसी के भी ऐसे कुछ प्रभाग हैं जिनमें घाटा हो रहा है। इसका इंदौर स्थित एक कार्यालय बंद कर दिया गया है लेकिन वहां एक भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की गई। उन सब की पुनः तैनाती कर दी गई है। यदि सरकार ऐसा मानती है कि मीका प्रभाग को जारी रखने की आवश्यकता नहीं हैं, तो वह इसके 327 श्रमिकों को एमएमटीसी के दूसरे प्रभागों में तैनात कर सकती थी उनको पुनः तैनात या समायोजित करने की बजाय सरकार ने उन्हें निकाल बाहर करने का निर्णय लिया है। इसने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत श्रम मंत्रालय की अनुमति के लिए आवेदन किया है।

**अध्यक्ष महोदय** : आचार्य जी, अब आप कृपया बैठ जाएं।

**श्री बसुदेव आचार्य** : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या एमएमटीसी के कुछ प्रभाग घाटे में जा रहे हैं। क्या मीका प्रभाग भी एमएमटीसी के प्रभागों में से एक है? मिटको की कोई अलग वार्षिक रिपोर्ट नहीं छपती। एमएमटीसी की वार्षिक रिपोर्ट में ही इसका ब्यौरा छपता है। यह एमएमटीसी का ही अंग है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वह मीका प्रभाग के सभी 327 श्रमिकों को एमएमटीसी के दूसरे प्रभागों में तैनात करने पर विचार करेंगे? सरकार उनकी छंटनी करना चाहती है। उन्हें बेघर–बार करना चाहती है। 1987 से उनकी वेतन वृद्धि नहीं हुई है।

**श्री अरूण जेटली** : महोदय, किसी प्रभाग अथवा सरकारी क्षेत्र की किसी इकाई को बंद करने का निर्णय वास्तव में सरकार और इकाई के कर्मचारियों दोनों के लिए ही बहुत ही पीड़ादायक होता है। ऐसा निर्णय उस इकाई को बहाल करने के सभी प्रयासों के असफल होने के बाद ही किया जाता है।

महोदय, एमआईसीए प्रभाग का व्यापार मुख्यतः माइका स्क्रैप के निर्यात पर निर्भर था। माइका स्क्रैप का निर्यात धीरे–धीरे कम होता गया और माइका की जगह पर एक सस्ता विकल्प उपलब्ध हो जाने के कारण इसके कारोबार को पुनः स्थापित नहीं किया जा सका। बीआईएफआर ने सरकार को निदेश दिया कि वह यह सुनिश्चित करे कि 1997–98 तक मिटको के माध्यम से इसका निर्यात होता रहे। सरकार ने इसे 1997–98 तक ही नहीं, अपितु 2002 तक जारी रखा और अंततः यह पाया गया कि इसे और लंबे समय तक जारी रख पाना संभव नहीं है। जिस उत्पाद में इसका व्यापार होता था वह लाभकारी नहीं रहा और इसका कारोबार धीरे–धीरे कम होता गया। 13 करोड़ का कारोबार घटकर 3 करोड़ और बाद में मांग 22 लाख रुपए रह गया। 22 लाख रुपए के कारोबार पर घाटा ही लगभग 4 करोड़ रुपए हो रहा था।

इसलिए, इस व्यापार को किस तरह लाभकारी नहीं पाया गया।

अब जहां तक मिटको कर्मचारियों का सवाल है, एमएमटीसी ने श्रम मंत्रालय के समक्ष धारा 25 (ख) के तहत इनकी छंटनी के बारे में एक आवेदन किया है। एमएमटीसी की योजना के तहत, कर्मचारियों को देय छंटनी मुआवजे का भुगतान न केवल औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार किया जाएगा अपितु उनके समक्ष सरकार की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प भी खुला होगा।

जहां तक इन कर्मचारियों को एमएमटीसी की दूसरी इकाइयों में पुनः तैनात करने का प्रश्न है, इन बहुत सारे संगठनों का भी व्यापार जो मुख्यतः सरणीकरण पर निर्भर था, प्रभावित हुआ है। स्वयं एमएमटीसी ने भी विगत में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाएं लागू की हैं और आज एमएमटीसी में ही कर्मचारियों की संख्या जरूरत से अधिक है। इसलिए अलाभकारी प्रभागों के कर्मचारियों की एमएमटीसी की दूसरी प्रमुख डिवीजनों में तैनात करने का तो शायद प्रश्न ही नहीं उठता...*(व्यवधान)*

**श्री बसुदेव आचार्य** : महोदय, उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : यह विषय अब समाप्त हो गया है और अब मैं 'शून्यकाल' शुरू करने जा रहा हूं।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं उन सभी सदस्यों को बोलने की अनुमति दूंगा जिन्होंने सूचनाएं दी हैं।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : मेरे पास एडजर्नमैंट मोशन के नोटिस हैं और उसमें पहला नाम श्री रामजीलाल सुमन और दूसरा नाम श्री प्रियरंजन दासमुंशी का है। मैं दोनों को बोलने की इजाजत दूंगा। मैं पहले श्री रामजीलाल सुमन को और फिर श्री प्रियरंजन दासमुंशी को बोलने का समय दूंगा।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : पहले श्रीमती सुषमा स्वराज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट का मोशन पेश करेंगी।

---

**अपराह्न 12.26 बजे**

*[हिन्दी]*

## कार्यमंत्रणा समिति के उनचासवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज)** : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करती हूं।

"कि यह सभा 23 अप्रैल, 2003 को सभा में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के उनचासवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 23 अप्रैल, 2003 को सभा में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के उनचासवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ*

---

**अपराह्न 12.29 बजे**

*[हिन्दी]*

## सदस्यों द्वारा निवेदन—*जारी*

### देश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, विशेष रूप से हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन के विनिवेश के बारे में

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली)** : अध्यक्ष महोदय, हम लोगों का भी नोटिस है। हम शुरू से इस विषय में अड़े हैं। हम नियम मान लेते हैं जिससे नुकसान हो रहा है।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मेरे पास डिसइनवैस्टमैंट ऑफ एचपीसीएल और बीपीसीएल के बहुत से नोटिस आए हैं। मैं सभी का नाम पढ़ना चाहूंगा। श्री रामजीलाल सुमन, श्री बसुदेव आचार्य, श्री सी.पी. राधाकृष्णन, श्री सुनील खां, श्री सोमनाथ चटर्जी, श्री प्रबोध पण्डा, श्री अजय चक्रवर्ती, श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, श्री रूपचन्द पाल, प्रो. ए.के. प्रेमाजम, श्री सुरेश कुरुप डा. रामचन्द्र डोम, श्री राम विलास पासवान, श्री प्रियरंजन दासमुंशी के नोटिस हैं।

**श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी)** : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी नोटिस है।

**अध्यक्ष महोदय** : इस विषय पर नहीं है।

**श्री सुरेश रामराव जाधव** : इस विषय पर ही है।

**अध्यक्ष महोदय** : यह एडजर्नमैंट मोशन नहीं है। यह जीरो आवर में बोलने के लिए नोटिस है। प्लीज, बैठिए।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप ठीक तरह से नहीं सुनते हैं। आपकी कौन सी पार्टी है?

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मेरे पास जो इतने नोटिस आए हैं, उनमें से श्री रामजीलाल सुमन का पहले नोटिस है और बाद में श्री प्रियरंजन दासमुंशी का है जो सस्पैंशन ऑफ क्वैश्चन आवर का था। इसलिए मैं पहले श्री रामजीलाल सुमन को बोलने की इजाजत दूंगा और बाद में श्री प्रियरंजन दासमुंशी को बोलने का समय दूंगा। बाद में जिन के भी इस संबंध में नोटिस हैं, सभी को यहां बोलने की इजाजत दूंगा। दूसरे

विषयों पर भी एडजर्नमैंट नोटिस हैं। आपका भी नोटिस है। ये होने के बाद आपका नोटिस आएगा।

*[अनुवाद]*

**श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट)** : महोदय, मैंने भी प्रश्न काल स्थगित करने के बारे में सूचना दी थी...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : आप चाहें तो इस कुर्सी पर चेयरमैन के नाते बैठ सकते हैं।

*(व्यवधान)*

**श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद)** : अध्यक्ष महोदय, विनिवेश का अत्यधिक महत्वपूर्ण सवाल है। इस सम्मानित सदन में एक बार नहीं, अनेकों बार विनिवेश के सवाल पर चर्चा हुई है लेकिन इसका कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था कि आखिर कब तक सरकारी उपक्रमों के माध्यम से देश के धन को लूटने की इजाजत दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, एक तो जो घाटे के सरकारी उपक्रम हैं, उन्हें कैसे दुरुस्त किया जाए, इसके लिए कोई व्यवस्थित प्रयास नहीं किया गया है। हम सरकार से इस बात का वायदा चाहते हैं कि जो सरकारी उपक्रम मुनाफे में चल रहे हैं, उन्हें न बेचा जाए। जितने भी सरकारी उपक्रम बाल्को, सीएमसी थे वे मुनाफे में चल रहे थे। जब नालको को बेचने का सवाल आया, जो कि मुनाफे में चल रहा था, तब श्री अरूण शौरी जी ने कहा कि आज मुनाफे में चलने वाले सरकारी उपक्रमों के कल घाटे में जाने की संभावना है। इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार अक्षम है और भ्रष्टाचार तथा कुप्रबंधन पर अंकुश लगाने में असमर्थ है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बीपीसीएल और एचपीसीएल हिन्दुस्तान की दोनों बड़ी कंपनियां हैं। हिन्दुस्तान की 10 बड़ी कंपनियों में इन दोनों का स्थान क्रमशः दूसरा एवं तीसरा लाभांश के मामले में है। ये दोनों कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं। सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि बीपीसीएल और एचपीसीएल दोनों लाभकारी कंपनियां हैं। इन दोनों कंपनियों ने वर्ष 2001–02 में क्रमशः 363 करोड़ रुपया और 467 करोड़ रुपया कमाया। वर्ष 2002–03 के नौ महीने में इन कंपनियों ने क्रमशः 903 करोड़ रुपए और 802 करोड़ रुपए का लाभांश कमाया। मैं निवेदन करना चाहता हूं...

**अध्यक्ष महोदय** : यह जीरो आवर है, मैं दो मिनट से ज्यादा कैसे दे सकता हूं। श्री दासमुंशी।

**श्री रामजीलाल सुमन** : अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से यह वायदा होना चाहिए कि कम से कम जो सरकारी उपक्रम लाभकारी हैं, उन्हें बेचने का काम सरकार न करे।

*[अनुवाद]*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज)** : महोदय, मैं आपके प्रति आभारी हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने की अनुमति दी। यह ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर सभा का समय लिया जाए। मैं आप को सभा की उस स्पष्ट अभिव्यक्ति के बारे में अवगत कराना चाहूंगा जो विनिवेश के विरुद्ध है। इस सभा में उन राजनीतिक दलों की स्थिति इस प्रकार है जिन्होंने सरकारी क्षेत्र के लाभार्जक उपक्रमों को बेचे जाने के विरुद्ध खुलेआम अपनी राय व्यक्त की है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों की संख्या–111, सीपीआई (एम)–33 सदस्य, तेलगुदेशम पार्टी–29 सदस्य, समाजवादी पार्टी–27 सदस्य, शिवसेना–15 सदस्य, डीएम के–12 सदस्य...*(व्यवधान)*

यदि कोई पार्टी यह सोचती है कि दासमुंशी गलत कह रहा है तो वे खड़े होकर अपनी बात यहां दोहराएं। डीएमके सदस्यों ने कहा कि वे इसके विरुद्ध हैं। समता पार्टी जिनके सदस्यों की संख्या मंत्रियों सहित 12 हैं, ने खुलेआम विनिवेश का विरोध किया है। बीजू जनता दल ने भी नाल्को के मुद्दे पर सर्वसम्मति से विनिवेश के विरुद्ध संकल्प व्यक्त किया था। राभा में इनके सदस्यों की संख्या 10 है। आखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस जिनकी सदस्य संख्या आठ है, ने भी इसका पूरी तरह विरोध किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिसके सदस्यों की संख्या आठ है ने भी इसका विरोध किया है। जनता दल (संयुक्त) जिसके सदस्यों की संख्या छह है, उसने भी खुलेआम विनियेश के विरुद्ध मत व्यक्त किया है। पीएमके जिसके सदस्यों की संख्या 5 है, ने भी विनिवेश के विरुद्ध एक खुला वक्तव्य जारी किया है। राष्ट्रीय जनता दल, जिसके चार सदस्य हैं ने भी विनिवेश का विरोध किया है। एमडीएमके ने खुलेआम इसका विरोध्रा किया है। इसकी पोटा में बंद एक सदस्य सहित कुल सदस्य संख्या चार है...*(व्यवधान)*

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसके यहां तीन सांसद हैं उसने भी इसका खुलेआम विरोध किया है। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी का भी यही रुख रहा है। जनता दल (जेपी),

जिसके दो सदस्य हैं, ने इसका खुलेआम विरोध किया है। 'मुस्लिम लीग, जिसके दो सदस्य हैं, ने भी खुलेआम विरोध किया है। आरपीआई, जिसके सांसद श्री रामदास आठवले जी हैं, उनकी भी यही राय है। श्री प्रकाश यशवंत अंबेडकर भी इसके विरोध में हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) जिसका एकमात्र सदस्य है, ने भी विनिवेश का खुलेआम विरोध किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी एक सदस्य है और उसने भी इसका विरोध किया है। पीजेन्ट्स एंड वर्कर्स पार्टी? जिसका एक सांसद है, की भी यही राय है। समाजवादी जनता पार्टी के अकेले सांसद श्री चन्द्रशेखर हमारे द्वारा इस मुद्दे को उठाने से बहुत पहले से इसके विरुद्ध खुलेआम अपनी राय व्यक्त करते रहे हैं...*(व्यवधान)*

मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा। आप इसे कम न समझें। इस सभा के 545 सदस्यों में से मैंने गणना की है कि 322 सदस्य इसके विरुद्ध हैं। इन्होंने खुलेआम इसका विरोध किया है। चूंकि राजग सरकार इस मुद्दे पर सभा में मतदान से बचना चाहती थी, इसलिए उसने इस सभा की राय से भी बचने का प्रयास किया और हमसे अनुरोध किया कि वह ऐसा प्रस्ताव न लाए जिस पर मतदान कराया जाए। ठीक है, मैं सहमत हूं।

महोदय, आप नियम 193 के अधीन की गई चर्चा से संबंधित कार्यवाही देख सकते हैं। इससे पता चल जाएगा। कि इस विषय पर हुए वादविवाद के दौरान उस दिन किस राजनितीक दल का रुख क्या रहा। क्या देश इस सभा के मन्तव्य और बहुमत थी। इस तरह अनदेखी कर सकता है? देश पर शासन करने वाले भाजपा के 183 सदस्य देश की संपत्ति बेच देंगे? मैं यहां पर जो कह रहा हूं क्या कोई पार्टी उसका खंडन कर सकती है। मैंने यहां जिन पार्टियों के नाम लिए हैं क्या उनके सदस्य यहां खड़े होकर यह कहेंगे कि दासमुंशी झूठ बोल रहा है और वे विनिवेश का समर्थन करते हैं? यहां हर कोई इसका विरोध कर रहा है...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** : अध्यक्ष महोदय, यह जो पढ़ रहे हैं, इस पर सदन में प्रस्ताव क्यों नहीं आ रहा..*(व्यवधान)* प्रस्ताव से साबित हो जाएगा कि कौन–कौन इसके विरोध में हैं।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : महोदय, आप कृपया श्री स्वाइं को रोकिए। आए दिन, यह खड़े होकर बीच में बोलने लग जाते हैं...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री स्वाइं कृपया बैठ जाइए। वह श्री मणि शंकर अय्यर से निबट लेंगे।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : यह कौन सा तरीका है, आप बाद में बोल सकते हैं, अभी आप बैठिए।...*(व्यवधान)*

**कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.)** : इन्होंने मेरा नाम लिया है। मैं कहना चाहता हूं कि सदन उस दिन बिना कोरम के चल रहा था। मैंने कोरम न होने का विरोध किया था, मैंने उनका विरोध नहीं किया था। सदन में कोरम नहीं था और मैंने कोरम न होने का प्रश्न उठाया था।...*(व्यवधान)*

**श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर)** : सर, उस दिन जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ था तो मुझे बोलने नहीं दिया गया और आज कहते हैं कि इतने ज्यादा लोग अपोज कर रहे हैं। इन्होंने उस दिन कोरम का प्रश्न उठाया था और मुझे बोलने नहीं दिया।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : महोदय, रक्षा मंत्री और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दो मंत्रियों जैसे देश के वरिष्ठ मंत्रियों ने कई बार खुलेआम यह कहा है कि चूंकि पेट्रोलियम कंपनियां सामरिक महत्व के क्षेत्र में आती हैं इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन्हें बेचा नहीं जाना चाहिए। इतना ही नहीं, मैं भाजपा के उन सदस्यों को सलाम करता हूं जिन्होंने आपसी बातचीत के दौरान यह कहा कि पेट्रोलियम क्षेत्र का विनिवेश नहीं होना चाहिए...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री कीर्ति झा आजाद (दरभंगा)** : अध्यक्ष महोदय, जब नियम 184 के तहत हाउस में डिसइनवैस्टमैन्ट पर डिस्कशन हो रहा था तो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ये लाए थे और इनका प्रस्ताव गिर गया था। विपक्षी नेता कहते हैं कि सदन में कोरम नहीं था, इससे पता लगता है कि डिसइनवैस्टमैंट पर इनके मन में क्या भाव है।...*(व्यवधान)* दासमुंशी जी ने कैबिनेट सैक्रेटरी की एक चिट्ठी यहां पेश की थी, जो बाद में पता लगा कि गलत थी। सीबीआई ने

भी मान लिया कि वह चिट्ठी नकली थी और डिसीजन के लिए यहां पड़ी हुई है। आप उस पर डिसीजन क्यों नहीं लेते। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने उन्हें 'शून्य काल' में बोलने की अनुमति दी है। उन्हें अपनी बात पूरी करने दें। यदि आपको मौका मिले तो आप उसके बाद बोल सकते हैं। अब उनके बोलने में व्यवधान पैदा न करें। वह क्या कहना चाहते हैं। मैं यह बात जानना चाहता हूं।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया)** : सर, यह अपनी बात कम्प्लीट ही नहीं करते हैं। इनकी बात कम्प्लीट तो हो। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : जब एक आदमी बैटिंग कर रहा है तो उसे डिस्टर्ब करने का अधिकार श्री कीर्ति झा आजाद को नहीं है। उनकी बैटिंग चलने दो।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : महोदय, कोई भी सहयोगी दल इन का पक्ष नहीं ले रहा है।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : लेकिन मैं पूरी तहर से आपके पक्ष में हूं। आपनी अपनी बात कहते जाएं।

*(व्यवधान)*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : 9 मई, के बाद, एचपीसीएल तथा बीपीसीएल के साथ नाल्को का विनिवेश होने वाला है। चूंकि 9 मई के बाद हम यहां नहीं होंगे, इसलिए हमारी यह मांग है कि सरकार इस सभा को यहीं पर यह आश्वासन दे कि वह किसी भी लाभार्जक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, विशेष रूप से एचपीसीएल और बीपीसीएल को नहीं बेचेगी। अन्यथा हम सरकार के साथ सहयोग नहीं करेंगे। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

**डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली)** : महोदय, मैं एक औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूं...*(व्यवधान)*

**श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर)** : महोदय, मैं आपसे एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। आज, सौभाग्य से संसदीय कार्य मंत्री यहां पर उपस्थित हैं। यदि इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करनी पड़ेगी तो उन्हें ऐसा करना होगा...*(व्यवधान)*

**डा. विजय कुमार मल्होत्रा** : मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा हूं। मैं केवल औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूं। आप इस विषय को कैसे उठा सकते हैं? आप इस विषय को उठाने वाले कौन हैं? माननीय अध्यक्ष जी इस पर निर्णय करेंगे...*(व्यवधान)*

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : महोदय, मैं उन्हें बोलने से रोकने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। आपने ही उन सदस्यों को बोलने की अनुमति दी है जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव के बारे में सूचनाएं दी हैं...*(व्यवधान)*

यदि मैं अध्यक्ष नहीं हूं तो आप भी तो अध्यक्ष नहीं हैं ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : मल्होत्रा जी, मैंने आपको इजाजत दी है, आप बोल सकते हैं।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कीर्ति आजाद जी, आप बैठिए। मैंने मल्होत्रा जी को बोलने की इजाजत दी है।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं यही कह रहा हूं कि डा. मल्होत्रा को अपनी बात समाप्त करने दें। उसके बाद मैं श्री सोमनाथ चटर्जी को बोलने की अनुमति दूंगा।

*[हिन्दी]*

**डा. विजय कुमार मल्होत्रा** : ये बीच में बार-बार खड़े हो जाते हैं।...*(व्यवधान)* मुझे बोलने के लिए कहा है और बोलने नहीं दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : मैं आपके विनिर्णय पर उंगली नहीं उठा रह हमेशा वे ही आपके विनिर्णय पर उंगली उठाते रहते हैं...*(व्यवधान)* यदि लोग इसी तरह का व्यवहार कर विपक्ष

का सहयोग चाहते हैं तो मुझे पता है कि क्या किया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** : फिर वही लोग बोल रहे हैं। हमारा भी नोटिस है कि हम बोलेंगे। ये बिना नोटिस के बीच में क्यों बोलते हैं?...*(व्यवधान)* दो–दो बार ये लोग बोल चुके हैं। हम लोगों ने भी नोटिस दिया है। ये बीच में कैसे बिना नोटिस के बोलते हैं?...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : डा. मल्होत्रा केवल स्पष्टीकरण चाह रहे हैं।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : वह व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा रहे हैं। न ही वे वाद–विवाद में बाधा पहुंचा रहे हैं।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : 'शून्यकाल' में कोई भी व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकता।

*(व्यवधान)*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : महोदय, महा न्यायवादी को सदन में बुलाया जाना चाहिए...*(व्यवधान)* वह सभा के बाहर राय व्यक्त नहीं कर सकता...*(व्यवधान)* राष्ट्र की संपत्ति केवल संसद की सहमति से ही बेची जा सकती है।..*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : आपको मालूम है और आप जानते हैं कि अजय चक्रवर्ती जरूर अपना भाषण करेंगे लेकिन एक क्लैरीफिकेशन मल्होत्रा जी मुझसे मांग रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वे क्या पूछ रहे हैं।

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** : अध्यक्ष से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं पूछ सकता है। यह नियम–सम्मत बात मैं कह रहा हूं। आसन से कोई स्पष्टीकरण नहीं पूछा जा सकता।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप नियम की बात कर रहे हैं तो जब अध्यक्ष खड़े हैं तो आप बैठेंगे, इतना तो नियम का पालन आप करें।

*(व्यवधान)*

**डा. विजय कुमार मल्होत्रा** : अध्यक्ष जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इसी सदन में बीएसी की रिपोर्ट आई है जिसमें इस विषय पर समय तय किया गया है। जितनी बहस करना चाहें करें, चाहे पचास बार बहस करें। यह तय हो चुका है कि 8 मई को बहस होगी। इसी विषय पर सदन ने बहस करनी है और आपने स्ट्रक्चर्ड डिबेट तय की है। ऐसे मामलों में स्ट्रक्चर्ड डिबेट होनी चाहिए न कि कोई भी मैम्बर खड़ा हो जाए और उस पर बहस शुरू हो जाए। बहस ठीक से होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपसे सहमत हूं लेकिन पूरा हाउस एग्री होगा तभी वह होगा।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा)** : महोदय, मुझे भी मौका दीजिए... मेरा आपसे अनुरोध है कि महान्यायवादी को सदन में बुलाया जाए...*(व्यवधान)* नियमों के तहत, हमें महान्यायवादी की राय जानने का अधिकार है...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : सदस्यों ने मुझे सूचनाएं दी हैं।

*(व्यवधान)*

**श्री अजय चक्रवर्ती** : महोदय, सरकार ने लाभ अर्जित करने वाली दो कंपनियों–एचपीसीएल और बीपीसीएल को बेचने का निर्णय लिया है...*(व्यवधान)* ये कंपनियां संसद के एक अधिनियम के तहत अस्तित्व में आई थीं। इसलिए इन्हें संसद की स्वीकृति के बिना नहीं बेचा जा सकता...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री रामदास आठवले (पंढरपुर)** : हमारी बात भी सुनी जाए...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कितने बजे की ट्रेन है आपकी? आप बैठिए, मैं आपको बोलने की इजाजत दूंगा।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री अजय चक्रवर्ती** : एस्सो (भारत में उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम, 1974 के कानून के माध्यम से पूर्व की एस्सो कंपनी को अधिग्रहीत किया गया और बाद में यह एचपीसीएल कही

जाने लगी...*(व्यवधान)* इस सभा के इसी अधिनियम के द्वारा, एक और कंपनी, बर्मा शेल का अधिग्रहण किया गया और बाद में इसे बीपीसीएल के नाम से जाना गया। इसलिए भारत सरकार संसद की अनुमति के बिना इन्हें बेचने का निर्णय नहीं ले सकती। पेट्रोलियम संबंधी स्थाई समिति ने सरकार के एक प्रतिवेदन सौंपा था और 23 दिसम्बर को यह प्रतिवेदन माननीय सभा के सभापटल पर रखा गया।

23 दिसंबर को संसद के सभापटल पर जो प्रतिवेदन रखा गया, उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि पेट्रोलियम संबंधी स्थाई समिति के सदस्यों ने एचपीसीएल और बीपीसीएल के विनिवेश का एकमत से विरोध किया है। एचपीसीएल और बीपीसीएल कंपनियां हमारे देश का स्वाभिमान हैं। ये लाभ अर्जित करने वाली कंपनियां हैं। यहां तक की जब इनकी नीलामी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा था, सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम–ओएनजीसी को इसमें भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई। भारत सरकार ने महान्यायवादी की राय मांगी। महान्यायवादी ने यह राय दी कि भारत सरकार संसद की मंजूरी के बिना इन कंपनियों को बेच सकती है। लेकिन मेरा कहना है कि भूतपूर्व महान्यायवादी श्री मिलन बनर्जी की राय इसके विपरीत है। उनकी यह राय है कि संसद की स्वीकृति के बिना इन दोनों कंपनियों का न तो विनिवेश हो सकता है और न ही इन्हें बेचा जा सकता है। ये दोनों कंपनियां संसद के एक अधिनियम द्वारा अस्तित्व में आई थीं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार संसद की मंजूरी के बिना इन्हें बेच सकती है। इसलिए मैं इस सभा के अधिकतर सदस्यों की इस राय से सहमत हूं कि इन इकाइयों को संसद की स्वीकृति के बिना नहीं बेचा जा सकता। हम सबकी यही राय है। लेकिन इस सरकार ने सरकारी क्षेत्र की इन दो कंपनियों को बेचने का निर्णय किया है। यह संसद की इच्छा और देश के लोगों की इच्छा के विरुद्ध है। इसलिए मेरी मांग है कि सरकार इनके विनिवेश से संबंधी निर्णय को तुरंत वापस ले।

*[हिन्दी]*

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** : अध्यक्ष महोदय, एचपीसीएल और बीपीसीएल, दोनों प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां हैं। इनको नहीं बेचे जाने के बारे में हमने पहले भी सवाल उठाया था और संसदीय कार्य मंत्री महोदया ने हमें सदन में ही आश्वस्त किया था कि इस सत्र के पिछले भाग और अगले भाग, यानी, इस सत्र के बीच, जिन दिनों संसदीय स्थाई समितियों में बजट के डिस्कशन हेतु, सदन स्थगित रहता है, उन दिनों में इन दोनों कंपनियों के बेचे जाने के संबंध में कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, लेकिन बड़े आश्चर्य के साथ कहना पड़ रहा है कि दोनों सत्रों के बीच में इन कंपनियों के बेचे जाने की प्रक्रिया न सिर्फ चलती रही, बल्कि आगे बढ़ाई गई। श्री मिलन बैनर्जी, एटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने पहले कहा कि सरकार इन दोनों कंपनियों को बिना संसद की अनुमति के नहीं बेच सकती, क्योंकि ये दोनों कपनियां संसद द्वारा पारित विधेयक के अधीन निर्मित की गई हैं, लेकिन वर्तमान एटार्नी जनरल से सरकार मैनीपुलेट कर के अब यह कहलवा रही है कि सरकार इन दोनों कंपनियों को संसद की अनुमति के बिना भी बेच सकती है।...*(व्यवधान)*

**डा. विजय कुमार मल्होत्रा** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा यह कहा जाना कि "एटॉर्नी जनरल से मैनीपुलेट कर के" ये शब्द कार्यवाही से निकाले जाने चाहिए।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : प्रो. मल्होत्रा, आप बैठिए। यह माननीय सदस्य अपनी इन्फर्मेशन के अनुसार कह रहे हैं। यह उनकी अपनी इन्फर्गशन है।

*[अनुवाद]*

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : मेरा आरोप भी यही है।

*[हिन्दी]*

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** : अध्यक्ष महोदय, एचपीसीएल और बीपीसीएल कंपनियों को बेचने का सरकार का षड्यंत्र है। पहले इन कंपनियों को ओएनजीसी खरीद रही थी, लेकिन सरकार ने ओएनजीसी द्वारा इन कंपनियों को खरीदने पर रोक लगा दी। इस प्रकार से रिलायंस कंपनी, जिसका इस सरकार पर बहुत बड़ा प्रभाव है, इन कंपनियों को खरीदना चाहती है और सरकार भी इन दोनों प्रॉफिट मेकिंग कंपनियों को उसे बेचने का षड्यंत्र कर रही है। इस प्रकार से सरकार इन कंपनियों को बेचने के लिए कानून की अवेहलना कर रही है और कानून को ताक पर रखकर, पार्लियामेंट को इगनोर करके इन कंपनियों को बेचना चाहती है।

महोदय, श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने हिसाब लगाकर बताया है, वह ठीक है। लोक सभा सरकार की इस कार्रवाई को खारिज करती है। सरकार की देश बेचने की इस प्रकार की कार्रवाई को हम खारिज करते हैं और इस प्रकार का प्रस्ताव सदन में आना चाहिए कि सरकार के सदन में बहुमत के बावजूद लोक सभा सरकार के इस कदम को खारिज करती है। अमरीका

ने जिस प्रकार से इराक के ऊपर कार्रवाई की और अमरीका का ही नहीं बल्कि दुनिया का बहुमत इराक के साथ था, लेकिन अमरीका ने दुनिया के बहुमत को खारिज कर जिस प्रकार से इराक को नेस्तनाबूद कर दिया, उसी प्रकार से यह सदन सरकार के बहुमत के बावजूद, सरकार की देश बेचने की इस कार्रवाई को खारिज करता है क्योंकि सरकार पर्लियामेंट को इगनोर करके, देश को बेचने का काम कर रही है। हम सब सरकार के इस कदम के बिलकुल खिलाफ हैं।

*[अनुवाद]*

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : अध्यक्ष महोदय, श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी ने जो कहा है, उसके बाद ऐसा लगता है कि भाजपा का एक भाग पूरी तरह से अलग-थलग पड़ गया है। अन्यथा, मुझे इस बात का पक्का भरोसा है कि संपूर्ण भाजपा भी इस मुद्दे पर एकमत नहीं है। वे सभा के बाहर अलग-अलग स्वर में बोल रहे हैं...*(व्यवधान)* थोड़ा सा सुनने का भी इरादा रखिए। मेरे मित्रो, आप जिस स्थिति में हैं वह अस्थाई है, और बहुत लंबे समय तक यह स्थिति रहने वाली नहीं है। लोगों ने अब मन बना लिया है। बस कुछ ही महीनों का इंतजार है।

महोदय, हम इस मुद्दे को बार-बार क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि यह एक ऐसा मामला है जिसे दैनिक मामले के रूप में हल्के-फुल्के ढंग से नहीं लिया जा सकता। वास्तव में ये ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत अधिक लाभ अर्जित करती हैं। हर कोई इस तथ्य से परिचित है। मैं माननीय सदस्यों को इस बारे में कोई तकलीफ नहीं देना चाहता लेकिन हमारे लिए यह बेहतर होगा कि हम समय-समय पर इनके कार्य-निष्पादन को याद करते रहें। बीपीसीएल का लाभ 850 करोड़ रुपए है। एचपीसीएल का लाभ 780 करोड़ रुपए है।

इन दोनों कंपनियों द्वारा सरकार को क्रमशः 10,513 करोड़ रुपए ओर 11,246 करोड़ रुपए का उत्पाद शुल्क अदा किया जाता है और इसे जोड़ने पर यह 22,000 करोड़ रुपए के आस-पास बैठता है।

महोदय, इन लाभ अर्जित करने वाली कंपनियों के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े उपलब्ध हैं। इन दोनों कंपनियों का सालाना कारोबार 87,850 करोड़ रुपए है और इस पर लगभग 22,000 करोड़ रुपए उत्पाद शुल्क दिया जाता है।

निजी क्षेत्र की मुख्य नौ कंपनियों जैसे रिलायंस, ग्रासीम, बजाज ऑटो, ,टाटा स्टील, स्टेरलाइट, कोलगेट, पामोलिव एल एंड टी और गैलेक्सो का कारोबार 88,157 करोड़ रुपए था, जो केवल इन दो कंपनियों के कारोबार से केवल 1000 करोड़ रुपए ज्यादा था। इन दो कंपनियों ने 21,759 करोड़ रुपए का सीमा शुल्क अदा किया। इसके विपरीत देश की इन नामी, नौ निजी कंपनियों ने सीमा शुल्क के रूप से केवल 6,840 करोड़ रुपए की राशि जमा करवाई।

अब सरकार इन दो कंपनियों को निजी क्षेत्र में तबदील करना चाहती है तथा संसद में इस पर चर्चा हो रही है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, कम-से-कम संसदीय अनुमोदन के बिना तो कतई नहीं करना चाहिए। अधिनियम बिल्कुल स्पष्ट है, कम-से-कम हम लोगों के लिए तो है ही। माननीय विधि मंत्री या महान्यायवादी जितने पढ़े-लिखे तो हम हैं नहीं, जिन्हें हम समय-समय पर स्थिति बदलते हुए पाते हैं।

महोदय, श्री मिलन बैनर्जी के अलावा मैं यहां जाने-माने वकीलों से मिला जिनमें न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति चिन्नप्पा रेड्डी, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त-न्यायाधीश, न्यायमूर्ति पी. वी. सावंत, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति राजेन्द्र सच्चर, दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश तथा देश के अति विशिष्ट वकील शांति भूषण से मिला तथा इन वकीलों के समूह से लिखित राय ली। उन सभी ने कहा कि संसद की सहमति के बिना इसे नहीं किया जा सकता क्योंकि स्वयं अधिनियम में वचनबद्धता है। इसके विपरीत सरकार चुपचाप इस प्रक्रिया को पूरा कर रही है और संसद को कभी भी बताया नहीं गया कि यह कौन से चरण में है। संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता क्यों नहीं है और इस तरह के लाभकारी उपक्रम को बेचने का क्या औचित्य है। विनिवेश के बारे में जारी किए गए श्वेत पत्र में इसका उल्लेख कदापि नहीं था कि लाभ कमाने वाली इकाइयों का विनिवेश किया जाएगा। तो फिर भारत सरकार ने अचानक नीति को क्यों बदल दिया? मुख्य प्रश्न यही है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जिन्हें इस देश के नवरत्न भी कहा जाता है, के प्रति देश वचनबद्ध है। उनके कार्य निष्पादन पर हमें गर्व है। किस तरह वीएसएनएल को बेच दिया गया हम सब जानते हैं।

**प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर चर्चा सदन में बाद में होगी।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : महोदय, हम यह भी जानते हैं कि कैसे आईपीसीएल से छुटकारा पाया गया। किस के फायदे के लिए यह सब किया जा रहा है? आज भी देश में दृढ़तापूर्वक

कहा जा रहा है कि देश को ज्यादातर जनसंख्या का हिस्सा अभी भी गरीबी रेखा से नीचे रह रहा है और लोग नौकरियां गंवाते जा रहे हैं। प्रधान मंत्री को पूरा सम्मान देते हुए मैं कहना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया यह आश्वासन कि प्रत्येक वर्ष एक करोड़ नौकरियों का सृजन किया जाएगा मात्र मजाक बन कर रह गया है। इन विषयों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही, लेकिन चोरी–चोरी देश की भारी संपत्ति को बेचा जा रहा है और हम संसद में लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे, क्या यह भी प्रश्न नहीं पूछ सकते?

महोदय वे अब प्रतिस्पर्धा की बात कर रहे हैं। रिलायंस को प्राइवेट आउटलेट दिया जा रहा है तथा अन्यों को भी प्राइवेट आउटलेट स्थापित करने का अधिकार दिया जा रहा है। अब उनका मुकाबला एचपीसीएल और बीपीसीएल से होगा।

**अध्यक्ष महोदय** : वाद–विवाद के दौरान आप इन बातों पर प्रकाश डाल सकते हैं। श्री सोमनाथ चटर्जी जी।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : महोदय, मुझे समय अभाव का आभास है, लेकिन अगर हम इन विषयों को संसद में नहीं उठाएंगे तो हमारे कर्तव्य निर्वाह में चूक होगी। जब सही सोच–विचार वाले व्यक्ति इस बारे में उत्तेजित हैं, तो फिर भी इन मुख्य प्रश्नों के उत्तर क्यों नहीं दिए गए। ये इकाइयां किसी दल या उस ओर बैठे लोगों के किसी समूह की पैतृक संपत्ति नहीं है कि वे उनके साथ जैसा चाहें वैसा व्यवहार कर सकते हैं।

महोदय, हम सरकार, से स्पष्ट आश्वासन की मांग करते हैं। यहां तक कि माननीय मंत्री जी ने भी कहा था कि ऐसा नहीं होगा। हम जानना चाहेंगे कि सत्रावासन के दौरान क्या हुआ क्योंकि अभी तक संसदीय अनुमोदन नहीं लिया गया था। हम जानना चाहते हैं कि इसके लिए क्या कदम उठाए गए क्योंकि महान्यायवादी की राय अनेक शंकाएं उत्पन्न करती है। हम जानते हैं कि वह अपनी राय बदलते रहते हैं तथा किस समय क्या कहें हम नहीं जानते। इसलिए इस मामले पर मैं सरकार से स्पष्ट आश्वासन की मांग करता हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.)** : अध्यक्ष जी, प्रियरंजन दासमुंशी जी ने और सोमनाथ चटर्जी ने इस मामले में विस्तार से बातें की हैं। प्रियरंजन दासमुंशी जी ने वे नाम भी बताए हैं या संख्या बताई है, जो लोग इस पालिसी का, इस नीति का विरोध कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि बहुमत इसके विरोध में है, लेकिन इस विरोध के बावजूद सरकार चल रही है और रोज फैसले कर रही है। जब कोई बात होती है तो दूसरी तरफ से कहा जाता है, बहस हो जाएगी, बहस कर लीजिएगा। अब स्थिति ऐसी पहुंच गई है कि प्रियरंजन दासमुंशी जी से और सोमनाथ चटर्जी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि कुछ लोगों ने ऐसा सोच रखा है कि अखबारों में बयान और देंगे, संसद में बात कुछ और करेंगे। मैं आपसे बड़ी अनुनय–विनय के साथ कहना चाहूंगा कि संसद सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि जो सदन में कहें, वही सदन से बाहर कहें। सदन के बाहर एक बात और सदन के अन्दर दूसरी बात, यह बात सही नहीं होगी। जो लोग सदन के बाहर कुछ कहकर जनता की प्रशंसा लेना चाहते हैं और सदन में सरकार के साथ रहकर सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं...*(व्यवधान)* इसमें हंसी की बात नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर संसद पहुंच जाए, तो अध्यक्ष महोदय, न आप कुछ कर सकते हैं न यह बहस कुछ कर सकती है। इसलिए अब समय आ गया है कि जो सचमुच इन नीतियों का विरोध करते हैं, वे फैसला करें कि अगर सरकार इसी तरह से चलती है तो हम लोग इस सदन में न रहें और सरकार जैसा चाहे, वह करे, बहस चलाए। अब समय आ गया है कि आप कह दें कि हम इस संसद की कार्यवाही में सहयोग नहीं करते, जहां न बहुमत का कोई आधार है न जहां बहुमत में होते हुए भी संसद वह प्रस्ताव पारित कर सकती है, जो देशहित में है।

**श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र)** : अध्यक्ष जी, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के बारे में मैंने इसके पहले कई बार शिवसेना पार्टी की ओर से मुद्दे रखे हैं। मैंने परसों ही श्रम मंत्रालय की चर्चा के समय यहां जो कहा था तो आज ही मुझे एक फैक्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम की स्थानीय लोकाधिकार समिति की ओर से मिला है। उन्होंने यह कहा है कि आप हमेशा यह क्वैश्चन रेज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें भय लग रहा है। नौ हजार मराठी एम्पलाइज हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और आरसीएफ में हैं। इसमें हमारे आदरणीय मंत्री श्री राम नाईक जी का भी कड़ा विरोध है। इसका विनिवेश करने में उनका भी कड़ा विरोध है, वे भले ही ओपनली नहीं बोलते होंगे...*(व्यवधान)* जैसा अभी आदरणीय दासमुंशी जी ने 324 की विशेष संख्या निकाली, वैसे तो ज्यादा हो सकती है। अभी आगे चुनाव आने वाले हैं, मदन लाल खुराना जी अपनी पार्टी में यह बात रखिए कि अभी इसे बन्द रखिए, नहीं तो विपक्ष के नेताओं के हाथ

में यह मुद्दा चला जाएगा कि ये लोग कंपनियां बेच रहे हैं। हम लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं कि प्रोफिट मेकिंग कंपनियां मत बेचो। मेरे सैण्टूर होटल के प्रश्न के संबंध में अरूण शौरी जी ने उत्तर दिया है, यह पालिर्यामेंट की प्रोसीडिंग्स में है कि प्रोफिट मेकिंग कंपनीज को हम सेल नहीं करेंगे। उसके बाद इसकी प्रोसीडिंग्स चालू कर दीं, जबकि आदरणीय सुषमा दीदी ने हमसे यह कहा था कि जब तक इस पर चर्चा नहीं होगी, कोई प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी।...*(व्यवधान)* एक मिनट रुकिए।

**श्री चन्द्रशेखर** : संसद का कोई सदस्य एक बात यहां कहे, दूसरी बात बाहर कहे, यह शोभा नहीं देता। यह मर्यादा और शिष्टाचार के खिलाफ है।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया अपनी सीट पर जाएं।

*[हिन्दी]*

**श्री शिवाजी माने (हिंगोली)** : उनके बारे में भी कुछ कहिए न, इन्होंने ही तो इसकी शुरूआत की है।

**श्री चन्द्रकांत खैरे** : यह चर्चा का विषय नहीं है। मैं अपनी पार्टी का मत बता रहा हूं, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं।

**अपराह्न 1.00 बजे**

...*(व्यवधान)* यह बहुत गंभीर मुद्दा है। इस गंभीर मुद्दे के बारे में हम रोज चर्चा करते हैं। हम भी सरकार में शामिल हैं। सरकार को यह डिसीजन लेना चाहिए कि इसके बारे में हम कोई निर्णय नहीं लेंगे क्योंकि उन्होंने बोला था कि हम प्रोफिट मेकिंग कंपनी का विनियेश नहीं करेंगे। हम शिव सेना की तरफ से कहना चाहते हैं कि सरकार को उसी शब्द का पालन करना चाहिए। इसी तरह आरसीएफ के बारे में भी आया है। हमारा कहना है कि आरसीएफ का भी डिसइन्वैस्टमैंट नहीं होना चाहिए।

**श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर)** : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षेप में बोलना चाहूंगा। सरकार में बैठे कुछ मंत्री कह चुके हैं कि डिसइन्वैस्टमैंट नहीं होना चाहिए। श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने गणित के आधार पर बता दिया है कि इस हाउस का सेंस डिसइन्वैस्टमैंट के खिलाफ है। हम मांग कर रहे हैं कि नियम 184 के तहत आप डिसकशन कराकर वोट लीजिए लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। सरकार के वकील एक बात कहते हैं और उनके बराबर के दूसरे वकील जो राज्य सभा में बैठे हैं आपने यहां बताया और जैसा चटर्जी साहब ने बताया कि उनके बराबर के वकील, बाहर के वकील यह कह रहे हैं कि कुछ पीएसयूज का डिसाइन्वैस्टमैंट करना है तो आपको कानून बदलना पड़ेगा तभी आप कर सकेंगे। सरकार की बात एक जैसी नहीं है। जब हाउस खिलाफ है, वकील का कहना खिलाफ है, उसे बाद भी आप प्रोफिट मेकिंग जो पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उसको बेचेंगे, ऐसा कुछ लोग आग्रह कर रहे हैं। यह बात सही नहीं है। क्या इसको डेमोक्रेसी कहते हैं? इसको पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं कह सकते। अगर कुछ करना है, हमने बता दियाहै, नोटिस देकर बताया है। अगर सरकार को एक पैसा भी खर्च करना है तो इस हाउस को इजाजत लेनी पड़ती है, बजट पास करवाना पड़ता है। आप हजारों करोड़ों रुपए की जायदाद बेच रहे हैं। जो जायदाद आपने 80 करोड़ रुपए में दे दी, उसके तीन महीने बाद वह 150 करोड़ रुपए में दूसरों को बेच दी गई। इसका क्या मतलब है? हम यहां बैठकर इसके बारे में कुछ नहीं करें और यह हाउस ऐसी बातों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, ऐसा अगर हम बाहर के लोगों को बताएं तो बाहर के लोग बोलेंगे कि हाउस को जो करना है, वह करे और हमको जो करना है, वह हम करेंगे। इससे देश का लॉ एंड आर्डर कायम नहीं रहेगा। आपको करना है तो आप करिए। दूसरों ने भी किया है। आपको यदि विरोध करना है तो वह करिए और यदि सपोर्ट करना है तो सपोर्ट कीजिए। जो कुछ करना है, करिए। डिसइन्वैस्टमैंट का काम सदन के सामने लाकर करिए। जब हम पालिसी बनाने की बात करते हैं तब कहते हैं कि पालिसी की जरूरत नहीं है। जब हाउस में आकर वोट लेने के लिए कहते हैं तो उसकी जरूरत नहीं है। वकील कहते हैं कि उसकी जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है कि कानून बदले बगैर आप इसको डिसइन्वैस्टमैंट कर सकते हैं या नहीं। यह इश्यू सुप्रीम कोर्ट में है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दे दिया है। वह देखना चाहते हैं कि ऐसा कर सकते हैं या नहीं। आप इससे पहले कर देंगे। जब हम हाउस में नहीं बैठेंगे यानी जब इंटर सैशन का पीरियड होता है तब आप डिइन्वैस्टमैंट करेंगे ताकि आपको कोई पूछे नहीं। जब कोर्ट में आया है तब भी डिसइन्वैस्टमैंट करना है। क्या इसको डेमोक्रेसी कहते हैं? क्या इसको पार्लियामैंट्री सिस्टम कहते हैं? इस प्रकार के काम यदि इस देश में चलेंगे तो किसका भला होगा, यह हमको समझ में नहीं आता है। इसलिए संमी यहां पर स्ट्रांगली कह रहे हैं। ...*(व्यवधान)* उनको बोलना नहीं है तो वे भी बोलते। यहां बैठे

हुए कुछ लोग यही बोलते। वह बोलना नहीं चाहते क्योंकि वे सरकार को अड़चन में नहीं डालना चाहते। मगर बाहर वे बोलते हैं और हम सुनते हैं। यह न्यूज पेपर में आता है। इस हालत में यह डिसइन्वैस्टमैंट नहीं होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**प्रो. ए. के. प्रेमाजम (बडागरा)** : महोदय, इस विषय पर मैंने नोटिस दिया हुआ है। कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें...*(व्यवधान)*

**श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम)** : महोदय, इस विषय में मैंने भी नोटिस दिया हुआ है। कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री शिवराज वि. पाटील** : दूसरी बात यह है कि अगर एटार्नी जनरल ने कुछ कहा है तो हम मांग कर रहे हैं कि वे यहां पर आएं और हमें बताएं। हमें भी उनसे प्रश्न पूछने की इजाजत दीजिए और बोलने दीजिए।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : क्या आप इसका जवाब देना चाहेंगी, श्रीमती सुषमा स्वराज?

*(व्यवधान)*

**श्री बसुदेव आचार्य** : महोदय, इस विषय पर मैंने भी नोटिस दिया हुआ है। कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें... *(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** : अविश्वास प्रस्ताव का क्या मतलब है?...*(व्यवधान)* इस प्रस्ताव पर अविश्वास प्रस्ताव का इस्तेमाल करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया बैठ जाएं। इस विषय पर हमने 'शून्य काल' के दौरान चर्चा की थी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है लेकिन समय का भी अभाव है। इस विषय पर सरकार को क्या कहना है अगर आप जानना चाहते हैं, तो यही समय है। इस विषय पर अगर चर्चा हो जाए तो आप सभी बोल सकते हैं। इस समय मैं सबको अनुमति नहीं दे सकता। अन्यथा आप सरकार से जवाब नहीं ले पाएंगे। मध्याह्न भोजन के लिए मैं सभी को अपराह्न 1.10 बजे स्थगित करूंगा।

*[हिन्दी]*

पांच मिनट बाकी हैं। सरकार का क्या कहना है, क्या आप जानना नहीं चाहते हैं?

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं प्रत्येक सदस्य को बोलने की अनुमति कैसे दे सकता हूं? आप कृपया बैठ जाएं। सरकार इसका जवाब देगी। बाद में जब चर्चा होगी, तब विस्तार से करेंगे।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया बैठ जाएं। इस मामले पर सरकार की राय को माननीय मंत्री जी स्पष्ट करेंगे। उसके बाद अगर आवश्यकता हुई तो किसी भी नियम के अंतर्गत वाद–विवाद चर्चा होगी, या जो भी निर्णय सदन लेगा तथा आप सब इसमें भाग ले सकते हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री रामविलास पासवान** : आपने कहा था कि जिन–जिन का एडजर्नमैंट मोशन में नाम है, आप उन सबको एलाऊ करेंगे।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि इसे एक बजे तक पूरा करना है। 'शून्यकाल' में आप लगातर किसी विषय पर चर्चा पर या वाद–विवाद नहीं कर सकते। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में क्या कहना चाहती है। अन्यथा पांच मिनट के बाद मैं सभा स्थगित कर दूंगा

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : केवल एक सदस्य बोल सकता है

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रकार सरकार जवाब नहीं दे पाएगी, फिर मुझे दोष मत देना।

*(व्यवधान)*

**श्री सुरेश कुरुप** : मेरा नोटिस भी है।

**श्री राम विलास पासवान** : यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

*[हिन्दी]*

आप थोड़ा समय और बढ़ा दीजिए।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : सुनील खान जी, प्लीज बैठिए और मेरी बात सुनिए।

*(व्यवधान)*

**श्री राम विलास पासवान** : अध्यक्ष महोदय, जिन–जिनका नोटिस है, उनको तो बुला लीजिए।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री सुरेश कुरुप** : वहां मेरा नोटिस है।

**अध्यक्ष महोदय** : अन्य नोटिस भी बहुत हैं।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : यहां अनेक नोटिस हैं, मेरे पास नाम हैं।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : जब तक इस विषय का निपटान नहीं हो जाता, तब तक कोई भी अन्य विषय नहीं लिया जाएगा।

*(व्यवधान)*

**श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर)** : असम के धुबरी जिले में चक्रवात आया है। महोदय, इसमें 30 लोग मारे गए तथा 1000 लोगों की कोई खबर नहीं है...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं नहीं समझता कि विनिवेश के मामले में विपक्ष गंभीर है। अगर विपक्ष गंभीर होता तो जो मंत्री जी कह रहे हैं वे उसे ध्यान से सुनते। विपक्ष ने इस विषय को उठाया है। अगर विपक्ष गंभीर होता तो वे मंत्री जी बात सुनते कि इस मामले पर सरकार का क्या कहना है।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : प्रक्रिया के अनुसार आमतौर पर मध्याह्न भोजन अवकाश के लिए हम एक बजे सभा स्थगित करते हैं, अतः भोजन अवकाश के लिए मैं सभा स्थगित करूंगा। इस मुद्दे को आप कल फिर उठा सकते हैं। कल आप इस पर चर्चा कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : अगर हर कोई बोलना चाहेगा तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मैं नहीं समझता कि सदस्य सरकार की प्रतिक्रिया जानने के मूड में हैं। विपक्ष की राय स्पष्ट हो चुकी है। अब यह सरकार का काम है कि वह अपनी राय स्पष्ट करे। मैंने सरकार से कहा है कि वह अपनी राय स्पष्ट करे।

अगर आप सभी बोलना चाहते हैं तो क्यों न इस पर चर्चा शुरू की जाए। सरकार चर्चा के लिए तैयार है, और हम इस विषय पर चर्चा शुरू कर सकते हैं।

**श्री राम विलास पासवान** : आप स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दीजिए। आप स्थगन प्रस्ताव की अनुमति क्यों नहीं दे सकते। ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : बसुदेव आचार्य जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे उनको सुनने दीजिए।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

**अपराह्न 1.08 बजे**

*तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

---

**अपराह्न 2.01 बजे**

*लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात अपराह्न 2.01 बजे पुनः समवेत हुई।*

*(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)*

## सदस्यों द्वारा निवेदन—*जारी*

### देश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, विशेष रूप से हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन के विनिवेश के बारे में

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : आप सब अपनी–अपनी जगह पर बैठिए। आपके नेता बोल रहे हैं। मैं आपके नेता को सुनूंगा कि वह क्या बोल रहे हैं।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : महोदय, हमने सुबह भी कहा और पुनः अब भी कह रहे हैं कि आपने स्थगन प्रस्ताव नोटिस की अनुमति नहीं दी लेकिन हमें अपनी बात कहने की अनुमति दी इसके लिए हम आपके आभारी हैं। अपनी ओर से हमने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि इस मामले में सरकार की ओर से स्पष्ट आश्वासन मिलना चाहिए कि इन लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के विनिवेश के संबंध में सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विभिन्न राजनैतिक दलों के इस सभा के 300 संसद सदस्यों ने इसका विरोध किया है। मामला बिलकुल स्पष्ट है ...*(व्यवधान)*

**डा. विजय कुमार मल्होत्रा** : वह इस विषय पर पहले ही बोल चुके हैं...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री रामजीलाल सुमन। कृपया बैठ जाइए। श्री प्रियरंजन दासमुंशी क्या आपका भाषण पूरा हो गया है।

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : मैं कह रहा था कि सरकार के सभी कार्यों में हम पूरा–पूरा सहयोग देंगे। ऐसा हम करते आ रहे हैं, और चाहते हैं कि सरकार के सभी मामलों को विपक्ष द्वारा गंभीरता से लिया जाए। लेकिन विपक्ष द्वारा उठाए गए मामलों को सरकार इस तरह लेती है कि सदन में चर्चा समाप्त हो जाती है, लेकिन चर्चा के द्वारा जो भावना उत्पन्न होती है, उसे सरकार क्रियान्वित नहीं करती। मैं चुनौती देता हूं, नियम 193 के अंतर्गत अगर आप विनिवेश पर वाद–विवाद चर्चा देखें तो पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी दलों ने इसका विरोध किया है, लेकिन फिर भी सरकार से स्पष्ट आश्वासन चाहते हैं। अगर माननीय मंत्री जी कहें कि वे लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, संसद के परामर्श के बगैर नहीं करेंगे तो हम सहयोग देंगे। ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**डा. विजय कुमार मल्होत्रा** : इन्होंने सदन तो चलने देना नहीं है।...*(व्यवधान)*

**श्री रामजीलाल सुमन** : क्या दिक्कत है?...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : सुमन जी, आपने तो अपना भाषण अभी किया है। बार–बार क्या है?

**श्री राम विलास पासवान** : अध्यक्ष जी, मैं केवल दो–तीन प्वाइंट बताना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मल्होत्रा जी, मैं तो सदन को चलाना चाहता हूं।

*(व्यवधान)*

**डा. विजय कुमार मल्होत्रा** : अध्यक्ष जी इन्होंने चलने ही नहीं देना है। इनकी नीयत ही नहीं है।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, नहीं, चलने देंगे। आप बैठिए। बहुत अच्छे लोग हैं। चलने देंगे।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : वे बहुत अच्छे लोग हैं। आप कृपया बैठ जाएं।

**डा. विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या ये सदन चलने देंगे? ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

सबके बोलने के बाद ही हाउस चलेगा? सबके बोलने के बाद भी हाउस नहीं चलने देना है तो बोलने की क्या आवश्यकता है?...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : सदन चलाने के मूड में ये लोग हैं।

आप उनका मूड क्यों खराब करते हैं? उनका अच्छा मूड है। खराब मत कीजिए।

*(व्यवधान)*

**श्री राम विलास पासवान** : मैं समझ रहा हूं कि अभी जो चर्चा चल रही है, इससे बढ़िया सदन नहीं चल सकता। यह सबसे बढ़िया सदन चल रहा है। यदि आपको लगता है कि देश बेचने से ही आपका सदन चलता हो तो बेचते रहिए। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि भारत पेट्रोलियम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का राष्ट्रीयकरण 1976 में हुआ था और 1976 में तब किया गया था जब दो प्राइवेट कंपनीज एक बरमाशैल और ऐस्सो ने 1971 के युद्ध में जब तेल देना नकार दिया था कि हम तेल नहीं देंगे तो उस समय की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक प्रस्ताव रखा था कि इनका राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह नेशन सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है। यदि कल इसका निजीकरण करते हैं और युद्ध के समय वही हालात पैदा होते हैं, तो उनके दाम बढ़ेंगे। जब उसका प्राइवेटाइजेशन होगा तो कैरोसिन तेल, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ेंगे। इनके बढ़ने से दूसरी सभी चीजों के दाम बढ़ेंगे।... *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप सरकार से क्या चाहते हैं, इतना ही कहिए।

**श्री राम विलास पासवान** : हम जब पहले इस पर चर्चा कर रहे थे तो प्रधान मंत्री जी यहां बैठे थे। हम लोग जिस सैक्शन से आते हैं उनमें दलित वर्ग, शेडयूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग आते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप भी उनके चैम्पियन रहे हैं। इसलिए आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे समय में उनके रिजर्वेशन का क्या होने वाला है? बार-बार मांग की जा रही है कि प्राइवेट सैक्टर में रिजर्वेशन लागू किया जाए।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : इस विषय में जब चर्चा होगी तब यह मुद्दा उठाइए। आप अभी यह मुद्दा कैसे उठा सकते हैं?

**श्री राम विलास पासवान** : मैं खत्म कर रहा हूं। कारगिल में जो लोग मारे गए उनके परिवार वालों को आपने स्पेशल पेट्रोल पंप दिए। क्या प्राइवेट वाले उनको विशेष परिस्थिति में पेट्रोल पंप देंगे। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट इसके खिलाफ है। उसने लिखा है :

*[अनुवाद]*

"अतः समिति ने सिफारिश की थी कि वह कंपनियां जो आधारभूत ढांचा खड़ा करने में लगी हुई हैं, ऐसी तेल कंपनियों के विनिवेश की कोई आवश्यकता नहीं।"

*[हिन्दी]*

मैं आखिर में कहना चाहता हूं कि...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने आपको बोलने की इजाजत नहीं दी है। बैठिए।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपकी बात को रिकार्ड में लाने की इजाजत कैसे दे सकता हूं?

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : जीरो आवर बहुत पहले खत्म हो गया।

*(व्यवधान)*

**श्री राम विलास पासवान** : अध्यक्ष महोदय, हल्ला करते-करते हमारा गला थक गया।...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि इस मामले को संसद द्वारा ही डिसाइड होने दीजिए।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आपके नेता ने इस विषय में चर्चा रखी है।

*[अनुवाद]*

**श्री रूपचन्द पाल** : महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया मुझे जानने दीजिए वे क्या कहना चाहती हैं।

*(व्यवधान)*

**श्री रूपचन्द पाल** : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल आधा मिनट चाहूंगा उन्होंने सदन में आश्वासन दिया था कि राष्ट्र के हित के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया जाएगा। इस सदन को वाद-विवाद तथा चर्चा करने का अधिकार है और उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अब यह बात सामने आई है कि तुरन्त ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया मुझे माननीय मंत्री जी से जानने दीजिए कि उनका क्या कहना है। कृपया बैठ जाएं।

**श्री रूपचन्द पाल** : ये कैसे हो सकता है? इन सब चीजों में हम मूक दर्शक कैसे रह सकते हैं? सबसे गंभीर बात है कि इस सभा के अल्पमत के सदस्यों ने राष्ट्र की बहुमूल्य संपत्ति को बेच दिया है। सभा का बहुमत यह चाहता है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। हम क्या चाहते हैं? हम प्रधान मंत्री जी से आश्वासन चाहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के लाभ कमाने वाले उपक्रम बीपीसीएल, एचपीसीएल, नालको आदि का विनिवेश नहीं किया जाएगा। यह देश के प्रतिष्ठित नवरत्न हैं। इस तरह औने–पौने में उन्हें बेचा नहीं जाना चाहिए जिस तरह वे बेच रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : सरकार का इस बारे में क्या कहना है।

*(व्यवधान)*

**श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़)** : इस सदन के ज्यादातर सदस्य इसके विरुद्ध हैं...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री जी के उत्तर से आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा तब आप अपनी बात कहना।

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज)** : अध्यक्ष महोदय, एचपीसीएल और बीपीसीएल के विनिवेश के संबंध में विपक्ष के साथी चर्चा करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं साक्षी हैं। सरकार ने हमेशा इस चर्चा के लिए अपनी सहमति दी है। इसी सत्र में राज्य सभा में इस पर चर्चा हुई। लोक सभा में जब चर्चा का विषय आया तो तय किया गया कि सत्र के उत्तरार्द्ध में हम चर्चा करेंगे। उस समय कामरेड रूपचन्द पाल ने सवाल उठाया कि सत्र के उत्तरार्द्ध में चर्चा तब मायने रखेगी, जब सरकार यह आश्वस्त करे कि अवकाश के समय इन पीएसयूज का चरित्र बदला नहीं जाएगा। मैंने स्वयं सरकार की तरफ से सदन में खड़े होकर यह आश्वासन दिया। अवकाश के बाद जब हम बैठे तो पहली बीएसी में यह तय हुआ कि हम इस पर चर्चा करेंगे। जैसा विजय गोयल जी ने कहा था कि तारीख भी तय हुई। आज सुबह इस सदन ने कार्य मंत्रणा समिति के उस प्रतिवेदन को स्वीकार किया जिस में इस सप्ताह की पूरी कार्रवाई क्या होगी, इसका उल्लेख था। उसे सदन ने सर्वसम्मति से स्वीकार भी किया। मुझे समझ नहीं आ रहा है और आश्चर्य हुआ जब मुंशी जी ने इस सवाल को यहां उठाया। उन्होंने जो वहां कहा था, उसे सरकार ने स्वयं स्वीकार किया। मैं फिर कह रही हूं कि सरकार को किसी तरह की कोई आपत्ति चर्चा करवाने में नहीं है।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : सरकार का इस बारे में उत्तर आने दिया जाए। सुमन जी और रूपचन्द पाल जी बैठिए।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री जी का उत्तर आने दिया जाए। उन्हें उत्तर देने का अधिकार है और आपको प्रश्न पूछने का अधिकार है।

**श्रीमती सुषमा स्वराज** : अध्यक्ष जी, चर्चा का निष्कर्ष निकलने के बाद ही आश्वासन देने का समय होता है। इसलिए मैं कह रही हूं कि चर्चा कब करें और चर्चा करने के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा, तब उसका जवाब देंगे। हाउस की जो सैंस होगी, उसके आधार पर सरकार रैस्पोंड करेगी...*(व्यवधान)* हमने हर चीज में किया, अगर नहीं किया होता तो सदन में चर्चाओं के कोई मायने नहीं होते।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री पवन कुमार बंसल** : महोदय, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा सिद्धांतों का कोई आदर नहीं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : महोदय, क्या मुझे एक मिनट बोलने की अनुमति है?...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्रीमती सुषमा स्वराज** : अध्यक्ष जी, इस पर चर्चा हो जाए। उसका जो निष्कर्ष निकले, सदन की भावना सरकार के सामने आए, प्रतिक्रिया व्यक्त करते समय निश्चित तौर पर सरकार अपनी प्रतिक्रिया देगी। इसलिए मेरा विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन है कि वर्षों के बाद खेल एवं युवा कार्यों की डिमांड्स पर चर्चा करने के लिए सदन बैठा है। उस पर चर्चा हो जाए। मैं दासमुंशी जी से भी विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगी कि अगली बी.ए.सी. की बैठक का समय तय कर दें। अगर उन्हें लगता है कि 8 तारीख से पहले करना है तो समय आगे बढ़ाएं। मैं समय बढ़ाने के लिए तैयार हूं। आप जिस रूप में चर्चा करना चाहते हों, चर्चा का नोटिस दे दें। अगली बी.ए.सी. में तय कर दें और आपको लगता है कि 8 तारीख के पहले

सप्ताह में करना है तो पहले सप्ताह में करने के लिए भी तैयार हूं।

*[अनुवाद]*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री बिलकुल ठीक कह रही हैं। जिस समझदारी और बुद्धिमानी से उन्होंने सरकार की राय प्रकट की उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। हमने इस पर बीएसी में चर्चा की तथा तिथि तय की कि इस बारे में वे ठीक कह रही हैं। माननीय मंत्री महोदया ने आश्वासन दिया था कि सत्र के दूसरे भाग में जब तक इस पर चर्चा नहीं होती है तब कि कुछ नहीं किया जाएगा ...*(व्यवधान)* लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि विनिवेश की प्रक्रिया सदन को सूचित किए बिना ही शुरू हो की गई ...*(व्यवधान)* प्रक्रिया शुरू हो चुकी है क्या आप इस तथ्य को नकार सकते हैं? अधिकारिक तौर पर क्या आप इसको नकार सकते हैं? फिर मैं बैठ जाऊंगा...*(व्यवधान)*

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : महोदय, मुझे बोलने की अनुमति है?...*(व्यवधान)*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : महोदय, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है वह इससे इनकार करें...*(व्यवधान)*

**श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर)** : महोदय, माननीय मंत्री महोदया, इस तथ्य से इनकार करें कि...*(व्यवधान)*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : यह सदन का अपमान है, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : बी.ए.सी. जल्दी करने के लिए तैयार हैं।

**श्रीमती सुषमा स्वराज** : अध्यक्ष जी, वे नोटिस दे दें और बीएसी तय करें तो निश्चित तौर पर सरकार निष्कर्ष पर अपनी प्रतिक्रिया देगी।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : यह सब आप चर्चा के दौरान कह सकते हैं।

*(व्यवधान)*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : इस सरकार को हम सहयोग नहीं दे सकते...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : अगर आप चाहें तो सरकार के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का मामला ला सकते हैं, अगर सरकार ने ऐसा कुछ किया है तो।

*(व्यवधान)*

**श्री पवन कुमार बंसल** : महोदय, उनकी जानकारी के बिना यह नहीं हो सकता तथा इसे सरकार छुपा रही है... *(व्यवधान)*

---

**अपराह्न 2.14 बजे**

*[अनुवाद]*

## जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित

**अध्यक्ष महोदय** : अब हम मद संख्या—11 विधेयकों का पुरःस्थापन लेंगे। अब श्री जगमोहन विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए अनुमति का प्रस्ताव करेंगे।

**पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन)** : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951 संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**श्री जगमोहन** : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

**अपराह्न 2.14½ बजे**

*[अनुवाद]*

## नियम 377 के अधीन मामले*

**अध्यक्ष महोदय** : आज के लिए सूचीबद्ध नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे माने जाएं।

---

*सभा पटल पर रखे माने गए।

*[हिन्दी]*

**(एक) राजस्थान में अलवर और भिवाड़ी के बीच रेल सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता**

**डा. जसवंतसिंह (अलवर)** : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य के अलवर जिले का भिवाड़ी एक औद्योगिक शहर है। यह एनसीआर के अंतर्गत आता है। इस शहर की औद्योगिक इकाइयों पर एनसीआर के नियम लागू होते हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। यहां पर रेल सुविधा न होने से व्यापारियों, उद्योगपतियों तथा आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को इस शहर से प्रतिवर्ष लगभग 466 करोड़ रुपए से ऊपर प्राप्त होते हैं, लेकिन इसके विकास पर सरकार द्वारा पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस क्षेत्र के व्यापारियों, उद्योगपतियों तथा आम लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अलवर से भिवाड़ी के लिए रेलगाड़ी चलाने के संबंध में प्रभावी व ठोस कदम उठाए जाएं ताकि उक्त क्षेत्र/शहर के आम नागरिकों को राहत मिल सके।

**(दो) महाराष्ट्र के जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा मोबाइल सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता**

**श्री वाई. जी. महाजन (जलगांव)** : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र जलगांव, महाराष्ट्र में भारत संचार निगम द्वारा मोबाइल सेवा शुरू की गई, जिसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

लेकिन अभी भी मेरे संसदीय क्षेत्र की सभी तहसीलों में भारत संचार निगम लिमिटेड का मोबाइल कवरेज नहीं है। प्राइवेट मोबाइल कंपनियों की सेवा की तुलना में बीएसएनएल की सेवा मेरे क्षेत्र में असंतोषकारी है। खुले मैदान में मोबाइल की रेंज मिलती है जो घर के अंदर नहीं मिल पाती। मुस्ताई नगर तहसील के अंतर्गत लोगों की बीएसएनएल सेवा के बारे में काफी शिकायतें हैं।

अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जलगांव संसदीय क्षेत्र में बीएसएनएल की और अधिक अच्छी सेवा मुहैया कराते हुए इस क्षेत्र की सभी तहसीलों में बीएसएनएल की मोबाइल सेवा शुरू की जाए।

**(तीन) राजस्थान में जयपुर में प्रदर्शनी मैदान के निर्माण के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता**

**श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर)** : अध्यक्ष महोदय, जयपुर राजस्थान की राजधानी है और इस स्थान पर प्रतिदिन नुमाईश लगा करती है। रामलीला का स्थान उपयुक्त स्थान नहीं है। जयपुर की जनता प्रदर्शन प्रेमी है। जो भी विभाग प्रदर्शनी लगा पाता है, उसे एक सप्ताह से अधिक का समय नहीं मिल पाता है और दुकानें लगाने वालों को जो लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। दिल्ली की भांति जयपुर में भी अप्पू घर की भांति प्रदर्शनी मैदान बनना अति आवश्यक है, जहां स्थाई रूप से दुकानें–स्टाल बनें।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस कार्य के लिए आर्थिक सहायता देकर अनुग्रहीत करे।

*[अनुवाद]*

**(चार) कुक्कुट उद्योग के हितों की रक्षा के लिए चारा सामग्री पर उत्पाद-शुल्क और मूल्य वर्धित कर हटाए जाने की आवश्यकता**

**श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर)** : मक्का तथा चारे की अन्य सामग्री के मूल्यों में भारी वृद्धि होने की वजह से मुर्गी पालन उद्योग संकट में है। इस समय यदि अण्डों तथा मुर्गी के उत्पादकों को उचित मूल्य नहीं मिलेंगे तो वास्तव में इस उद्योग की स्थिति बदतर हो जाएगी। इस उद्योग पर बिचौलियों का भी दुष्प्रभाव है और इसके चलते अनेक किसान अपना कारोबार खो चुके हैं। इन परिस्थितियों में इस उद्योग तथा किसानों को बचाने के लिए सरकार प्रोत्साहन देते हुए उचित कदम उठाए। मुर्गी पालन उद्योग पर करीब 20 लाख किसान निर्भर हैं तथा इस उद्योग से करीब 12000 करोड़ रुपए का सकल घरेलू राजस्व प्राप्त होता है। अतः चारे पर से उत्पाद शुल्क और वैट को वापस लेने की आवश्यकता है।

उपरोक्त बातों को देखते हुए मैं माननीय कृषि मंत्री से आग्रह करता हूं कि सीमा शुल्क हटाने के लिए कदम उठाएं और मुर्गी पालन में लगे किसानों को वर्तमान संकट से बचाएं।

*[हिन्दी]*

**(पांच) झारखंड के बोकारो इस्पात संयंत्र में मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर रोजगार दिए जाने की आवश्यकता**

**श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह)** : अध्यक्ष महोदय,

[श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय]

बोकारो इस्पात संयंत्र में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति एवं विस्थापितों को नौकरी एवं मुआवजा का मामला वर्षों से लंबित हैं। 1997 के बाद मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति न दी गई है, जबकि तत्कालीन प्रबंधन ने आश्वासन दिया था कि प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक वर्ष नियुक्ति प्रदान की जाएगी, परन्तु आज करीब 700 आश्रित घोर विपत्ति में नियुक्ति की मांग कर रहे हैं और विगत 6 माह से आंदोलन कर रहे हैं।

विस्थापितों के लिए एक फार्मूला है कि राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, प्रबंधन एवं क्षेत्र के निर्वाचित जनप्रतिनिधि के एक निष्पक्ष प्रतिनिधि एक साथ बैठकर वास्तविक विस्थापितों की पहचान कर मामले का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निपटारा करें ताकि विस्थापित बेकार में मुआवजा एवं नियुक्ति के लिए समय नष्ट न करें।

जब बोकारो इस्पात संयंत्र लाभ में चल रही है और सभी विभागों में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान है, तो संबंधित लोगों का मामला लंबित होना आश्चर्य की बात है।

अतः केन्द्र सरकार से आग्रह है कि बोकारो इस्पात संयंत्र में विस्थापित तथा मृत कर्मचारियों के आश्रितों का मामला शीघ्र निष्पादित किया जाए।

*[अनुवाद]*

**(छह) हरियाणा के अम्बाला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की भारी समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता**

**श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला)** : मेरे लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, अम्बाला में दौरे के दौरान हजारों लोग मुझसे मिले और बताया कि वहां लोगों और जानवरों के लिए भी पीने के पानी की भारी कमी है। बहुत से लोग अस्थाई रूप से अपने जानवरों को साथ लेकर उत्तरांचल चले गए हैं। यह क्षेत्र शिवालिक क्षेत्र से मेरे लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के सधोरा विधान सभा क्षेत्र तक फैला हुआ है।

मैं सरकार से इस मुद्दे पर वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं।

**(सात) राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किए जाने और इसके विकास के लिए पर्याप्त अनुदान स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता**

**श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा)** : केरल सरकार ने श्री राजीव गांधी जैव–प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना की थी, जो कि एक प्रमुख संस्था है। इसके भवन परिसर का उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा वर्ष 2002 में किया गया था। यह एक प्रतिष्ठित संस्थान है जिसमें परमाणु–औषधि व जैव–औषधि में अनुसंधान होता है और यह निदान केन्द्र भी चलाता है जिससे लाखों लोगों को लाभ पहुंचता है। यह संस्थान कृषि संबंधी अनुसंधान कार्य भी करता है। चूंकि इस संस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्य करना चाहिए और यह भी सत्य है कि इसे उदार रूप से अनुदान दिए जाने की आवश्यकता है, अतः मैं केन्द्र सरकार से केरल में स्थित श्री चित्रा थिरूनाल संस्थान की भांति इसका अधिग्रहण करने और इसे एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने का अनुरोध करता हूं।

**(आठ) कर्नाटक में हासन में विशेष आर्थिक जोन स्थापित किए जाने की आवश्यकता**

**श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा (हसन)** : केन्द्र ने तीन वर्ष पूर्व, कर्नाटक में चार विशेष आर्थिक जोन स्थापित किए जाने की घोषणा की थी। लेकिन दुर्भाग्यवश, आज तक भी एक भी विशेष आर्थिक जोन की स्थापना नहीं हुई है।

हसन के लोग, विशेषकर किसान, विशेष आर्थिक जोन के बारे में बहुत आशान्वित थे। हसन में बहुत से फूल और सब्जियां उगाई जाती हैं। आम, अंगूर चीकू आदि फल वहां बहुतायत में पैदा होते हैं। नारियल, काजू और कॉफी की भी बड़ी मात्रा में पैदावार होती है। अधिकांश किसान लौंग, इलायची जैसे अन्य मसाले उगाते हैं। इन मदों का निर्यात होता है क्योंकि यूरोपीय, अमरीकी और अरब देशों में इनकी बहुत मांग है। इन वस्तुओं का निर्यात खतरे में है क्योंकि हसन में कोई विशेष आर्थिक जोन नहीं है जबकि केन्द्र ने तीन वर्ष पहले हसन में ऐसा एक जोन स्थापित करने की घोषणा की थी।

हसन में इस विशेष आर्थिक जोन का कोई कार्यालय नहीं है। आज तक किसी अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति नहीं हुई है। हसन में सभी ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध हैं।

इस मुद्दे पर हसन के सभी किसान आंदोलित हैं।

अतः मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वाणिज्य मंत्री से बिना किसी और विलम्ब के हसन में उल्लिखित विशेष आर्थिक जोन स्थापित किए जाने का अनुरोध करता हूं।

**(नौ) देश में विशेषकर उत्तरांचल में, वन भूमि में रह रहे लोगों को स्वामित्व अधिकार दिए जाने के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता**

**डा. महेन्द्र सिंह पाल (नैनीताल, उत्तरांचल)** : अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में स्वतंत्रता से पहले व स्वतंत्रता के बाद अभी तक वन भूमि बंदोबस्त नहीं हुआ है जिसकी वजह से लोग काफी लंबे समय वन भूमि में कास्त व काबिज हैं तथा नियमित रूप से बिजली–पानी–खेती तथा अन्य व्यवसाय करते आ रहे हैं, उनमें से बहुत से नगर तथा वार्ड आदि बन चुके हैं, परन्तु अभी तक भूमि का स्वामित्व पूर्ण रूप से वन भूमि के रूप में है। जबकि ऐसी भूमि में वन अधिनियम 1980 के आने से पहले भी लोग खेती व व्यवसाय करते आ रहे हैं तथा रिहायशी क्षेत्र के रूप में उसका उपयोग कर रहे हैं। वन भूमि का बंदोबस्त कानून न होने की वजह से पूरे देश के अंदर ऐसी भूमि में कार्यरत लोगों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे उत्तरांचल के अंदर ज्यादातर भूमि वन के अंतर्गत अंकित की गई है, जिसकी वजह से उत्तरांचल के बहुत से जिले जैसे नैनीताल, उधमसिंह नगर, देहरादून कोटद्वार आदि स्थानों में लोगों को आए दिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः भारत सरकार से आग्रह है कि राजस्व भूमि बंदोबस्त कानून की तरह वन भूमि कानून बनाया जाना पूरे देश में जनहित के लिए अत्यंत आवश्यक है, इससे लोगों को उनके कानूनी हक–हकूक प्राप्त हो सकेंगे तथा वन भूमि का भी नियमित रूप से निर्धारण हो सकेगा।

*[अनुवाद]*

**(दस) गुजरात में साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर में आकाशवाणी स्टेशन को शीघ्र शुरू किए जाने की आवश्यकता**

**श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा)** : गुजरात के साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर में एक नया आकाशवाणी केन्द्र कार्य शुरू करने हेतु तैयार है।

इस आकाशवाणी केन्द्र के शुरू होने के कार्य में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा यहां कार्यक्रम अधिकारी और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति न किए जाने के कारण विलंब हो रहा है।

मैं मंत्री जी और संबंधित अधिकारियों का ध्यान कार्यक्रम अधिकारी और अन्य संबंधित कर्मचारियों की शीघ्रतिशीघ्र नियुक्ति किए जाने की ओर दिलाना चाहूंगा जिससे कि यह केन्द्र अपना कार्य शुरू कर सके।

*[हिन्दी]*

**(ग्यारह) बिहार के भागलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किऊल और साहिबगंज के बीच रेल पटरी का उचित रखरखाव किए जाने की आवश्यकता**

**श्री सुबोध राय (भागलपुर)** : अध्यक्ष महोदय, किऊल–साहिबगंज रेल खंड अति पुराना एवं महत्वपूर्ण रेलमार्ग है, जिसका विकास लंबे समय से नहीं हुआ है।

अतएव रेल मंत्री एवं भारत सरकार से मांग है कि इस रेल खंड का आवश्यक विकास करते हुए अन्य रेलमार्गों की तरह इधर से होकर भी गौहाटी/हावड़ा/सियालदह के लिए राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन किया जाए।

*[अनुवाद]*

**(बारह) आन्ध्र प्रदेश में हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार के प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता**

**श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम)** : आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए ऊन बाजार विकास सहायता कार्यक्रम और हथकरघा विकास केन्द्रों को जारी रखने का अनुरोध किया है जिन्हें भारत सरकार द्वारा बंद किए जाने का प्रस्ताव है क्योंकि इससे हथकरघा बुनकरों के हितों पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। राज्य सरकार ने सहकारिता क्षेत्र से बाहर बुनकरों के लिए कार्य क्षेत्रों की स्वीकृति दिए जाने का अनुरोध भी किया है। आई.ए.वाई. के अंतर्गत बुनकरों के लिए प्रतिवर्ष 2000 घरों तक का एक अलग कोटा उपलब्ध कराए जाने की सिफारिश की गई है। भारत सरकार से राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम को सम्मिलित करते हुए उद्यमी विकास कार्यक्रम के माध्यम से सब्जियों के रंगों का उत्पादन करने की सुविधा उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया गया है।

मैं भारत सरकर से इस मामले को देखने और बड़े समय

से लंबित उक्त प्रस्तावों के लिए आंध्र–प्रदेश सरकार को शीघ्रतापूर्वक स्वीकृति दिए जाने का अनुरोध करता हूं।

**(तेरह) देश में उत्पादित पॉम ऑयल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा किए जाने की आवश्यकता**

**श्री वाई. वी. राव (गुंटूर)** : भारत ने खाद्य तेलों के आयात पर वर्ष 2000–01 के दौरान 8,000 करोड़ रुपए और वर्ष 2001–2002 के दौरान 6000 करोड़ रुपए व्यय किए थे। हमारे द्वारा आयात किए जा रहे खाद्य तेलों में 'ताड़' के तेल की मात्रा प्रमुख होती है। ताड़ के तेल की भारी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए देश में बड़ी संख्या में ताड़ के पेड़ लगाए गए हैं। देश में ताड़ के कुल वृक्षारोपण में आन्ध्र प्रदेश का हिस्सा 59 प्रतिशत है। तथापि, भारत सरकार द्वारा अभी तक ताड़ के तेल के लिए कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है। इस कारणवश, यद्यपि बहुत से किसान ताड़ के वृक्षारोपण के लिए तैयार हैं परंतु वे आगे नहीं आ पा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में बाजार हस्तक्षेप योजना लागू की जा रही है परंतु इससे भी किसानों में लाभकारी मूल्य प्राप्त करने का विश्वास पैदा नहीं हुआ है।

यदि ताड़ के तेल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है, तो ताड़ के वृक्षारोपण में भारी वृद्धि होगी और हम खाद्य तेलों पर अपने आयात बिल में कटौती कर सकेंगे।

मैं माननीय कृषि मंत्री जी से इस प्रस्ताव पर विचार करने और इस संबंध में शीघ्रतापूर्वक निर्णय लेने का अनुरोध करता हूं।

*[हिन्दी]*

**(चौदह) बिहार में मधुबनी जिले में बलिराजगढ़ का पर्यटन स्थल के रूप में विकास किए जाने की आवश्यकता**

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर)** : अध्यक्ष महोदय, पुराणों में वर्णित प्रहलाद के पौत्र एवं विरोचन के पुत्र महादानी बलि के गढ़ की खोज 1884 में प्रख्यात अंग्रेज शिक्षाविद जार्ज ग्रियर्सन ने की, जो बिहार के मधुबनी जिलान्तर्गत बाबूबरही प्रखंड में स्थित है। बलिराजगढ़ का अधिग्रहण भारत सरकार ने 1905 ई. में किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1962–63 में तथा पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय बिहार सरकार द्वारा 1972–73 तथा 1974–75 में इस स्थल का उत्खनन कराया गया। उत्खनन में उत्तरी कृष्ण–मार्जित मृणपात्रकाल (200 ई. पू.) से लेकर 10वीं–11वीं शताब्दी (पाल काल) के अनुक्रमों की प्राप्ति हुई। उत्खनन में दूसरी शताब्दी ई.पू. में शुंग काल के दौरान निर्मित रक्षात्मक दीवार के अलावे प्राचीन मंदिर के अवशेष, मानव तथा पशु टेराकोटा आकृतियां, तांबे के सिक्के, साधारण मृदभाण्ड एवं अन्य वस्तुएं प्राप्त हुईं। बिहार का यह सबसे बड़ा ऐतिहासिक स्थल है। इससे छोटे ऐतिहासिक स्थल वैशाली और विक्रमशिला को भारत सरकार ने पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया, लेकिन बलिराजगढ़ का अभी तक समुचित विकास नहीं हुआ।

मैं चाहूंगा कि दुर्लभ धरोहर बलिराजगढ़ को भारत सरकार वर्ष 2003–2004 में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की ठोस योजना बनाए।

*[अनुवाद]*

**(पन्द्रह) पंजाब में, विशेषकर भटिंडा और मनसा जिलों में, सूखे की भीषण स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता**

**श्री भान सिंह भौरा (भटिंडा)** : गत वर्ष पड़े भीषण सूखे से हमारे देश की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा संकट की स्थिति में पहुंच गया है। इससे प्रत्येक राज्य में कृषि श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं।

यद्यपि, केन्द्र सरकार ने पहले ही प्रभावित लोगों के लिए राहत हेतु विभिन्न उपायों की घोषणा कर दी है तथापि, बहुत से कृषि श्रमिकों, विशेषकर पंजाब के भटिंडा और मनसा जिलों में शायद ही कोई राहत मिली है। इसलिए, मैं सरकार से तत्काल कतिपय उपाय किए जाने का अनुरोध करता हूं जिससे कि कृषि श्रमिकों के परिवार जीवित रह सकें।

---

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा में युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की वर्ष 2003–2004 के लिए लेखानुदान मांगों पर चर्चा और मतदान का कार्य लिया जाएगा।

*(व्यवधान)*

**अपराह्न 2.14¾ बजे**

*(इस समय, श्री प्रवीण राष्ट्रपाल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया अपने–अपने स्थान पर जाइए।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : आप लोगों को और क्या चाहिए, सब कुछ आपको मिल गया।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : दूरदर्शन के प्रसारण को रोक दिया जाए।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा 25 अप्रैल, 2003 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

**अपराह्न 2.15 बजे**

*तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 25 अप्रैल, 2003/ 5 वैशाख, 1925 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

पी० एल० एस० — 48/33/27/2003 (एम०)
280

© 2003 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुदित।